माला, खंड 28, अंक 6

सोमवार, 20 अगस्त, 2007
29 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.......
Dated.......

(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय - सूची

चतुर्दश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 6, सोमवार, 20 अगस्त, 2007/29 श्रावण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 104	2-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 105 से 120	32-50
अतारांकित प्रश्न संख्या 951 से 1107	50-330
सभा पटल पर रखे गए पत्र	331-334
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	334
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
तिरासीवां प्रतिवेदन	334
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–07) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ऑस्कर फर्नांडीज	334-335
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	337-338
पालाघाट रेल मंडल का द्विभाजन कर प्रस्तावित सेलम रेल मंडल के निर्माण से उत्पन्न स्थिति	
श्री एन. एन. कृष्णदास	337-338
श्री लालू प्रसाद	350-354
श्रीमती सी. एस. सुजाता	344-345
श्री एस. अजय कुमार	346-347
श्री के. वी. तंगबालु	347-349
श्री ए. कृष्णास्वामी	338

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

कार्यमंत्रणा समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 354-355

सदस्यों द्वारा निवेदन

अल्पसंख्यकों संबंधी न्यायमूर्ति सच्चर समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में 365-368

सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन), विधेयक, 2007 368-369

(दो) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) संशोधन विधेयक, 2007 369

नियम 377 के अधीन मामले 370-378

(एक) तमिलनाडु के महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपाल नायकर के सम्मान में विरूपाक्षी के एक स्मारक बनाये जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेनथन 370-371

(दो) मध्य प्रदेश में ग्वालियर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को चार लेन वाला बनाए जाने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत 371

(तीन) तेलीचैरी और मैसूर के बीच रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी 372

(चार) तमिलनाडु के गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय, को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने की आवश्यकता

श्री ए. वी. बेल्लारमिन 372-373

(पांच) देश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 337

(छह) गन्ना उत्पादकों की सहायतार्थ एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 374

(सात) उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर के अनुरक्षण और संरक्षण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल 375

(आठ) उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में जल भराव रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा 375

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 376-419

श्री रामजीलाल सुमन 376, 378

श्री पवन कुमार बंसल 376-378

श्री लक्ष्मण सिंह 378-381

श्री के. एस. राव 381-385

श्री सुधांशु सील 385-387

श्री शैलेन्द्र कुमार 387-388

श्री गणेश प्रसाद सिंह 389

श्री भर्तृहरि महताब 389-392

श्री प्रबोध पाण्डा 392-394

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" 394395

प्रो. एम. रामदास 395-398

प्रो. रासा सिंह रावत 398-402

श्री अधीर चौधरी 402-403

श्री वरकला राधाकृष्णन 404-407

श्री खारवेल स्वाईं 407-408

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 408-410

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 410-411

श्री पी. चिदम्बरम 412-419

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2 से 10 और 1 419

पारित करने के लिए प्रस्ताव

नियम 193 के अधीन चर्चा 419-458

देश में विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

श्री सीताराम सिंह 419-425

श्री अनिल बसु 425-427, 428

श्री शिवराज वि. पाटील 427-428

श्री मधुसूदन मिस्त्री 428-433

श्री तापिर गाव 434-437

श्री शैलेन्द्र कुमार 437-440

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 440-442

श्री ब्रह्मानन्द पंड्या 442-444

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" 445-449

श्री एम. शिवन्ना 451-453

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ 453-458

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 459

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 460-464

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 465-466

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 465-466

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 20 अगस्त, 2007/29 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, आज देश भर के लाखों किसान रामलीला ग्राउंड में अपनी मांगों को लेकर रैली कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद मैं उन सभी सदस्यों के विचार सनुंगा जिन्होंने सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, इंडो–यूएसए न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में हमारी पार्टी जेपीसी की मांग करती हैं क्योंकि यह किसी एक पार्टी या ग्रुप का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात प्रश्नकाल के बाद सुनुंगा। मैंने पहले ही इस विषय पर चर्चा की अनुमति दे दी है। कृपया एक घंटे तक इंतजार करें। प्रश्नकाल को आरंभ होने दें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत कहें। कृपया इन्हें हटा दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आसन ग्रहण करें। आप वरिष्ठ एवं जिम्मेदार सदस्य हैं। आपको अपने सदस्यों के लिये उदाहरण बनना है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101। श्री थावरचन्द्र गेहलोत।

[हिन्दी]

गन्ने की बकाया राशि

+

***101. श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज की तिथि तक किसानों को भुगतान के लिए चीनी मिलों पर गन्ना बकाए की कितनी राशि क्षेत्र–वार लंबित थी;

(ख) उक्त बकाया राशि भुगतान के लिए कब से लंबित है;

(ग) क्या लंबित बकाया राशि के कारण किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों के परिणामस्वरूप वे गन्ने के खेती करना बंद कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए शीघ्रतिशीघ्र बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) 2004–05 तथा पूर्व के चीनी मौसमों, 2005–06 मौसम और वर्तमान चीनी मौसम 2006–07 के लिए 30 जून, 2007 को स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य बकायों की क्षेत्र–वार और मौसम–वार स्थिति निम्नानुसार थी:–

चीनी मौसम	सार्वजनिक क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल गन्ना मूल्य बकाया
1	2	3	4	5
2004–05 तथा पूर्व के मौसम	9.26	64.41	168.36	242.03

1	2	3	4	5
2005–06	शून्य	1.17	1.47	2.64
2006–07	310.90	1074.78	2799.58	4185.26
जोड़	320.16	1140.36	2969.41	4429.93

(ख) गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करना और चीनी मिलों द्वारा उनका भुगतान किया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। गन्ना मूल्य बकाया तब जमा होता है जब गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को उनकी देय राशि उन्हें नहीं मिलती, जैसाकि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में व्यवस्था की गई है। चूंकि चीनी मौसम विशेष के लिए गन्ना किसानों को देय गन्ना मूल्य बकाया भिन्न-भिन्न समय पर विभिन्न चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति से संबंधित होता है तथा मौसम के दौरान बहुत बड़ी संख्या में किसानों द्वारा नई आपूर्तियों के प्रति भुगतान के कारण स्थिति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि किसान विशेष की इस प्रकार की बकाया राशि किस तारीख से है।

(ग) और (घ) सरकार को किसी भी चीनी उत्पादक राज्य से यह सूचना नहीं मिली है कि किसान गन्ने की खेती करना छोड़ रहे हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने गन्ना किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) 01.05.2007 से 30.04.2008 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक पहले ही सृजित किया जा चुका है। 1.8.2007 से 31.7.2008 तक एक वर्ष की अवधि के लिए और 30 लाख टन चीनी का अतिरिक्त बफर स्टाक भी सृजित किया गया है। 50 लाख टन के बफर स्टाक के सृजन पर 945 करोड़ रुपये (लगभग) की सब्सिडी अंतर्ग्रस्त होगी जिसका वहन चीनी विकास निधि से किया जाएगा। बफर स्टाक के सृजन पर बैंक भी लगभग 1050 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मुहैया कराएंगे। बफर सब्सिडी की राशि और अतिरिक्त ऋण का उपयोग केवल गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान के लिए किया जाना है;

(ii) 19 अप्रैल, 2007 से एक वर्ष की अवधि के तटीय राज्यों में चीनी मिलों के लिए 1350 रुपये प्रति टन की दर पर तथा गैर-तटीय राज्यों में स्थित चीनी मिलों के लिए 1450 रुपये प्रति टन की दर पर आंतरिक ढुलाई, विपणन और हैंडलिंग प्रभारों तथा समुद्री भाड़े पर खर्च के एक भाग की अदायगी के लिए (पड़ोसी देशों को सड़क/रेल द्वारा निर्यात के लिए वास्तविक खर्च के अध्यधीन) निर्यात सहायता देने की घोषणा की गई है। इसमें अंतर्ग्रस्त राशि 205 करोड़ रुपये (लगभग) है जिसका वहन चीनी विकास निधि से किया जाएगा। निर्यात सहायता की राशि का उपयोग भी केवल गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए किया जाना है।

(iii) चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को जनवरी, 2007 में हटा लिया गया है तथा वर्तमान और अगले चीनी मौसम के लिए यूरोपीय संघ के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात को छोड़कर चीनी के निर्यात के लिए निर्यात रिलीज आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा 31.7.2007 से समाप्त कर दी गई है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, देश में गन्ना उत्पादक किसान और अन्य किसान लंबे समय से अपनी समस्याओं को हल करने के लिए समय-समय पर आन्दोलनात्मक गतिविधियां संचालित करके सरकार से मांग करते आए हैं। आज भी देश के लाखों किसान दिल्ली में आए हैं और वे सरकार से अपनी समस्याओं को हल करने की मांग भी कर रहे हैं। मैंने जो प्रश्न पूछा है, वह विशेष कर गन्ना उत्पादक किसानों से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं और निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने जो गन्ना खरीदा है, उनका बकाया लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रुपए हैं। नियम के अनुसार गन्ना खरीदने के बाद 14 दिनों के अंदर-अंदर उनका पेमेन्ट होना चाहिए मगर 2-2, 3-3 और 4-4 साल से उनका पेमेन्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गन्ना उत्पादक किसान बहुत परेशान हैं जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि गन्ना उत्पादक किसानों की बकाया राशि देने के लिए क्या सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है और गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गन्ना मूल्य में वृद्धि करने जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : किसानों को भुगतान के संबंध में यदि हम देखें तो वर्ष 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों द्वारा एक भी पैसे के भुगतान में देरी नहीं की गई है। सहकारी क्षेत्र में बकाया राशि केवल 117 करोड़ रुपये थी जबकि निजी क्षेत्र में यह राशि 1.47 करोड़ थी। इस प्रकार कुल बकाया राशि 2.64 करोड़ रुपये थी।

वर्ष 2006-07 के संबंध में माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि कुल 4,185.26 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। चीनी (नियंत्रण) आदेश के अनुसार हर मिल का यह उत्तरदायित्व है कि वे 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान कर दें। यदि वे ऐसा नही कर पाते हैं तो उन्हें किसानों को आधार मूल्य पर 15% ब्याज अदा करना होगा। यह पूरा कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकारों के संज्ञान में यह लाया गया है कि इतनी-इतनी राशि बकाया

है। चीनी (नियंत्रण) आदेश के तहत राज्य सरकारों तथा समाहर्ताओं को ऐसी मिलों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिये शक्तियां प्रदान की गई हैं।

किंतु इसका एक अन्य पहलू भी है। इस वर्ष उत्पादन असाधारण रहा है। देश की 190 लाख टन की आवश्यकता की तुलना में 280 लाख टन उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष के अग्रेनीत 40 लाख टन के स्टाक को इसमें जोड़ देने से चीनी का कुल उपलब्ध भंडार आज 320 लाख टन हो गया है जबकि हमारी आवश्यकता 190 लाख टन की है। यही कारण है कि न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों में भारी गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में उचित मूल्यों पर चीनी खरीदने वाला कोई नहीं है जिसका प्रभाव अन्ततः गन्ने के मूल्यों पर भी लक्षित होता है।

भारत सरकार ने इस विषय को पूरी गंभीरता से लिया है तथा उद्योग के सहायतार्थ कुछ निर्णय लिये हैं। उदाहरणतः भारत सरकार द्वारा 50 लाख टन को बफर स्टाक का सृजन करने की अनुमति दे दी गई। ब्याज की राशि तथा भंडारण प्रभार मिलाकर लगभग 900 करोड़ की राशि सरकार द्वारा इस शर्त पर मिलों को दी जायेगी कि वे इस राशि का एक–एक पैसा किसानों को उनके गन्ना मूल्यों की बकाया राशि के भुगतान हेतु उपयोग करेंगे। यह राशि चीनी विकास विधि में सुरक्षित जमा है।

एक अन्य प्रयास में चीनी भंडारों के परिसमापन के उद्देश्य से भारत सरकार निर्यात को बढ़ावा दे रही है। यह सच है कि मूल्यों के कारण भारतीय चीनी मिलें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में नहीं है। किंतु भारत सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये तटीय राज्यों में स्थित चीनी मिलों के लिये 1350 रुपये प्रति टन तथा गैर तटीय राज्यों की चीनी मिलों के लिये 100 रुपये ज्यादा अर्थात 1440 रुपये प्रति टन की निर्यात सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राज सहायता उन्हें दी जा रही है। इस राशि का उपयोग भी किसानों को भुगतान करने के लिये किया जाना है। यह भी एक पूर्व निर्धारित शर्त है। इस प्रकार हम कुछ कदम उठा रहा है। वास्तव में असाधारण उत्पादन के कारण ही यह समस्या उत्पन्न हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : काफी विस्तृत उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ी रकम बाकी नहीं है, उन्होंने स्वयं अपने उत्तर में कहा है कि 4429.93 करोड़ रुपया अर्थात् लगभग 4500 करोड़ रुपया बाकी है, यह बहुत बड़ी राशि है और इसके कारण किसान परेशान है।

मैं मंत्री जी से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश में मंहगाई और गन्ना उत्पादन के लागत मूल्य में वृद्धि हो रही है, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए किसान मांग कर रहे हैं कि उनके उत्पादन में जो आवश्यक वस्तुएं लगती हैं, उस संबंध में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि उत्पादन के लिए जो लागत आती है, उससे अधिक मूल्य उनको मिल सके और वे मुनाफा कमा सकें, क्या आप मूल्यवृद्धि करेंगे? इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं सब्सिडी आदि की दी जा रही हैं, क्या उसमें भी सरकार का वृद्धि करने का विचार है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही उनका उत्तर सुन लिया है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : उन्होंने यह जानकारी नहीं दी है। सब्सिडी में वृद्धि की कोई बात नहीं कही है, गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की कोई बात नहीं कही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : महोदय, मैंने शुरू में जवाब दिया है कि जब सरकार ने पचास लाख टन का बफर स्टॉक बनाया और भारत सरकार इन लोगों को 945 करोड़ की राशि देने के लिए इस शर्त पर तैयार है कि इसका हर एक पैसा किसानों को गन्ना पेयमेंट देने के लिए ही रखें, उनको अन्य जगह पर पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

इसके अतिरिक्त बैंकों के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये की राशि सभी मिलों को इस शर्त पर दी गई है कि इसका उपयोग किसानों को बकाया राशि अदा करने में करेंगे।

[हिन्दी]

जहां तक इन्होंने कीमत की समस्या आने वाले साल की बताई है, सीएसीपी के सामने यह प्रस्ताव था, सरकार को उनका प्रपोजल आज, कल या इस सप्ताह में मिलेगा और इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है। गन्ना किसान अपनी फसलों को खेतों में ही जला रहे हैं। कुछ क्षेत्रों

में किसानों ने गन्ने की खेती करना छोड़ दिया है। गन्ना किसानों को 4429 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया जाना बाकी है।

कुछ राज्यों में साहूकारों से लिये गए ऋण के बोझ से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या सरकार बैंकों के साथ मिलकर किसानों को ऋण देने पर विचार करेगी? किसानों के कल्याण की बातें करने वाली सरकार के लिये 4400 करोड़ रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है। क्या सरकार चीनी मिलों पर बकाया 4400 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान के लिये आवश्यक कदम उठाएगी? क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी?

श्री शरद पवार : मैंने इस संबंध में पहले ही उत्तर दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के सभी बैंक इस राशि को अदा करें?

श्री शरद पवार : हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम सुविधा प्रदान करते हैं। हमने एक ऐसी स्थिति बनाई है जिसमें बैंक भी अपना योगदान कर रहे हैं। हमने निर्देश दिये हैं कि ये सारी राशि किसानों के पास जानी चाहिये।

दूसरी बात, यह कहना अनुचित है कि इससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। वास्तव में इस संबंध में मिली अद्यतन जानकारी से मैं चिंतित हुआ हूं। यह चिंता इस कारण है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की फसल में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे गंभीर समस्या पैदा होगी। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है, आंध्र प्रदेश सहित कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां गन्ने की पेराई पूरी नहीं हुई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कुछ मुआवजा भी दिया है क्योंकि वे गन्ने की पेराई नहीं कर पाये।

***श्री एन. शिवन्ना** : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लंबित बकाया राशि के कारण किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों के परिणामस्वरूप गन्ना किसान विशेष रूप से कर्नाटक के चामराज नगर, मैसूर और मांडया जिले के किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में इन गन्ना किसानों के बचाव के लिये तथा इन्हें खेती जारी रखने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। मंत्री जी कृपया इसे संक्षेप में दोहरा दें।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री शरद पवार : दो बातें हैं। भारत सरकार मांग और आपूर्ति की समस्या के बार में गंभीरता से विचार कर रही है। आपूर्ति बहुत अधिक है जबकि मांग काफी कम है। इसलिये हम चीनी मिलों को सीरे और चीनी जूस को एथनोल में परिवर्तित करने की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं। यह एथनोल पर्यावरण अनुकूल होता है तथा इसे पेट्रोलियम उत्पादों में मिलाया जाना चाहिए। इस संबंध में ध्यान देने हेतु माननीय विदेश मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल है। दल ने इस पर विचार किया है तथा यह सिफारिश करने का निर्णय लिया है कि सभी आटोमोबाइल इकाइयों में अनिवार्यतः 5% तक एथनोल मिलाया जाये।

दूसरी बात यह है कि, यदि संभव हुआ तो हमारा प्रयास रहेगा कि अक्तूबर, 2007 से 5% से 10% तक एथनोल की मात्रा 21.50 रुपये की समान दर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस प्रकार एथनोल की बिक्री से भी कुछ राशि मिलों को मिलेगी जो अंततः किसानों को ही दे दी जायेगी। ऐसे बहुत से सुझाव हैं जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जो पैसा मिलों पर बकाया रह जाता है, उसका 15 प्रतिशत सूद का भुगतान कृषकों को विलम्ब होने के कारण दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 14 दिनों में किसानों को भुगतान की जो प्रक्रिया है, उसमें विलम्ब होने का कारण बिचौलिये भी होते हैं। जब किसान स्केयरसिटी में होता है, उसके घर शादी–ब्याह होता है या किसी अन्य कारण से उस पर मुसीबत की घड़ी आ जाती है तो बिचौलिये उनकी रसद को कम दामों पर खरीदकर मिलों में उसका पूरा भुगतान ले लेते हैं, जिसके कारण भी किसानों को कठिनाई होती है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसान कठिनाइयों में पड़े हैं। उनको भुगतान सही समय पर नहीं हो रहा है हम जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री जी ने कभी कोई मुआयना किया है कि किसानों का जो पैसा बाकी है, वह 15 प्रतिशत सूद के साथ उन्हें मिलता है या नहीं या सिर्फ कागजी कानून के आंकड़े देकर आप सदन को संतुष्ट करना चाहते हैं? यदि आपने कहीं का मुआयना किया है तो आप उदाहरण के तौर पर किसी राज्य का नाम बतायें कि इस समय राज्य में किसानों को 15 प्रतिशत इंटरैस्ट के साथ भुगतान किया गया है।

श्री शरद पवार : इसमें सिम्पल सी बात यह है कि 14 दिन के बाद केन का एरिअर्स नहीं दिये जाने के बाद मिल की यह जिम्मेदारी है कि जिन किसानों के साथ उनके पहले के एग्रीमेंट हुए थे, उन किसानों को 15 प्रतिशत बेसिक एमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए

और जहां नहीं दिया गया है, वहां स्टेट गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के मुताबिक राज्य सरकार और कलैक्टर को एम्पोवर किया गया है कि उनको इस मिल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पैसे देने का प्रबन्ध करवाना चाहिए।

श्री मुन्शी राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा है। जब गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा है तो प्राइवेट चीनी मिल मालिक उस गन्ने के अधिक उत्पादन होने के कारण किसानों का शोषण करेंगे और उनको उनके गन्ने का जो मूल्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, वह नहीं देना चाहेंगे चाहें वे लोग घटतौली के माध्यम से उनका शोषण करें या देर से गन्ना लेकर उनका शोषण करें। इस प्रकार गन्ना उत्पादन करने वाले किसान भविष्य में गन्ने का उत्पादन नहीं करेंगे। क्या इस वर्ष जो गन्ना किसानों ने पैदा किया है, उनको उनका पूरा मूल्य मिल जाए, समय पर गन्ना उनका लिया जाए, क्या उसके लिए सरकार की कोई योजना है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इस बारे में कहा है।

श्री शरद पवार : सबसे पहले जो इस साल की बात कही गई, मैंने कहा कि इस साल 10 प्रतिशत ज्यादा उत्पादन हुआ है। सरकार के सामने और खास तौर पर राज्य सरकार के सामने यह समस्या है कि यह गन्ना कैसे क्रश किया जाए क्योंकि अकेले महाराष्ट्र में 52,000 हेक्टेअर गन्ना जो क्रश नहीं हुआ, खेतों में पड़ा हुआ है, वह पिछले साल का है, इसमें किसानों का बहुत नुकसान होता है। यह स्थिति आज कई राज्यों में होने की संभावना है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। जो हमेशा नवम्बर–दिसम्बर में करते हैं, एक–दो महीने पहले करें और क्रशिंग सीजन जल्दी करके पहला केन क्रश करें और जो चीनी आएगी, उसे बेचने के लिए जो भी अन्य और सुविधा दे सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। तब तो पैसा आएगा, वह पैसा किसानों को जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी : धन्यवाद। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि आटो इंधन में 5% तक एथनोल मिलाने के लिये एथनोल उत्पादन किया जा रहा है। यह केवल सह–उत्पादन है यदि सरकार अलग से एथनोल उत्पादन के लिये मिलों की स्थापना करती है तो इससे किसानों के दुख कुछ हद तक कम होंगे। क्या सरकार किसानों की भलाई के लिये इस दिशा में कोई तुरंत कदम उठाएगी?

श्री शरद पवार : निश्चित रूप से। भारत सरकार विशेषतया एथनोल मिलाने से संबंधित विषय पर गंभीर विचार कर रही है। किंतु आटोमोबाइल उद्योग ने हमें बताया है कि वर्तमान स्थिति में हमारा आटोमोबाइल उद्योग 5% से अधिक एथनोल नहीं सोख सकता। इसके लिये इंजन में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने होंगे जिसमें कुछ समय लगेगा। यही कारण है कि हम यह उन पर थोप नहीं सकते और न ही कोई ऐसी शर्त लगा सकते हैं कि इतना या इससे अधिक प्रतिशत उन्हें लेना ही होगा।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

+

*102. **श्री काशीराम राणा :**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्नों का उत्पादन घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं। 19.07.2007 को जारी किए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2006–07 में खाद्यान्नों का उत्पादन 216.13 मिलियन टन अनुमानित है जो कि अब तक का अधिकतम उत्पादन स्तर है। इससे पहले 2003–04 में 213.19 मिलियन टन तथा 2001–02 में 212.85 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के अधिकतम स्तर थे। 2002–03 एक सूखा वर्ष होने के कारण इसमें खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया। 2004–05 में मानसून वर्षा अपने दीर्घकालिक औसत से 13 प्रतिशत कम थी जिसने गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रभावित किया। 2005–06 में फरवरी और मार्च में तापमान में असामान्य वृद्धि हुई जिसने विशेषकर गेहूं और फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रभावित किया।

(ग) देश में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2000 में चावलों गेहूं तथा मोटे अनाज में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत उन्नत/हाइब्रीड उत्पादन प्रौद्योगिकी, कीट प्रबंधन, कृषि उपकरणों, टपकाव सिंचाई प्रणाली की स्थापना, किस्मीय बदलाव तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के प्रचार के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 90:10 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार दालों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए केन्द्रीय

प्रायोजित योजना "तिलहन, दालों, पाम आयल तथा मक्का पर केन्द्रीय प्रोयोजित स्कीम' 1.4.2004 से कार्यान्वयन में हैं। स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार ने देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने और कृषि विकास में सुधार लाने के लिए दो योजनाएं शुरू की हैं। ये हैं (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और (ii) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन–चार सालों से खाद्यान्न उत्पादन में जो कमी आ रही है, इसमें एक ओर तो हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरे, खाद्यान्न की कमी की वजह से खाद्यान्न में जो महंगाई बढ़ती जाती है, उसके कारण जो आम आदमी, उपभोक्ता और जो गरीब लोग हैं, वे आत्महत्याएं करने लगे हैं। इन हालात में कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, इसके लिए जो मैंने सवाल पूछा था, उसके लिए मुझे कहा गया कि जो एस्टीमेटेड क्रॉप होगी, वह 216.13 मिलियन टन होगी। इसी लोक सभा में चार महीने पहले 209 मिलियन टन उत्पादन की बात कही गई थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 209 मिलियन टन से 216 मिलियन टन एस्टीमेट बढ़ गया, 7 मिलियन टन आपने बढ़ा दिया तो फिर हमारे देश में जो गेहूं उत्पादन करने वाले किसान हैं, उनको सही दाम देने के बदले आपने इम्पोर्ट करने का फैसला क्यों किया?

[अनुवाद]

उनके इस उत्तर का आधार क्या है।

[हिन्दी]

आपने 9 लाख मीट्रिक टन का अंतर बताया है, वह किस तरह और किस बेस पर बताया है।

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में 216 लाख मीट्रिक टन की बात कही है, यह चौथा एडवांस एस्टीमेट है क्योंकि परिस्थिति के मुताबिक यह ऐस्टीमेट पांच बार होता है। कई बार सोइंग अच्छा होने से फसल का नक्शा बनता है, अगर बाद में पानी ठीक से नहीं आया तो बुरा असर होता है, अगर पानी ठीक से आया तो बुरा असर नहीं पड़ता, उत्पादन बढ़ सकता है। इसलिये पूरे ऐस्टीमेट 216 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा और यह गेहूं का रिकार्ड उत्पादन है। यह बात तो सच है कि गेहूं का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद हमारे लिये गेहूं इम्पोर्ट करने की नौबत आ गई। इस बात से हमें कोई खुशी नहीं है मगर इसका कारण यह है कि पिछले साल टोटल प्रोक्योरमेंट 9.2 लाख मीट्रिक टन हुआ था जो इस साल बढ़कर 111 लाख टन हो गया है। देश में पी.डी.एस. के लिये 150 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है। इसमें 140 लाख मीट्रिक टन के अलावा 10 लाख मीट्रिक टन, यदि इमरजेंसी हो, फ्लड हो या बफर स्टॉक के लिये आवश्यकता पड़ती है। इसलिये आज देश में सरकार की किट्टी में जितना अनाज है, सारे देश में एक साल की आवश्यकता या बफर स्टॉक की आवश्यकता हो तो 40 लाख का गैप है। इस गैप को पूरा करने के लिये हमें इम्पोर्ट करने की आवश्यकता पड़ी है। उसका कारण यह है कि हम भविष्य में फूड सिक्यूरिटी इश्यू पर कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और इसलिये हमें यह कदम उठाना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, अब सवाल कीमत का आता है। यह बात सच है कि हमें ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, इस बात से हमें खुशी नहीं है। लेकिन जब गेहूं की कीमत तय की गई, तब बोनस मिलाकर फाइनली यह 850 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई। जब यह कीमत 850 रुपये तय की गई थी, उस समय शिकागो मार्किट, जहां का नक्शा दुनिया समझती है, उस मार्किट का जो प्रोसैस था, उस समय अमरीका के किसान को गेहूं की कीमत 750 रुपये से ज्यादा नहीं मिली थी। फिर, अपने देश में किसानों को एनकरेज करने के लिये यह कीमत 850 रुपये दी गई थी। अगर आप पिछले पांच सालों की कीमतें देखेंगे तो मालूम होगा कि हमारी सरकार के शासन में आने से पहले, जहां हर साल 10 रुपये बढ़ाये जाते थे, हमारे समय में पहले यह वृद्धि 50 रुपये और तीसरे साल में यह 150 रुपये कर दी गई है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा कीमत की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये यह कदम उठाया गया है। मगर, इससे एक नई समस्या पैदा हो गई है। एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किट एक्ट में परिवर्तन किया गया है। इस एक्ट में परिवर्तन होने से पहले किसान पर यह बंधन था कि वह अपनी पैदावार रेगुलेटेड मार्किट में लाइसैंस्ड होल्डर ट्रेडर्स को बेचता था लेकिन अब यह बंधन हटा दिया गया है और वह पूरे देश में अपना माल कहीं भी बेच सकता है। सरकार द्वारा 850 रुपये कीमत तय करने के बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं परचेज करता था। गांव में गेहूं का उत्पादन करने वाला किसान अपनी उपज ट्रॉली या बैलगाड़ी में भरकर मंडी जाता था। इसके लिये उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ऑक्ट्राय ड्यूटी और मंडी चार्जेज भी लगते थे जो कुल मिलाकर 80 से 100 रुपये की जिम्मेदारी उस पर आती थी। अब इससे उसका छुटकारा हो गया है क्योंकि गांव में लोग उसका गेहूं खरीदने के लिये आते हैं और उसे 850 रुपये में 5 या 10 रुपये ज्यादा मिलाकर देते हैं, तब किसान अपना माल देता है। इस कारण से आज प्रोक्योरमेंट पर बुरा असर हो रहा है। इसके बाद फिर एक सवाल पैदा होता है कि व्यापारियों को खरीदने के लिये इजाजत क्यों देते हैं? मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि देश की कोई भी पैदावार उत्पादक को किसी भी जगह पर बेचने का अधिकार है, फिर किसान को यह

अधिकार क्यों नहीं है, ऐसी बात सरकार को मंजूर नहीं थी। इसलिये किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। उसे जो कीमत मिलती है, उसे लेने का पूरा अधिकार है, इसके लिये सरकार कम्पलशन नहीं कर सकती है कि कम कीमत पर हमें माल देना चाहिये। इसलिये किसानों के हितों की रक्षा के लिये उन्हें ज्यादा कीमत देने का अधिकार भारत सरकार ने जानबूझकर स्वीकार किया, भले ही सरकार को इम्पोर्ट का बर्डन सहन करना पड़ा।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि यहां के किसान अपने आप गेहूं उगा सकते हैं लेकिन सरकार उसे ठीक दाम नहीं देती है और उसे दाम देने के बजाय ज्यादा दाम देकर गेहूं इम्पोर्ट किया गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है, आप फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी ने बताया है कि हमारे देश में गेहूं का उत्पादन अच्छा हो रहा है, फिर इम्पोर्ट करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी और इम्पोर्ट भी ज्यादा दाम देकर क्यों करते हो?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद कहा कि 150 रुपये की वृद्धि आजादी के बाद एक साल में पहली बार मिली, 150 रुपये वृद्धि करने के बावजूद जब हमारे पास ठीक तरह से ...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के व्यवधानों का उत्तर नहीं दें। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाता।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : हम इससे ज्यादा कर रहे हैं, यह सच बात है। समस्या यह आ गई कि देश की जरूरत अगर 150 है और हमारा उत्पादन 11 है तो कल भूख की समस्या को हम कैसे हल कर पाएंगे? इसलिए कहीं न कहीं से लेकर हमें इसका इंतजाम करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि ज्यादा कीमत देने के बावजूद भी आज हमें गेहूं कम मिलता है। इसमें स्टेट गवर्नमैंट्स के सहयोग की भी आवश्यकता है। आज जो कुल गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ, वह सिर्फ पंजाब और हरियाणा में हुआ। बाकी जहां–जहां गेहूं पैदा होता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या बिहार हो, वहां की हुकूमत ने वहां बिल्कुल नहीं के बराबर प्रोक्योरमैंट किया है। मुझे पंजाब और हरियाणा के किसान पूछते है। कि क्या पूरे देश को अनाज देने का ठेका सिर्फ दो राज्यों ने ले रखा है। इसलिए, बाकी राज्यों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है इसलिए हम कुछ नहीं बोलते है। मगर इससे जो कमी होगी, उसके लिए हम कहीं से भी अनाज लाकर लोगों की भूख की समस्या का समाधान करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जान–बूझकर अध्यक्षपीठ के अनुरोध का उल्लंघन कर रहे हैं। कृपया ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूरे कृषि उत्पादन के संबंध में पूछना चाहता हूं। हमारे देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वह उत्पादन सही मायनों में ज्यादा है या कम है, वह मेरा सवाल है। पिछले साल देश में जो कृषि उत्पादन हुआ, वह हमारी जरूरत के मुकाबले अधिक हुआ, यह स्टेटमैंट में दिया गया है और यह सही बात है। हमारी खेती अधिकतर मानसून पर निर्भर करती है। कहीं ज्यादा मानूसन आता है तो कहीं मानसून आता ही नहीं है इसलिए हमेशा के लिए हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई ऐसे उपाय करने जरूरी हैं, जैसे जहां मानसून कम होता है, वहां इरीगेशन की योजनाएं लागू करनी ज़रूरी हैं। छोटे डैम हो या बडे डैम हों, किसी न किसी माध्यम से वहां पानी की सप्लाई करना जरूरी है। दूसरी तरफ जहां ज्यादा पानी होता है, वहां जो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एनडीए सरकार की स्कीम थी नदियों को जोड़ने की, उस पर भी अमल करना ज़रुरी है ताकि अनाज का उत्पादन पूरे देश में सही हो। इससे हमेशा के लिए हमें अनाज मिलने की गारंटी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दे रहे हैं, प्रश्न पूछिए।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण देने का समय नहीं है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : यह भाषण नहीं है। मैंने दोनों सवाल सामने रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक सवाल पूछने का हक है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : एक तरफ देश में ड्राउट सिचुएशन है और दूसरी तरफ ज्यादा वर्षा होती है। इनसे निपटने के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। एक तो कृषि उत्पादन के संबंध में है। इस देश के किसानों ने बहुत बड़ा योगदान पिछले साल दिया है क्योंकि हमने गेहूं का रिकार्ड उत्पादन किया है, चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, शुगरकेन का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है, कॉटन का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है, सोयाबीन का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है। सिर्फ पल्सेज़ और आइलसीड्स में हम कम हैं। ये वहां दुरुस्ती करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य द्वारा जो बताया गया कि से सब क्राप्स मानसून पर निर्भर करती है, यह बात बिल्कुल सच है। आज हिन्दुस्तान की कुल खेती में से 60 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर करती है और मानसून के भरोसे किसानों को रहना पड़ता है। इसलिए, जब तक हम इरीगेशन के लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक इस स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। तीन साल पहले इस देश में जीडीपी का सिर्फ 0.35 प्रतिशत इरीगेशन के लिए दिया जाता था, यानी 100 रुपये में से 35 पैसे इरीगेशन के लिए मिलते थे जबकि 60 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर करती है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह प्रोसेस शुरू हो गई तो हम कुछ भी करके इसमें ज्यादा ध्यान देंगे।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे पापुलेशन बढ़ रही है, उसके मुताबिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है। सरकार ने इसमें काफी स्कीमें बताई हैं कि हमने ये–ये लागू की हैं। हम यह जानना चाहते हैं क्योंकि मैंने ऑन ग्राउंड देखा है कि आपकी जो स्कीम्स हैं, उसमें बड़ी कमी है, उसमें चैक नहीं है। प्रोडक्शन क्या होना है, आपका सारा ही पैसा, जैसे अभी आपके टैक्नोलॉजी मिशन में 25 लाख पौधे दो–तीन रुपए में खरीदे गए जिसका रेट 25 रुपए लगाया गया। किसान को जो पौधे दिए गए, वहां जो पौधे बोए गए, वे सारे ही खत्म हो गए। मैं जानना चाहता हूं कि फ्रूट हो या फूड ग्रेन हो, इन सब में गलतियां हो रही हैं। ये जो स्कीमें बना कर दे रहे हैं, जमीन पर चैक करने के लिए क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है?

श्री शरद पवार : महोदय, उत्पादन बढ़ाने के लिए खास ध्यान दिया गया है। 29 मई को देश के सभी चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग प्रधान मंत्री जी ने बुलाई और खाली एक सब्जैक्ट पर डिसकस करके आगे की नीति तय करने के लिए, कि किसान की खेती की पैदावार कैसे बढ़ सकती है।

[हिन्दी]

इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक पहली बार बुलायी गयी थी और सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी कि केवल उत्पादकता और उत्पादन में सुधार लाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया करायी जाएगी।

दो योजनाओं की घोषणा की गयी है। एक चावल, गेहूं और दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और दूसरी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना है।

[हिन्दी]

राज्य सरकार ने उन्हें च्वाइस दी है, डिस्ट्रिक्ट प्लान बना कर जो कोई काम करना चाहते हैं, इसमें प्रावधान करने के बाद सौ प्रतिशत ज्यादा प्रोविजन भारत सरकार करेगी। ये दो स्कीम्स शुरू की हैं और हमने हर स्टेट में जाकर, इसका रिव्यु लेकर काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने खुद देश के तीन राज्यों में टूर किया और अगले दो–तीन महीने में अन्य दो जगहों पर जाना चाहते हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के रिप्लाई को देखा है। मैं यह पूछना चाहूंगी।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा स्वामीनाथन समिति गठित की गयी है।

[हिन्दी]

उन्होंने फूड क्राइसेस के बारे में बताया।

[अनुवाद]

यह मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा, मैं यह नहीं जानती कि आयातित गेहूं हमें इतना पसंद क्यों है।

[हिन्दी]

तीसरा, आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड में डिपेंड करता है, फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर लैंड में डिपेंड करता है और अगर यह लैंड, जैसे अभी हमारे देश में डायवर्ट हुआ है।

[अनुवाद]

उपजाऊ कृषि भूमि को अन्य उपयोगों में लगाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ करना चाहती है जिसमें कि उपजाऊ कृषि भूमि जिसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, किसानों को वापस लौटाया जायेगा। उपजाऊ कृषि भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कृषि हमारे देश की रीढ़ है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकती हूं कि क्या सरकार नंदीग्राम तथा देश के अन्य हिस्सों में किसानों से लेकर निजी व्यक्तियों को दी गयी उपजाऊ भूमि को वापस किसानों को लौटाने का विचार कर रही है।

श्री शरद पवार : महोदय, इस विशेष मुद्दे पर उत्तर देने के लिए अलग से सूचना दिए जाने की आवश्यकता होगी। परंतु मैं एक चीज उद्धत करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

इस देश में जो टोटल किसान हैं, जो खेती पर निर्भर रहते हैं, इनमें से 82 परसेंट किसान परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है और ढाई एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का एक परिवार, यानी पांच सदस्य परिवार में होते हैं तथा 60 प्रतिशत खेती रेन–फेड पर आधारित हैं, जहां पानी का फव्वारा तक नहीं है। 60 प्रतिशत खेती और पांच लोगों को परिवार दो एकड़ जमीन, इन्होंने कितनी ही मेहनत की, वह परिवार चल नहीं सकता। इसलिए खेती का बोझ कहीं न कहीं निकालने की आवश्यकता है। दुनियां के सभी देशों में आप देखिए, अमरीका में 7 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, जर्मनी में 4 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और इंग्लैंड में 3 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। एक जमाना था जब वहां भी खेती के ऊपर ज्यादा बोझ था, लेकिन वहां की सरकारों ने खेती के बोझ को अन्य क्षेत्रों में डायर्ट करने में कामयाबी हासिल की। इसलिए वहां समस्या हल हो गई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है, आप सीनियर लोग बैठे–बैठे इंटरप्ट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, यदि इस देश की स्थिति में बदलाव लाना हो, तो जैसे खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात महत्वपूर्ण है, वैसे ही खेती के बोझ को कम करने और अन्य क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है और यह कार्य कोई हवा में नहीं हो सकता इसके लिए कहीं न कहीं से जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, मगर एक बात सरकार ने सोची है कि दिन–ब–दिन जो उपजाऊ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की जमीन इसमें लगती है, उसे कैसे कम किया जाए, इसके लिए सरकार ने मेरी ही अध्यक्षता में एक कैबीनेट कमेटी एपाइंट की है। इस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन की है कि इसके आगे सरकार इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्वीजीशन कानून का आधार लेकर तब तक लैंड एक्वीजीशन का प्रौसेस नही चला सकती है जब तक कि इस हेतु किसानों की सहमति न हो। इस प्रकार अब सरकार को किसानों की जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होगा।*...(व्यवधान)* मैंने कहा है कि यह रिकमेंडेशन हमने की है। इसके बाद इस पर डिसीजन होगा। इस पर देश के सभी राज्य सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम किसानों के मुद्दे पर विस्तार से विचार–विमर्श के लिए एक चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान पैदा नहीं करें।

प्रश्न सं. 103–श्रीमती सुमित्रा महाजन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्रीमती सुमित्रा महाजन अपना पूरक प्रश्न पूछेंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वहां क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे व्यवधान पैदा नहीं करने के लिए कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मो. सलीम, कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। हमें प्रसन्नता है कि आप आज यहां सत्र में भाग लेने के लिए आए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको बोलने से रोक नहीं सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नही करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने ऊपर नियंत्रण रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं इसे सही मानता हूं ये जो कह रहे हैं उससे आप परेशान न हों।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा योगदान है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी

+

*103. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेनाओं के तीनों विभागों में अधिकारियों की कितनी कमी है;

(ख) वर्ष 2004 से कितने अधिकारियों ने सशस्त्र सेनाओं को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है तथा कितने अधिकारी सशस्त्र सेनाओं को पहले ही छोड़ चुके हैं;

(ग) क्या सरकार सशस्त्र सेनाओं से अधिकारियों के पलायन को रोकने तथा युवा अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कोई आकर्षक योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी है। विवरण इस प्रकार है:–

	सेना	नौसेना	वायुसेना
प्राधिकृत संख्या	46615	8797	12128
तैनात संख्या	35377	7336	10563
कमी	11238	1461	1565

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेवा मुक्ति चाहने वाले और जिनके आवेदन–पत्र स्वीकार कर लिए गए, उन अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	सेना		नौसेना		वायुसेना	
	सेवामुक्ति चाहने वाले अधिकारियों की संख्या	सेवामुक्ति के लिए मंजूर किए गए अधिकारियों की संख्या	सेवामुक्ति चाहने वाले अधिकारियों की संख्या	सेवामुक्ति के लिए मंजूर किए गए अधिकारियों की संख्या	सेवामुक्ति चाहने वाले अधिकारियों की संख्या	सेवामुक्ति के लिए मंजूर किए गए अधिकारियों की संख्या
2004	435	290	119	115	249	247
2005	536	365	176	168	308	177
2006	811	464	259	178	230	88
2007	882	377	253	176	239	53

रिक्त पदों को भरने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। अल्प सेवा कमीशन के अधिकारियों सहित सभी अधिकारी क्रमशः 2, 6 और 13 वर्षों की गणनीय सेवा के पश्चात् अब कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल को स्थायी रैंक धारण करने के लिए अर्हक है। कर्नल तथा समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 26 वर्ष की सेवा के बाद समयमान प्रोन्नति प्रदान करने की भी शुरूआत की गई हैं सरकार ने अल्प सेवा कमीशन के अधिकारियों का कार्यकाल 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिए जाने के लिए आर्डर भी जारी किए हैं।

इनके अलावा, सशस्त्र सेनाओं ने चुनौतीपूर्ण और संतोषप्रद कैरियर चुनने के लाभों के प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए सतत छवि प्रदर्शन और प्रचार अभियान शुरू किया है। अधिक संख्या में उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए उम्मीदवारों के अनुकूल भर्ती प्रक्रियाएं तथा संभावित उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए विविध संस्थानों में केंद्रित प्रचार अभियान शुरू किए गए हैं। इस दिशा में किए गए कुछ अन्य उपायों में जागरूकता अभियान, कैरियर मेला और प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन, स्कूल, कालेजों में प्रेरणादायी व्याख्यान शामिल है।

सरकार ने सशस्त्र सेनाओं सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों आदि की पुनरीक्षा से संबद्ध मामले पर विचार करने के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग की भी नियुक्ति की है। तीनों सेनाओं ने वेतन एवं भत्तों तथा अन्य शर्तों की पुनरीक्षा का सुझाव देते हुए वेतन आयोग को संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। तीनों सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने वेतन आयोग के साथ इस मामले पर विचार–विमर्श भी किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, उसी से एक बात सिद्ध हो रही है कि सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? आप यहां आई, आपने क्वैश्चन किया, उन्होंने जवाब दिया। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं?

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी : आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम क्या करेंगे, चलिए, ठीक है। वैरी गुड कंट्रीब्यूशन। सुमित्रा जी, आप अपना सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, मैं तो चिल्ला नहीं सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए ही तो स्पीकर मौका देता है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसी से दोनों बातें साफ हो रही हैं। मैंने प्रश्न पूछा था कि एक तो सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी है। इसके साथ ही साथ सेवा मुक्ति चाहने वाले अधिकारियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। उसमें भी जो लेना है, आर्टिलरी और इन्फ्रेंट्री, उनमें सबसे ज्यादा सेवा मुक्ति चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है और उनसे ही अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा कम है। मेरे इन प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि आकर्षक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिनमें प्रचार अभियान और जागृति अभियान शुरू किए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण हैं, जैसे अधिकारियों और सेना में सामान्यतौर पर काम करने वाले जो सैनिक हैं, उनके जो वेतन–भत्ते हैं या उनकी प्रमोशन की जो सुविधाएं, यदि सिविल सर्विसेस में काम करने वाले लोगों की आधारभूत सुविधाओं से तुलना करें, तो उनमें से कहीं न कहीं अन्तर दिखाई देता है। परमोशन भी इन लोगों को सबसे कम मिलती है। जो संख्या बताई गई है, वह बहुत कम मालमू पड़ती है। उनके वेतन भत्ते और ठीक तरह से रहने की व्यवस्था नहीं है। यदि वे पीसफुल एरिया में हैं तो भी उनके क्वार्टर की व्यवस्था को देखें तो वह सामान्य व्यक्ति के रहने के लायक भी नहीं होती है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की बात आई थी जिसकी सिफारिशें आ गई है। उसमें थलसेना प्रमुख और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने कुछ सुझाव दिए हैं। यह विचारार्थ योजना है। इस योजना में एक बात और भी है कि रक्षा परियोजनाओं में रक्षा वैज्ञानिकों की कमी हो रही है, इसके लिए उनको सुविधाएं देने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इसके लिए कोई टाइम बाउण्ड किया गया है? क्योंकि यदि हम केवल विचार ही सालों साल करते रहेंगे तो स्थिति दिनों–दिन खराब ही होती जाएगी। उनको पेंशन, भत्ते और रहने की सुविधा, इन सभी बातों पर फाइनल डिसीजन कब तक होगा? क्या उस पर टाइम बाउण्ड विचार किया गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, वे यह जानना चाहती हैं कि इसके लिए क्या कोई समय–सीमा निर्धारित की गयी है?

श्री एम. एम. पल्लम राजू : महोदय, माननीया संसद सदस्य ने अत्यधिक विस्तृत पूरक प्रश्न पूछा है। मैं यथासंभव विचार से इसका उत्तर देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके विस्तार की बराबरी न करें। आप केवल विषय वस्तु की बराबरी करें।

श्री एम. एम. पल्लम राजू : मेरे विचार में अधिकारियों की कमी चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय तो है परंतु यह चेतावनी का

विषय नहीं है। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मंत्रालय वह सब कर रहा है जो वह अधिकारियों के स्तर के ऊपर उठाने के लिए कर सकती है। सेना के तीनों अंग इन संवर्गों को भरने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है और हमारी अकादमियों में और अधिकारियों की संख्या बढ़ाने सहित उपयुक्त कदम उठाए गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने समय–सीमा के बारे में पूछा है। क्या आपने इस कमीशन के लिए मेरी कोई समय–सीमा निर्धारित की है?

श्री एम. एम. पल्लम राजू : हम इन श्रेणियों को भरने के लिए यथा संभव शीघ्रतिशीघ्र तरीके को अपना रहे हैं। इस प्रश्न में उल्लिखित कदमों के अतिरिक्त भी हम बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। माननीय संसद सदस्य ने पारिश्रमिक के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंत्रालय इस क्षेत्र में स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। अपने हाल में प्रेस रिपोर्टों में शायद पढ़ा होगा कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ड्यटी करने वालों के लिए भत्ता बढ़ाने संबंधी रक्षा मंत्री की सिफारिश को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है।

इसी प्रकार, हम विवाहित अधिकारियों के लिए आवास की परियोजना का विस्तार करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। जिसमें अधिकारियों का जीवन और आसान हो जाएगा। यह "विवाहित आवास परियोजना" 18,000 करोड़ रुपए के बजट से शुरू की गयी है। जो चार चरणों में कार्यान्वित की जाएगी और इसके अंतर्गत दो लाख आवासीय एकक बनाए जाएंगे। ये वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों और जवानों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इन कदमों को हम यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर यह है कि "यथा संभव शीघ्रता से किया जाएगा।"

श्रीमती सुमित्रा महाजन : फिर से वही बात, यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र समय

[हिन्दी]

तो सालों से चल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सही कह रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि सेना में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और उसका मुख्य कारण यह लगता है कि सेना के जवानों में कहीं न कहीं अवसाद और कुण्ठा की भावना है, जिसके कारण जवान सेना में नहीं रहना चाहते हैं, वहां से जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं। एयरफोर्स में यह देखने में आ रहा है कि पायलट जल्द से जल्द सेना से बाहर निकलकर प्राइवेट कंपनियों में जाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे ज्यादा तनख्वाह देते हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, जवानों द्वारा एक–दूसरे को मारने की घटनाओं से मैं ज्यादा चिन्तित हूं। इसके लिए कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक सलाह दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं यह जानना चाहती हूं कि नक्सलवाद से प्रभावित, दुर्गम इलाकों और आतंकवाद से प्रभावित स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की है? क्योंकि कठिन स्थानों और परिस्थितियों में काम करके साधारणतः मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो देता है। क्या उनकी तैनाती के लिए चार–छः महीने का कोई समय निर्धारित किया गया है? क्या उसका पालन किया जाता है? उनको मनोवैज्ञानिक सलाह के लिए भी क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री एम. एम. पल्लम राजू : माननीय संसद सदस्य ने एक गंभीर चिंता वाले विषय के बहुत महत्वपूर्ण मामले को उठाया है। वे मार–पीट, आपस में एक दूसरे की हत्या करने, आत्महत्या करने आदि के मामले को उठा रही है जो दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के दौरान घटित हो रही है। जो कदम हम उठा रहे हैं वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधीन कार्यरत मनोवैज्ञानिक शोध संस्थान के रिपोर्ट पर आधारित हो। उन क्षेत्रों में जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी प्रकार कार्य दशाएं और अभिनियोजन की अवधि के मामले पर भी हम विचार कर रहे हैं। साथ ही, रक्षा मंत्री की सिफारिश पर कैबिनेट ने हाल में ही एक निर्णय लिया है जिसके अनुसार दुर्गम क्षेत्र में तैनाती वाले इलाकों में जवानों द्वारा की जा सकने वाली यात्रा की संख्या को बढ़ाया गया है और यात्रा की दूरी की सीमा समाप्त कर दी गयी है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर : माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत गंभीर प्रश्न के ऊपर माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे और लिखित रुप में उन्होंने स्वीकार किया है कि सेनाओं में भारी संख्या में अधिकारियों की कमी है। साथ में यह भी स्वीकार किया है कि अनेक अधिकारी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस मामले में कि सेना में अधिकारियों की कमी की वजह होगी कि अधिकारी सेना में भर्ती होने के लिए आकर्षित नहीं हैं और रिटायरमेंट इसलिए मांगते हैं कि वहां पर सुविधाओं की कमी हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सुमित्रा जी ने बोला है।

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं चाहूंगा कि सरकार ने इस मामले में कोई अध्ययन किया है कि इतनी निराशा की भावनाएं सेना के अधिकारियों में क्यों है? क्या उनमें देशभक्ति का अभाव है या वे देश की सेवा नहीं करना चाहते, क्या इसका कोई अध्ययन किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनकी देशभक्ति के बारे में प्रश्न नहीं करें। हमारे जवान सबसे अधिक देशभक्त हैं।

श्री एम. एम. पल्लम राजू : मैं सभा को फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे अधिकारियों और जवानों में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है और वे इसी बात से प्रेरित होकर सेना को ज्वाईन करते हैं। हमारी सशस्त्र सेनाएं जिन परिस्थितियों में कार्य करती हैं यदि आप उन्हें देखें तो इसमें कार्य करना गर्व का विषय है।

वे इसे छोड़कर क्यों जाते हैं, यदि हम इसके कारणों को देखें तो सामान्य कारण यह है कि यदि वे प्रोन्नति में अधिक्रमित होते हैं अथवा निम्न चिकित्सा श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं तब वे छोड़ देते हैं। या उनके गांव में या उनके परिवार में कोई घरेलू समस्या है तब वे नौकरी छोड़ जाते हैं। निःसन्देह, आजकल अर्थव्यवस्था की प्रकृति के कारण भी लोग सेना और नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था में कई अवसर सृजित हो गए हैं। इसलिए इसे संतुलित करने के लिए मंत्रालय यह सब कर रही है ताकि उनकी रहन-सहन की स्थिति और उनकी सेवाओं में सुधार हो सके।

छठा वेतन आयोग, वेतन संबंधी मामले को देख रहा है। हमें आशा है कि अगले वर्ष के मध्य में कुछ समय पहले उनकी सिफारिशें आ जाएंगी।

श्री पी. करुणाकरन : माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि नौसेना, वायु सेना और थल सेना में लगभग 15,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये पद सिविल सेवा में नहीं हैं बल्कि रक्षा सेवा में हैं। इसलिए यह मुद्दा गंभीर और खतरनाक है। एक ओर उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों युवक हैं जो बेरोजगार हैं। दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भी हम उनको नियोजित नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की जो 10 प्रतिशत की पाबंदी है। वह सशक्त सेनाओं पर भी लागू है या नहीं। क्या इन पदों को नहीं भरे जाने का यह भी एक कारण है?

श्री एम. एम. पल्लम राजू : यह कारण नहीं है परंतु मैं जानता हूं कि वहां पर कमी है। परंतु मैं इस सभा को पुनः यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह खतरनाक प्रकृति की स्थिति नहीं है। हम अन्य क्षेत्रों में भी युवकों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सेवा चयन बोर्ड का मानदंड बहुत सख्त है। वे मानकों पर समझौता नहीं करते हैं। यही कारण है कि उनकी पर्याप्त संख्या में भर्ती नहीं हो पा रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो यह बोलना चाहूंगी कि आज हमारे फौजियों को चाहें फैसिलिटिज़ न मिलती हों, उसके बावजूद वे हमारे देश की रक्षा पर हैं और देशभक्ति से बिल्कुल पूर्ण हैं, इसीलिए आज हम यहां आजादी और बेफिक्री से बैठे हैं, इसलिए हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए और उन पर बिल्कुल भी शंका हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमारे कुछ लोग 1.5 लाख, दो लाख, पांच लाख रुपये में कोई डाक्टर हैं, कोई इंजीनियर है और उसके बावजूद वे अपनी फौज को चूज़ करते हैं और सियाचीन और कारगिल में बैठे होते हैं, और अगर उनकी मदर या उनकी वाइफ की भी डैथ हो जाये तो उनको 20 दिन घर जाने के लिए लगते हैं, इसलिए हमें उनको बिल्कुल शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। बहुत नजदीक से कुछ फौजियों से मैंने बात की तो उन्होंने यह सवाल किया है, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं। क्या यह सच है कि जो दूरदराज में बैठे होते हैं, जहां से हेलिकाप्टर उन्हें लेकर आते हैं, उसमें बड़े पदाधिकारियों जिनको बहुत ज्यादा छुट्टी पर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनको छुट्टी मिल जाती है, साथ ही छोटे पदाधिकारियों के घर पर कोई बीमार है या किसी की डेथ हो गयी है, तो भी बड़े पदाधिकारियों को पहले भेजने के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है? उनको बीस-बीस दिन लग जाते हैं, दूसरी तरफ उनके यहां क्रियाकर्म हो जाता है, लेकिन वे वहां नहीं जा पाते हैं। यह बात बहुत ज्यादा उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने का कार्य करती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी और दो साल पहले भी यहां यही प्रश्न उठा था कि क्या हमने वैसी ही काउंसलिंग, वैसा ही उनके लिए छुट्टी का कोई आधार बनाया है? मैं इतना ही कहूंगी कि एक तरफ लोग इतने दुःखद स्थिति के बाद, जबकि आज भी उनकी विधवाओं को घर नहीं मिल रहा है, आज भी कारगिल के शहीदों के परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, उसके बाद भी लोग फौज में जा रहे हैं, तो क्या हम गंभीरता से उनके लिए चिंतन कर रहे हैं? आज दो साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है, क्या हम उनके वेतन-भत्ते पर भी विचार कर रहे हैं?

महोदय, मैं एक बात कहूंगी, हो सकता है कि इससे कष्ट हो, लेकिन मैं कहूंगी कि हम लोग हैं, हमारे ब्यूरोक्रैट्स हैं, आप महीने में दो बार विदेश होकर आते हैं, बीस-बीस ब्यूरोक्रैट्स जाते हैं, हम लोग जाते हैं, क्या आप ऐसे फैसिलिटी फौजियों को देने की राय बना रहे हैं? आपने यह लिखा है कि उन्हें आकर्षित करने के लिए हम लोग विज्ञापन दे रहे हैं। आपके विज्ञापन से आकर्षित होकर वह फौज में तो आ जाएगा,

लेकिन उसके बाद आप उसे किस तरह से आकर्षित कर रहे हैं कि वह फौज में रहे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। इस विषय को आप आगे भी लें और इस पर गंभीरता से सोचकर जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम. एम. पल्लम राजू : महोदय यह एक बार फिर अत्यधिक विस्तृत पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे प्रश्न संगत है, मैं उन्हें पूछने की अनुमति देता हूं।

श्री एम. एम. पल्लम राजू : उन्होंने कई टिप्पणियों को संक्षिप्त रुप दे दिया है जो संगत भी है। मैं मंत्रालय की ओर से आपको केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम आपात स्थिति या चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में जवानों को घर की यात्रा करने के संबंध में जो अभी स्थिति के लिए है और सहज बनाने हेतु सभी उपयुक्त कदम उठा रहे हैं। वरीयता क्रम के अनुसार उनको वाहन उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्य में हम तीव्रता लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार मौसम खराब होने के कारण इसमें अधिक कठिनाई आती है परंतु हम अपनी ओर से बेहतर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं विधिवत सूचना की प्रतीक्षा करुंगा।

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सुरक्षा कर्मियों जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं के कल्याण के लिए बहुत चिंतित हैं। समस्या यह है कि हमारे सुरक्षा कर्मियों की बहुत बड़ी संख्या पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर में तैनात है यहां लम्बे समय से विद्रोह हो रहा है। आमतौर पर तैनाती थोड़े समय के लिए होती है परंतु लगातार विद्रोह के कारण भारतीय सेना तथा वायु सेना के बहुत सारे कर्मी पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर में तैनात हैं और उनमें से कुछ कर्मी 19,000 फीट और 23,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हैं, वहां आक्सीजन की मात्रा 30 प्रतिशत होती है और इन परिस्थितियों में रहना अत्यंत कठिन है। हमें उनकी परिस्थितियां पता है और हम उनकी परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए जो पहले जो एक वर्ष मे 60 दिन की छुट्टियां एक बार ही दी जाती थी उसे बढ़ाकर हम अब वर्ष में दो या तीन बार दे रहे हैं। हम अधिक रेल सुविधाएं दे रहे हैं और उनकी एयरलिफ्टिंग सुविधाओं में भी सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय समाज अब विघटित हो रहा है। इन दिनों संयुक्त परिवार नहीं हैं। ये सेना कर्मी पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर में तैनात हैं और उनके परिवार दूर दराज इलाकों में रहते हैं। ये सेना कर्मी अपने बच्चों की शिक्षा तथा अपनी सम्पत्ति आदि के बारे में चिंतित रहते हैं। हम इस मामले में राज्य सरकारों से भी बात कर रहे हैं। राज्य सरकारें हमें उन सैनिकों जो दूर दराज इलाकों में तैनात है के परिवारों के हितों की रक्षा करने करने में हमारी मदद करें। अतः हम इस पहलु पर भी ध्यान दे रहे हैं।

दूसरी बात सशस्त्र बलों के कार्मिकों को मिलने वाला वेतन है। यदि वे काबिल हैं तो निजी क्षेत्र में उन्हें आकर्षक वेतन मिलता है। वायुसेना में विमाचालकों को एक निश्चित वेतन ही मिलता है परन्तु निजी क्षेत्र की एयर लाइन्स में उन्हें वायु सेना में मिलने वाले वेतन से 15 गुना अधिक वेतन मिलता है। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते परन्तु कम से कम इन लोगों को अधिकतम वेतन वृद्धि तो दे सकते हैं। मैं संपूर्ण सभा से अनुरोध करता हूं कि हमें सशस्त्र सेना कार्मिकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हम सभी को सहानुभूति है। इन सहानुभूति को वास्तविकता में बदलने की आवश्यकता है। अतः मैं आशा करता हूं कि संयुक्त रूप से हम उनके वेतन में सुधार की कोशिश कर सकते हैं। छटे वेतन आयोग में सुरक्षा बलों के हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु आप भी हमारी सहायता कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, मैंने कहा था कि यदि आप इस विषय पर अधिक चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे इसकी सूचना दीजिए। सही ढंग से सूचना आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 104 –श्री एल. राजगोपाल – उपस्थित नहीं श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव।

बहु-राज्यीय कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना

+

***104. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री एल. राजगोपाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने प्रतिस्पर्धी विपणन प्रणालियों तथा किसानों के लिए उन्नत बाजार सुविधा का विकास करने के लिए चार राज्यों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बहु–राज्यीय कृषि प्रति–स्पर्धात्मकता परियोजना के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) बाजारों की अपर्याप्त सुविधा के संबंध में किसानों की

विद्यमान समस्याओं को दूर करने में यह परियोजना कितनी सहायक होगी?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कृषि मंत्रालय ने विश्व बैंक और विभिन्न राज्यों, जिन्होंने मंडी सुधारों को कार्यान्वित किया है, के परामर्श से शुरूआत में पांच राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु उड़ीसा और महाराष्ट्र का विश्व बैंक की सहायता से बहु–राज्यीय कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (एमएसीपी) को कार्यान्वित करने के लिए चयन किया है जिसके लिए सितम्बर, 2007 तक संबंधित राज्यों द्वारा परियोजना प्रस्तावों को तैयार किया जाना अपेक्षित है। तदन्तर, पंजाब सरकार के अनुरोध पर उस राज्य पर भी विचार करने की मंजूरी दे दी गई है, बशर्ते कि वे अपेक्षित परियोजना प्रस्ताव को तैयार करें और समय से प्रस्तुत करे। उपर्युक्त में से कौन से राज्य अन्ततः वित्तपोषण के आरंभिक चरण में भाग लेंगे, यह बाकी राज्यों के साथ परियोजना समय–सारणी व्यवस्थित करने और उपयुक्त परियोजना प्लान को विकसित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा। विश्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 2007 से पहले परियोजनाओं का मूल्यांकन किए जाने की संभावना है। अन्य राज्यों की सक्रियता के आधार पर परियोजना का विस्तार बाद के चरणों में उन तक किया जा सकता है।

बहुराज्यीय कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (एमएसीपी) का उद्देश्य भारत के छोटे किसानों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है जिससे भारतीय कृषि के सामने आ रही कई प्रवत्तियों से जुड़ी वृद्धित आय सृजन संबंधी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, इसमें – (i) उच्च मूल्य वाले कृषि और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की ओर मांग का मुड़ना, (ii) मांग का शहरीकरण, और (iii) कृषि विपणन में बड़े निगमों की भागीदारी शामिल है। ऐसा करते समय अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करके और उत्पादन प्रणालियों के विविधीकरण को समर्थन प्रदान करके, आन–फार्म उत्पादकता को बढ़ाकर, उत्पाद गुणवत्ता और मानकों को उन्नत बनाकर तथा मूल्यवर्धित अवसरों को तर्कसंगत बनाकर परियोजना में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है जो छोटे किसानों को सशक्त बनायेगी जिससे वे खाद्य बाजार में इन तीव्रतर परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक रूख रख सकें। इस संदर्भ में ज्ञान और प्रौद्योगिकी अन्तरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जो परियोजना में ऐसी परिस्थितियों का सृजन करके जो इसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंच स्थापित करते हुए विस्तार के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एज़ेन्सी (एटीएमए) आधारित माडल को बढ़ावा दें, को प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त परियोजना का उद्देश्य अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करके कृषि मंडियों को ज्यादा कुशल बनाना, और बर्बादी को कम करने संबंधी समर्थन प्रदान करना, उत्पादन विपणन और आदान आपूर्ति में आर्थिक पैमाने का सृजन करना और कृषि उत्पाद के खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। यह परियोजना विशेष रूप से उन माडलों का समर्थन करेगी जो अग्र सम्पर्कों की स्थापना और संतुलित आपूर्ति श्रृंखला को शुरु करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने में मदद करेगी। ऐसा करते समय मौजूदा विनियमित मंडियों और प्रत्यक्ष खरीद समझौते के अलावा यह एक वैकल्पिक विपणन आधार प्रदान करेगी। यह परियोजना उत्पादकों और उत्पादन संबंधी उन्नत मूल्यों की संभावना प्रदान करती है जो उपभोक्ता मांग से पूरी तरह मेल खायेगी। इस परियोजना के माध्यम से किसान मांग में परिवर्तनों के अनुसार अपने उत्पादन को बढ़ाने के योग्य हो सकेंगे और साथ ही नये तथा वैकल्पिक विपणन चैनलों और नई प्रौद्योगिकियों की क्षमता का लाभ उठा सकेंगे।

एमएसीपी मुख्यतया (i) मंडली और सम्बद्ध अवसंरचना को बढ़ाकर और मंडी प्रबंधन को कृषक जरुरतों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाकर तथा कृषि व्यवसाय में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देकर मंडी अवसंरचना और अवसरों में विस्तार करने; (ii) मंडी सूचना और विनियामक कार्य ढांचे की संगतता में सुधार लाकर; आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार लाकर, व्यावसायिक सम्पर्कों को बढ़ावा देकर किसानों की मंडी अवसरों तक पहुंच में वृद्धि करने; और (iii) विस्तार एवं अपनाने योग्य अनुसंधान को किसानों के प्रति ज्यादा संगत और उनकी पहुंच योग्य बनाकर और ज्यादा प्रभावकारी कृषि उत्पादन प्रणालियों के विकास और उन्हें लागू करने का प्रोत्साहन देकर; विशेषकर छोटे प्रचालकों के लिए परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करके उत्पादन का सघनीकरण और विविधीकरण करने की सुविधा प्रदान करने पर संकेन्द्रण करेगी।

परियोजना से प्रत्येक जिले में जिला कृषि विकास और विपणन कार्यनीति (डीएमडीएमएस) की तैयारी के माध्यम से मंडियों तक खराब पहुंच के संबंध में किसानों की मौजूदा बाधाओं को दूर करने में व्यापक रूप से मदद मिलेगी जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाधाओं और अवसरों की पहचान पर अधिक बल दिया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप मंडी पहुंच सम्पर्कों, अवसरों और बाधाओं को दूर करना सुनिश्चित हो सकेगा।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : महोदय, अधिकांश राज्य सरकारों ने कृषि उत्पाद विपणन को विनियमित करने हेतु विधान अधिनियमित किए हैं। राज्यों का कृषि उत्पाद विपणन को विनियमित

करने का उद्देश्य बिचौलियों तथा व्यापारियों के शोषण से किसानों को बचाना तथा उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना था। परन्तु कुछ समय पश्चात् इन मंडियों ने एकाधिकारी मंडियों का रूप धारण कर लिया है राज्य एकाधिकारी मंडियों की एकाधिकारी व्यवस्था तथा रीति ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश के प्रवेश को रोक रखा है। फसल कटाई के बाद होने वाली बर्बादी अनाज में पांच से सात प्रतिशत और फलों और सब्जियों में 25 से 30 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : इन परिस्थितियों के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री से विपणन परियोजनाओं से संबंधित व्यापक मानदंडों तथा तंत्र, जिसे विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित किया जाना है, के बारे में पूछना चाहूंगा ताकि विपणन प्रतिस्पर्धात्मकता के लाभ, गरीब किसानों को मिल सके।

श्री शरद पवार : महोदय, यह सच है कि कृषक समुदाय में से कुछ लोगों को यह शिकायत थी कि हलांकि विनियमित मंडियां सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो कि किसानों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है परन्तु अब ऐसा नहीं है। अब किसान भी सतर्क हो गए हैं। वे समूचे मूल्य की स्थिति से अवगत है इसलिए उन्हें अपना उत्पाद देश में कहीं भी बेचने की अनुमति होनी चाहिए। इसीलिए ये सुधार किए गये हैं।

लगभग चार वर्ष पूर्व, पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सहकारिता और विपणन के सभी राज्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में संशोधन करने और किसानों को मंडी सहित देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की अनुमति देने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वह एकदम सही है और वह है आधाभूत संरचना का अभाव। निःसंदेह हमारे देश में उपज की हानि हो रही है और इसका अनुपात भी बहुत अधिक है। प्रति वर्ष कटाई के बाद आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण कुल 50,000 करोड़ मूल्य के कृषि उपज की हानि होती है। हमें इस प्रकार की हानि पर नियंत्रण करना होगा। इसलिए यह परियोजना अर्थात बहुराज्यीय कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (एमएसीपी) को बेहतरीन गुणवत्ता वाला आधारभूत संरचना की व्यवस्था करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से तैयार किया गया है।

आज आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र इस संबंध में आगे आए हैं और उन्होंने अपने-अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने भी इस संबंध में पहल की है। हम इसमें पंजाब को भी शामिल करने के लिए सहमत हो गए हैं। जिन राज्यों ने एपीएमसी विपणन सुधारों को पूरा किया है, इससे संबंधित राज्य उठाने के पात्र है। इस विशेष परियोजना में आधारभूत संरचना की स्थापना हेतु पर्याप्त प्रावधान होगा चाहे वह शीतागात हो अथवा पैकेजिंग हाऊस अथवा अन्य उपकरणों का उन्नयन आदि हो इसकी व्यवस्था मंडी में ही की जाएगी।

दूसरा, विपणन संबंधी जानकारी भी महत्वपूर्ण बात है। किसानों को जानकारी होनी चाहिए कि अपने उत्पाद को कब मंडी में लाना है उसे पता होना चाहिए कि यहां कौन सी मंडी है और आज का भाव इत्यादि क्या है। इसिलिए इस परियोजना मे कनेक्टीवीटी, इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलिविजन तथा अन्य उपकरणों के माध्यम से किसानों को यह जानकारी दी जाएगी।

अंततः जहां तक विस्तार का संबंध है यदि इस योजना में ये सुविधाएं देते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व बैंक ने भी धनराशि देने में रूचि दिखाई है। निःसंदेह यह राशि अनुदान के रूप में नहीं होगी अपितु ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगी।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, कि विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना किसानों को बिना किसी भय के मंडी तक पहुंच बनाने में कैसे मदद करेगी। कृषि क्षेत्र में यह किस प्रकार निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाएगी और किस प्रकार यह अनुसंधान कार्य के लिए आबंटित सरकारी निधि के अधिक प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देगी?

श्री शरद पवार : वस्तुतः यहां महत्वपूर्ण बात में से एक यह है कि निजी क्षेत्र के भी मंडी में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वे किसानों को उचित मूल्य दिलाने में मदद कर सके। इसका प्रावधान पहले ही से इसमें विद्यमान है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में बाल श्रम

*105. **श्री अधीर चौधरी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि तथा खेती क्षेत्र में कार्य कर रहे बच्चों को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये योजनाएं कब तक क्रियान्वित की जाएंगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 15 जोखिमकारी व्यवसायों और 57 जोखिमकारी प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम अयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कृषि और खेती क्षेत्र में बच्चों के नियोजन को, उन प्रक्रियाओं जिनमें ट्रैक्टर, थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है तथा कुट्टी कटाई तथा कीटनाशक और खरपतवार नाशक की हैंडलिंग भी शामिल है, के अलावा, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषेध नहीं किया गया है। बच्चों को कार्य पर लगाने के संबंध में इन क्षेत्रों मे किसी गंभीर स्थिति के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

(घ) इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत, जोखिमकारी व्यवसायों से हटाये गये बच्चों का पुनर्वास किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, कार्य से हटाये गये बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिल कराया जाता है जहां उन्हें शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, पोषणाहार के साथ–साथ स्वास्थ्य जांच सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस समय, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत देश में 20 राज्यों को कवर करते हुए 250 जिलों में चलाया जा रहा है। 11वीं योजना के दौरान अतिरिक्त संघटकों के माध्यम से इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के साथ योजना में विस्तार किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह अन्यों के साथ–साथ, खेती तथा कृषि क्षेत्रों में अधिसूचित जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य कर रहे बच्चों को भी कवर करता है। इसके अलावा, जोखिमकारी व्यवसायों से हटाये गये बच्चों के लाभ के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों हेतु सहायता–अनुदान योजना कवर न किये गये जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन

106. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री रमेश बैस :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, क्या प्रस्तावित संशोधनों के बारे में राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 लोक सभा में दिनांक 15.12.2006 को पेश किया गया था। अध्यक्ष महोदय ने उक्त विधेयक को दिनांक 19.12.2006 को स्थायी समिति के विचारार्थ एवं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है।

(ख) से (घ) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसमें सरकार, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक संघों, विधायी व्यवसाय के विशेषज्ञ शामिल थे। विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सभी के मत एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट "www.mit.gov.in" में उपलब्ध कराया गया था। सुझाव भेजने के लिए वेबसाइट पर एक मेल बॉक्स भी खोला गया था। प्रस्तावित संशोधनों पर कई सुझाव प्राप्त हुए थे। प्राप्त कुछ सुझाव विधेयक में शामिल किए गए हैं।

[हिन्दी]

बीजों का पेटेन्ट किया जाना

*107. **श्री विजय कृष्ण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनुवांशिक रूप से परिवर्धित बीजों के नाम पर देश में ही तैयार किए गए बीजों का पेटेन्ट करवाकर गरीब किसानों को गुमराह कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में तैयार किए गए बीजों के वैज्ञानिक अध्ययन तथा विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन गठित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जिनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा देश में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित बीटी कपास ही एकमात्र आनुवंशिक तौर पर आशोधित फसल है। बीटी कपास के सभी संकरों को सुयंक्त राज्य अमरीका में मानसान्टो, जैव–प्रौद्योगिकी ट्रांसजीन्स चीन निगम और आई आई टी, खड़गपुर से अधिप्राप्त आनुवंशिक तौर पर आशोधित बीजों का प्रयोग करके भारतीय कल्टीवारों से प्राइवेट बीज कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 2002 में यथा संशोधित पेटेण्ट अधिनियम, 1970 की धारा 2 (जे) के अंतर्गत बीज पेटेण्टेबल नहीं है। तथापि पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 को किसानों, पादम प्रजनकों, अनुसंधानकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित और लागू किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने विभिन्न फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ट्रांसजीनिक्स के विकास हेतु एक परियोजना स्वीकृत की है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली फसलों की नई और उन्नत किस्मों के विकास में लगातार लगी हुई है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का विपणन

*108. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उन्नत तथा आधुनिक विपणन सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन को सुकर बनाने के लिए उन्नत तथा आधुनिक विपणन अवसंरचना के विकास के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो अवसंरचना तथा बाजारों के दैनन्दिन सम्पर्कों (लिंक्स) में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए कितना आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) देश में अपर्याप्त विपणन सुविधाओं के कारण कभी-कभी किसानों को अपने उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलते। कृषि मंडियों में अस्थायी और स्थानिक भिन्नताएं हैं और अधिकतर मंडियों में कुशल विपणन के लिए अपेक्षित अवसंरचना की कमी है।

कृषि मंत्रालय ने 2003 में एक माडल कृषि उत्पाद मंडी समिति (एपीएमसी) अधिनियम को परिचालित करके मंडी सुधारों के कार्यान्वयन का कार्य शुरू किया है और 20.10.2004 को सुधार से जुड़ी" कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण" नामक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम शुरू की है ताकि उद्यमियों को ऋण से जुड़ी बैक एन्डेड पूंजी निवेश राजसहायता और राज्य एजेन्सियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करके विपणन अवसंरचना, मंडी प्रयोगकर्ता संबधी आम सुविधाएं, कृषि जिन्सों के प्रत्यक्ष विपणन हेतु अवसंरचना, उत्पादन आदानों की आपूर्ति संबंधी अवसंरचना एवं आवश्यकता-आधारित सेवाओं ई-ट्रेडिंग, मंडी आसूचना आदि के लिए अवसंरचना और फसलोपरान्त प्रचालनों (परिवहन उपकरण को छोड़कर) के लिए मोबाइल अवसंरचना का विकास किया जा सके। विद्यमान विपणन अवसंरचना के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए स्कीम के तहत राज्य एजेन्सियों को सहायता भी प्रदान की जा रही है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम के तहत 73.23 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और नाबार्ड द्वारा 1540 बैंक वित्त पोषित विपणन अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को राजसहायता स्वीकृत की गई, एनसीडीसी के जरिए 4 सहकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई और विभाग द्वारा सहायता के लिए 45 राज्य एजेन्सी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। वर्ष 2007-08 के दौरान इस उद्देश्य के लिए योजना बजट में 62.50 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम 'मंडी अनुसंधान और सूचना नेटवर्क' के तहत कृषि मंत्रालय ने किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने की सुविधा प्रदान करने के लिए मंडी सूचना के एकत्रण एवं प्रसार हेतु पूरे देश में फैली महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन थोक मंडियों को राष्ट्रीय स्तर के कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (एग्मार्कनेट) से जोड़ने का कार्य शुरू किया है। इस स्कीम के तहत कम्प्यूटर सेट, सम्पर्कता और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करके अभी तक 2800 से ज्यादा मंडी नोड्स की स्थापना की गई है और इनमें से लगभग 1800 मंडी नोड्स नियमित रुप से दैनिक मूल्यों तथा आवक संबंधी आंकड़ों की जानकारी दे रहे हैं ताकि 2000 से ज्यादा किस्मों वाली 300 से ज्यादा जिन्सों को कवर करते हुए एग्मार्क नेट पोर्टल के जरिए इनका प्रसार किया जा सके। इस स्कीम के तहत विभिन्न मंडी नोड्स की स्थापना के लिए और पोर्टल चलाने हेतु अन्य क्रियाकलापों के लिए दसवीं योजना अवधि के दौरान 29.96 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और स्कीम की कवरेज को बढ़ाने के लिए योजना बजट में 2007-08 के लिए 3.05 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

कुरियर सेवा के लिए लाइसेंस

*109. **श्री गिरिधारी यादव** :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुरियर सेवाओं के संचालन के लिए एक लाइसेंसिंग नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निजी कुरियर सेवाओं को नियमित करने का प्रावधान है। इसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रमाणित बीजों का उत्पादन

***110. श्री चन्दभूषण सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आगामी तीन वर्षों के अंदर प्रमाणित बीजों के उत्पादन को दोगुना करने की दृष्टि से रियायती वित्तपोषण संबंधी पूंजी अनुदान मुहैय्या करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को योजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर इन कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) महोदय, सरकार वांछित बीज प्रतिस्थापन दरों को प्राप्त करने के लिए देश में बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहनों में वृद्धि करने तथा उनके विस्तार के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

आयातित गेहूं पर व्यय

***111. श्री संतोष गंगवार :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गेहूं का किस मूल्य पर आयात किया जा रहा है तथा आयात के बाद उस पर कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है;

(ख) देश में इस गेहूं को किस मूल्य पर वितरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह कीमत बाजार में चल रही वर्तमान कीमत से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त गेहूं का आयात किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 2007-08 में अनुबंधित 5.11 लाख टन के लिए आयातित गेहूं की सी.एफ. (एफ.ओ.) लागत 325.59 यू.एस. डॉलर प्रति टन है। इसके अलावा पत्तन क्लियरेंस की लागत लगभग 450 रुपए प्रति टन है और पत्तन से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम तक ढुलाई लागत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक दूरी पर निर्भर करती है।

(ख) आयतित गेहूं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन किए गए आबंटनों के प्रति राज्य सरकारों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर रिलीज किया जाता है, ये मूल्य निम्नानुसार हैं-

(दर : रुपए/क्विंटल)

स्कीम का नाम	
गरीब रेखा से ऊपर	610
गरीबी रेखा से नीचे	415
अंत्योदय अन्न योजना	200
कल्याण योजनाएं-मध्याह्न भोजन, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, पोषाहार कार्यक्रम, कल्याण संस्थाएं और छात्रावास आदि, अन्नपूर्णा, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	415

(ग) और (घ) आयातित गेहूं का वितरण केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर किया जाता है। 1.8.2007 की स्थिति के अनुसार गेहूं के प्रचलित थोक मूल्य 1025 रुपए प्रति क्विंटल (दिल्ली), 1300 रुपए प्रति क्विंटल (मुम्बई) और 1450 रुपए प्रति क्विंटल (चेन्नई) हैं।

(ङ) आयातित गेहूं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कल्याण योजनाओं, आकस्मिक राहत उपायों की आवश्यकताओं को पूरा करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित होता है।

कृषि विकास केन्द्र

***112. श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायत स्तर पर कृषि विकास केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु एक वृहद परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कृषि विकास केन्द्रों के कब तक चालू होने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने पंचायत स्तरीय कृषि विकास केन्द्र की स्थापना के लिए कोई बड़ी परियोजना की शुरूआत नहीं की है।

2. तथापि, राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के

अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग, ग्राम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर फार्म स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है। फार्म स्कूलों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

(क) फार्म स्कूलों की स्थापना सामान्यतः सर्वोत्कृष्ट किसानों तथा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले किसानों के खेतों में की जाएगी।

(ख) फार्म स्कूलों में "अध्यापक" सरकारी या गैर–सरकारी क्षेत्र से संबंधित प्रगामी किसान, विशेषज्ञ या विस्तार कार्यकर्त्ता होंगे।

(ग) फार्म स्कूलों में प्रशिक्षार्थी वरीयतः सामान जिंस का उत्पादन करने वाले किसानों के समूहों के अग्रणी होंगे।

(घ) फार्म स्कूलों में प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रमुख क्रियाकलाप होंगे।

(ङ) फार्म स्कूलों के प्रशिक्षणार्थियों को उनके अपने खेतों में क्षेत्र प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए भी मदद की जाएगी।

(च) जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर दौरे आदि के जरिये "अध्यापकों" के ज्ञान तथा कुशलता को सतत आधार पर उन्नत बनाया जाएगा।

3. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) माडल पर आधारित "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" संबंधी स्कीम के तहत फार्म स्कूलों को जुलाई, 2007 में एक पात्र क्रियाकलापों के रूप में शामिल किया गया है। पात्र क्रियाकलापों की इस सूची में उच्चतम (सीलिंग) यूनिट लागत और क्रियाकलाप की सीमा का प्रावधान किया गया है। राज्यों को समग्र बजटीय सीमा और क्रियाकलाप की परिधि में विस्तार क्रियाकलापों और परिव्यय का चयन करने के मामले में शिथिलता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

दक्षिण भारत में नदियों को आपस में जोड़ना

*113. **श्री ए. कृष्णास्वामी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दक्षिण भारत में नदियों को आपस में जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन करने के पश्चात राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने के लिए 16 सम्पर्कों की पहचान की है। इन संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। इन 16 संपर्कों में से, दक्षिण भारत में नदियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित 12 संपर्क प्रस्तावों की योजना है।

1. महानदी (मणिभद्रा) – गोदावरी (डोलेश्वरम)
2. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा)
3. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुन सागर)
4. गोदावरी (इंचमपल्ली) कृष्णा (पुलिचिंताला)
5. कृष्णा (नागार्जुन सागर) – पेन्नार (सोमसिला)
6. कृष्णा (सैलम) – पेन्नार
7. कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार
8. पेन्नार (सोमसिला) – कावेरी (ग्रैण्ड एनीकट)
9. कावेरी (कट्टालई) – वगैई – गुन्डार
10. पंबा–अंचकोविल – वैप्पार
11. नेत्रावती – हेमावती और
12. बेदती – वार्ता

(ख) एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार की गई सभी रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की जाती हैं। सभी प्रमुख बैठकों अर्थात एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक, शासी निकाय, तकनीकी सलाहकार समिति आदि में राज्य सरकार के अधिकारियों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। राज्यों के साथ अधिशेष जल के बंटवारे पर सर्वसम्मति लाने तथा एनडब्ल्यूडीए द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर विचार–विमर्श करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता में जून, 2002 में एक दल का गठन किया गया था। इस दल की गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क की एक बैठक सहित प्राथमिकता संपर्कों पर सर्वसम्मति तैयार करने के लिए नौ बैठकें पहले ही हो चुकी हैं।

विवरण

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत संपर्कों की सूची

1. महानदी (मणिभद्रा) – गोदावरी (डोलेश्वरम) संपर्क*
2. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क*#
3. गोदावरी (इंचमपल्ली) कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क*
4. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क*
5. कृष्णा (नागार्जुन सागर) – पेन्नार (सोमसिला) संपर्क*
6. कृष्णा (श्रीसैलम) – पेन्नार संपर्क*
7. कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार संपर्क*
8. पेन्नार (सोमसिला–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) संपर्क*
9. कावेरी (कट्टालई) – वगैई–गुन्डार संपर्क*

10. पारबती–कालीसिंध–चंबल संपर्क*#
11. दमनगंगा–पिंजाल संपर्क *#
12. पार–तापी–नर्मदा संपर्क *#
13. केन–बेतवा संपर्क*#
14. पंबा–अचनकोविल–वैप्पार संपर्क*
15. नेत्रवती–हेमवती संपर्क
16. बेदती–वर्दा संपर्क*

*व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण

#*प्राथमिकता संपर्क

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं

*114. **योगी आदित्यनाथ** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न घोटालों की किसी स्वतंत्र ग्रुप से अथवा किसी केन्द्रीय एजेन्सी से विस्तृत जांच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की वसूली, उनका भंडारण, ढुलाई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनका आबंटन करती है। राज्य के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, पात्र परिवारों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए जाते हैं कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित खाद्यान्न लक्षित परिवारों तक पहुंचे और कोई लीकेज/विपथन न हो।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को यह निदेश देते हुए भेजा जाता है कि वे शिकायतों की जांच करें और कानून के अधीन अपेक्षित उचित कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्राप्त शिकायतें आवश्यक जांच और अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई थीं।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने राज्य में 54 जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अनियमितताओं के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच करने और आगे अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए हाल में इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष जांच दल को सुपुर्द कर दिया है। यह विशेष जांच दल फिलहाल शिकायतों की जांच कर रहा है।

चूंकि राज्य सरकार ने 54 जिलों में इन शिकायतों की जांच करने का काम पहले ही विशेष जांच दल को सौंप दिया है। और जांच का काम प्रगति पर है अतः भारत सरकार का किसी अन्य स्वतंत्र समूह या केन्द्रीय एजेंसी के जरिए अतिरिक्त जांच कराने का प्रस्ताव नहीं है।

कृषि विकास दर

*115. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि का लक्ष्य 4% रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं तथा इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में, 11वीं योजना के दौरान कृषि की 4% वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के संकल्प पर पुनः दृढ़ता प्रकट की। साथ ही निम्न पर भी पुनः संकल्प लिया :

- 8 मिलियन टन गेहूं, 10 मिलियन टन चावल तथा 2 मिलियन टन दालों के एक अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य के साथ गेहूं, चावल तथा दालों को कवर करते हुए नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत एक खाद्य सुरक्षा मिशन को प्रारंभ करना।
- राज्य योजनाओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए एक नई स्कीम प्रारंभ करना। नवसृजित राष्ट्रीय वर्षा प्रभावित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजना बनाने में राज्यों की सहायता करेगा।

* सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना।
* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयास पर नीतिगत ध्यान देना।
* किसान समुदाय में श्रम विकास के लिए नए प्रयास करना।
* राज्य सरकारें ज़िला तथा राज्य कृषि योजनाओं के लिए क्षेत्र में प्राथमिक निवेश के लिए तैयार है।

इस बारे में भारत सरकार ने दो स्कीमें भी देश में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए आरंभ की है ये हैं (I) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) तथा (II) कृषि विकास के लिए राज्य तथा ज़िला योजनाओं का कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (ए.सी.ए.एस)।

दलहनों का आयात

*116. **श्री सूरज सिंह :**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलहनों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दलहनों की उपलब्धता बढ़ाने तथा मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए दलहनों का आयात करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तथा उसके बाद आज की तिथि तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा एजेंसी–वार कितनी मात्रा में और किस मूल्य पर दलहनों का आयात किया गया;

(ङ) उक्त आयातों पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई;

(च) आयातित दलहनों के लिए निश्चित किए गए मूल्यों तथा घरेलू बाजार में चल रहे इनके मूल्यों के बीच तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(छ) आयात के बावजूद भी दलहनों में मूल्य वृद्धि को रोकने में असफलता के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) दालों की फसल के लिए बुआई क्षेत्र 2005–06 में 22.39 मिलियन हेक्टेयर से बढकर 2006–07 में 23.76 मिलियन हेक्टेयर हो गया। तथापि, खरीफ फसलों के तहत बुआई क्षेत्र गत वर्ष (4.79 मिलियन हेक्टेयर) की तुलना में इस वर्ष (2007–08) गिरकर 4.01 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। चतुर्थ अग्रिम अनुमान में वर्ष 2006–07 के लिए दालों का उत्पादन 14.23 मिलियन टन आंका गया है। वर्ष 2006–07 में दालों की अनुमानित मांग 16.0–16.5 मिलियन टन के बीच थी। गत 6 वर्षों में दालों का उत्पादन और आयात नीचे दिया गया है।

वर्ष	उत्पादन	आयात
2001-02	13.37	2.21
2002-03	11.13	1.99
2003-04	14.91	1.72
2004-05	13.13	1.30
2005-06	13.39	1.70
2006-07	14.23	2.25

11वीं पंचवर्षीय योजना संबंधी योजना आयोग के कार्यदल ने 2.74 मिलियन टन मांग अन्तराल के साथ वर्ष 2007–08 के लिए दालों का प्रक्षेपित उत्पादन 14.03 मिलियन टन आंका है।

(ग) जी, हां। घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निजी व्यापारियों को शून्य शुल्क पर दालें आयात करने की अनुमति दी गई और वर्ष 2006–07 के दौरान नेफैड ने 49,300 टन दालों आयात की। सरकार ने नेफेड के अलावा, एस टी सी, एम टी सी और पी ई सी को 2007–08 के दौरान 1.5 मिलियन टन दालें आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है। एन सी सी एफ को भी वर्ष 2007–08 के दौरान 1.5 लाख टन मूंग, उड़द और तूर आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) गत एक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात 6.8.2007 तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयात की गई दालों की मात्रा और दर एजेंसी–वार नीचे दी गई हैं:

संगठन	दालों की किस्म	आयातित मात्रा	खरीद मूल्य (US $ प्रति मी. टन)
1	2	3	4
पी ई सी लि.	उड़द	6870	570-659
	मूंग	1907	630
	तूर	6479	384-454
	येल्लोपीज	-	-
	चिकपीज	-	-
	लाल दाल	-	-
	कुल (पी ई सी)	15256	
एमएमटीसी लि.	उड़द	3000	586
	मूंग	980	638.5
	तूर	19424	412-457

1	2	3	4
	मसूर	2451	569.85-576.20
	डनपीज	1959	378-380
	येल्लोपीज	51230	344-365
	देशी चना	-	-
	कुल (एमएमटीसी)	79044	
नेफेड	उड़द	38041	565-670
	मंग	5219	630
	तूर	5221	532
	येल्लोपीज	-	-
	कुल (नेफेड)	48481	
एस टी सी	उड़द	30507	634.5
	येल्लोपीज	67324	358.95-365
	तूर	980	563.45
	मूंग	2760	703.69
	कुल (एसटीसी)	101571	
	कुल योग	243175	

(ङ) उक्त आयात में हुआ कुल व्यय लगभग 462 लाख (अनंतिम) है।

(च) आयातित दालों को खुली निविदा के जरिए बाजार में बेचा जा रहा है। आयातित और अथवा देशी दालों सहित दालों के मूल्य प्रत्येक किस्म के लिए अलग–अलग होते हैं तथा मांग और आपूर्ति जैसी बाजार शक्तियों जो किसी विशेष समय पर बाजार में चल रही हों, के अलावा गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं।

आयातित दालों के लिए तय किए गए मूल्यों और घरेलू बाजार में प्रचलित मूल्यों में तुलनात्मक आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में मूल्य व्यवहार के गत्यात्मक प्रकृति की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों में औसत अंतर नीचे दर्शाया गया है।

(1) उडद :– गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए आयातित दालों के मूल्य से 150–400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक।

(2) मूंग :– गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए आयातित दालों के मूल्य से 70–300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक।

(3) अरहर:– गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए आयातित दालों के मूल्य से 50–300 रुपए प्रति क्विंटल कम।

(4) येल्लो पीज :– गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए आयातित दालों के मूल्य से 10–20 अमेरिकी डालर (लगभग 400–800 रुपए) प्रति क्विंटल कम।

(छ) दालों के मूल्यों में वृद्धि का मूल कारण अधिकांश दालों में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होना है। इसके अलावा, दालों तथा अन्य वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व बाजार में अतिरेक दालों की उपलब्धता भी सीमित है और समय पर आपूर्ति में अनिश्चितता से भी घरेलू बाजार में दालों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

आयात से दालों की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इससे दालों के मूल्यों के बढ़ते हुए रूझान पर कुछ हद तक रोक लगी है। इससे पिछले कुछ महीने के दौरान दालों के मूल्यों में सापेक्षयता ठहराव भी आया है।

[अनुवाद]

कपास की उत्पादन लागत

***117. श्री वी. विनोद कुमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कपास की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत का वर्ष–वार भारित औसत कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कपास की क्विंटल बिक्री मूल्य का भारत औसत वर्ष–वार कितना है;

(ग) क्या किसान कपास की प्रति उत्पादन लागत में वृद्धि की तुलना में इसका लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा बनाए गए प्रक्षेपणों के अनुसार देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन की प्रति क्विंटल की लागत की भारित औसत यथा ए2+एफ एल लागत (नकद तथा अन्य प्रकार के भुगतान किए गए वास्तविक व्यय, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया तथा पारिवारिक श्रम की मजदूरी के लिए अपेक्षित मूल्य) निम्न प्रकार है:

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	उत्पादन की प्रति क्विंटल लागत (ए2 + एल एल)*
2004–05	1529.27
2005–06	1549.01
2006–07	1538.93

*प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के संदर्भ में भारित औसत
ए2–सभी भुगतान की गई लागतें
एफएल–पारिवारिक श्रम लागत का आरोपित मूल्य

(ख) भारतीय कपास निगम लिमिटेड के अनुसार जे–34 तथा एच–4 किस्मों के लिए औसत कपास मूल्य निम्न प्रकार हैं:

(मूल्य रुपए प्रति क्विंटल में)

वर्ष/किस्म	जे–34#	एच–4#
2004–05	1867	2024
2005–06	1978	1998
2006–07	2015	2072

#पाक्षिक औसत मूल्यों पर आधारित।

(ग) और (घ) कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर प्रत्येक बुआई मौसम के प्रारम्भ होने से पहले कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण एवं घोषणा करती है तथा भारतीय कपास निगम के द्वारा खरीद कार्यक्रम आयोजित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण से पहले राज्य सरकारों व केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को साथ ही साथ ध्यान में रखा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, कृषि लागत मूल्य आयोग पैदावार/उत्पादन की लागत को मुख्य कारकों में से एक के तौर पर ध्यान में रखता है। वर्ष 2006–07 के लिए सरकार ने कपास की किस्मों नामतः एफ–414/एच–777/जे–34 तथा एच–4 के लिए क्रमशः रुपए 1770 तथा रुपए 1990 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया था। नामित नाडल एजेन्सी यथा भारतीय कपास निगम इस उद्देश्य के साथ कि बाज़ार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए न्यूनतम किए न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न गिरे, प्रापण कार्यों को चलाने के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप करता है। यदि वर्तमान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक होते हैं तो किसान अपने उत्पाद बाज़ार में बेचेने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

रक्षा उत्पादन में लघु उद्योग

*118. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा उपकरणों का विनिर्माण करने के लिए लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्यमों को अनुमति देने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम से देश के दोनों क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और लघु क्षेत्र कितने लाभान्वित होंगे?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) मई, 2001 से रक्षा उद्योग क्षेत्र को लाइसेंस के अध्यधीन भारतीय निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोल दिया गया है। लघु तथा मध्यम स्तर के उद्यम भी औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद रक्षा उपस्करों का उत्पादन शुरू कर सकते हैं।

(ग) इससे उन लघु तथा मध्यम स्तर के उद्यमों को रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु बढ़ावा मिलेगा जिनमें रक्षा मदों के डिजाइन एवं विकास कार्य करने की क्षमता है।

सिंचाई और बीज विकास

*119. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र की बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के साथ भागीदारी करके सिंचाई और बीज विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) महोदय, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि 3 से 5 वर्षों के दौरान अपेक्षित बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने के लिए बीज उत्पादन बढ़ाया जाये। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत राज्यों को सहायता प्रदान करती रही है। सिंचाई के संबंध में, राज्यों से जल उपयोग क्षमता और जल संरक्षण सुधारने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और सतही लघु सिंचाई स्कीम के तहत, राज्यों को बड़ी/मझौली और लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण सहायता और अनुदान दिए जाते हैं।

कृषि योग्य भूमि

*120. **श्री वाडिगा रामकृष्णा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौंवी और दसवीं योजनावधि के दौरान देश में विशेषतः आन्ध्र प्रदेश में कृषि योग्य भूमि में भारी कमी आयी है जबकि गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत भूमि बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि क्षेत्र में लक्षित विकास दर को प्राप्त करने हेतु कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) उपलब्ध आकलन के अनुसार, कृषि योग्य भूमि में नवीं योजना (1997–98) के शुरु में 183.59 मिलियन हैक्टेयर से दसवीं योजना में 182.57 मिलियन हैक्टेयर तक की मामूली कमी आई है। इसी अवधि के दौरान वर्ष 2005–06 में देश में गैर–कृषि उद्देश्यों के तहत क्षेत्र 22.69 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 24.94 मिलियन हैक्टेयर हो गया है।

आन्ध्र प्रदेश के मामले में भी कृषि योग्य भूमि में नवीं योजना (1997–98) की शुरूआत में 15.86 मिलियन हैक्टेयर से दसवीं योजना में वर्ष 2005–06 में 15.76 मिलियन हैक्टेयर तक की मामूली कमी आई है। इसी अवधि के दौरान, गैर–कृषि प्रयोजनों का क्षेत्रफल 2.58 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 2.71 मिलियन हैक्टेयर हो गया है।

आन्ध्र प्रदेश सहित देश में कृषि योग्य भूमि में मामूली गिरावट का कारण कृषि भूमि को शहरीकरण, सड़कों, उद्योगों आदि जैसे गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाना है।

भारत सरकार देश में भूमियों के विकास के लिए विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है : नामतः (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी और एफपीआर) के स्त्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (iii) क्षारीय मृदा सुधार (आरएएस) (iv) झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजनाएं (डब्ल्यू डीपीएससीए) (v) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) (vi) मरुस्थल विकास परियोजना (डीडीपी) (vii) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी) (viii) पनधारा विकास कोष (डब्ल्यूडीएफ) और (ix) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)। इन कार्यक्रमों के तहत शुरूआत से दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भूमि के लगभग 50.83 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है। ऐसी विकसित भूमियों के कुछ हिस्सों को भी भूमि उपयोगों के विभिन्न प्रकारों में संतुलन बनाए रखने के लिए कृषि के अंतर्गत भी लिया गया है। कृषि में लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, मुख्य जोर उत्पादकता बढ़ाने पर है।

सीमा सड़क संगठन द्वारा हैलीपैडों का निर्माण

951. **श्री के. सी. पल्लानी स्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के अनेक स्थानों पर हैलीपैडों के निर्माण की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) नए हैलीपैडों का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तराखंड में घटियाबगढ़–लिपुलेख सड़क के निर्माण के एक हिस्से के रुप में 600 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 8 हैलिपैडों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 2011 तक।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु उपजाऊ भूमि का उपयोग

952. **श्री एम. अप्पादुरई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी उपजाऊ कृषि भूमि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण से खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना के लिए 362 वैध औपचारिक अनुमोदनों में कुल भूमि क्षेत्र लगभग 48781 हैक्टेयर है। इसमें से लगभग 17800 हैक्टेयर भूमि पहले से ही राज्य औद्योगिक विकास निगमों के स्वामित्व/अधिकार में थी जिसका एसईजेड नीति के शुरू होने से बहुत पहले राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण किया गया था। चूंकि देश में लगभग 183 मिलियन हैक्टेयर कुल कृष्य क्षेत्र की तुलना में अब तक एसईजेड द्वारा बहुत कम क्षेत्र की खपत की गई है, अतः खाद्यान्न उत्पादन पर इसके प्रभाव के बारे में कोई सुव्यवस्थित आकलन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय वायु सेना का पुराना बेड़ा

953. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) आज की तिथि तक भारतीय वायुसेना के बेड़े की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से अधिकतर विमान पुराने हैं और उन्हें शीघ्र ही बेड़े से हटाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में से पुराने विमानों को हटाने संबंधी प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न अभियानों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के विमान हैं। इनमें विभिन्न भूमिकाओं के लिए कई प्रकार के युद्धक विमान, परिवहन विमान, हेलिकॉप्टर, प्रशिक्षक विमान इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) सैन्य विमान की उपयोगिता अवधि "कुल तकनीकी अवधि" द्वारा विनिर्दिष्ट होती है जो उड़ान घंटों और कैलेंडर अवधि का समन्वय है। इस समय सेवारत भारतीय वायुसेना के अधिकांश विमानों के कुल तकनीकी उपयोगिता अवधि तक पहुंचने से पहले पर्याप्त उपयोगिता अवधि बची हुई है। निर्दिष्ट तकनीकी उपयोगिता अवधि के पूरा हो जाने पर वायुसेना को क्रमिक रूप से चरणबद्ध तरीके से हटाया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

तनाव की समस्या और भर्ती नियमों में संशोधन

954. श्रीमती करुणा शुक्ला :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सैन्यकर्मियों में बढ़ते हुए तनाव के मद्देनजर उनकी भर्ती के नियमों में कोई संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सैन्यकर्मियों के तनाव को कम करने के लिए योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) रक्षा सेनाओं में अफसरों के चयन के लिए भर्ती नियम पहले ही इस तरह तैयार किए गए हैं ताकि ऐसे अभ्यार्थियों का पता लगाया जा सके जिन्हें तनाव होने की आशंका है। अफसरों का चयन सेवा बोर्डों में किए गए व्यक्तिगत मूल्यांकन पर आधारित होता है जिसमें सामूहिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और साक्षात्कार शामिल होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में स्थिति जन्य प्रतिक्रिया परीक्षण, विषयक मूल्यांकन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण और आत्म-चित्रण परीक्षण शामिल हैं।

सेना में अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भर्ती के लिए रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान को अभ्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण की पद्धति विकसित करने के लिए लगाया गया है। नौसेना और वायुसेना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार सैनिकों के बीच तनाव की समस्या से अवगत है और इसकी रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) बेहतर मानव प्रबंधन और यूनिट स्तर पर शिकायतों का शीघ्र निवारण।

(ii) लीडरों तक अधिक पहुंच बनाने तथा जूनियर लीडरों का सैनिकों के साथ बारंबार पारस्परिक संपर्क।

(iii) सेना चिकित्सा कोर के कुछ जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के रुप में प्रशिक्षित करके उत्तरी और पूर्वी कमानों में तैनात किया गया है।

(iv) अधिक जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों और एन सी ओ को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि प्रत्येक यूनिट में दो परामर्शदाता उपलब्ध हों।

(v) योग और प्राणायाम सहित आराम देने की तकनीकों पर प्रशिक्षण कैपसूल शुरू किया गया है।

(vi) वार्षिक छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी को अलग-अलग करने की अनुमति देते हुए छुट्टी नीति को उदार बनाया गया है। सैनिक पहले की तरह वर्ष में दो की बजाय अब तीन बार छुट्टी लेकर अपने गृह नगर जा सकेंगे।

(vii) तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए यूनिटों और कार्मिकों की अदला-बदली करना।

(viii) सभी मुख्यमंत्रियों से सेवारत सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के प्रति सिविल प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाने का अनुरोध किया गया है।

(ix) यह निर्णय किया गया है कि सभी राज्यों में राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों को सुदृढ़ किया जाय ताकि वे सैनिकों के गृहनगरों/गांवों में उनकी शिकायतों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें।

(x) निशुल्क नंबर के साथ एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है।

(xi) रेजिमेंटल चिकित्सा अफसरों, जूनियर लीडरों और यूनिट कमांडरों द्वारा उन व्यक्तियों की पहचान करने और परामर्श देने के लिए व्यवस्था की गई है जो उच्चतर युद्धक तनाव में हैं।

(xii) फील्ड/प्रतिविद्रोहिता/आंतकवादरोधी संक्रियात्मक क्षेत्रों में सेवारत सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों को अपने घर अथवा परिवार के निवास के चुनिंदा स्थान पर जाने के लिए अतिरिक्त रेल वारंट प्रदान करना।

(xiii) फील्ड क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों के मामलों में परिवार के निवास के चुनिंदा स्थान की यात्रा के लिए भी गृह यात्रा रियायत का लाभ देते हुए अफसरों और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों, दोनों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी योजना को युक्तिसंगत बनाना और अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए 1450 किलोमीटर की अधिकतम सीमा का प्रतिबंध हटाना।

(xiv) अधिक कठिन, खतरनाक एकाकी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए मौजूदा उच्च तुंगता (प्रतिकूल जलवायु) वाले क्षेत्रों सहित बढ़ी हुई दरों पर उच्च तुंगता (प्रतिकूल जलवायु) भत्ता मंजूर करना।

भारतीय डाकघर अधिनियम का उल्लंघन

955. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किये गए हैं तथा अभी तक दर्ज किए गए मामले किस प्रकृति के हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय उद्यम संस्थान में व्यापारोन्मुखी पाठ्यक्रम

956. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी स्थित भारतीय उद्यम संस्थान में और अधिक व्यापारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) आईआईई, गुवाहाटी में व्यापारोन्मुखी पाठ्यक्रम मांग प्रेरित है और वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं के आधार पर हर वर्ष बदलते रहते हैं। 2006-07 के दौरान आईआईई, गुवाहाटी में संचालित ऐसे पाठयक्रमों का ब्योरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	श्रेणी	2006-07 के दौरान संचालित पाठयक्रम	
		कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
(i)	नए उद्यमियों का संवर्धन (पीएनई)	62	2950
(ii)	विद्यमान उद्यमियों का विकास (जीईई)	102	3794
(iii)	उद्यमिता के लिए वातावरण बनाना (सीईई)	16	392
(iv)	उद्यमिता शिक्षा (ईई)	32	1423
(v)	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	03	66
(vi)	संगोष्ठी/कार्यशाला	10	486
	कुल	225	9111

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में सुरंग का निर्माण

987. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले की मनाली तहसील के निकट रोहतांग दर्रे के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले तक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए बनाई जा रही सुरंग के निर्माण का कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस वर्ष के लिए कितने व्यय का प्रस्ताव है और आज की तिथि तक कितना व्यय हो चुका है तथा उक्त सुरंग के निर्माण पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) दारचा – पदम – निमू से होकर लेह तक संपर्क सड़कों तथा वैकल्पिक सड़क सहित रोहतांग में 8.82 कि.मी. सुरंग का निर्माण संबंधी प्रस्ताव सरकार द्वारा 6.9.2005 को अनुमोदित किया गया है। रोहतांग सुरंग के डिजाइन तथा निर्माण संबंधी सलाहकारी सेवा हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन ने अब उन फर्मों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है जिन्हें सुरंग के निर्माण हेतु निविदा कागजात जारी किय जाने हैं।

(ख) परियोजना के लिए अनुमोदित कुल 1355.82 करोड़ रुपए की लागत में से मार्च, 2007 तक 106.23 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान, 55.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) यह कार्य वर्ष 2013–14 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

रक्षा उपकरणों की खरीद

958. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका, रूस, फ्रांस, इजराइल और जर्मनी सहित अनेक देशों में भारत को हथियार और रक्षा प्रणाली देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ सरकार हथियार और रक्षा प्रणाली खरीदने के संबंध में बातचीत कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस वर्ष हथियारों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) हथियारों एवं रक्षा प्रणालियों सहित रक्षा मदों का अर्जन रक्षा अधिप्राप्त प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इन मदों की अधिप्रापित स्वदेशी स्रोतों के साथ–साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजरायल, जर्मनी सहित विदेशी स्रोतों से भी की जाती है। इन मदों से संबंधित ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

वर्ष 2007–08 के दौरान सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत शीर्ष के तहत लगभग 32610 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

डाक संग्रहण प्रणाली

959. श्री राजनरायण बुधौलिया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का डाक संग्रहण (स्पीड पोस्ट) प्रणाली पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) डाक विभाग, डाकियों एवं कलेक्शन एजेंटों की मार्फत, ग्राहकों के घरों से स्पीड पोस्ट मदों के एकत्रीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्हें कलेक्शन के लिए प्रोत्साहन/कमीशन दिया जाता है। स्पीड पोस्ट कलेक्शन सुविधा का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

भारत-जापान सैन्य सहयोग

960. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान के बीच हाल ही में किसी सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में डेयरी विकास के लिए धनराशि

961. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान डेयरी विकास के लिए राज्यवार विशेषकर उड़ीसा से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रस्तावों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों और इनके कारणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) सरकार डेयरी विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। उड़ीसा से प्राप्त प्रस्तावों सहित इन योजनाओं के तहत विगत दो वित्तीय वर्षों में प्राप्त प्रस्तावों और उन पर लिए गए निर्णय की राज्यवार सूची क्रमशः विवरण–I और II में दी गई है।

विवरण-I

गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित किए गए परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त परियोजना प्रस्ताव	लिया गया निर्णय
1	2	3	4
1.	बिहार	देश रत्न दुग्ध संघ, बरौनी	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गयी
2.	महाराष्ट्र	1 कजरत तालुका दुग्ध व्यावसायिक व प्रक्रिया मर्यादित	
		2 भंदरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ मर्यादित	
		3 गोडिया जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ	
		4 श्री वराना सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रक्रिया संघ	
		5 लातूर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	
		6 नागपुर जिला नूतन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	
		7 श्रीगोंडा तालुका सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	
		8 औरंगाबाद जिला सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित	
		9 हिंदुस्तान कृषि सहकारिता मर्यादित, तालुका राहुरी, (बहुराज्य	
		10 कोल्हापुरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ	
		11 पारनेर तालुका सहकारी दुग्ध उत्पादक व प्रक्रिया संघ, सूपा, तालुका पटोदा	राज्य सरकार को संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।
		12 श्री फट्टेसिंगाराव नायक सहकारी उत्पादक संघ, सिरला	
		13 हिरण्यकेशी–घाटप्रभा बहुउद्देशीय बहुराज्य सहकारिता संघ लिमिटेड	
		14 पटोदा तालुका दुग्ध व्यावसायिक सहकारी संघ लिमिटेड, तालुका पटोदा	
		15 सतारा सहकारी दुग्ध उत्पादक व प्रक्रिया संघ लिमिटेड	
		16. गोदावरी खोर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, कोपरगांव	
		17 समर्थ दुग्ध उत्पादक व पुरावथा संघ लिमिटेड, अहमदाबाद	
		18 मंजारा दुग्ध संकलन व प्रक्रिया संघ लिमिटेड, लातूर तालुका	
		19 मयूर सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड	
		20 वर्धा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	
		21 जलगांव जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ	

1	2	3		4
		22	अकोला जिला सहकारी दुग्ध संघ, अकोला	
		23	बीद जिला सहकारी दुग्ध संघ	
		24	भूम तालुका सहकारी दुग्ध संघ	
		25	राजाराम बापू पाटिल बलवा तालुका दुग्ध	स्वीकृत
		26	दुग्ध गंगा सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, इंदापुर	स्वीकृत
		27	फलटन तालुका सहकारी दुग्ध पुरावर्धा संघ	स्वीकृत
		28	शिवमदूत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	स्वीकृत
		29	हुतात्मा सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ	स्वीकृत
		30	बसंत दादा दुग्ध संघ	स्वीकृत
		31	बीथ तालुका सहकारी दुग्ध संघ	स्वीकृत
		32	अस्थि तालुका दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	स्वीकृत
		33	नेवासा तालुका दुग्ध व्यावसायिक संघ	स्वीकृत
		34	वृहदेश्वर दूध संघ	स्वीकृत
		35	तुलजाभवानी दुग्ध संघ	स्वीकृत
		36	पूणे जिलहा दुसुह संघ	स्वीकृत
		37	डॉ. लिम्बाजी मुक्ता राव पंसम्बल दूध संघ	स्वीकृत
3.	मध्य प्रदेश	1	इंदौर दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	उज्जैन दुग्ध संघ	स्वीकृत
		3	भोपाल दुग्ध संघ	स्वीकृत
		4	ग्वालियर दुग्ध संघ	
		5	जबलपुर दुग्ध संघ	
		6	भोपाल दुग्ध संघ	
		7	भोपाल दुग्ध संघ	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गयी है।
		8	भोपाल दुग्ध संघ	
		9	भोपाल दुग्ध संघ	
		10	भोपाल दुग्ध संघ	
		11	जबलपुर दुग्ध संघ	
		12	इंदौर दुग्ध संघ	
		13	उज्जैन दुग्ध संघ	

1	2		3	4
4.	उत्तर प्रदेश	1	रायबरेली दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	बदांयु दुग्ध संघ	स्वीकृत
		3	फतेहपुर दुग्ध संघ	स्वीकृत
		4	बुलंदशहर दुग्ध संघ	स्वीकृत
		5	अलीगढ़ दुग्ध संघ	स्वीकृत
		6	मुरादाबाद दुग्ध संघ	स्वीकृत
		7	मेरठ दुग्ध संघ	स्वीकृत
		8	माओ दुग्ध संघ	स्वीकृत
		9	पीसीबीएफ, नोएडा	स्वीकृत
		10	लखनऊ दुग्ध संघ	निर्माणाधीन
		11	कानपुर दुग्ध संघ	
		12	इलाहबाद दुग्ध संघ	
		13	फारुकाबाद दुग्ध संघ	
		14	आगरा दुग्ध संघ	
		15	मथुरा दुग्ध संघ	
		16	इटा दुग्ध संघ	
		17	श्रावस्ती दुग्ध संघ डीडी	
		18	रामपुर दुग्ध संघ डीडी	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गई है।
		19	बस्ती दुग्ध संघ डीडी	
		20	डीयूएसएस कानपुर	
		21	डीयूएसएस सीतापुर	
		22	डीयूएसएस हरदोई	
		23	डीयूएसएस बाराबंकी	
		24	डीयूएसएस बिजनौर	
		25	डीयूएसएस गोंडा डीडी	
		26	डीयूएसएस फैजाबाद डीडी	
5	गुजरात	1	सूरत दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	बड़ौदा दुग्ध संघ	स्वीकृत
		3	अहमदाबाद जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक परिसंघ लिमिटेड	स्वीकृत

1	2		3	4
		4	पंचमहल दुग्ध संघ	स्वीकृत
		5	मेहसाना जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक परिसंघ लिमिटेड	स्वीकृत
		6	बलसाड जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	स्वीकृत
		7	बनसकंठा जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	स्वीकृत
6	कर्नाटक	1	गुलबर्ग–बीदर दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	रायचूर–बेल्लारी, कोप्पल दुग्ध संघ	स्वीकृत
		3	सिमोंगा दुग्ध संघ	स्वीकृत
		4	धारवाड़ दुग्ध संघ	स्वीकृत
		5	मैसूर दुग्ध संघ	
		6	बंगलौर दुग्ध संघ	
		7	बेलगाम दुग्ध संघ	
		8	बीजापुर दुग्ध संघ	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गई है।
		9	दक्षिण कन्नड़ा दुग्ध संघ	
		10	हसन दुग्ध संघ	
		11	पोलर दुग्ध संघ	
		12	मण्डया दुग्ध संघ	
		13	टुंकुर दुग्ध संघ	
7	आंध्र प्रदेश	1	आंध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारिता परिसंघ लिमिटेड	स्वीकृत
		2	आंध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारिता परिसंघ लिमिटेड	स्वीकृत
		3	प्रकाशम जिला सहकारिता दुग्ध संघ	स्वीकृत
		4	करीमनगर दुग्ध संघ	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गई है।
		5	एपीडीडीसीएफ	
		6	एपीडीडीसीएफ	
8	पश्चिम बंगाल	1	द हिमालयन सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	स्वीकृत
		2	द मिदनापुर सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	स्वीकृत
		3	वर्धमान दुग्ध संघ	स्वीकृत
		4	कुलिक सहकारिता दुग्ध संघ लिमिटेड	स्वीकृत
		5	मयूराक्षी दुग्ध संघ	स्वीकृत
		6	कांछाबोती दुग्ध संघ	स्वीकृत

1	2		3	4
		7	इच्छामोती दुग्ध संघ	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गई है।
		8	भागीरथी दुग्ध संघ	
9	हरियाणा	1	अम्बाला दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	कुरुक्षेत्र–करनाल दुग्ध संघ	स्वीकृत
		3	अम्बाला दुग्ध संघ	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गई है।
		4	बल्लभगढ़ दुग्ध संघ	
		5	कुरुक्षेत्र–करनाल दुग्ध संघ	
		6	हिसार–जिंद दुग्ध संघ	
		7	सिरसा दुग्ध संघ	
		8	रोहतक दुग्ध संघ	
10	त्रिपुरा	1	त्रिपुरा सहकारी दुग्ध संघ	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गई है।
11	उड़ीसा	1	उड़ीसा राज्य दुग्ध उत्पादक परिसंघ	अस्वीकृत इसी जिले को आईडीडीपी योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।
		2	पुरी जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक परिसंघ लिमिटेड	अस्वीकृत 2050 लीटर प्रतिदिन दूध अभिप्राप्ति की तुलना में परियोजना क्षेत्र में पहले से ही 4000 लीटर प्रतिदिन थोक प्रशीतन क्षमता मौजूद है।
12	हिमाचल प्रदेश	1	हिमाचल प्रदेश दुग्ध परिसंघ	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गई है।
13	पाण्डिचेरी	1	पाण्डिचेरी सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	स्वीकृत
14	गोवा	1	गोवा राज्य सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ	स्वीकृत
15	मणिपुर	1	मणिपुर दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ लिमिटेड	स्वीकृत
16	असम	1	डेयरी विकास निदेशालय	स्वीकृत
17	तमिलनाडु	1	इरोड दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	कांचीपुरम–तिरूवल्लुर दुग्ध संघ	स्वीकृत
		3	नीलगिरि दुग्ध संघ	स्वीकृत
		4	मदुरै दुग्ध संघ	स्वीकृत
		5	डिंडीगुल दुग्ध संघ	स्वीकृत
18	केरल	1	एर्नाकुलम दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	एर्नाकुलम दुग्ध संघ	स्वीकृत
		3	तिरूवनंतपुरम दुग्ध संघ	स्वीकृत

1	2	3		4
		4	तिरूवंतपुरम दुग्ध संघ	स्वीकृत
		5	मालाबार दुग्ध संघ	स्वीकृत
		6	मालाबार दुग्ध संघ	स्वीकृत
		7	मालाबार दुग्ध संघ	स्वीकृत
		8	मालाबार दुग्ध संघ	स्वीकृत
		9	एर्नाकुलम दुग्ध संघ	स्वीकृत
		10	तिरूवनंतपुरम दुग्ध संघ	स्वीकृत
		11	तिरूवनंतपुरम दुग्ध संघ	स्वीकृत
19	राजस्थान	1	चुरू दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	अलवर दुग्ध संघ	स्वीकृत
		3	पाली दुग्ध संघ	स्वीकृत
20	पंजाब	1	लुधियाना दुग्ध संघ	स्वीकृत
		2	पटियाला दुग्ध संघ	स्वीकृत

विवरण-II

वर्ष 2004-05 तथा 2006-07 के दौरान डेयरी विकास के लिए विभिन्न राज्यों से (उड़ीसा सहित) प्राप्त परियोजना प्रस्ताव, उनकी वर्तमान स्थिति तथा भारत सरकार का निर्णय

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) :

क्र.स.	राज्य का नाम	शामिल किए गए जिलों का नाम	भारत सरकार का निर्णय/वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग और त्वांग	राज्य सरकार को परियोजना को समीक्षा करने के लिए कहा गया है।
2	आंध्र प्रदेश	मिदक और निजामाबाद	स्वीकृत परियोजना
3	आंध्र प्रदेश	आत्महत्या संभावित क्षेत्र/जिलों	स्वीकृत परियोजना
4	बिहार	औरंगाबाद और रोहतक	बिहार राज्य डेयरी परिसंघ को बेंचमार्क सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा गया है।
5	बिहार	नवादा और शेखपुरा	
6	बिहार	मुगेर और लखीसराय	
7	बिहार	बांका और जुमई	
8	बिहार	गोपालगंज, सवार और सिवान	
9	छत्तीसगढ़	कोरबा, जजगीर–चम्पा जगदीशपुर, कनकेर, दंतेवाड़ा, राजनंद गांव	परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया है। राज्य सरकार को इस परियोजना के क्रियान्वयन को आरंभ करने से पहले चालू परियोजना क्षेत्रों में दूध अधिप्राप्ति को प्रतिदिन 2000 लीटर से 10,000 लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए कहा गया है।

1	2	3	4
10	हरियाणा	झाझर, सोनीपत, रेवाड़ी, महिंद्रगढ़, भिवानी	स्वीकृत परियोजना
11	हरियाणा	फतेहाबाद	इसकी जांच की गयी थी तथा राज्य को टिप्पणी भेज दी गयी है।
12	हरियाणा	मेवात	इसकी जांच की गयी थी तथा राज्य को टिप्पणी भेज दी गयी है।
13	हरियाणा	कुरूक्षेत्र, करनाल और कैथल	स्वीकृत परियोजना
14	हरियाणा	पंचकुला	स्वीकृत परियोजना
15	झारखंड	रांची	स्वीकृत परियोजना
16	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, कंथुआ और डोडा	पीएससी द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया था और टिप्पणी राज्य सरकार को भेज दी गयी है।
17	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, लेह और कारगिल	राज्य सरकार को परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए सुझाव दिया गया है।
18	केरल	पतनामथिट्टा	स्वीकृत परियोजना
19	केरल	पालाकाड, मल्लापुरम, कोझीकोड वायानाड, कन्नूर और कसारागोड	स्वीकृत परियोजना
20	केरल	आत्महत्या संभावित क्षेत्र/जिला	स्वीकृत परियोजना
21	कर्नाटक	आत्महत्या संभावित क्षेत्र/जिला	स्वीकृत परियोजना
22	मध्य प्रदेश	झाबुआ	स्वीकृत परियोजना
23	मध्य प्रदेश	बालाघाट और छिंदवाड़ा	स्वीकृत परियोजना
24	मध्य प्रदेश	हरदा, भरवानी, नीमच, शिवपुर और सिवोनी	स्वीकृत परियोजना
25	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर और खंडवा	मध्य प्रदेश सहकारिता डेयरी परिसंघ को किसी नए प्रस्ताव पर विचार करने से पहले आठवीं योजना के दौरान स्वीकृत की गयी पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा गया है।
26	मध्य प्रदेश	रायसेन–विदिशा	मध्य प्रदेश सहकारिता डेयरी परिसंघ को किसी नए प्रस्ताव पर विचार करने से पहले आठवीं योजना के दौरान स्वीकृत की गयी पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा गया है।
27.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश सहकारिता डेयरी परिसंघ को विभाग की टिप्पणियों के आधार पर प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा गया है।

1	2	3	4
28	महाराष्ट्र	अमरावती, नांदेड, नंदूरबर, लातूर और नागपुर	स्वीकृत परियोजना
29	महाराष्ट्र	आत्महत्या संभावित क्षेत्र/जिला	स्वीकृत परियोजना
30	महाराष्ट्र	गोंडिया, बुलधाना, नासिक और सांगली	राज्य सरकार को विभाग की टिप्पणियों के आधार पर प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा गया है।
31	मणिपुर	पूर्वी इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल	स्वीकृत परियोजना
32	मिजोरम	चम्पई	स्वीकृत परियोजना
33	उड़ीसा	बालासोर, भद्रक और मयूरभंज (दोबारा शामिल किए गए जिले)	स्वीकृत परियोजना
34	उड़ीसा	बोलनगीर, कालाहांडी और नूआपारा (दोबारा शामिल किए गए जिले)	स्वीकृत परियोजना
35	उड़ीसा	जगतसिंहपुर, केंद्रपारा और नवागढ़	उड़ीसा दुग्ध परिसंघ (ओएमएफईडी) को किसी नए प्रस्ताव पर विचार करने से पहले नौंवी योजना के दौरान स्वीकृत की गयी पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा गया है।
36	राजस्थान	बरन	स्वीकृत परियोजना
37	राजस्थान	राजसमंद, चुरू और श्रीगंगानगर	स्वीकृत परियोजना
38	राजस्थान	सिरोही, टॉक और धौलपुर	राज्य सरकार से हाल ही में संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
39	तमिलनाडु	तिरूनेलवेल्ली और टुथुकुड़ी	स्वीकृत परियोजना
40	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	स्वीकृत परियोजना
41	तमिलनाडु	तंजावुर, थिरूवुरुड़ और नागापट्टनम	परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा 22.8.2007 को स्वीकृति के लिए इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।
42	तमिलनाडु	डिंडीगुल	राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें भेजने के लिए कहा गया है।
43	त्रिपुरा	पूर्वी त्रिपुरा (दोबारा शामिल किए गए जिले)	स्वीकृत परियोजना
44	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	राज्य सरकार को बेंचमार्क सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा गया है।
45	उत्तर प्रदेश	फरुखाबाद	राज्य सरकार को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव को संशाधित करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

पीडीएस के अंतर्गत मोटे अनाज और दालें

962. श्री एन. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं और चावल की तरह मोटे अनाजों और दालों को सरकारी खरीद के रुप में किसी भी प्रकार की विपणन सहायता नहीं मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इनके उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मोटे अनाजों एवं दालों के लिए विपणन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार मोटे अनाजों, दालों और खाद्य तेलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अधीन मोटे अनाजों की वसूली की जा रही है। दालों के मामले में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) जब कभी मूल्य न्यूतनम समर्थन मूल्य से नीचे चले जाते हैं तब मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन दालों की वसूली करता है।

(ग) और (घ) सरकार केन्द्रीय पूल में उपलब्धता पर निर्भर करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मोटे अनाजों का वितरण करने के इच्छुक राज्यों को पहले ही उनका आबंटन कर रही है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो राज्य सरकार और संघ राज्य राज्य क्षेत्र प्रशासन राशन कार्डधारकों को वितरण करने हेतु दालों और खाद्य तेलों का आयात करना चाहते हैं वे सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों तथा नेफेड की सेवाएं इस प्रयोजनार्थ ले सकते हैं। तद्नुसार राज्य सरकारों और नेफेड से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध प्राप्त होने पर दालों खाद्य तेलों के आयात को प्राथमिकता दें।

एफडीआई प्रस्ताव

963. श्री जोवाकिम बखला :
श्री हितेन बर्मन :

क्या **सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ख) इन प्रस्तावों में कुल कितनी निवेश राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) राज्य-वार और स्थान-वार इन निवेशों को किन-किन स्थानों पर किया जायेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) अगस्त 1991 से मई 2007 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में 792 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) इन प्रस्तावों में निवेश की कुल राशि 42,088 करोड़ रुपए है।

(ग) इन प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के लिए राज्य-वार ब्यौरे संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

एफआईपीबी द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए राज्य-वार ब्यौरे
(अगस्त 1991 से मई 2007 के दौरान)

दूरसंचार क्षेत्र

(मिलियन रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्तीय अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि (रुपए में)	(अमेरिकी डॉलर में)	कुल का %
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4	2,404.93	56.30	0.57
2.	बिहार	2	23.75	0.74	0.01
3.	गुजरात	8	4,364.07	96.75	1.04
4.	हरियाणा	16	1,455.78	33.67	0.35
5.	जम्मू और कश्मीर	1	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	40	7,680.80	192.57	1.82
7.	केरल	5	335.52	7.76	0.08

1	2	3	4	5	6
8.	मध्य प्रदेश	1	3.20	0.10	0.00
9.	महाराष्ट्र	132	17,417.54	412.33	4.14
10.	उड़ीसा	2	112.80	2.69	0.03
11.	पंजाब	7	1,699.80	48.48	0.40
12.	राजस्थान	3	598.00	14.99	0.14
13.	तमिलनाडु	58	13,935.62	371.18	3.31
14.	उत्तर प्रदेश	12	574.99	13.80	0.14
15.	पश्चिम बंगाल	22	5,616.99	145.81	1.33
16.	उत्तरांचल	1	735.00	23.41	0.17
17.	चंडीगढ़	3	645.49	16.34	0.15
18.	दिल्ली	202	164,751.77	4,694.30	39.14
19.	गोवा	5	551.96	14.03	0.13
20.	पांडिचेरी	1	2.45	0.05	0.00
21.	राज्य के नाम का उल्लेख नहीं किया गया	267	197,978.11	5,424.58	47.04
	कुल जोड़	792	420,888.58	11,569.88	

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण

964. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवगठित राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) में राज्यों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्राधिकरण कार्यकारी समिति में किसानों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) द्विस्तरीय संरचना के रूप में गठित की गई है। प्रथम स्तर शासी बोर्ड है जो वर्षासिंचित क्षेत्रों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आवश्यक नेतृत्व और उपयुक्त समन्वय प्रदान करेगा। शासी बोर्ड की अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि मंत्री जी और सह–अध्यक्षता केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा की जाती है। जल संसाधन और पर्यावरण एवं वन के केन्द्रीय मंत्री, सदस्य (कृषि) योजना आयोग, कृषि एवं सहकारिता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन, पंचायती राज मंत्रालयों/विभागों के सचिव, नाबार्ड के अध्यक्ष, एक किसान प्रतिनिधि/ संगठन और एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्य सदस्य हैं। द्वितीय स्तर कार्यकारी समिति है जिसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी कार्यकारी अधिकारी, एनआरएए द्वारा की जाती है। जल प्रबंधन, कृषि/बागवानी, पशुपालन एवं मात्स्यिकी, वानिकी और पनधारा प्रबंधन के क्षेत्रों में पांच प्रख्यात विशेषज्ञ, ग्रामीण विकास, कृषि पर्यावरण एवं वन, पंचायती राज और जल संसाधन मंत्रालयों में से एक–प्रतिनिधि, सलाहकार (कृषि) योजना आयोग, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के निदेशक, केन्द्रीय शुष्कभूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य हैं। कार्यकारी समिति में विषय–वस्तु विशेषज्ञों का प्रावधान है। तथापि राज्यों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि प्राधिकरण नीति निर्माता और तकनीकी जानकारी आधारित निकाय है तथा इसकी संरचना तदनुसार अभिकल्पित की गई है। तथापि संगत राज्यों को, जब कभी अपेक्षित हो, विशेष आमंत्रितों के रूप में एनआरएए की कार्यकारी समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा।

जहां तक कार्यकारी समिति में किसानों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, शासी बोर्ड स्तर पर किसानों के प्रतिनिधि का पहले से ही प्रावधान है तथा तदनुसार शासी बोर्ड में एक नामांकन भी किया गया है। प्राधिकरण के सभी नीतिगत निर्णय शासी बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं तथा कार्यकारी समिति मूल रूप में क्रियान्वयनकारी अंग है।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरभाष उन्नयन

965. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के ग्रामीण दूरभाष क्षेत्र में उन्नयन का कोई कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को क्या लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण टेलीफोन क्षेत्र में करवाए गए उन्नयनीकरण कार्य का ब्यौरा निम्नवत है:

(i) ग्रामीण इलाकों के स्वतंत्र छोटे एक्सचेंज, अतिरिक्त सेवाएं शामिल करने और अतिरिक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निम्न ब्यौरे के अनुसार एक्सेस नोड रूरल ऑटोमैटिक एक्सचेंज (एएनआरए एक्स) तथा रिमोट स्विचिंग यूनिट (आरएसयू) में परिवर्तित कर दिए गए हैं:

क्र.सं.	मद	2004-05	2005-06	2006-07	शेष
1.	सी–डॉट आरएएक्स की एएनआरएएक्स में परिवर्तन	888	860	0 (क्योंकि सभी आरएएक्स परिवर्तित कर दिए गए हैं)	
2.	एसबीएम का आरएसयू में परिवर्तन	49	13	0 (क्योंकि सभी आरएएक्स परिवर्तित कर दिए गए हैं)	
3.	एमएआरआर पर आधारित वीपीटी का अन्य प्रौद्योगिकी (डब्ल्यूएलएल/ लैंडलाइन) में परिवर्तन	562	402	309	112

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में, टेलीफोन सेवा अतिरिक्त क्षेत्रों तक उपलब्ध कराने के लिए, नए तारलाइन आधारित टेलीफोन एक्सचेंज, वायरलेस–इन–लोकल–लूप (डब्ल्यूएलएल) तथा बेसिक ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) तथा मोबाइल बीटीएस भी खोले गए हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए डब्ल्यूएलएल बीटीएस	मोबाइल बीटीएस
2004-05	2	12 (कोर–डेक्ट)	0
2005-06	0	45 (सीडीएमए)	747
2006-07	3	143 (सीडीएमए)	0
कुल	5	200	747

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को हो सकने वाले संभावित लाभ इस प्रकार हैं:–

(i) लैंडलाइन पर कालर आईडेंटिफिकेशन प्रोटोकोल (क्लिप) सुविधा की उपलब्धता।

(ii) मोबाइल स्विचिंग सेंटर आधारित डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शनों पर लघु संदेश सेवा (एसएमएस) की सुविधा और इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता।

(iii) पिछले दो वर्षों के दौरान स्थापित 188 कोड डिविजन मल्टिप्लैक्स एक्सेस (सीडीएमए) डब्ल्यूएलएल बीटीएस से गुजरात के सुदूर अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की उपलब्धता।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले किसान

966. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

किसानों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों के लिए क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना–वार राज्यवार सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, 2003 के दौरान किसान परिवारों से संबंधित 30.53 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यह अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा कराए गए "किसानों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण" के परिणामों पर आधारित है।

(ग) से (ङ) बहुत सी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें जैसे कृषि का सूक्ष्म प्रबंधन, तिलहनों, दालों, पाम तेल तथा मक्का की एकीकृत योजना, कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड, देश में किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। ये स्कीमें कृषि आय को बढ़ाती हैं तथा इनके द्वारा किसानों, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, की बेहतरी के लिए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्ग्रत जारी किए गए कोषों के राज्यवार विवरण संबंधित विवरणी में दिए गए हैं। ये सरकार राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती हैं जो लाभार्थियों की सूची बनाती है।

विवरण

कृषि के वृहद् प्रबंधन योजना के अंतर्गत जारी राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (30.6.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	4702.31	7707.69	2541.54	2600.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1214.15	1420.00	2200.00	1325.00
3	असम	1661.93	860.00	1000.00	0.00
4	बिहार	1786.51	850.00	1564.37	1200.00
5	झारखंड	2458.75	906.00	830.00	850.00
6	गोवा	280.53	332.59	385.77	150.00
7	गुजरात	5305.61	4850.00	2330.84	2175.00
8	हरियाणा	1813.68	1460.00	2700.00	1125.00
9	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1700.00	2770.59	1150.00
10	जम्मू और कश्मीर	2285.38	2250.00	3351.50	0.00
11	कर्नाटक	11872.44	4702.58	5214.24	3505.00
12	केरल	4583.19	5950.00	1350.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	7224.76	2550.00	3963.00	3250.00
14	छत्तीसगढ़	5359.23	2775.00	1129.76	1175.00

1	2	3	4	5	6
15	महाराष्ट्र	17225.59	10328.01	11751.30	6225.00
16	मणिपुर	1146.16	1785.40	2200.00	1325.00
17	मिजोरम	1821.64	1950.00	2300.00	1500.00
18	मेघालय	1223.18	800.00	900.00	925.00
19	नागालैण्ड	1768.00	1800.00	2221.04	1500.00
20	उड़ीसा	4036.54	2300.00	3550.00	1650.00
21	पंजाब	996.54	0.00	426.00	650.00
22	राजस्थान	11955.30	6255.00	8212.55	4300.00
23	सिक्किम	861.80	1422.00	2000.00	1200.00
24	तमिलनाडु	5137.01	3670.00	6337.70	2725.00
25	त्रिपुरा	1699.91	1861.56	2000.00	1200.00
26	उत्तर प्रदेश	8888.67	7423.23	5668.14	4050.00
27	उत्तराखण्ड	2361.06	1787.87	3144.37	1325.00
28	पश्चिम बंगाल	3152.65	2500.00	3190.00	1750.00

तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम के अंतर्गत जारी राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (30.6.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	3559.97	4816.50	4542.00	232.90
2	असम	4.00	3.00	0.00	0.00
3	बिहार	145.00	245.00	385.00	187.30
4	गोवा	10.00	16.50	0.00	0.00
5	गुजरात	1883.00	1850.00	975.00	82.18
6	हरियाणा	497.00	434.00	411.00	250.00
7	हिमाचल प्रदेश	40.00	75.50	75.00	50.00
8	जम्मू और कश्मीर	85.00	142.50	0.00	0.00
9	कर्नाटक	2155.00	1800.00	2700.00	801.33
10	केरल	5.00	7.50	15.00	0.00

1	2	3	4	5	6
11	मध्य प्रदेश	2925.00	2400.00	3750.00	900.00
12	छत्तीसगढ़	625.00	400.00	675.00	104.70
13	महाराष्ट्र	1040.00	2739.00	925.00	431.78
14	मिजोरम	107.00	90.00	102.87	75.00
15	उड़ीसा	455.00	500.00	525.00	250.00
16	पंजाब	52.50	87.50	0.00	0.00
17	राजस्थान	2000.00	2840.00	2934.50	700.00
18	तमिलनाडु	990.00	1245.00	1345.00	500.00
19	त्रिपुरा	5.00	7.00	0.00	500.00
20	उत्तर प्रदेश	785.00	1065.00	1115.00	650.00
21	पश्चिम बंगाल	260.00	450.00	674.50	300.00

कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत जारी राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (30.6.2007 तक)
1	आंध्र प्रदेश	571.16	570.52	1227.91	387.97
2	गुजरात	773.04	812.42	1095.11	482.18
3	हरियाणा	112.50	270.43	223.17	62.26
4	कर्नाटक	478.58	500.00	438.62	145.03
5	मध्य प्रदेश	483.28	302.35	377.70	178.38
6	महाराष्ट्र	771.44	763.00	989.93	634.82
7	उड़ीसा	40.00	78.97	120.41	58.84
8	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
9	राजस्थान	231.25	392.87	548.11	0.00
10	तमिलनाडु	342.94	338.45	290.54	144.00
11	त्रिपुरा	22.00	15.00	32.00	0.00
12	उत्तर प्रदेश	40.00	35.00	40.00	0.00
13	पश्चिम बंगाल	38.59	92.77	40.00	0.00

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जारी राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08 (तक 30.6.2007)
1	आंध्र प्रदेश	4420.96	7500.00	179.88
2	बिहार	3100.00	3500.00	269.72
3	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00	0.00
4	गुजरात	3239.28	2577.03	1596.00
5	गोवा	315.20	200.00	0.00
6	हरियाणा	1050.00	3480.00	2238.33
7	झारखण्ड	3030.00	4000.00	0.00
8	कर्नाटक	4455.17	8448.25	492.64
9	केरल	3533.98	7959.53	467.73
10	मध्य प्रदेश	2839.77	4291.75	327.83
11	महाराष्ट्र	8260.28	14492.65	490.49
12	उड़ीसा	3611.91	4450.00	77.41
13	पंजाब	2868.82	1150.00	80.00
14	राजस्थान	2259.57	3837.93	2204.95
15	तमिलनाडु	3891.67	6450.00	5076.00
16	उत्तर प्रदेश	5340.25	1500.00	90.84
17	पश्चिम बंगाल	4035.31	4600.00	192.00

राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत जारी राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (30.6.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1	अरूणाचल प्रदेश	1645.55	1300.00	1612.90	625.00
2	असम	871.00	1300.00	1400.00	550.00
3	मणिपुर	1286.25	1500.00	1700.00	475.00
4	मिजोरम	1801.10	1800.00	3200.00	625.00

1	2	3	4	5	6
5	मेघालय	1395.99	1700.00	2000.00	575.00
6	नागालैंड	1875.00	1700.00	2356.00	625.00
7	सिक्किम	1150.00	1800.00	2331.00	700.00
8	त्रिपुरा	1111.30	1500.00	1400.00	0.00
9	उत्तराखण्ड	975.00	1100.00	4000.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	1300.00	1100.00	4000.00	600.00
11	जम्मू और कश्मीर	1233.00	1550.00	2933.00	600.00

[अनुवाद]

बीएसएनएल की सेवाओं में बाधा

967. श्री सुव्रत बोस : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरभाष केंद्रों में दूरभाष लाइनों को चलाये रखने के लिए विद्युत आपूर्ति में कमी की वजह से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की सेवाएं देश के विभिन्न हिस्सों में बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. द्वारा इन समस्याओं का सामना किया जा रहा है;

(ग) क्या बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) बीएसएनएल के विशेष रूप से बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर-II, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे कुछ दूरसंचार सर्किलों में स्थित ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति न होने की विकट समस्या है। यद्यपि इंजन अल्टरनेटर और बैटरी बैक-अप चलाकर सेवाएं जारी रखी जाती हैं तथापि अपर्याप्त वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति के कारण कभी-कभी ये सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते।

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जहां बीएसएनएल द्वारा इस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा रहा है:

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल	क्षेत्र	विद्युत समस्याग्रस्त एक्सचेंजों की संख्या
1.	बिहार	सम्पूर्ण जिले में व्याप्त	900
2.	उड़ीसा	क्योंझार	02
		भवानीपटना	15
3.	झारखण्ड	जमशेदपुर	56
4.	जम्मू और कश्मीर	लेह तथा श्रीनगर	44
5.	पूर्वोत्तर-II	नागालैंड	06
		अरुणाचल प्रदेश	49
		मणिपुर	20
6.	कर्नाटक	हासन तथा शिमोगा	71
7.	पंजाब	संगरुर	07
8.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, भांडरा, जालना, रायगढ़, सांगली और यवतमाल	104

(ग) जी, हां।

(घ) बीएसएनएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं जैसे:–

1. पर्याप्त क्षमता वाली बैंक अप बैटरियों की व्यवस्था;
2. अधिकाधिक स्थानों में सौर ऊर्जा पैनलों की व्यवस्था;
3. पर्याप्त क्षमता के डीजल जनरेटर/इंजन अल्टरनेटरों की व्यवस्था;
4. बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंजों को पर्याप्त वाणिज्यिक विद्युत की आपूर्ति में उचित प्राथमिकता देने के लिए राज्य विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंध तंत्रों और राज्य सरकार के साथ मामला उठाना।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए धनराशि

968. श्री अनवर हुसैन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006–07 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कुल आबंटन का योजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन धनराशियों का कितना उपयोग किया गया; और

(ग) पूर्ण आबंटन को पूरी तरह से उपयोग न करने के क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2006–07 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए 48.57 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। इसमें से 35.88 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। आबंटन एवं उपयोग का स्कीमवार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष 2006–07 के दौरान आबंटित निधि	वर्ष 2006–07 के दौरान उपयोग की राशि
1.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड की जारी स्कीमें	28.12	19.57
2.	पगलादिया बांध परियोजना का निर्माण	5.00	2.07
3.	असम में माजुली द्वीप के लिए नई स्कीम, देवांग परियोजना आदि	14.45	13.10
4.	गंभीर बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव रोधी स्कीम धोला हाथीधुला चरण–III में ब्रह्मपुत्र का विदारण	1.00	1.14
	कुल	48.57	35.88

(ग) वर्ष 2006–2007 के बजट में उपलब्ध कराई गई निधि के उपयोग में कमी 7 (सात) जल निकासी विकास स्कीमों के संबंध में भूमि अधिग्रहण की समस्या, माजुली द्वीप के सुरक्षा कार्यों के निष्पादन के लिए निर्माण वस्तुओं के उपलब्ध न होने तथा संचार व्यवस्था की बाधाओं के कारण हुई।

जैव संवर्धित बीजों का क्षेत्रीय परीक्षण

969. श्री के. एस. राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अनुमोदित बीटी पैडि और बीटी ओकारा के जैव संवर्धित बीजों के क्षेत्रीय परीक्षण पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई जांच समिति की रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं;

(ख) स्थिति को सुधारने और अनिवार्य जरुरतों का उल्लंघन करके और जैव–प्रौद्योगिकीय प्रदूषण उत्पन्न करके तथा फसलों को नुकसान पहुंचाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से क्षेत्रीय परीक्षण करने वाली निजी कंपनियों को अनुशासित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आईसीएआर के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और जवाबदेही के अंतर्गत जैव संवर्धित बीटी फसलों के बीजों के विकास और क्षेत्रीय परीक्षण के काम में लगी हुई सभी कंपनियों या संस्थानों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) विभिन्न फसलों के अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के खेत परीक्षण करने के लिए मंजूरीदाता प्राधिकरण नहीं है।

(ख) से (घ) बीटी फसलों के आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के विकास और खेत परीक्षणों में लगी सभी निजी कम्पनियों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की नियमावली, 1989 के प्रावधानों के तहत जैवसुरक्षा दिशानिर्देशों और संस्थागत मकेनिज्म का पालन करने की हिदायतें दी गई हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जो कोई इनका पालन नहीं करता है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन या इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों का पालन नहीं करता है उस पर एक लाख रुपए के जुर्माने सहित पांच वर्ष तक कारावास के दण्ड का प्रावधान है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य विनियामक प्राधिकरण

970. श्री नवीन जिन्दल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2007 में दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई खाद्य विनियामक प्राधिकरण (एफआरए) स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निजी मोबाइल उपभोक्ताओं को अनुमति

971. श्री प्रहलाद जोशी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी मोबाइल उपभोक्ताओं को अपने नेटवर्क पर रोमिंग की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में राजस्व की कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) अभिगम सेवाओं के लाइसेंस करारों के प्रावधानों के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) सहित सभी लाइसेंस–धारक, उपभोक्ता को रोमिंग सुविधा प्रदान करने हेतु दूसरे सेवा प्रदाताओं के साथ करार के लिए स्वतंत्र है।

(ख) सरकार, संबंधित लाइसेंस करार के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा चुकाए गए लाइसेंस शुल्क के माध्यम से राजस्व प्राप्त करती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एक समान बिलिंग प्रपत्र

972. श्री हितेन बर्मन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग का विचार राज्य के स्वामित्व वाले तथा निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान बिलिंग प्रपत्र को शुरू करने तथा उसे लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 4 मई, 2007 को जारी एक निदेश द्वारा सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया है कि नीचे उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को 1 अगसत, 2007 को और उसके बाद जारी किए जाने वाले बिलों में शामिल किया जाए ताकि बिलिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके:

(i) लागू प्रशुल्क योजना का नाम

(ii) टैलीफोन बिलों में उल्लिखित राशि के परिकलन हेतु प्रयुक्त विधि, पल्स दरों और शुल्कों का ब्यौरा जिसमें विशेषकर स्थानीय, उपभोक्ता ट्रक डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता, ट्रक डायलिंग शॉर्ट मैसेज सर्विस (जिनका टेलीफोन बिलों में क्रमशः एसटीडी, आईएसडी और एसएमएस के रूप में उल्लेख किया जाता है) प्रभारों और मासिक स्थिर प्रभारों का उल्लेख होगा।

(iii) लागू क्रेडिट सीमा;

(iv) ग्राहक द्वारा जमा की गई जमानत जमाराशि को पहले बिल में अलग से दर्शाया जाए और जब कभी उसे समायोजित किया जाए तो उसका परवर्ती बिल में उल्लेख किया जाए;

(v) टेलीफोन बिलों के भुगतान का तरीका और प्रक्रिया;

(vi) जन शिकायत तंत्र ढांचे का ब्यौरा;

(vii) बिलिंग पता में परिवर्तन के संबंध में सूचना दिए जाने की प्रणाली;

(viii) विलंबित भुगतान प्रभारों का ब्यौरा;

(ix) किए गए पिछले भुगतान की पावती संबंधी सूचना; और

(x) ग्राहक सूचना बॉक्स।

लघु और मध्यम उद्यमों की विकास दर में वृद्धि

973. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएमईएस) के विकास में सहायता हेतु नई परियोजनाएं शुरू करने का है ताकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन में वृद्धि की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्ष–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार ने क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ाने हेतु देश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के विकास में मदद करने के लिए बहुत उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन, फरवरी/मार्च 2007 में सूक्ष्म और लघ उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज की घोषणा, अगस्त 2005 में एसएमई को ऋण बढ़ाने हेतु पैकेज की घोषणा, राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम की घोषणा, आदि शामिल है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और आबंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

स्वच्छ जल

974. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राकृतिक संसाधन में कितने प्रतिशत स्वच्छ जल है;

(ख) देश में कुल कितना स्वच्छ जल उपलब्ध है;

(ग) क्या कृषि सिंचाई के लिए स्वच्छ जल उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) विश्व के स्वच्छ जल का आकलन यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय जलविज्ञान कार्यक्रम (आई एच पी) के अंतर्गत किया जाता है। 'विश्व जल संसाधन' मोनोग्राफ के सारांश के अनुसार विश्व के जल संसाधन का 97.5% लवणीय है मात्र 2.5% स्वच्छ जल है। इस स्वच्छ जल का अधिकांश भाग (68.9%) अंटार्कटिक, आर्कटिक और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में और स्थाई हिम से ढका हुआ है। शेष 29.9% स्वच्छ भूजल के रूप में विद्यमान है और 0.9% में मृदा नमी, दलदल जल और परमाफ्रास्ट शामिल है। पृथ्वी पर कुल स्वच्छ जल का मात्र 0.3% झील, जलाशयों और नदी प्रणालियों में सान्द्रित है जहां से वह हमारी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए सहजता से प्राप्य है और जल पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत के संदर्भ में औसत वार्षिक वर्षा का आकलन 4000 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) के रूप में किया गया है। वाष्पीकरण आदि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बाद देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता का आकलन 1869 बी सी एम के रूप में किया गया है।

(ग) और (घ) स्वच्छ जल साधारणतः कृषि उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होता है। तथापि, विभिन्न स्थानों पर स्वच्छ जल की गुणवत्ता देखने पर पाया गया कि इसमें कुछ अंतर होता है और फसल एवं सिंचाई आयोजना के समय इस पर आवश्यक ध्यान दिया जाता है।

सैनिक स्कूल

975. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य–वार कितने सैनिक स्कूल काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में कुछ सैनिक स्कूल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) देश में 21 सैनिक स्कूल हैं। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सैनिक स्कूल राज्य सरकार के इस विशिष्ट अनुरोध पर स्थापित किए जाते हैं कि वह मूलभूत संरचना, उपकरण और सुविधाओं के सृजन और अनुसरण के लिए भूमि और निधि उपलब्ध कराने के अलावा राज्यों के कैडेटों के वास्ते छात्रवृत्ति देने के लिए सहमत है। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से राज्य में दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने के लिए इस प्रकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. सैनिक स्कूल, कोलकोंडा, आंध्र प्रदेश
2. सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा, असम
3. सैनिक स्कूल, नालंदा, बिहार

4. सैनिक स्कूल, गोपालगंज, बिहार
5. सैनिक स्कूल, बालाचड़ी, गुजरात
6. सैनिक स्कूल, सुजानपुर तिरा, हिमाचल प्रदेश
7. सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, हरियाणा
8. सैनिक स्कूल, तिलैया, झारखंड
9. सैनिक स्कूल, नगरोटा, जम्मू और कश्मीर
10. सैनिक स्कूल, बीजापुर, कर्नाटक
11. सैनिक स्कूल, कझाकूटम, केरल
12. सैनिक स्कूल, सतारा, महाराष्ट्र
13. सैनिक स्कूल, इम्फाल, मणिपुर
14. सैनिक स्कूल, रीवा, मध्य प्रदेश
15. सैनिक स्कूल, पुंगलवा, नागालैंड
16. सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर, उड़ीसा
17. सैनिक स्कूल, कपूरथला, पंजाब
18. सैनिक स्कूल, चितौड़गढ़, राजस्थान
19. सैनिक स्कूल, अमरावतीनगर, तमिलनाडु
20. सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, उत्तराखंड
21. सैनिक स्कूल, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल

श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग समझौता

976. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रीलंका के साथ एक सहयोग समझौता हेतु पहल कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) श्रीलंका के साथ कोई रक्षा सहयोग करार नहीं है। किसी देश के साथ रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने के बारे में निर्णय भारत की सामरिक और सुरक्षा संबंधी आकलनों के आधार पर किया जाता है।

अनुबंध श्रमिकों हेतु कर्मचारी संघ

977. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1000 अनुबंध श्रमिक से अधिक को रोजगार देने वाली विनिर्माण इकाइयों के लिए कर्मचारी संघ की स्थापना को अनिवार्य बनाने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित और अनुबंध श्रमिकों को रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए भी उक्त अनिवार्य प्रावधान बाध्यकारी बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

निजी कंपनियों द्वारा खाद्यान्न की खरीद

978. श्री सुभाष महरिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी कंपनियों ने सरकार द्वारा खरीद के लिए निर्धारित मूल्यों से काफी अधिक मूल्यों पर किसानों से सीधे खाद्यान्न की खरीद करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निजी कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली दरें और सरकार द्वारा निर्धारित दरें खाद्यान्न-वार कितनी हैं;

(ग) घरेलू बाजार में विभिन्न खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा मूल्य पर निजी खरीद का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या देश में खाद्यान्नों, दालों तथा चीनी के उत्पादन में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार एक नई व्यापक खाद्यान्न नीति लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) खरीफ विपणन मौसम 2006-07 और रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य विवरण में दिए गए हैं। प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा और उनके द्वारा भुगतान की गई दरों के बारे में आंकड़े इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाफ की घोषणा) आदेश 2007 के अधीन दर्ज अद्यतन रिटर्नों (10.8.2007 तक) के अनुसार जिन प्राइवेट कम्पनियों ने 50,000 टन से अधिक गेहूं खरीदा है उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार रबी विपणन मौसम 2007-08 में उन्होंने 18.89 लाख टन गेहूं खरीदा है।

(ग) इस वर्ष में अब तक प्राइवेट वसूली का घरेलू बाजार में विभिन्न खाद्यान्नों की उपलब्धता और मूल्यों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) और (ङ) उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई, 2007 को हुई बैठक में एक संकल्प अपनाया कि 2011 तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10 मिलियन टन 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन बढ़ाया जाए। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जरिए राष्ट्रीय विकास परिषद के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 2006–07 और रबी विपणन मौसम 2007–08 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिए गए हैं

विपणन मौसम	जिन्स	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
खरीफ विपणन मौसम 2006-07	धान	साधारण	580*
		ग्रेड ए	610*
	संकर ज्वार	–	540
	मालदंडी		555
	बाजरा		540
	मक्का		540
	रागी		540
	तूर (अरहर)		1410
	मूंग		1520
	उड़द		1520
रबी विपणन मौसम 2007-08	गेहूं		750#
	जौ		565
	चना		1445
	मसूर (लेन्टिल)		1545

*धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 40 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस दिया गया है।

#गेहूं के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस दिया गया है।

[हिन्दी]

सब्जियों के मूल्य में वृद्धि

979. श्री. मुनव्वर हसन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान देश में विशेषकर दिल्ली में सब्जियों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सब्जियों के बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) 2007 के अंतिम 6 महीनों के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख सब्जियों नामतः प्याज, टमाटर तथा आलू के साप्ताहिक थोक माडल मूल्य रुपए में प्रति क्विंटल नीचे दिए गए हैं:–

2007 के अंतिम 6 महीनों के दौरान प्रमुख सब्जियों के साप्ताहिक थोक माडल मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

माह	सप्ताह	प्याज	टमाटर	आलू
1	2	3	4	5
फरवरी 2007	प्रथम सप्ताह	1251	749	482
	दूसरा सप्ताह	1166	584	455
	तीसरा सप्ताह	1068	600	535
	चौथा सप्ताह	797	673	549
मार्च 2007	प्रथम सप्ताह	841	560	582
	दूसरा सप्ताह	830	503	641
	तीसरा सप्ताह	776	476	642
	चौथा सप्ताह	711	527	607
अप्रैल 2007	प्रथम सप्ताह	713	419	615
	दूसरा सप्ताह	653	433	729
	तीसरा सप्ताह	594	458	720
	चौथा सप्ताह	585	447	741
मई 2007	प्रथम सप्ताह	649	464	752
	दूसरा सप्ताह	655	496	736
	तीसरा सप्ताह	604	571	830
	चौथा सप्ताह	671	621	770
जून 2007	प्रथम सप्ताह	781	788	834
	दूसरा सप्ताह	855	823	831
	तीसरा सप्ताह	939	1067	876
	चौथा सप्ताह	971	1418	909

1	2	3	4	5
जुलाई 2007	प्रथम सप्ताह	989	1598	885
	दूसरा सप्ताह	987	1070	918
	तीसरा सप्ताह	1054	1003	933
	चौथा सप्ताह	980	1066	902
अगस्त, 2007		940	1124	997

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि फरवरी, 2007 के प्रथम सप्ताह में प्याज का मूल्य 1251 रुपए प्रति क्विंटल था तथा यह अगस्त, 2007 के प्रथम सप्ताह में 940 रुपए प्रति क्विंटल (नवीनतम उपलब्धि) रहा। इस अवधि के दौरान टमाटर तथा आलू के मूल्यों में क्रमशः 749 रुपए से बढ़कर 1124 रुपए प्रति क्विंटल तथा 482 रुपए से बढ़कर 997 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तथापि उपलब्धता के आधार पर आवर्तक उतार–चढ़ाव रहे।

दिल्ली में, फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्याज के मूल्यों में 1300 रुपए प्रति क्विंटल से गिरावट आकर अगस्त के प्रथम सप्ताह में 1100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तथापि इसी अवधि के दौरान टमाटर के मूल्य 1000 रुपए से 1500 रुपए तथा आलू के लिए 450 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए प्रति क्विंटल हो गए।

(ख) कम विपणन आगमन, अपर्याप्त उत्पादन मौसम तथा अधिक मांग सब्जियों में हुई हाल ही में वृद्धि के लिए कुछ एक कारण हैं। सब्जियों के मूल्यों तथा विपणन आगमनों का नियमित तौर पर मानीटर किया जाता है।

[अनुवाद]

सेना के लिए खाद्य सामग्री का घटिया स्तर

980. श्री जसुभाई धालाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में भारतीय सेना को अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है जैसाकि दिनांक 9 अगस्त, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेना को स्तरीय खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सेना के लिए स्थानीय खरीद की विद्यमान प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ङ) भारतीय सेना को आपूर्ति की जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार है। गुणवत्ता पर नियंत्रण सम्मिश्रित खाद्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जाता है जो यह सुनिश्चित करती है कि सही विनिर्देशों का राशन ही सैनिकों के उपभोग के लिए स्वीकार किया जाता है। राशन की मात्रा, विनिर्देश और किस्में संस्थागत फीडबैक तंत्र पर आधारित एक सतत् प्रक्रिया है। चावल, दालों और चाय जैसे विभिन्न राशनों के विनिर्देशों का दर्जा हाल ही में बढ़ाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेनाओं को बेहतर स्तर पर राशन मिले। दुर्गम क्षेत्रों में जहां ताजे दूध, की आपूर्ति कराना संभव नहीं है, सैनिकों की संतुष्टि के लिए टैट्रा पैक दूध का प्रावधान किया जाता है। अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को उसकी जरूरत के आधार पर समय–समय पर सुव्यवस्थित किया जाता है। तथापि, इस समय स्थानीय खरीद व्यवस्था में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आम तथा सेब के उत्पादन को बढ़ावा देना

981. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा आम तथा सेब जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए चलाए गए प्रोत्साहन अभियानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसी तर्ज पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों यथा अदरक, अनानास, संतरा तथा अन्य आर्गेनिक उत्पादों के लिए प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्गेनिक कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए किसी व्यापार प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने की योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सृजित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि एवं विभाग बागवानी के विकास के लिए जिसमें, आम, सेब, अन्ननास, संतरा, अदरक के विभिन्न उत्पादों तथा अन्य आर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देना शामिल है, से संबंधित विभिन्न मुद्दों का

समाधान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में समेकित बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करता आ रहा है। प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन–IV, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यमान प्रसंस्करण यूनिटों के उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रुपये की दर पर और नई प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए 4.00 करोड़ रुपये तक सीमित परियोजना की लागत की 50 प्रतिशत की दर पर सहायता मुहैया कराई जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित प्रसंस्करण यूनिटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्गेनिक फार्म उत्पादों के संवर्धन हेतु व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव कृषि मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेड़ा) ने चार कृषि निर्यात अंचलों (एईजे) की स्थापना की है जिनके नाम हैं (i) त्रिपुरा में आर्गेनिक अन्ननास हेतु एईजेड, (ii) असम में ताजे एवं प्रसंस्कृत अदरक हेतु एईजेड, (iii) पुष्पों (आर्किड) और चेरी पेप्पर हेतु एईजेड, (iv) सिक्किम में अदरक हेतु एईजेड। अपेड़ा अदरक के निर्यात हेतु गुवाहाटी, असम में पैक हाउस की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई पत्तनों से शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधा के विकास की स्कीम के अधीन चार वाक इन टाईप कोल्ड रूम्स तथा एक पेरिशेबल कार्गो केन्द्र की स्थापना भी कर रहा है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन–IV के अधीन स्थापित प्रसंस्करण यूनिटों की सूची

क्र. सं.	प्रसंस्करण यूनिटें	निर्मुक्त राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	जे. जी. स्पाइस लि. द्वारा बिरनीहट, मेघालय में स्पाइस आयल एंड ओलेओरेसिन यूनिट की स्थापना	75,000
2.	बरनीहट, मेघालय में अदरक प्रसंस्करण यूनिट– एनईआरएएमए जेड़	46,000
3.	मनसान फ्रूट प्रोडक्ट द्वारा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट, एजवाल	16,606
4.	अपग्रेडेशन फ्रूट जूस सेन्टर प्लांट छिंगछिप, एमआईएफसीओ, मेघालय	100.00
5.	अपग्रेडेशन आफ फूड प्रोसेसिंग प्लांट सेरांग, मिजोरम–मिजोरम फूड एंड अलायड इंट स्ट्री कार्पोरेशन लि. (एफआईएफसीओ), एजवाल	35.15
6.	स्वैच्छिक सेवा केन्द्र द्वारा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट, वंगोई, मणिपुर की स्थापना	16.61
7.	यूनाईटेड डवलपमेंट एजेंसी द्वारा अदरक प्रसंस्करण यूनिट, इम्फाल – पूर्वी जिला, मणिपुर की स्थापना	8.06
8.	फल प्रसंस्करण हेतु फसल कटाई पश्चात अवसंरचना एवं शीत श्रृंखला – कम्यूनिटी डवलपमेंट सोसायटी, इम्फाल	19.50
9.	गुड समारितन सोसल सर्विस एसोसिएशन, पुनाना मेई, माओ, सेनापति	253.919
10.	किशले स्नैक प्रोडक्ट गुवाहाटी, असम द्वारा आलू आधारित प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	400.00
11.	ग्रामीण महिला विकास केन्द्र, असम द्वारा फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	2.922
12.	चांगकी आर्गेनिक बायोटेक पार्क, नागालैण्ड द्वारा उच्च मूल्य वर्धन के लिए जैविक रूप से उत्पादित बागवानी जड़ी–बूटी और औषधीय उत्पादों का कटाई पश्चात प्रसंस्करण	41.455
13.	एसोसिएशन आफ एक्सटेंसिव ग्रोवर्स इनोवेटिव सर्विसिज (ईजीआईएम) मणिपुरी द्वारा अन्नानास प्रसंस्करण यूनिट	28.09
14.	मैसर्स संस्कार रैसिपीस प्राईवेट लिमिटेड, असम की प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नामतः फल के आचार आदि का विनिर्माण करने के लिए यूनिट की स्थापना	139.475
15.	मैसर्स सांधवी फूडस प्राइवेट लिमिटेड, असम की फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना	145.955
16.	मैसर्स पैराफ्रूट प्राइवेट लिमिटेड, मणिपुर की विद्यमान फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिट का विस्तार/आधुनिकीकरण	12.59
17.	मैसर्स बिसरा एग्रो कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, सी–10, टाक्येल इंडस्ट्रीयल, एस्टेट, इम्फाल की समेकित फल प्रसंस्करण यूनिटी की स्थापना	13.055
	संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	5.26
	कुल	1359.647

सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर

982. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में महिला आई. टी. पेशेवरों के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम अथवा योजना आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। लेकिन, लिंग के आधार पर बजट निर्धारण के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लैंगिक अधिकारिता के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा का विकास

983. श्री वसंतराव भोरे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए अनुदान प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों में तकनीकी शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय सहायता से निम्नलिखित संस्थान कार्य कर रहे हैं:–

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
3. उत्तरी प्रशिक्षण एवं औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई
4. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई

केन्द्र सरकार केवल केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थानों को ही निधियां प्रदान करती है। उच्च शिक्षा विभाग के तकनीकी ब्यूरो द्वारा महाराष्ट्र को कोई अनुदान नहीं दिया गया और इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है।

[अनुवाद]

कुक्कटों का आयात

984. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुक्कुट उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) भारत–यू.ए.ई. व्यापार नीति मंच की बैठक में हुए विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) विश्व के विभिन्न देश में फैले एवियन इंफ्लूएंजा के प्रकोप को देखते हुए देश में इंफ्लूएंजा के प्रवेश को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या 1311 (ई.) के तहत एवियन इंफ्लूएंजा में पाजीटिव पाए गए देशों से कुक्कुट उत्पादों के आयात पर 2004 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश में पशु तथा मानव स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए एवियन इंफ्लूएंजा पाजीटिव देशों से कुक्कुट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) नई दिल्ली में 5–6 जून, 2007 को हुई भारत–संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की संयुक्त आयोग की बैठक में, संयुक्त अरब अमीरात से अनुरोध किया गया था कि वह भारत से कुक्कुट उत्पादों के आयात पर मार्च, 2007 से पुनः लागू किए गए प्रतिबंध को हटा लें।

(घ) इन विचार–विमर्शों के अनुसरण में, संयुक्त अरब अमीरात इस शर्त पर भारत से अंडों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए सहमत हो गया था कि भारत लिखित रूप से वचन दे कि भारत एवियन इंफ्लूएंजा से मुक्त है। संयुक्त अरब अमीरात के पर्यावरण एवं जल मंत्रालय द्वारा 6.6.2007 को इस आशय का एक अनुसचिवीय आदेश संख्या 2007 का 257 भी जारी किया गया था। तथापि, मणिपुर में (चिंगमेईरांग) 25 जुलाई, 2007 के एवियन इंफ्लूएंजा के प्रकोप के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से निर्यात होने वाली सभी प्रकार की पक्षियों तथा कुक्कुट उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

[हिन्दी]

कपास की ठेका कृषि

985. श्री हंसराज ग. अहीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदर्भ के कपास उत्पादक क्षेत्रों में कपास की ठेका कृषि शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में पहले भी इस प्रकार का प्रयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अनुभव की सफलता की कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार के समक्ष विदर्भ के कपास उत्पादक क्षेत्रों में कपास की संविदा कृषि के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल जिले में किसाना मेसर्स ईको फार्म्स और विदर्भ जैविक कृषि एसोसिएशन के बीच समझौते के तहत कथित रूप से जैविक कपास की संविदा कृषि में लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में संविदा कृषि को सुकर बनाने के लिए महाराष्ट्र कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963 संशोधित किया है और हाल ही में इसके तहत नियमावली अधिसूचित की है।

(ख) से (घ) किसान सुपर स्पिलिंग मिल्स लिमिटेड के साथ करार के तहत तमिलनाडु में कपास की संविदा कृषि करने में लगे हैं। तमिलनाडु विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के संकाय द्वारा इस संबंध में एक अध्ययन किया गया है तथा इस अध्ययन में यह सूचित किया गया है कि खेती की कुल लागत गैर–संविदा कृषि के मामले में अधिक थी। लागत लाभ अनुपात और प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत संविदा कृषि के तहत लाभप्रद पाए गए थे तथा कपास की उपज में भी वृद्धि हुई थी। भारतीय कपास निगम ने आंध्र प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में कपास की संविदा कृषि के लिए भी परियोजनाएं शुरू की हैं परंतु इन परियोजनाओं की सफलता की समीक्षा से संबंधित कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

नारियल जटा उत्पादों के लिए छूट योजना

986. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नारियल जटा उत्पादों के लिए छूट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नारियल जटा उत्पादों के लिए 20 प्रतिशत छूट को बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्यों से नारियल जटा उत्पादों के लिए 20 प्रतिशत छूट योजना को पुनः आरंभ करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कॅयर उत्पादों पर छूट योजना को 2000–01 से बंद कर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत ऐसे फंड जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) छूट योजना के बदले में 2000–01 से विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत शीर्ष सहकारी समितियों, विनिर्माण एवं प्राथमिक समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा कॅयर बोर्ड के बिक्री डिपो को कॅयर और कॅयर उत्पादों के उनके वार्षिक बिक्री टर्नओवर के 10 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार द्वारा 1:1 के आधार पर सहायता बांटी जाती है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार से जुलाई, 2006 में छूट योजना जारी रखने के लिए एक अनुरोध प्राप्त किया गया था। यह देखा गया है कि एमडीए योजना के तहत प्राप्त सहायता का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि प्रचार, नए शोरूमों/विक्रय आउटलेट खोलने में, विद्यमान विक्रय आउटलेटों के नवीनीकरण, विपणन अध्ययन, विपणन इण्टेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना/डिजाइन सुविधाओं जैसे कि कम्प्यूटर आदि के इन्स्टालेशन, का उन्नयन, आदि के लिए किया जा सकता है। अतः इस योजना में कॅयर उत्पादों के संवर्धन के लिए छूट योजना से अधिक लचीलेपन की गुंजाइश है। इस प्रकार राज्य सरकार का अनुरोध मानना संभव नहीं लगा। केरल सरकार को निर्णय संप्रेषित कर दिया गया है।

किसानों तथा कृषि मजदूरों पर कीटनाशकों का प्रभाव

987. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कीटनाशकों को प्रयोग करते समय श्वास लेने/उनके संपर्क में आने तथा विषैलेपन इत्यादि के कारण किसानों तथा कृषि मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशकों से प्रभावित पीड़ितों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या कीटनाशकों के अत्यधिक संपर्क में आने/श्वास लेने के कारण हुई किसी मौत की सूचना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रभावित पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 26 के अनुसार राज्य सरकारें किसानों और कृषि कर्मियों के स्वास्थ्य पर कृमिनाशियों के प्रभाव संबंधी आंकड़े रखती हैं।

(ख) से (घ) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, 2001–02 से 2005–06 की अवधि के लिए कृमिनाशियों के कारण व्यावसायिक विषाक्तता अर्थात कृषि कार्य करने में कृमिनाशियों का प्रयोग करते हुए सुंघने/एक्सपोजन/विषाक्तता की संख्या निम्नलिखित हैं।

हरियाणा	–	65
केरल	–	2
पंजाब	–	21
राजस्थान	–	8
उत्तर प्रदेश	–	56

अन्य राज्यों ने किसी व्यावसायिक विषाक्तता की सूचना नहीं दी है।

(ङ) और (च) राज्यों से व्यावसायिक विषाक्ता से ग्रस्त लोगों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

ठेका कृषि

988. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ठेका कृषि को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) ठेका कृषि केवल खाद्य प्रसंस्करण तक ही सीमित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार समूचे कृषि क्षेत्र को ठेका कृषि में बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) चूंकि ठेका कृषि में उत्पादक द्वारा प्रायोजक को कृषि उत्पाद की बिक्री शामिल है अतः इसके लिए संबंधित राज्य के कृषि उत्पाद विपणन उत्पाद समिति (एपीएमसी) कानून के अधीन सक्षमकारी प्रावधानों के जरूरत है। केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित मॉडल एपीएमसी अधिनियम के आधार पर कई राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तथा साथ ही अन्य क्षेत्रों की ठेका कृषि को सुकर बनाने हेतु प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन किया है और सरकारी नीति के अधीन कृषि ठेके केवल खाद्य प्रसंस्करण तक ही सीमिति नहीं है। स्पष्ट शर्तों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी ठेका कृषि संबंधी करार करने के लिए किसानो तथा साथ ही प्रयोजकों दोनों को समर्थ बनाने के लिए मॉडल एपीएमसी अधिनियम के जरिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक मॉडल करार प्रपत्र का सुझाव दिया गया है जिन्हें अधिकतर राज्यों द्वारा अपने संशोधित एपीएमसी में अपनाया गया है और उन्हें शामिल किया गया है। मॉडल करार प्रपत्र में उत्पादक और प्रायोजकों के बीच किए जाने वाले करार में विपणन के प्रबंध में विनिर्देशन, जिन्सों के गुणवत्ता विनिर्देशन, आदान और तकनीकी सहायता, ऋण सहायता, उत्पादन प्रबंधन, फसल वितरण प्रबंध, संविदा की अवधि, मूल्य निर्धारण प्रबंध, किसानों को भुगतान करने की प्रक्रिया, ऋण अग्रिम संशोधन (रिकेलन) करने, बीमा हेतु प्रबंध, उत्पादकों को क्षतिपूर्ति के प्रावधान, विवाद समाधान तंत्र आदि की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं की खरीद

989. श्री संजय धोत्रे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को खुले बाजार से निजी कंपनियों द्वारा गेहूं की खरीद पर निगरानी रखने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007 अधिसूचित किया है जिसमें यह अपेक्षित है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो रबी विपणन मौसम 2007–08 के दौरान 50 हजार टन (सम्पूर्ण देश में की गई कुल खरीददारी) से

अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को विहित प्रपत्र में एक साप्ताहिक रिटर्न भेजेगा जिसमें खरीदे गए गेहूं की मात्रा और स्टाक में रखे गेहूं की मात्रा दर्शायी जाएगी। तदनुसार, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए इस आदेश का व्यापक प्रचार करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा की गई गेहूं की खरीददारी की मानीटरिंग करने का भी निदेश दिया गया था ताकि ऐसी कंपनियों द्वारा समस्त सांविधिक लेवियों और करों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

कयर कामगारों हेतु कल्याण योजना

990. डा. के. एस. मनोज : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कयर उद्योग में राज्य–वार कितने पुरुष और कितनी महिलाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कयर फैक्ट्री में कार्यरत कामगारों हेतु कोई कल्याण और बीमा योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) कॅयर उद्योग में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं का अनुमानित राज्य–वार ब्यौरा (संदर्भ वर्ष (2006–07) निम्नोक्त हैं:–

राज्य	पुरुष (संख्या)	महिलाएं (संख्या)	कुल
केरल	94500	355500	450000
तमिलनाडु	25270	64980	90250
कर्नाटक	6435	18315	24750
आंध्र प्रदेश	5376	39424	44800
उड़ीसा	2760	9240	12000
अन्य	3458	14742	18200
कुल	1.137799	502201	640000

(ख) से (घ) कॅयर बोर्ड, जो मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, देशभर में कॅयर श्रमिकों के कल्याणार्थ 1 दिसम्बर, 1998 से कॅयर श्रमिक वर्ग वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत कॅयर तथा कॅयर उत्पादों के नियोक्ता, डीलर अथवा निर्माताओं द्वारा और किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से अथवा किसी एजेन्ट के माध्यम से तैनात किसी व्यक्ति के तहत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए कॅयर श्रमिक, जो अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कॅयर उद्योग पर निर्भर हैं, किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा अक्षमता के मामले में क्षतिपूर्ति हेतु पात्र हैं। इसके अलावा ये कॅयर श्रमिक संगठित कॅयर उद्योग में स्व–रोजगारयुक्त हो सकते हैं अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त अथवा गैर–मान्यता प्राप्त कॅयर क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। इस योजना के तहत अक्षम कॅयर श्रमिक अथवा अक्षम/मृत कॉयर श्रमिक के नामित व्यक्ति को देय क्षतिपूर्ति का ब्योरा निम्नोक्त है:–

देय क्षतिपूर्ति	
1. दुर्घटना में मृत्यु	50,000 रु.
2. स्थाई संपूर्ण अक्षमता	
(i) दो अंगों/दोनों आंखों की क्षति	50,000 रु.
(ii) एक अंग तथा एक आंख की क्षति	50,000 रु.
3. स्थाई आंशिक अक्षमता एक अंग/एक आंख की क्षति अंगुली कटने हेतु प्रावधान	25,000 रु अंगुली पर निर्भर तथा बीमा की गई पूंजीगत राशि की लागू प्रतिशतता तक सीमित

योजना के प्रारंभ से 186 मामलों का निपटान किया गया है और कॅयर बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 47,37,500 रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

वर्ष 2005–06 के दौरान 130 लाख रु. के कुल परिव्यय से उत्पादन वृद्धि संबद्ध कॅयर श्रमिक कल्याण योजना नामक एक अन्य कल्याण योजना कार्यान्वित की गई थी।

वर्ष 2007–08 के दौरान कॅयर श्रमिकों के लिए कल्याण उपायों के कार्यान्वयन हेतु 2.60 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

अपर भद्रा प्रोजेक्ट

991. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्नाटक में अपर भद्रा प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रोजेक्ट के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) अब तक इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, वित्त पोषण तथा निष्पादन की प्राथमिकता तय करना भी राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। अपर भद्रा प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग को मूल्यांकन के लिए प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अवैध निर्माण

992. श्री रामदास आठवले : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य राज्यों में संचार विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा इसके बाद ऐसे कितने मामले जानकारी में आए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इन अवैध निर्माणों को कब तक हटाये जाने की संभावना है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक विभाग के स्वामित्व वाले 24 रिक्त प्लॉटों में कच्चे मकान तथा झुग्गी–झोंपड़ियों जैसे अवैध निर्माण हो गए हैं। दूरसंचार विभाग के अधीन बेतार अनुश्रवण संगठन के स्वामित्व वाली भूमि पर किसी प्रकार के अवैध निर्माण की कोई सूचना नहीं मिली है।

जहां तक भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का संबंध है, इनके गठन की तारीख से ही दूरसंचार सेवा विभाग, दूरसंचार प्रचालन विभाग तथा आंशिक रूप से दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग द्वारा इस्तेमाल हेतु अपेक्षित परिसंपत्तियों को छोड़कर) की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को इन्हें अंतरित कर दिया गया है।

(ग) डाक विभाग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) सर्किल/यूनिटों के प्रमुखों को यह निर्देश दिया गया है कि वे समय–समय पर अपने स्तर पर ऐसे मामलों की पुनरीक्षा तथा निगरानी करें।

(ii) अवैध निर्माण हटाने के लिए स्थानीय/पुलिस प्राधिकारियों से सहायता मांगी जाती है।

(iii) सचिव, डाक विभाग ने राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि विभाग की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने में सहायता करें।

(घ) इसके लिए समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश मामले विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं।

(ङ) भूमि को अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण से बचाने के लिए निधि की उपलब्धता के अनुसार चरण बद्ध रूप से चारदीवारी बनाने हेतु कार्रवाई आरंभ की गई है।

[अनुवाद]

खादी उत्पादों का उत्पादन और बिक्री

993. श्री जी. कल्याकर रेड्डी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खादी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में खादी का उत्पादन तथा बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान खादी उद्योग द्वारा कितने रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। विगत पांच वर्षों (2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07) में खादी का उत्पादन तथा बिक्री बढ़ी हैं, जिसका ब्यौरा निम्नोक्त है:–

वर्ष	उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु. में)	बिक्री का मूल्य (करोड़ रु. में)
2002-03	443.07	577.63
2003-04	453.50	587.04
2004-05	461.54	617.84
2005-06	468.30	628.69
2006-07	491.52	663.19

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) देश में खादी के उत्पादन तथा बिक्री के संवर्धन के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं:

(i) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आई.एस.ई.सी.) स्कीम के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी.) के यहां पंजीकृत संस्थानों की मूल्यांकित आवश्यकता के अनुरूप बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

(ii) खादी की बिक्री पर छूट की अदायगी के लिए फंड्स की प्रचुर उपलब्धता।

(iii) सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी.एफ.सी.) की स्थापना के लिए के.वी. आई.सी. द्वारा ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्रों (आर.आई.एस.सी.) की स्थापना करना।

(iv) राष्ट्रीय/जोनल/जिला स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(v) राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(vi) खादी उत्पादों की बेहतर डिजाइन तथा पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप तथा पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(vii) खादी फब्रिक्स को आधुनिक डिजाईनों के साथ रेडिमेड गारमेंटस में परिवर्तित करने के लिए "मिशन खादी" शुरू करना;

(viii) खादी उत्पादों के लिए "खादी इंडिया" ब्राण्ड नाम शुरू करना;

(ix) 2005–06 से शुरू करके पांच वर्षों में कलस्टरों के संपूर्ण विकास हेतु 34 खादी कलस्टरों में कार्यान्वयन के लिए परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) आरंभ करना।

(x) देश के आधुनिक युवाओं को आकर्षित करने के लिए के. वी. आई. सी. ने अनेक पहले की हैं। 38 मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर जोकि खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादों के संबंध में ज्ञान प्रदान करते हैं, के माध्यम से हाल ही में स्कूल/कालिज की पढ़ाई पास करने वाले युवाओं के लिए विपणन विकास कोर्स बनाए गए हैं। स्कूलों में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

लोगों, विशेष तौर पर युवा पीढ़ी में जागरूकता तथा ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए देशभर में के.वी.आई.सी. द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(घ) वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान खादी क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या निम्नोक्त है:

वर्ष	रोज़गार (लाख व्यक्ति)
2004–05	8.61
2005–07	8.68
2006–07	8.84

[हिन्दी]

बाल श्रम उन्मूलन

994. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री नवीन जिन्दल :
श्रीमती नीता पटैरिया :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और इसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) और भारत–अमरीकी परियोजना (इन्डयूएस) में कितनी सफलता प्राप्त हुई है और उक्त परियोजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान 'एन.सी.एल.पी.' 'इन्डयूएस' पर अलग–अलग राज्यवार कितना व्यय किया गया;

(ग) बाल श्रम निषेध अधिनियमों के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं पर अभियोजन चलाने के लिए क्या उपबंध किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बाल श्रमिकों को नियोजित करने के लिए जिन उद्योगों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गैर–सरकारी संगठनों द्वारा छुडाए गए बाल श्रमिकों के पुनर्नियोजन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जून, 2007 में जारी रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम और भारत–अमरीकी (इन्डस) परियोजना के अंतर्गत जोखिमकारी कार्यों में लगे बच्चों को कार्य से हटा लिया जाता है। उन्हें अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए विशेष स्कूलों में तेज गति से ब्रिजिंग शिक्षा और छात्रवृत्ति, दोपहर का भोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच इत्यादि जैसे अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं ताकि वे नियमित शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। दो परियोजनाओं के अंतर्गत विशेष स्कूलों में नामित किए जाने वाले बच्चों और पिछले तीन वर्षों में मुख्य धारा में शामिल किए गए बच्चों की संख्या विवरण–I में दी गई है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान एन सी एल पी और इन्डस पर अलग–अलग होने वाले व्यय का राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, कोई व्यक्ति जो किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में, जहां बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध हो, किसी बच्चे को नियोजित करता है, तो वह कम से कम तीन माह से एक वर्ष तक के कारावास सहित 10,000/– रु. से लेकर 20,000/– रु. तक के दंड का भागी होगा। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर सजा की मात्रा कम से कम 6 माह का कारावास अवधि होगी जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(घ) उन उद्योगों/व्यक्तियों का विवरण नहीं रखा जाता जिनके खिलाफ बाल श्रम का नियोजन करने पर कार्रवाई की गई है। तथापि, उक्त अवधि के लिए अभियोजनों और सिद्धदोषों का राज्यवार ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

(ङ) मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून, 2007 को इन्डस–आई एल ओ परियोजना द्वारा "चाइल्ड लेबर फैक्ट्स एण्ड फिगर्स : एन एनालिसिस ऑफ सेंसस 2001" नामक पुस्तक जारी की गई थी। इस पुस्तक में सभी राज्यों के बाल श्रम से संबंधित आंकड़ों पर तथ्यात्मक सूचना दी गई है और सरकार इन आंकड़ों से अवगत है।

विवरण-I

एन सी एल पी स्कीम के अंतर्गत विशेष स्कूलों में दाखिला कराये गये बच्चों की संख्या (9–14 वर्ष)

राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	49193	37882	63056
असम	0	4750	4555
बिहार	6500	8500	8500
छत्तीसगढ़	5899	11639	11002
गुजरात	0	0	5650
झारखंड	5700	7375	8856
कर्नाटक	7339	13212	13790
मध्य प्रदेश	4091	17404	19688
महाराष्ट्र	2554	6615	8649
उड़ीसा	34679	83557	33212
पंजाब	4571	4657	4308
राजस्थान	8706	19545	39601
तमिलनाडु	16764	17540	16522
उत्तर प्रदेश	8563	34171	71479
पश्चिम बंगाल	13266	17095	28401
कुल	167825	283943	337269

इडस परियोजना के अंतर्गत विशेष स्कूलों में दाखिला कराये गये बच्चों की संख्या (9–13 वर्ष)

राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
मध्य प्रदेश	7500	8528	8619
महाराष्ट्र	5472	7756	8080
उत्तर प्रदेश	14784	16085	18355
तमिलनाडु	7661	8584	6410
दिल्ली	0	0	1550
कुल	34855	40953	43014

एन सी एल पी स्कीम के अंतर्गत मुख्य धारा में लाये गये बच्चों की संख्या (9–14 वर्ष)

राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
आंध्र प्रदेश	20341	9217	38186
असम	•	•	•
बिहार	•	545	•
छत्तीसगढ़	549	540	•
गुजरात	480	3885	•
झारखंड	2018	1411	90
कर्नाटक	1254	1319	0
मध्य प्रदेश	•	•	2824

1	2	3	4
महाराष्ट्र	7619	9478	*
उड़ीसा	466	1290	1781
पंजाब	2756	1559	*
राजस्थान	5301	2197	*
तमिलनाडु	3248	*	4193
उत्तर प्रदेश	3429	5876	*
पश्चिम बंगाल	47461	37317	*
कुल	20341	9217	47074

* राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

इंडस परियोजना के अंतर्गत मुख्य धारा में लाये गये बच्चों की संख्या (9–13 वर्ष)

राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	0	1269	4877
महाराष्ट्र	0	367	1914
उत्तर प्रदेश	0	4990	7598
तमिलनाडु	0	2126	4572
दिल्ली	0	0	0
कुल	0	8592	18961

विवरण-II

एन सी एल पी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	232220831	211610829	141635611
2	असम	686500	12468000	12403500
3	बिहार	28205834	43386910	142679960
4	छत्तीसगढ़	23080814	36857738	31107540
5	गोवा	592000	0	0
6	गुजरात	2153500	4404800	15549200
7	हरियाणा	458500	1718000	0
8	जम्मू और कश्मीर	458500	592000	0
9	झारखंड	19285773	37280078	18382939
10	कर्नाटक	33101388	50651674	52567717
11	मध्य प्रदेश	44521226	36826745	29409567
12	महाराष्ट्र	16848418	19255655	27828784
13	उड़ीसा	131264355	134419118	110792590
14	पंजाब	18404902	15528577	9020900
15	राजस्थान	44303713	68613939	116269919

1	2	3	4	5
16	तमिलनाडु	72462692	98404201	62730916
17	उत्तर प्रदेश	70736376	151892537	188647881
18	उत्तराखंड	61368	592000	0
19	पश्चिम बंगाल	74236099	83128311	99140687
	कुल	813082789	1007631112	1056167711

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इंडस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1.	महाराष्ट्र	17202840	27933618	22118000
2.	मध्य प्रदेश	20140000	29149893	21238000
3.	तमिलनाडु	23773134	25597200	19065550
4.	उत्तर प्रदेश	38884026	40064507	45135853
	कुल	100000000	122745218	107557403

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अभियोजनों की संख्या			सिद्ध दोषों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	4870	1212	6124	2158	1109	620
3	अरुणाचल प्रदेश	24	11	11	0	0	0
4	असम	12	0		0	0	
5	बिहार	385	259	147	0	0	
6	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	1	4		0	0	
8	दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	66	74	253	0	0	10

1	2	3	4	5	6	7	8
11	गोवा	0	0	0	0	0	0
12	गुजरात	29	106	23	0	0	2
13	हरियाणा	38	13	0	18	3	2
14	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	9	2	19	1	0	3
16	झारखण्ड	76	153		1	11	
17	कर्नाटक	2781	612	1078	79	80	139
18	केरल	0	1	1	0	0	0
19	लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	28	54	37	66	16	5
21	महाराष्ट्र	17	32		8	4	
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	3	5		0	0	
27	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	1	1	0
28	पंजाब	35	2		23	5	
29	राजस्थान	0	7	13	1501	15	6
30	सिक्किम	0	185	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	302	590	244	237	145	192
32	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
33	उत्तर प्रदेश	399	31	19	0	10	40
34	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
35	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल	9076	3353	7969	4094	1399	1019

एम टी एन एल द्वारा हेल्थ मेला

995. श्री मित्रसेन यादव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) दिल्ली में प्रतिवर्ष परफेक्ट हेल्थ मेले का आयोजन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2006 में ऐसा कोई मेला आयोजित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और किन बीमारियों के लिए उनका परीक्षण किया गया; और

(घ) उक्त मेले के आयोजन पर एमटीएनएल द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गयी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने एक प्रायोजक के रूप में, परफैक्ट हैल्थ मेला के संचालकों नामतः मैसर्स हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को वर्ष 2006 में 10 लाख रुपए का भुगतान किया था।

भंडारण में अनियमितताएं

996. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण के संदर्भ में सरकार को राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों के आधार पर कितनी अनियमितताएं पाई गई और ये अनियमितताएं किस किस्म की हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को भंडारण और मार्गस्थ हानियों के संबंध में कोई औपचारिक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि खाद्यान्नों के भंडारण में अनियमितताएं ध्यान में आई हैं। विगत 2 वर्षों के दौरान भंडारण हानियों (मार्गस्थ हानियों सहित) के संबंध में दर्ज किए गए अंचल–वार मामले संलग्न विवरण–I में दर्शाए गए हैं।

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण–II में दर्शाई गई है।

भारतीय खाद्य निगम को सरकार द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे खाद्यान्नों की असामान्य मार्गस्थ और भंडारण हानियों के ऐसे मामले ध्यान में आने पर जिम्मेदारी तय करें।

विवरण-I

विगत दो कैलेंडर वर्षों अर्थात् 2005 और 2006 के दौरान भंडारण हानियों (मार्गस्थ हानियों सहित) के संबंध में दर्ज किए गए मामलों का अंचल–वार संख्या

अंचल	2005	2006
उत्तरी अंचल	757	1075
पश्चिमी अंचल	21	43
पूर्वी अंचल	110	60
उत्तर–पूर्वी अंचल	05	00
दक्षिणी अंचल	08	17
जोड़	901	1195

विवरण-II

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई के निष्कर्ष

हानियों के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों को उपयुक्त रुप से दंड दिया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान भंडारण हानियों की अनियमितताओं और अन्य अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए चूककर्ता अधिकारियों पर निम्नलिखित दंड लगाए थे:–

क्र.सं.	लगाए गए दंड का स्वरूप	2005	2006
1.	बर्खास्तगी/सेवा मुक्त करना/अनिवार्य सेवा निवृत्ति	44	79
2.	रैंक घटना	30	30
3.	समय वेतनमान में कमी करना	313	318
4.	वेतन वृद्धि रोकना	118	216
5.	भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि की वेतन से रिकवरी	886	1731
6.	प्रोन्नति रोकना	5	2
7.	निंदा	307	382
	जोड़	1703	2758

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादक

997. श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006–07 के दौरान गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गन्ना उत्पादक औनी–पौनी कीमतों और अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा बिना खरीद के अपने पास पड़े रहने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों की समस्त पैदावार खरीदने और उसका लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गन्ना उत्पादकों की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों के अतिरिक्त कोटे के लिए अनुरोध

998. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ओणम उत्सव और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के मद्देनजर खाद्यान्नों और चीनी के अतिरिक्त कोटे के आबंटन हेतु केरल से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य सरकार से ओणम त्यौहार के लिए 71000 टन चावल, 35500 टन गेहूं और 7100 टन चीनी के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

सरकार ने माह अगस्त, 2007 के दौरान ओणम त्यौहार के लिए केरल राज्य सरकार को गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर 21000 टन चावल का एक बारगी विशेष आबंटन कर दिया है। केरल सरकार को त्यौहार कोटे के रूप में 8000 टन लेवी चीनी का आबंटन भी किया गया है।

राजस्व में वृद्धि के लिए बीएसएनएल योजना

999. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल राजस्व में वृद्धि करने और निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गृह प्रयोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं की पेशकश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान गृह प्रयोक्ताओं की विभिन्न योजनाओं में राज्यवार, ग्रामवार और शहरवार अलग–अलग कितना राजस्व अर्जित किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) बीएसएनएल ने स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल और सेल्यूलर सेवाओं के अंतर्गत केरल गृह प्रयोक्ताओं हेतु किसी विशिष्ट योजना की पेशकश नहीं की है। तथापि, ब्राडबैंड सेवा के अंतर्गत गृह प्रयोक्ताओं हेतु योजनाओं की पेशकश की गई है।

(ख) ब्राडबैंड गृह योजनाओं का ब्यौरा विवरण–I में संलग्न है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न गृह योजनाओं से ब्राडबैंड सेवा हेतु सृजित राजस्व का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–II और III में संलग्न है। (ग्रामीण और शहरी राजस्व के ब्यौरे का रखरखाव अलग–अलग तैयार नहीं किया जा रहा है)

विवरण–I

ब्राडबैंड प्रशुल्क–होम प्लान

विवरण	होम 250	होम 500	होम 1000	होम 1800	होम 3300	होम यूएल 900	होम यूएल 900 प्लस
1	2	3	4	5	6	7	8
बैंडविड्थ	256 केबीपीएस/2 एमबीपीएस तक	256 केबीपीएस/2 एमबीपीएस तक	256 केबीपीएस/2 एमबीपीएस तक	256 केबीपीएस/2 एमबीपीएस तक	256 केबीपीएस/2 एमबीपीएस तक	256 केबीपीएस	256 केबीपीएस

1	2	3	4	5	6	7	8
मासिक प्रभार (रु.)	250	500	1000	1800	3300	900	900
उपभोक्ताओं हेतु वार्षिक भुगतान का विकल्प	2500	5000	10000	18000	33000	9000	9000
निशुल्क डाउनलोड/ अपलोड सीमा (जीबी)	1.0 जीबी	2.5 जीबी	5 जीबी	10 जीबी	20 जीबी	असीमित	असीमित
अतिरिक्त उपयोग प्रभार/निशुल्क सीमा के बाद एमबी	0.90	0.80	0.80	0.70	0.70	शून्य	शून्य
प्रतिमाह टेलीफोन किराया	उपभोक्ता के मौजूदा प्लान के अनुसार					शून्य	उपभोक्ता के मौजूदा प्लान के अनुसार
निशुल्क काल						शून्य	
प्रति पल्स एमसीयू प्रभार						1.00 रु.	

विवरण-II

2005–2006 हेतु ब्राडबैंड राजस्व (लाख में)*

सर्किल	होम 250	होम 500	होम 1000	होम 1800	होम 3300	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान निकोबार	0.39	3.07	0.00	0.00	0.00	3.46
आंध्र प्रदेश	396.00	379.19	18.51	22.94	12.21	828.86
असम	27.11	25.28	1.80	1.58	0.31	56.08
बिहार	92.13	72.48	1.87	1.86	0.77	169.11
गुजरात	296.66	132.04	8.34	9.15	11.36	457.55
हरियाणा	81.61	67.97	3.35	4.70	3.25	160.89
हिमाचल प्रदेश	12.29	5.29	0.26	0.64	0.30	18.78
जम्मू और कश्मीर	23.08	11.90	0.68	0.92	0.00	36.58
कर्नाटक	448.20	794.81	68.88	101.09	24.68	1437.66
केरल	182.94	129.76	7.93	8.76	6.32	335.70
मध्य प्रदेश	267.42	94.22	2.75	4.12	3.34	371.85
महाराष्ट्र	328.44	417.68	19.59	26.24	11.56	803.51
उत्तर पूर्व	17.82	8.65	1.51	0.81	0.65	29.44
उड़ीसा	33.77	18.01	1.39	1.07	1.56	55.81
पंजाब	210.76	129.41	5.61	4.86	3.08	353.73

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	136.63	82.11	4.63	7.54	2.52	233.44
तमिलनाडु	490.29	942.14	18.11	23.62	13.64	1487.81
उत्तर प्रदेश पूर्व	186.83	55.14	2.36	3.95	1.66	249.94
उत्तर प्रदेश पश्चिम	83.79	82.68	4.10	5.64	2.02	178.23
पश्चिम बंगाल	470.33	398.38	20.83	20.31	9.03	918.89
कुल	3786.51	3850.22	192.49	249.82	108.28	8187.31

*5 महीनों के लिए आंकड़े

विवरण-III

2006–2007 हेतु ब्राडबैंड राजस्व (लाख में)

सर्किल	होम 250	होम 500	होम 1000	होम 1800	होम 3300	होम 900मी	होम 900	कुल
अंडमान निकोबार	25.57	19.18	0.25	0.41	0.70	0.33	1.52	47.96
आंध्र प्रदेश	1439.68	1286.46	56.68	81.77	44.99	167.44	288.62	3365.64
असम	174.58	71.12	4.59	5.20	2.97	6.77	7.61	272.84
बिहार	641.64	198.84	6.07	13.72	2.52	12.25	25.67	900.71
गुजरात	1639.81	364.37	21.78	19.24	19.31	42.04	128.12	2234.66
हरियाणा	469.74	188.60	9.74	15.97	8.55	37.45	36.04	766.08
हिमाचल प्रदेश	97.62	23.12	2.01	2.85	1.05	2.46	11.14	140.25
जम्मू और कश्मीर	150.05	41.40	2.74	2.92	2.32	5.07	7.56	212.06
कर्नाटक	2500.88	2210.92	200.88	282.98	78.11	431.92	268.43	5974.12
केरल	1213.16	414.32	21.62	26.58	16.64	88.92	83.78	1865.02
मध्य प्रदेश	1258.04	259.54	7.64	13.14	8.02	54.27	92.03	1692.69
महाराष्ट्र	2084.55	843.69	43.69	58.72	32.61	92.31	237.29	3392.88
नई दिल्ली	10.61	4.32	0.26	0.53	0.26	0.68	0.74	17.41
उत्तर पूर्व	108.76	45.95	4.71	4.36	4.78	3.21	3.88	175.65
उड़ीसा	226.41	76.44	2.67	4.60	5.59	22.26	16.00	353.97
पंजाब	1193.42	504.84	18.06	20.83	14.47	159.75	155.89	2067.27
राजस्थान	881.70	246.17	15.02	20.49	8.76	78.61	94.82	1345.54
तमिलनाडु	2992.00	2757.65	70.46	106.18	57.28	366.34	399.84	6749.74
उत्तर प्रदेश पूर्व	845.38	189.18	8.72	11.51	9.35	82.41	50.54	1197.08
उत्तर प्रदेश पश्चिम	543.81	239.38	14.07	21.05	6.45	39.82	45.89	910.46
पश्चिम बंगाल	2880.50	1219.35	62.37	64.97	39.14	152.10	160.62	4579.06
जोड़	21377.90	11204.85	574.03	778.03	363.89	1846.40	2116.01	38261.10

[हिन्दी]

डाकघर बैंक की स्थापना

1000. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का देश में डाकघर बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) देश में 'डाकघर बैंक' की स्थापना के लिए विभाग का प्रस्ताव अभी संकल्पना के स्तर पर है और इसके लिए किसी भी ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

डाकघर लघु बचतों में गिरावट

1001. श्री गुरुदास दास गुप्त :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों द्वारा जमा राशि के लिए उच्च ब्याज दरों की पेशकश किए जाने के कारण हाल ही में डाकघर लघु बचत जमा राशि जुटाने में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी जमा राशि जुटाई गई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जमाराशि संग्रहण, आहरण एवं निवल जमाराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008 (जून 2007 तक)
जमाराशि संग्रहण	160895	173308	154418	31002
आहरण	76674	105737	117656	34211
निवल जमाराशि (जमा (–) आहरण)	84221	67571	36762	(-) 3209

(ग) अन्य बातों के साथ–साथ जमाराशि संग्रहण में कमी निवेशकों द्वारा बचत के वैकल्पिक माध्यम को चुनने के कारण है। तथापि, केन्द्र एवं राज्य सरकारें लघु बचत योजनाओं के संवर्धन और इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक उपाय कर रही है जिनमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम के साथ–साथ संगोष्ठियों का आयोजन एवं लघु बचत योजनाओं में जमाराशि के संग्रहण के कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान की एक वेबसाइट भी शुरू की गई है ताकि लघु बचत पर सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार हो और जनता सुगमता से इसका उपयोग कर सके तथा निवेशकों की शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और निपटारा किया जा सके। वेबसाइट का पता nsindia.gov.in है।

[हिन्दी]

दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण

1002. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की इन निजी मोबाइल कंपनियों के साथ तुलना के लिए कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) बीएसएनएल सहित सभी सेवा प्रदाताओं के द्वारा प्रस्तुत तिमाही मॉनिटरिंग रिपोर्ट के माध्यम से, विभिन्न पैरामीटरों हेतु निर्धारित बैंचमार्कों (बुनियादी और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, 2005 की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन के तहत) के आधार पर सेल्यूलर मोबाइल के निष्पादन की मॉनिटरिंग कर रहा है। ट्राई ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से भी सेवा की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया था। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के विषय में बीएसएनएल का कार्य निष्पादन, निजी मोबाइल कंपनियों के समान है।

[अनुवाद]

जल संचयन

1003. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल/जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कोई निदेश अथवा दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात प्रत्येक राज्य को उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों में बेहतर जल प्रबंधन के लिए जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अति–दोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भवन उप–नियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने स्थलों के चयन संबंधी अन्वेषण तकनीकों, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की आयोजना और डिजाइन, किफायती–मूल्यांकन और पुनर्भरण सुविधा की निगरानी को शामिल करते हुए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल और दिशानिर्देश तैयार और परिचालित किए हैं।

(ग) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के 8 अभिज्ञात क्षेत्रों के लिए 5.95 करोड़ रुपए की कुल लागत से "वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक प्रदर्शनात्मक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तथापि, राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं। तथापि, Xवीं योजना के मायावधिक मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि राज्यों द्वारा जल विनियामकों की स्थापना की जानी चाहिए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई डाकघर नीति

1004. श्री उदय सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की मौजूदा डाकघर प्रणाली में भारी बदलाव लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समस्त डाकघर क्षेत्र एक निर्धारित अवधि के भीतर निगमित किए जाने का कार्य शुरू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई डाकघर नीति की कब तक घोषणा किए जाने और उसे कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय डाक नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

एस.टी.डी./आई.एस.डी./फैक्स सुविधाओं की अनुपलब्धता

1005. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में उन गांवों की संख्या कितनी है जहां पर अभी भी एस.टी.डी./आई.एस.डी./फैक्स सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार, 100 से कम आबादी वाले गांवों/घने वन क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाले गांवों आदि को छोड़ कर 18,118 पात्र गांव अभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) से जोड़े जाने शेष हैं। जिन टेलीफोन एक्सचेजों से वीपीटी प्रदान किए गए हैं वे एसटीडी/आईएसडी/फैक्स सुविधाओं से युक्त हैं। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार ये सुविधाएं किसी वीपीटी में इसके अभिरक्षक के अनुरोध पर और अभिरक्षक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर दी जाती हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण

1006. श्री अमिताभ नंदी :

प्रो. प्रेम कुमार धूमल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत आबंटित तथा उठाए गए खाद्यान्न, चीनी तथा केरोसीन का राज्य–वार तथा वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु उन्हें उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) खाद्यान्नों (चावल और गेहूं), चीनी और मिट्टी के तेल के आबंटन और उठान के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे क्रमश संलग्न विवरण I से V में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्यों से प्राप्त अनुरोध और सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे का सार नीचे दिया गया है:–

(i) **खाद्यान्न** : 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय पूल में स्टॉक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों के अनुरोधों पर विचार किया गया है और संलग्न विवरण – VI के अनुसार गेहूं के तदर्थ आबंटन किए गए हैं।

(ii) **लेवी चीनी** : आंध्र प्रदेश राज्य ने लेवी चीनी के मासिक कोटा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है। ओणम के त्यौहार के लिए चीनी आबंटित करने हेतु केरल सरकार से प्राप्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और सामान्य लेवी चीनी कोटा के अतिरिक्त एक बार के उपाय के रूप में त्योहार कोटा के तहत 4400 टन का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

(iii) **मिट्टी का तेल** : वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

सरकार ने सिद्धान्त रूप से निर्णय किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मिट्टी के तेल पर राजसहायता को केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित रखा जाए। इस वजह से विभिन्न राज्यों से प्राप्त इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

विवरण-I

वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटन और उठान (चावल और गेहूं)

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	3973.116	2855.573	3973.116	3217.5	3900.596	3209.074
2	अरुणाचल प्रदेश	118.176	94.98	111.246	81.17	103.644	60.378
3	असम	1685.66	1284.066	1755.66	1221.15	1714.746	1511.916
4	बिहार	4930.704	1202.301	4930.704	1118.62	3988.344	1024.178
5	छत्तीसगढ़	1833.432	779.487	1833.432	818.242	1600.328	867.483
6	दिल्ली	1168.296	572.836	1168.296	469.95	836.456	547.63
7	गोवा	134.256	5.04	134.256	12.354	102.758	27.01
8	गुजरात	3671.212	764.201	3664.412	841.74	2295.882	862.19
9	हरियाणा	1342.776	437.325	1342.776	290.21	830.085	310.349
10	हिमाचल प्रदेश	527.832	312.312	527.832	330.23	443.037	370.496
11	जम्मू और कश्मीर	756.804	571.862	756.804	645.82	791.804	659.255
12	झारखंड	1221.792	554.187	1221.792	684.7	1195.472	741.15

1	2	3	4	5	6	7	8
13	कर्नाटक	3384.876	2122.214	3319.083	2131.61	2853.688	2085.051
14	केरल	2461.548	914.401	2461.538	961.627	2257.068	1026.108
15	मध्य प्रदेश	4267.848	1628.062	4264.828	1879.646	2756.644	1790.229
16	महाराष्ट्र	7445.184	2438.67	7445.184	2511.1	5015.204	2505.91
17	मणिपुर	103.474	55.971	107.104	62.78	111.06	78.366
18	मेघालय	121.884	98.316	121.884	100.03	121.804	113.682
19	मिजोरम	122.52	98.749	100.7	83.55	72.222	69.044
20	नागालैंड	174.12	163.624	154.48	146.71	129.084	147.673
21	उड़ीसा	2852.256	1514.223	2852.256	1357.671	2535.682	1248.271
22	पंजाब	1669.776	159.097	1669.776	98.19	868.946	150.267
23	राजस्थान	3724.296	1183.871	3697.156	974.31	2358.91	1025.874
24	सिक्किम	44.052	36.612	44.052	42.41	44.687	44.188
25	तमिलनाडु	5830.356	2720.51	5830.356	3713.027	5805.936	3439.406
26	त्रिपुरा	303.132	186.214	303.132	188.26	300.758	225.34
27	उत्तर प्रदेश	10979.64	3910.933	10979.252	4038.718	8329.377	4499.145
28	उत्तराखंड	542.724	237.089	542.724	254.213	496.942	284.429
29	पश्चिम बंगाल	6099.72	2445.1	6099.72	2778.169	5617.51	2398.665
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45.59	2.91	45.588	18.13	28.91	17.13
31	चण्डीगढ़	85.152	0.361	85.152	0	35.206	0.28
32	दादरा नगर हवेली	13.86	0	13.86	3.28	13.37	4.44
33	दमन और द्वीव	11.1	0	11.1	0.81	10.58	1.08
34	लक्षद्वीप	4.248	0	3.9	3.78	4.154	3.23
35	पांडिचेरी	48.312	3.94	48.312	25.64	85.162	18.54
	जोड़	71,699.72	29,355.04	71,621.51	31,105.35	57,856.06	31,369.46

विवरण-II

वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक लेवी चीनी के राज्य–वार/मौसम–वार (अक्तूबर से सितम्बर) आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा

(मात्रा हजार टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	120.81	117.48	1243
2	अरुणाचल प्रदेश	10.24	10.27	10.61

1	2	3	4	5
3	असम	223.95	224.14	224.2
4	बिहार	213.17	7.48	77.54
5	छत्तीसगढ़	55.37	26.84	42.95
6	दिल्ली	35.42	35.84	36.38
7	गोवा	1.58	1.59	1.59
8	गुजरात	75.32	73.08	75.4
9	हरियाणा	29.09	11.91	21.15
10	हिमाचल प्रदेश	54.51	55.88	56.01
11	जम्मू और कश्मीर	86.81	87.07	87.59
12	झारखंड	75.16	0.16	0.15
13	कर्नाटक	102.64	69	82.71
14	केरल*	52.92	50.48	49.35
15	मध्य प्रदेश	153.12	156.67	155.98
16	महाराष्ट्र	161.53	106.55	148.7
17	मणिपुर	20.92	21.9	21.91
18	मेघालय	21.08	20.96	20.95
19	मिजोरम	8.35	8.38	8.37
20	नागालैंड	14.51	14.56	14.56
21	उड़ीसा	103.77	107.36	108.5
22	पंजाब	19.28	6.66	15.67
23	राजस्थान	83.92	24	55.37
24	सिक्किम	4.74	3.95	4.34
25	तमिलनाडु	131.7	98.09	125.39
26	त्रिपुरा	32.58	32.72	32.93
27	उत्तर प्रदेश	401.38	386.3	365.48
28	उत्तराखंड	70.61	73.03	72.81
29	पश्चिम बंगाल	171.43	176.01	178.45
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.74	4.74	4.62
31	चंडीगढ़	0.95	0.95	1.01

1	2	3	4	5
32	दादर व नगर हवेली	0.6	0.6	0.6
33	दमन और दीव	0.12	0.14	0.53
34	लक्षद्वीप	1.32	1.4	1.38
35	पांडिचेरी	2.04	2.2	2.18
	कुल	2545.68	2018.39	2229.66

विवरण-III

वर्ष 2004–05 से 2006–07 के दौरान लेवी चीनी के उठान को दर्शाने वाला ब्यौरा

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	असम	34.865	42.528	83.17
2	अरुणाचल प्रदेश	2.155	3.698	4.535
3	मणिपुर	1.822	7.309	7.764
4	मेघालय	2.983	7.63	9.648
5	मिजोरम	3.518	7.761	7.963
6	नागालैंड	10.824	15.868	14.714
7	त्रिपुरा	15.522	15.412	21.275
8	जम्मू और कश्मीर	31.844	46.56	59.541
9	सिक्किम	0.811	0.3	0
10	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.537	6.134	3.693
11	लक्षद्वीप	0.85	1.624	1.21
	जोड़	109.731	154.824	213.513

टिप्पणी : उपर्युक्त राज्यों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित चीनी की रिलीज भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जाती है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित चीनी का उठान सीधे राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चीनी फैक्ट्रियों से किया जाता है।

विवरण-IV

वर्ष 2004–05 से 2006–07 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के किए गए आवंटन के ब्यौरे

(मात्रा टन में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2006-07	2005-06	2004-05
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5816+591*	5816	5725+1024*
आंध्र प्रदेश	517158+7800*	517158+856*	505057+19883*

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	9257	9257	9257+1167*
असम	258007	258007+389*	251714+10293*
बिहार	647430	647430	631639+16569*
चंडीगढ़	13067	13067	13067
छत्तीसगढ़	146938	146938	143354+3584*
दादर और नगर हवेली	2782	2782	2782
दमन व द्वीव	2118	2118	2118
दिल्ली	168484	168484	168484
गोवा	19212	19212	19212+389*
गुजरात	743759+3891*	743759+622*	743759+194*
हरियाणा	145619	145619	142068+3588*
हिमाचल प्रदेश	50537	50537	50537
जम्मू और कश्मीर	76044+389*	76044+3034*	75487+2658*
झारखंड	211175	211175	211175
कर्नाटक	461478+934*	461478+389*	461478
केरल	216308	216308	211033+10722*
लक्षद्वीप	795	795	795
मध्य प्रदेश	488609+622*	488609+409*	476691+11918*
महाराष्ट्र	1276876+3892*	1276876+7782*	1253530+23346*
मणिपुर	19907	19907	19907
मेघालय	20401	20401	20401+289*
मिजोरम	6217	6217	6217
नागालैंड	13312+300*	13312	12712+700*
उड़ीसा	314977+1167*	314977	307295+8460*
पांडिचेरी	12257	12257+39*	12058+510*
पंजाब	237192	237192	232813+4379*
राजस्थान	398913+2334*	398913	396500+2413*
सिक्किम	5582	5582	5283+571*
तमिलनाडु	558929+9339*	558929+16342*	545297+26861*

1	2	3	4
त्रिपुरा	30832	30832	30093+739*
उत्तर प्रदेश	1241772+5136*	1241772+2054*	1211485+51688*
उत्तराखंड	89849+4668*	89849+136*	85959+3890*
पश्चिम बंगाल	752103+4046*	752103	748228+8155
जोड़ आबंटन	9163712+213990*	9163712-32052*	9013210+45109*

*अतिरिक्त आबंटन

विवरण-V

वर्ष 2004–05 से 2006–07 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के उठान के ब्यौरे

(मात्रा टन में)

राज्य	2006-07 (अ.)	2005-06	2004-05
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5971*	6582*	5945*
आंध्र प्रदेश	524075*	509495	502012*
अरुणाचल प्रदेश	9141*	9102	9801*
असम	257937	257174	262963*
बिहार	644582	647190	639270*
चंडीगढ़	10478	11619	11721*
छत्तीसगढ़	145420	145850	146815*
दादर और नगर हवेली	2540	2646	2151*
दमन और दीव	2031	1928	1534*
दिल्ली	160786	157365	168521*
गोवा	19188*	19179	19589
गुजरात	747385*	744499*	745318*
हरियाणा	145447	144513	145206*
हिमाचल प्रदेश	48936	47904	45792*
जम्मू और कश्मीर	74536	71315	74192*
झारखंड	210416	211960*	210318
कर्नाटक	463239*	461576*	461308
केरल	216657*	215815	221990*

1	2	3	4
लक्षद्वीप	858*	532	523
मध्य प्रदेश	488029	484609	486440*
महाराष्ट्र	1280062*	1272009	1269676*
मणिपुर	19467	19729	20507*
मेघालय	19678	20265	21442*
मिजोरम	6215	6206	6058
नागालैंड	13599*	13298	13341*
उड़ीसा	316043*	312171	313431*
पांडिचेरी	12253	12344*	10638
पंजाब	236044	235267	235466*
राजस्थान	399988*	392790	396765*
सिक्किम	5589*	5559	6344*
तमिलनाडु	569629*	568456*	563597*
त्रिपुरा	30641	30514	29841
उत्तर प्रदेश	1242373*	1241148	1255090*
उत्तराखंड	93790*	86009	91320*
पश्चिम बंगाल	751894	748342	753341*
सकल जोड़	9174917	9114760	9148256

*इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मिट्टी के तेल का उठान आईपीसी के अनुसार।

विवरण-VI

सितम्बर, 2006 से जुलाई, 2007 तक के महीनों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के तहत राज्यों को गेहूं का अतिरिक्त आबंटन

(टन में)

क्र.सं.	राज्य	सितम्बर, 06	अक्तूबर, 06	नवम्बर, 06	दिसम्बर, 06	जनवरी, 07–मार्च, 07 (प्रति माह)	अप्रैल, 07–जुलाई, 07 (प्रति माह)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4000	4000	4000	4000	4000	4000
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	300	300	300	300	300
3.	असम	4000	4000	3000	3000	3000	3000
4.	बिहार	4000	4000	2000	2000	2000	2000

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	3000	3000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	दिल्ली	8000	8000	10000	10000	10000	5000
7.	गोवा	500	500	500	500	500	500
8.	गुजरात	5000	5000	5000	5000	5000	5000
9.	हरियाणा	2500	2500	1500	1500	1500	1500
10.	हिमाचल प्रदेश	3500	3500	3500	3500	6500	6500
11.	जम्मू और कश्मीर	5000	5000	5000	5000	5000	5000
12.	झारखंड	2000	2000	2000	2000	2000	2000
13.	कर्नाटक	4000	5000	5000	5000	5000	5000
14.	केरल	5000	6000	8000	8000	8000	8000
15.	मध्य प्रदेश	5000	5000	5000	5000	5000	5000
16.	महाराष्ट्र	5000	6000	10000	10000	10000	10000
17.	मणिपुर	300	300	300	300	300	300
18.	मेघालय	300	300	300	300	300	300
19.	मिजोरम	300	300	300	300	300	300
20	नागालैंड	300	300	300	300	300	300
21.	उड़ीसा	4000	5000	4000	4000	4000	4000
22.	पंजाब	2500	2500	2500	2000	12000	3000
23.	राजस्थान	6000	6000	6000	6000	6000	6000
24.	सिक्किम	300	300	300	300	300	300
25.	तमिलनाडु	4000	5000	5000	5000	6250	6250
26.	त्रिपुरा	800	800	800	800	800	800
27.	उत्तर प्रदेश	5000	5000	5000	5000	5000	5000
28.	उत्तराखंड	5000	5000	5000	5000	10000	5000
29.	पश्चिम बंगाल	10000	5000	5000	5000	5000	5000
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	100	100	300	300	300
31.	दादर और नगर हवेली	50	50	50	50	50	50

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	पांडिचेरी	100	100	150	150	150	150
33.	छत्तीसगढ़	50	50	50	50	50	50
34.	लक्षद्वीप	50	50	शून्य	50	50	50
35.	दमन और दीव	50	50	50	50	50	50
	कुल	100000	100000	100000	99750	119000	100000

वर्तमान वर्ष के दौरान असम और केरल को क्रमशः 18,800 और 21000 टन चावल अतिरिक्त आवंटन भी किया गया।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के लाभ में गिरावट

1007. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भांडागार निगम (सी. डब्ल्यू.सी.) के लाभ में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा स्थापना लागत में कितनी कमी आई है तथा आज की तिथि तक कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(घ) क्या सी.डब्ल्यू.सी. ने उक्त अवधि के दौरान अपनी भंडारण क्षमता का उपायोग करने के बजाय खुले प्लिंथ किराये पर लिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इन प्लिंथों के किराये के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय भण्डारण निगम की आय और लाभ में लगातार वृद्धि का रूझान है। 2003–04, 2004–05, 2005–06 और 2006–07 (अनंतिम) के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा अर्जित लाभ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कारोबार	कर से पूर्व लाभ	कर के पश्चात लाभ
2003-04	462.86	33.88	22.43
2004-05	522.87	60.42	41.30
2005-06	619.50	106.95	70.62
2006-07	687.35	146.27	100.27

(ग) स्थापना लागत को कम करने के लिए निगम ने वर्ष 2002–03 और 2005–06 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की थी। कुल मिलाकर 1588 कर्मचारियों ने इसके लिए विकल्प दिया था। इसके अलावा निगम के निर्माण सैलों का प्रगामी रूप से विलय किया गया है, जो अब 17 से घट कर 5 हो गए हैं। इसी प्रकार स्थापना/प्रशासनिक लागत को कम करने तथा कुशलता लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 17 से घटाकर 16 कर दी गई है। कुल लागत के प्रति स्थापना लागत वर्ष 2003–04 के 42.49 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2005–06 में 38.48 प्रतिशत रह गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ

1008. प्रो. एम. रामदास :
श्री मदन लाल शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एस.एफ.ए.सी.) का गठन करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों में राज्य स्तरीय लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघों का गठन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी राज्य राज्य–स्तरीय एस. एफ. ए. सी. का गठन करें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) लघु कृषक व्यवसाय संघ (एसएफएसी) की स्थापना हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित की

गई। कृषि मंत्रालय ने जनवरी 1994 में एसएफएसी को एक सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स, भारतीय स्टेट बैंक, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 10.95 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस अंशदान के साथ एसएसएसी सोसाइटी का प्रवर्तक सदस्य है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) 8वीं और 9वीं योजना के दौरान, एसएफएसी अपनी अवसंरचना की स्थापना के अलावा राज्य स्तरीय एसएफएसी की स्थापना हेतु 16 राज्यों को बराबर के कॉर्पस का अंशदान दिया और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, तमिलनाडु में राज्य स्तरीय एसएफएसी की स्थापना की गई। केन्द्रीय एसएफएसी और संबंधित राज्य सरकार के बराबर के कॉर्पस से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार में वर्ष 2003 और 2006 के बीच 4 और राज्य स्तरीय एसएफएसी की स्थापना की गई।

इसके अलावा 4 राज्य सरकारों अर्थात गुजरात, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने एसएफएसी से संबंधित कार्य क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए शीर्षस्थ एजेंसियों को अभिनामित किया है। शेष राज्यों से अनुरोध किया गया है कि बराबर का अंशदान करके अपने-अपने राज्यों में राज्य स्तरीय एसएफएसी की स्थापना करें।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

1009. डा. सत्यनारायण जटिया :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार खाद्यान्नों के उत्पादन, मांग तथा आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई तथा इसके लिए कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस. पी.) का भुगतान किया गया; और

(ग) देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) 19.7.2007 को जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश के खाद्यान्नों का उत्पादन 2006-07 के दौरान 216.13 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। चालू कृषि वर्ष 2007-08 के लिए खरीफ फसल की बुआई जारी है तथा सूची अनुसार 2007-08 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान सितम्बर, 2007 में प्रकाशित किए जाएंगे। 2006-07 के दौरान राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

'भारत में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की पारिवारिक खपत, 2004-05' पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 61वें दौर की रिपोर्ट में बतलाई गई प्रति व्यक्ति मासिक खपत की मात्रा तथा भारत के महापंजीकार कार्यालय द्वारा दिए गए जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर 2006-07 के दौरान वांछित खाद्यान्नों की कुल मात्रा 182.65 मिलियन टन पर अनुमानित की गई थी जिसमें बीज, चारा तथा अवशिष्ट शामिल हैं। 2007-08 में देश की खाद्यान्नों की खपत संबंधी आवश्यकता 185.23 मिलियन टन अनुमानित की गई है। राज्य-वार खपत संबंधी आवश्यकता उपलब्ध नहीं है। खाद्यान्नों की भरपूर आपूर्ति के लिए 2006-07 (फरवरी तक) के दौरान 14.24 लाख टन गेहूं तथा 19.70 लाख टन दालें भी आयात की गई थीं।

(ख) निम्नलिखित सारणी 2006-2007 तथा 2007-08 (विपणन वर्ष के अनुसार) के दौरान चावल तथा गेहूं का प्रापण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाती है:

फसल	प्रापण (लाख टन)		न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए/क्विंटल)	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
चावल	249.95*	प्रापण वर्ष अभी आरंभ होना है।	580+40 बोनस सामान्य	645
			610+40 बोनस ग्रेड ए	675
गेहूं	92.25	111.04 #	750+100 बोनस	-

* 16.08.2007 को # 13.08.2007 को

(ग) अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2000 से चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम आई. सी.डी.पी. नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वन में है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्यों सरकारों के बीच 90:10 प्रतिशतता भाग के आधार पर उन्नत/हाइब्रीड उत्पादन प्रौद्योगिकी, कीट प्रबंधन, कृषि उपकरणों, टपकाव सिंचाई प्रणाली की स्थापना, किस्मीय बदलाव तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'तिलहन, दालों, पाम आयल तथा मक्का पर केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम' (आइसोपॉम) 1.4.2004 से कार्यान्वयन में

है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार ने देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि वृद्धि में सुधार के लिए दो स्कीमें प्रारंभ की हैं। ये हैं (i) राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन तथा (ii) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम।

विवरण

वर्ष 2006–07 के दौरान खाद्यान्नों का राज्य–वार उत्पादन

राज्य	उत्पादन ('000 टन)
आंध्र प्रदेश	16286.0
असम	2722.0
बिहार	10500.0
छत्तीसगढ़	5803.0
गुजरात	6499.0
हरियाणा	14752.0
हिमाचल प्रदेश	985.0
जम्मू और कश्मीर	1517.0
झारखण्ड	3686.0
कर्नाटक	9022.0
केरल	639.0
मध्य प्रदेश	13579.0
महाराष्ट्र	13092.0
उड़ीसा	7251.0
पंजाब	25247.0
राजस्थान	13788.0
तमिलनाडु	9056.0
उत्तर प्रदेश	41659.0
उत्तरांचल	1750.0
पश्चिम बंगाल	15873.0
अन्य	2425.2
कुल	216131.2

* 19.07.2007 को जारी चौथा अग्रिम अनुमान

[हिन्दी]

सूचना केन्द्र की स्थापना

1010. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर पर एक केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्रोडबैंड, इन्टरनेट वाले सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक स्कीम का अनुमोदन किया है। ये केन्द्र एक राज्य में प्रत्येक छह जनगणना वाले गांवों हेतु एक सीएससी के अनुपात में खोले जाएंगे। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी सेवाओं का मिश्रण प्रदान करेंगे। इस स्कीम को सार्वजनिक निजी सहभागिता तरीके से क्रियान्वित किया जाना है।

इस स्कीम का कुल परिव्यय 5742 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें सीएससी की स्थापना तथा तत्पश्चात 4 वर्षों के लिए उनके परिचालन की लागत शामिल है। व्यवहार्यता अंतराल (गैप) वित्तपोषण के रूप से सरकारी सहायता 1649 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और शेष निजी क्षेत्र के निवेशों से आना है।

सीएससी स्कीम के अधीन दी जाने वाली सेवाएं मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा दी जानी है। विभिन्न राज्य ई–गवर्नेंस सेवाएं देने के लिए अपने बैकएण्ड के ई–एनेबलमेण्ट के विभिन्न स्तरों पर हैं। राज्य सरकारों द्वारा धीरे–धीरे इन सेवाओं को सक्षम बनाया जाएगा और राज्य सरकारें उन सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए जिम्मेवार है कि कृषि सहित कौन सी सरकारी सेवाएं सीएससी द्वारा दी जानी है और इन्हें किस ढंग से दिया जाना है।

कृषक समुदायों को सूचना/सेवाएं देने के लिए कृषि से संबंधित कम्प्यूटर आधारित अनुप्रयोग पैकेजों का विकास कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने "डेकनेट" प्रयासों के अधीन और राज्यों द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वित्तपोषित "एग्रीसनेट" प्रयासों के अधीन शुरू की जा रही है।

[अनुवाद]

कन्नानोर, केरल में नौसेना अकादमी

1011. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के कन्नानोर स्थित रक्षा अकादमी (नौ सेना) में उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अकादमी के और भी विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अकादमी ने हाल ही में कौन-कौन से कार्यकलाप किए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) केरल के एझिमाला में स्थित नौसेना अकादमी का कार्य 750 कैडटों के बी. टेक स्तर तक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। संड़क/ट्रक सेवा, चार स्क्वैड्रन कैडेट मेस तथा फ्लोटिला परिसर इत्यादि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं पहले से ही स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) इस समय अकादमी में और अधिक विस्तार किए जाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) ऊपर भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2005 में प्रशिक्षण कार्य की शुरूआत के बाद से नौ सेना उन्मुखीकरण के चार पाठयक्रम पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।

कृषि फार्म

1012. श्री पी. सी. गद्दीगउडर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक में चलाये जा रहे अधिकांश कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। रायचुर जिला, कर्नाटक के सिंधुर तालुक में जवालगेरा में सेंट्रल स्टेट फार्म अपेक्षित सिंचाई सुविधाओं के अभाव में घाटे में चल रहा है। तथापि कुछ उपरिव्यय को शेयर करने और अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए फार्म में बीज उत्पादन के अतिरिक्त निकटवर्ती किसान के खेतों में दलहन के बीज का उत्पादन भी शुरू किया गया है। फसलों के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए सिंचाई अवसंरचना का सुधार जल-मार्गों का तल मजबूत बनाना, जल टैंकों का निर्माण, खेतों का समतलन और मशीनरी की खरीद विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कृषि विकास हेतु अनुसंधान प्रयोगशाला

1013. श्री सुरूआनी सरोज :

श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा अन्य अनुसंधान केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन केन्द्रों में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की बढ़ती हुई आवश्यकता के मद्देनजर देश में ऐसे और अधिक अनुसंधान केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95 संस्थान/केन्द्र हैं जिनमें 4 मानद विश्वविद्यालय, 5 राष्ट्रीय ब्यूरो, 43 राष्ट्रीय संस्थान, 1 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, 12 परियोजना निदेशालय तथा 30 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र विभिन्न राज्यों में अवस्थित है। इसके अलावा 42 राज्य कृषि विश्वविद्यालय राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण I तथा II में दी गई है।

(ख) ये केन्द्र खाद्य फसलों, चारा फसलों, तिलहनों, दलहनों, व्यावसायिक फसलों, पटसन व सम्बद्ध रेशों; फल वाली फसलों, सब्जी वाली फसलों, केन्द्रीय फसलों, पुष्पोत्पादन, रोपण फसलों, औषधीय एवं सगंधीय पौधों, मसालों सहित बागवानी फसलों; पशुधन एवं मुर्गीपालन; मात्स्यिकी और सस्योत्तर प्रसंस्करण पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, हां। अनुसंधान आवश्यकताओं तथा उभरते अनुसंधान संबंधी मुद्दों के आधार पर अब विभाग ने निम्नलिखित 3 नए संस्थानों को स्थापित करने के लिए योजना आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव किया है।

(i) राष्ट्रीय जैविक दबाव प्रबंधन संस्थान

(ii) राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंध संस्थान

(ii) राष्ट्रीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान

(घ) एक बार योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर व्यय वित्त समिति का ज्ञापन तैयार किया जाएगा और वित्त मंत्रालय की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

विवरण-I

संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजनाओं निदेशालयों का नाम	संस्थानों/रा.अ. केन्द्रों/ परियोजना निदेशालयों की संख्या
1	2	3
	अण्डमान तथा निकोबार	**1**
1	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	
	आन्ध्र प्रदेश	**9**
2	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री	
3	केन्द्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	
4	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तथा प्रबंधन अकादमी (नार्म), हैदराबाद	
5	राष्ट्रीय तेलताड़ अनुसंधान केन्द्र, पेडावेगी, पश्चिमी गोदावरी	
6	राष्ट्रीय मांस तथा मांस उत्पादन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	
7	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	
8	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	
9	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	
10	मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	
	अरुणाचल प्रदेश	**1**
11	राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र, पश्चिमी कैमेंग	
	असम	**1**
12	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी	
	बिहार	**2**
13	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्प्लेक्स, पटना	
14	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुज्जफरपुर	
	दिल्ली	**8**
15	राष्ट्रीय पौध अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	
16	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	
17	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	
18	राष्ट्रीय पौध जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	
19	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली	
20	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी और नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	
21	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	

1	2	3
22	कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय (दीपा), नई दिल्ली	
	गुजरात	**2**
23	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़	
24	राष्ट्रीय औषधीय तथा सगंधीय पौधा अनुसंधान केन्द्र, आनन्द	
	गोवा	**1**
25	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान केन्द्र, कॉम्पलैक्स, गोवा	
	हिमाचल प्रदेश	**2**
26	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	
27	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र, सोलन	
	हरियाणा	**6**
28	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	
29	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	
30	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	
31	राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल	
32	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	
33	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	
	जम्मू और कश्मीर	**1**
34	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	
	झारखण्ड	**1**
35	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची	
	केरल	**5**
36	केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	
37	केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड	
38	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	
39	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	
40	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि	
	कर्नाटक	**5**
41	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	
42	राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिकी संस्थान, बंगलौर	
43	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर	
44	जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बैंगलौर	

1	2	3
45	पशु रोग निगरानी परियोजना निदेशालय, हैब्बल, बंगलौर	
	मेघालय	1
46	उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्पलैक्स, बड़ापानी	
	महाराष्ट्र	8
47	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	
48	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर	
49	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	
50	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	
51	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, सिट्रस, नागपुर	
52	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, अंगूर, पुणे	
53	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्याज और लहसुन, पुणे	
54	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, अनार सोलापुर	
	मध्य प्रदेश	4
55	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	
56	केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल	
57	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र–सोयाबीन, इंदौर	
58	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र–खरपतवार विज्ञान, जबलपुर	
	नागालैंड	1
59	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, मिथुन, मेदजिफेमा, नागालैंड	
	उड़ीसा	4
60	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	
61	केन्द्रीय ताजा जल जन्तु पालन संस्थान, भुवनेश्वर	
62	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर	
63	कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर	
	पंजाब	1
64	केन्द्रीय संस्योत्तर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना	
	राजस्थान	6
65	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	
66	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	
67	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान	

1	2	3
68	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	
69	राष्ट्रीय ऊष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर	
70	राष्ट्रीय तोरिया और सरसों अनुसंधान केन्द्र, (एनआरसीआरएम), भरतपुर	
	सिक्किम	1
71	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, आर्किड, पेक्योंग, सिक्किम	
	तमिलनाडु	3
72	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	
73	केन्द्रीय खारा पानी जलजन्तुपालन संस्थान, चेन्नई	
74	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची	
	उत्तर प्रदेश	14
75	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	
76	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	
77	भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	
78	राष्ट्रीय कृषि प्रमुख सूक्ष्म आर्गनिज्म ब्यूरो (एनबीएआईएम), मऊ	
79	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	
80	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	
81	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम	
82	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	
83	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	
84	राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ	
85	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी	
86	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	
87	फसल प्रणाली अनुसंधान संस्थान निदेशालय, मोदीपुरम	
88	मवेशी परियोजना निदेशालय, मेरठ	
	उत्तरांचल	4
89	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा	
90	केन्दीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	
91	राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, भीमताल, नैनीताल	
92	खुरपका तथा मुहंपका रोग परियोजना निदेशालय, मुक्तेश्वर	

1	2	3
	पश्चिम बंगाल	3
93	केन्द्रीय पटसन तथा संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	
94	राष्ट्रीय पटसन तथा संबद्ध रेशा प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता	
95	केन्द्रीय अन्तःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	
	कुल	95

विवरण-II

कृषि विश्वविद्यालय की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय
1	2
	असम
1	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट–785013
	आन्ध्र प्रदेश
2	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500030
3	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरूपति–517502
4	बागवानी विश्वविद्यालय, वेंकटारमनगुडेम नजदीक टेडीपल्लीगुडे, पश्चिम गोदावरी
	बिहार
5	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा–848125
	छत्तीसगढ़
6	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय–492012
	गुजरात
7	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द–388110
8	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
9	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी–396 450
10	सरकार कुसीनगर, दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, दंतीवाड़ा–385506
	हरियाणा
11	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार–125004
12	चौ. श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर–176062
13	डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन–173230
	जम्मू और कश्मीर
14	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू–180004
15	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर–191121
	झारखण्ड
16	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची–834006
	कर्नाटक
17	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर–560065
18	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़–580005
19	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदार–585401
	केरल
20	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर–680656
	मध्य प्रदेश
21	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर–482004
	महाराष्ट्र
22	डा. बालासाहिब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली–415712
23	महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर–440006

1	2
24	मराठवाड़ा पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर–431402
25	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी–413722
26	डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला–444104
	उड़ीसा
27	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी उड़ीसा विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर–751003
	पंजाब
28	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाणा–141004
29	गुरू अंगत देश पशु–चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना–141004
	राजस्थान
30	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर–313001
31	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर–334002
	तमिलनाडु
32	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर–641003
33	तमिलनाडु पशु–चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई–600051
	उत्तर प्रदेश
34	चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर–208002
35	दीन दयाल उपाध्याय पशु–चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा–281001
36	नरेन्द्र देव कृषि एवं टैक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, फैजाबाद–224229
37	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ–250110
	उत्तरांचल
38	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर–263145
39	बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचेरी, टेहरी गढ़वाल
	पश्चिम बंगाल
40	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर–741252
41	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूचबिहार–736165
42	पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता–700037

[अनुवाद]

सुपारी के वृक्षों में रोग

1014. श्री डी. बी. सदानन्द गौड़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य में सुपारी के वृक्ष रोग से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अनुसंधान संस्थान को रोग के कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, सुपारी के वृक्ष फिथोप्लाजमा, बैक्टीरियल और फंगल रोगों नामतः येलो लीफ रोग, कोलेरोगा या महाली, बड रोट और क्राउन रोट, इनफ्लोरेसेंस डाइबैक, लीफ स्पाट, बटन शेडिंग और फूट रोट से प्रभावित हुए हैं। ये रोग तब होते हैं जब सुपारी उत्पादक क्षेत्रों में सहायक जलवायु स्थितियां होती हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, (सी पी सी आर आई), विट्टल नामक एकमात्र क्षेत्रीय केन्द्र इन रोगों पर कार्य कर रहा है। उल्लेख किए गए रोगों के विरुद्ध संस्थान ने निम्नलिखित नियंत्रण उपायों की सिफारिश की है:

(i) कोलेरोगा या महाली : 44 दिनों के अंतराल पर 2 बार 1% बोर्डेआक्स मिक्स्चर का छिड़काव।

(ii) बड रोट और क्राउन रोट : 1% बोर्ड आक्स मिक्स्चर का छिड़काव और क्राउन के लिए बोर्ड आक्स का अनुप्रयोग। क्राउन

रोट के विरुद्ध 0.3% ट्रिडेमोर्फ या 0.3% फस्फोरिक एसिड (3 एम एल/1) से पामों के जड़ों में दवा डालना।

(iii) इनफ्लोरेसेंस डाइ बैक और बटन शेडिंग : 3 ग्राम/1 की दर पर इण्डोफिल एम–45 या 4 ग्राम/1 की दर पर डियोने जेड–78 का छिड़काव।

(iv) लीफ स्पाट : 0.3% डिथाने एम–45 (3 ग्राम/1 पानी) का छिड़काव।

(v) फूट रोट : पामों के थालों में 4 लीटर/पाम की दर पर 0.3% कालिक्सिन दिया जाना चाहिए (3 एम एल/1) और त्रैमासिक अंतरालों पर 125 एम एल/पाम की दर 1.5% कुलिक्सिन की रूट फीडिंग 2 कि.ग्रा. नीम केक/पाम/वर्ष का अनुप्रयोग और 15–20 कि.ग्रा./पाम/वर्ष की दर पर हरी पत्ती व फार्म यार्ड खाद के अनुप्रयोग की भी सिफारिश की जाती है।

(vi) येलो लीफ रोग : समेकित फसल प्रबंधन प्रौद्योगिकी को अपनाना जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ संतुलित पोषकतत्व प्रबंधन, हरी खाद बनाना, इष्टतम सिंचाई और उचित निकासी, प्रभावित पामों को हटाया जाना आदि शामिल है, की सिफारिश की जाती है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण हेतु निधियां

1015. श्रीमती कपाताई डी. पाटील :
श्री इंसराज गं. अहीर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यों में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों के योगदान से उनके द्वारा कृषि/प्राथमिकता क्षेत्र को दी जाने वाली ऋण सहायता में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उतना निवेश करके वर्ष 1995–96 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) का गठन किया गया था। कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली ऋण सहायता, जिसका लक्ष्य निवल बैंक उधार का 18 प्रतिशत है, की कमी को पूरा करने के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा नाबार्ड के साथ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) में अपने योगदान के रूप में निवेश किया जा रहा है। निधि प्रदान करने का उद्देश्य राज्य सरकारों को मौजूदा ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने तथा नई अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने में सहायता करना है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत बाढ़ नियंत्रण के लिए निधि उपलब्ध कराना एक उचित क्रियाकलाप है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2007–08) के दौरान नाबार्ड, मुम्बई की सूचना के अनुसार किसी भी बाढ़ नियंत्रण परियोजना को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

स्कैयर स्पैक्ट्रम का उपयोग

1016. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीएसएम आपरेटर स्पैक्ट्रम का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जीएसएम आपरेटरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या जीएसएम और सीडीएमए आपरेटरों की लेटेस्ट कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी (सीओई) उपभोक्ताओं और एमएच जेट के आधार पर निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) जीएसएम प्रचालकों को, उनके संबंधित सेवा लाइसेंस करारों के संगत प्रावधानों के अनुसार आरंभिक स्पैक्ट्रम आबंटित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, आबंटित स्पैक्ट्रम का इष्टतम और दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, आरंभिक आबंटन के बाद अतिरिक्त आबंटन का अपेक्षित मापदंड तय किया गया था। मौजूदा मापदंड में औसतन एक माह के दौरान क्रमशः 'विजिटर लोकेटर रजिस्टर' (वीएलआर) और 'नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली' (एनएमएस) में दर्ज 'एक्टिव उपभोक्ता' और 'व्यस्ततम परियात' को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम आबंटन के लिए मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

स्वान परियोजनाएं

1017. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्वान परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए इस मामले पर शेष राज्यों के साथ कार्रवाई करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) "राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क" (स्वान) शीर्षक की ई–शासन मूलसंरचना के विकास की मुख्य योजना को सरकार द्वारा मार्च, 2005 में 3334 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से सारे देश के लिए अनुमोदित किया गया था जिसमें से सहायता अनुदान के रूप में 2005 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय 5 वर्षों तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजट से किया जाएगा। स्वान योजना के अंतर्गत 2 मेगाबाइट्स प्रति सेकण्ड की न्यूनतम क्षमता के आन्तर–राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जो जी2 जी तथा जी2सी सेवाओं की प्रदायगी के प्रयोजन से एक सुरक्षित सरकारी नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य मुख्यालयों का ब्लॉक मुख्यालयों से सम्पर्क स्थापित करेगा।

सरकार द्वारा स्वान पर गठित अधिकार प्राप्त समिति ने 35 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से अब तक 28 स्वान परियोजनाओं को अनुमोदित किया है तथा वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के स्वान प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। संघ शासित क्षेत्रों दमन और दियू, दादरा और नगर हवेली तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष जल्दी ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने स्वान योजना से अपना नाम वापस ले लिया है तथा गोवा राज्य ने निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वयं अपना ब्रोडबैण्ड नेटवर्क शुरू किया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्वान परियोजना प्रस्ताव तैयार करके उन्हें अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकें इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्वान दल द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के परियोजना प्रस्ताव भी तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दल ने अरुणाचल प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र दमन और दियू तथा दादरा और नगर हवेली का दौरा किया है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आसूचना स्थापनाओं को सार्वजनिक करना

1018. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू आई के आई एम ए पी आई ए वेबसाइट ने देश की आसूचना स्थापनाओं सहित भारत की सभी महत्वपूर्ण स्थापनाओं को मानचित्रों और उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या किसी वेबसाइट को देश की महत्वपूर्ण आसूचना स्थापनाओं के मानचित्रों और तस्वीरों को सार्वजनिक करने की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू आई के आई एम ए पी आई ए वेबसाइट एक खुली वेबसाइट है जिस पर मानचित्र और उपग्रह प्रतिबिम्ब प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रयोक्ता वेबसाइट पर प्रदर्शित मानचित्रों और उपग्रह प्रतिबिम्बों पर सूचना डाल सकते हैं। जब कभी सरकार की जानकारी में किसी वेबसाइट पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बात उभरती है, तब इसके लिए समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं

1019. डा. राजेश मिश्रा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने यह आशंका व्यक्त की है कि देश में परमाणु हमलों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रत्यक्ष सुविधा का अभाव है; और

(ख) देश में ऐसे संकट का सामना करने के लिए बेहतर तैयारी हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) किसी नाभिकीय आक्रमण के बहुआयामी युद्ध परिणाम होते हैं जिससे निपटने के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं सहित बड़ी संख्या में एजेंसियों के शामिल होने की आवश्यकता होगी। तुरंत प्रारंभिक प्रतिक्रिया हेतु सेना में अनेक त्वरित प्रतिकार्रवाई दल तथा त्वरित चिकित्सा प्रतिकार्रवाई दलों का गठन किया गया है। अन्य उपायों में संबद्ध चिकित्सा संस्थाओं

के रूप में चार महानगरों में सेवा अस्पतालों तथा प्रत्येक राज्य/संघीय प्रदेश में एक अस्पताल की पहचान करना ताकि ये अस्पताल बड़ी संख्या में हताहतों को संभालने में सक्षम हो सकें, चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टॉफ का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पेशवरों आदि के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए विशेष संस्थाओं में प्रशिक्षण सम्पुट तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। खतरे की अवधारणा के मद्देनजर ऐसी तैयारी करना एक सतत् प्रक्रिया है।

सशस्त्र सेना चिकितसा सेवा ने देश में नाभिकीय आक्रमण के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए अपनी तैयारी के संबंध में कोई आशंका व्यक्त नहीं की है।

[अनुवाद]

3जी नेटवर्क हेतु नीति

1020. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल ने केन्द्र सरकार से थर्ड जेनरेशन (3जी) नेटवर्क में जीएसएम लाइनों हेतु 1.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 3जी नेटवर्क हेतु नीति को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक स्कूलों से एन डी ए में कम संख्या में भर्ती

1021. श्री एन. राजा मोहन रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैनिक स्कूलों में एन डी ए में भर्ती की संख्या संतोषजनक संख्या से काफी कम है क्योंकि सैनिक स्कूल एन डी ए की फीडर संस्था होने के नाते अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कुल भर्ती में सैनिक स्कूलों के हिस्से में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है, यह वर्ष 2003 में 16.9% से बढ़कर वर्ष 2007 में 25.1% हो गई है। विवरण नीचे दिए अनुसार है:–

क्रम. सं.	वर्ष	कुल भर्ती (दोनों समय–कालों में)	सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या	सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों की प्रतिशतता
1.	2003	602	102	16.9%
2.	2004	623	125	20.0%
3.	2005	596	114	19.1%
4.	2006	667	171	25.6%
5.	2007	643	162	25.1%

लघु उद्योग क्षेत्र पर मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाया जाना

1022. श्री सुनील खां : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्यम उद्यमों के मात्रात्मक प्रतिबंध को हटा लिया है जिससे लघु उद्योग क्षेत्र को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार मध्यम उद्यमों से मुकाबला करने हेतु लघु उद्योग क्षेत्र को उत्पादन क्षमता पर मात्रात्मक प्रतिबंध को बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने निर्माता लघु उद्यमों या मध्यम उद्यमों की उत्पादन क्षमता पर किसी प्रकार का मात्रात्मक प्रतिबंध न तो हटाया है, न ही लगाया या बढ़ाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मत्स्यपालकों को लाभ

1023. श्री एन. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलचर पालन को कृषि का भाग माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मत्स्यपालकों को आयकर, विद्युत और जल प्रशुल्कों आदि में वैसी ही रियायतें मिल रही हैं जैसी कृषि क्षेत्र को दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मत्स्य पालकों के समान रियायतें दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) कृषि राज्य का विषय है। जबकि कुछ राज्यों ने जलकृषि को कृषि के एक अंग के रूप में अधिसूचित किया है, अधिकांश राज्यों ने अभी ऐसा नहीं किया है।

(ख) केवल उन्हीं राज्यों ने जिन्होंने जलकृषि को कृषि के एक अंग के रूप में अधिसूचित किया है, जलकृषि किसानों को भी वे कुछ रियायतें दी हैं जो कृषि के लिए लागू है।

(ग) यह पूर्णतः संबंधित राज्य सरकारों पर है कि वे इस संबंध में निर्णय लें।

[हिन्दी]

बीजों की उपलब्धता

1024. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री 07 मई के अ.प्र.सं. 4329 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीफ मौसम, 2007 में बीजों की उपलब्धता कुछ राज्यों में बहुत कम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी राज्य–वार कितनी कमी है;

(ग) क्या बीज की अतिरिक्त उपलब्धता वाले राज्यों से बीजों की कमी वाले राज्यों में भेजने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राजस्थान को बीज अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु सहायता प्रदान न किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों में, खरीफ 2007 हेतु बीज उपलब्धता प्रक्षिप्त मांग की तुलना में कम रही है। अन्य दूसरे राज्यों में बीज उपलब्धता मांग से अधिक रही है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) ऐसे राज्यों से जहां बीज उपलब्धता मांग से अधिक है, कम उपलब्धता वाले राज्यों को बीज भेजने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कमी वाले राज्यों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम सहित अधिक उपलब्धता वाले/राज्यों/राज्य बीज निगम से टाई–अप व्यवस्था करें।

(च) बीज अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास (बीज गोदाम का निर्माण) के लिए राजस्थान राज्य बीज निगम को चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

विवरण

खरीफ – 2007 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज की राज्य–वार मांग और उपलब्धता

मात्रा क्विंटल में

राज्य का नाम	मांग	उपलब्धता	अधिशेष कमी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2206880	2400600	+193720
अरूणाचल प्रदेश	7100	7100	-
असम	79404	78604	-800
बिहार	264580	253590	-10983
छत्तीसगढ़	156515	102934	-53581
गोवा	3060	3060	-
गुजरात	238956	281596	+42640
हरियाणा	84820	122268	+37448
हिमाचल प्रदेश	22570	22570	-
झारखण्ड	104561	114775	+10214
जम्मू और कश्मीर	20981	20587	-394
कर्नाटक	621665	681800	+60135
केरल	22625	11062	-11563
मध्य प्रदेश	680000	724682	+44682
मेघालय	7367	8188	+821

1	2	3	4
महाराष्ट्र	1268388	1301297	+32909
मणिपुर	2740	2740	-
मिजोरम	4675	4675	-
नागालैंड	12000	12000	-
उड़ीसा	237068	279661	+42593
पांडिचेरी	2270	3050	+780
पंजाब	79425	164585	+85160
राजस्थान	421535	368623	-52912
सिक्किम	3510	3510	-
तमिलनाडु	100134	287267	+187133
त्रिपुरा	18383	18383	-
उत्तराखण्ड	24794	30128	+5334
उत्तर प्रदेश	656580	639287	-17293
पश्चिम बंगाल	511600	511050	-550
सकल योग	7864186	8459679	+595493

[अनुवाद]

बीएसएनएल के कार्यकरण पर सीएजी की रिपोर्ट

1025. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल द्वारा अपनी विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित करने में अत्यधिक विलम्ब करने के लिए इस कंपनी पर आलोचनात्मक टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि बीएसएनएल लगभग दो वर्ष बीतने के बाद भी 641 लाख लाइनों द्वारा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के एक बड़े विस्तार हेतु आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो सीएजी द्वारा अपनी रिपोर्ट में जताई गई अन्य मुख्य आपत्तियां क्या हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए बीएसएनएल द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कुछ क्षेत्रों पर विशेष बल दिया है, जहां बीएसएनएल को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तदनुसार, स्थल अधिग्रहण, मूलभूत सुविधाओं के सर्जन और रेडियो फ्रक्वेंसी आबंटन संबंधी अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) से अनुमति लेने के लिए बीएसएनएल ने कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) सीएजी ने टिप्पणी की है कि निविदा को अंतिम रूप देने के दौरान प्रत्येक स्तर पर विलम्ब हुआ था। उन्होंने यह भी कहा है कि इस विलम्ब के कारण, नेटवर्क में उपभोक्ताओं को शामिल करने के अवसर को गंवा दिया गया है।

(ङ) अब बीएसएनएल ने सफल बोलीदाता को अग्रिम क्रय आदेश (एपीओ) दे दिया है।

सीमा निर्धारित करने पर संयुक्त कार्यवाही

1026. श्री अबु अयीश मंडल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमा निर्धारित करने के मुद्दे पर संयुक्त रक्षा कार्यवाही पर किसी दूसरे देश के समय एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रचालनात्मक प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्याज की खेती

1027. श्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू खरीफ मौसम में प्याज की खेती वाले क्षेत्र में बढ़ोतरी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन में संभावित बढ़ोतरी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्याज के ऐसे भारी उत्पादन के लिए उचित भण्डारण तथा इसके मूल्य को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लगभग सभी खरीफ प्याज उत्पादक राज्यों में अच्छी वर्षा और प्याज के प्रचालित बेहतर मूल्यों के कारण वर्तमान खरीफ मौसम में प्याज की खेती के अधीन क्षेत्र 16% बढ़ने और उत्पादन में लगभग 20% वृद्धि अपेक्षित है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन के अनुमानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) अगेती रोपी गई फसल के लिए खरीफ प्याज की कटाई आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले ही शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में अगेती सितम्बर के शुरू में आरंभ होगी तथा गुजरात और राजस्थान में अक्तूबर से आरंभ होगी। खरीफ प्याज की मुख्य कटाई नवम्बर में आरंभ होगी। खरीफ प्याज का भण्डारण नहीं किया जाता है क्योंकि भारी उत्पादन रबी मौसम फसल से होता है, जिसकी कटाई मार्च के अंत से शुरू होती है तथा अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद का भण्डारण अप्रैल–मई के दौरान किया जाता है।

विवरण

खरीफ 2006 और 2007 के दौरान क्षेत्र और उत्पादन संबंधी प्रारंभिक उत्पादन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (हजार एमटी)		
	2006	2007	%वृद्धि कमी	2006	2007	%वृद्धि कमी
आंध्र प्रदेश	2.10	3.50	66.67	18.50	35.00	89.19
बिहार	2.05	2.25	9.76	30.65	30.65	0.00
गुजरात	6.82	10.00	46.63	136.40	200.00	46.63
हरियाणा	5.30	5.50	3.77	96.00	100.00	4.17
कर्नाटक	34.78	38.00	9.27	278.21	305.00	9.63
मध्य प्रदेश	3.12	4.00	28.21	49.92	65.00	30.21
महाराष्ट्र	11.70	16.00	36.70	222.39	31 0.00	39.40
उड़ीसा	0.43	0.45	5.88	7.23	7.50	3.81
राजस्थान	14.47	15.50	7.13	245.97	270.00	9.77
तमिलनाडु	14.49	15.00	3.52	159.39	165.00	3.52
उत्तर प्रदेश	1.15	2.50	117.39	12.00	25.00	108.33
अन्य	4.36	4.55	4.42	61.01	65.00	6.55
अखिल भारत	100.76	117.25	16.36	1317.66	1578.15	19.77

बासमती के लिए भौगोलिक संकेतक मार्क

1028. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बासमती के लिए संयुक्त भौगोलिक संकेतक (जी आई) की मांग के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा संयुक्त प्रयत्न दोनों देशों के व्यापारियों के बीच विवादों के कारण कम होता प्रतीत हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के व्यापारियों की मुख्य चिंताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में उनके मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच भी मतभेद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बासमती के लिए जी आई मार्क हेतु एक संयुक्त प्रयत्न करने से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान द्वारा भौगोलिक संकेतक (जी आई) के रुप में बासमती के संयुक्त पंजीकरण के संबंध में दोनों देशों के व्यापारियों के बीच कोई मतभेद का मामला मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है। कृषि मंत्रालय इस विचार का समर्थन करता है कि किसानों के हित में भौगोलिक संकेतक के रूप में बासमती के संयुक्त पंजीकरण के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच कोई मतभेद नहीं है।

(ङ) बासमती जी आई सहित आपसी सहयोग के लिए राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आफ पाकिस्तान और आल इंडिया एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बीच वर्ष 2004 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 31 जुलाई–01 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में हुई आर्थिक व वाणिज्यिक सहयोग पर भारत पाकिस्तान वाणिज्यिक सचिव स्तरीय वार्ताओं के दौरान, अन्य बातों के साथ–साथ जी आई के रूप में संयुक्त पंजीकरण के संबंधित मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। जी आई के रूप में बासमती के संयुक्त पंजीकरण के लिए भारत ने पहले ही एक कार्य दल गठित कर दिया है।

डी आर डी ओ की परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब

1029. श्री फ्रांसिस फैन्थम :

श्री पुष्प जैन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संबंधी उपकरणों के उत्पादन तथा अनुसंधान से संबंधित कई परियोजनाओं में डी आर डी ओ में विलंब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, इन्हें पूरा करने की समय अवधि कितनी है तथा विलंब के कारण इनकी लागत कितनी बढ़ी है; और

(ग) डी आर डी ओ द्वारा महत्वपूर्ण उपकरणों के उत्पादन में विलंब को देखते हुए सशस्त्र बलों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सेनाओं को सामरिक प्रणालियों के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रणालियों युद्धक टैंकों, इलैक्ट्रानिक युद्ध पद्धति और संचार प्रणालियों, आर्मर और शस्त्रास्त्रों, जीवन रक्षक प्रणालियों, नौसेना प्रणालियों, प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों इत्यादि से सुसज्जित कर दिया है। कुछ रक्षा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में कतिपय वास्तविक कठिनाइयों के कारण विलंब हुआ था, जैसाकि :–

- तकनीकी जटिलताएं।
- प्रौद्योगिकीय निषेध। प्रतिबंध और विभिन्न नियंत्रण व्यवस्थाएं।
- देश के अंदर अवसंरचना की अनुपलब्धता।
- विस्तृत और लंबे समय तक चलने वाले प्रयोक्ता परीक्षण।
- विकास चरण के दौरान प्रणाली–विनिर्दिष्टियों का संशोधन।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यथाशीघ्र उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अभिनिर्धारित उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अभिनिर्धारित उत्पादन एजेंसी को सहायता और पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

(ग) सरकार ने परियोजनाओं को समय से निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित ठोस उपाय किए हैं:–

- बहु–आयामी पुनरीक्षा तंत्रों के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी प्रगति के लिए समयबद्ध पुनरीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करना।
- नई परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और आकलन को अपनाना।
- सामूहिक बैठकों के माध्यम से प्रयोक्ता सेनाओं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और उत्पादन एजेंसियों के बीच सहक्रिया और बेहतर समन्वय।
- विकास और उत्पादन के लिए समवर्ती इंजीनियरी और संयुक्त उद्यम का दृष्टिकोण अपनाना।
- बेहतर परियोजना प्रबंधन प्रणालियां तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।
- रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया–2006 के अनुसार 'बनाओ' श्रेणी के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान करना।
- सशस्त्र सेनाओं को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया जाता है तथा वे डिजाइन और विकास में भागीदारी करते हैं।

क्रेडिट गारंटी फंड योजना में सुधार

1030. डा. के. एस. मनोज : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को क्रेडिट गारंटी फंड योजना के अंतर्गत लघु एवं मध्यम उद्यमों (एस एम ई) को ऋण न देने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी लघु एवं मध्यम उद्यमों तक उक्त योजना के लाभ पहुंचाने के लिए उक्त योजना में सुधार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितने लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता दी गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, इनके विकास तथा उन्नयन हेतु नया पैकेज शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान इन प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि तथा निर्धारित लक्ष्य क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महादीर प्रसाद) : (क) से (घ) जी, हां। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएंसई) को समपार्श्विकता प्रतिभूति के बगैर ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट के प्रवाह में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने समय समय पर क्रेडिट गारण्टी फंड योजना में कई संशोधन किए हैं। योजना में किए गए कुछ प्रमुख संशोधनों में शामिल हैं :– (i) एक–बारगी गारंटी शुल्क को 2.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक कम करना; (ii) पात्र ऋण सीमा को 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. करना; (iii) सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रु. तक के ऋणों के लिए गारंटी कवर की सीमा को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना; (iv) महिलाओं द्वारा प्रचालित और/या निजी स्वामित्व वाले एमएसई के लिए गारंटी कवर की सीमा को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना; (v) पूर्वोत्तर प्रदेश में सभी ऋणों के लिए एक बारगी गारंटी शुल्क को 1.5 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत तक कम करना; (vi) पूर्वोत्तर प्रदेश में सभी ऋणों के लिए गारंटी कवर की सीमा को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक करना। विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रस्तावों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार ने 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के संवर्धन' के लिए एक पैकेज घोषित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ क्रेडिट समर्थन, राजकोषीय प्रोत्साहन, कलस्टर आधारित विकास के लिए समर्थन, प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन, विपणन समर्थन, उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए समर्थन, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का सशक्तीकरण, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का सुदृढ़ीकरण, तथा एमएसएमई क्षेत्र के आंकड़ों के सुदृढ़ीकरण संबंधी व्यवस्था की गई है। ग्यारहवी योजना के दौरान पैकेज संबंधी योजनाओं के लिए 1585 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत गारंटी कवर के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र	अनुमानित प्रस्तावों की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1	अंडमान और निकोबार	0	2	13
2	आंध्र प्रदेश	327	1475	3323
3	अरुणाचल प्रदेश	2	22	105
4	असम	159	356	1252
5	बिहार	89	344	1416
6	चंडीगढ़	19	47	60
7	छत्तीसगढ़	184	379	180
8	दादर और नगर हवेली	7	1	4
9	दमन और दीयू	3	5	8
10	दिल्ली	48	108	79
11	गोवा	16	52	69
12	गुजरात	183	334	816
13	हरियाणा	214	451	1085
14	हिमाचल प्रदेश	156	254	503
15	जम्मू और कश्मीर	293	201	182
16	झारखण्ड	320	459	232
17	कर्नाटक	737	1649	1748
18	केरल	2205	3459	3867
19	मध्य प्रदेश	505	769	1038
20	महाराष्ट्र	246	518	447
21	मणिपुर	1	48	24
22	मेघालय	5	12	226

1	2	3	4	5
23	मिजोरम	1	41	189
24	नागालैण्ड	1	8	44
25	उड़ीसा	363	707	2319
26	पांडिचेरी	6	26	137
27	पंजाब	248	324	322
28	राजस्थान	110	230	1457
29	सिक्किम	19	14	21
30	तमिलनाडु	869	1713	3807
31	त्रिपुरा	9	43	73
32	उत्तर प्रदेश	1368	1055	1109
33	उत्तरांचल	19	39	106
34	पश्चिम बंगाल	784	1139	1396

[हिन्दी]

बीजों की उपलब्धता

1031. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को सस्ती दरों पर अधिक उपज देने वाले बीजों की आपूर्ति हेतु कोई परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे

स्कीम/घटक	फसल	सहायता के मापदण्ड
1	2	3
वृहद कृषि प्रबंधन मोड़–राज्य कार्य योजना	चावल और गेहूं बाजरा, ज्वार, रागी और जौ	i) प्रमाणित बीज वितरण के लिए 200 रु. प्रति क्विंटल ii) किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण के लिए 400 रु. प्रति क्विंटल iii) बाजरा और ज्वार के संकर के प्रमाणित बीज वितरण के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल
समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम	सभी तिलहन, दलहन और मक्का	i) आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 500 रु. प्रति क्विंटल ii) प्रमाणित बीज वितरण के लिए 800 रु. क्विंटल या बीज लागत का 25% इसमें से जो भी कम हो। किसानों के सम्पूर्ण भूमि जोत के लिए 7500 रु. प्रति है. की अधिकतम सीमा के साथ लागत का 75%
जूट एवं मेस्टा प्रौद्योगिकी मिशन	जूट और मेस्टा तक सीमित	i) आधारी बीज उत्पादन के लिए लागत का 50% 3000 रु. प्रति क्विंटल तक सीमित ii) प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए लागत का 25% 700 रु. प्रति क्विंटल iii) प्रमाणित बीज वितरण के लिए लागत 50: 2000 रु. प्रति क्विंटल तक सीमित
कपास प्रौद्योगिकी मिशन	कपास बीज	i) आधारी बीज उत्पादन के लिए लागत का 50% या 50 रु. प्रति कि.ग्रा. इसमें से जो भी कम हो।

1	2	3
		ii) प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए लागत का 25% या 15 रु. प्रति कि.ग्रा. इसमें से जो भी कम हो। iii) प्रमाणित बीज वितरण के लिए 20 रु. प्रति कि.ग्रा. iv) बीज उपचार के लिए लागत का 50% या 40 रु. प्रति कि.ग्रा. तक सीमित
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बीजों के संचलन पर परिवहन राजसहायता	आलू को छोड़कर सभी प्रमाणित बीज	i) राज्य से बाहर उत्पादित बीजों का चिन्हित राज्य की राजधानी/जिला मुख्यालय तक ढुलाई के लिए कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/एजेन्सियों को सड़क और रेल परिवहन अधिभार के बीच 100% अन्तर की प्रतिपूर्ति की जा रही है। ii) राज्य के अंदर राज्य की राजधानी/जिला मुख्यालय से बिक्री केन्द्रों तक बीजों की ढुलाई के लिए वास्तविक लागत, अधिकतम 60 रु. प्रति क्विंटल तक सीमिति इसमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
बीज ग्राम कार्यक्रम	सभी कृषि फसल	i) किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता बीज के उत्पादन हेतु बीज 50% लागत पर आधारी/प्रमाणित बीज के वितरण के लिए वित्तीय सहायता। ii) 50–150 किसानों के समूह के लिए 15000 रु. की दर से बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता।

टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार हेतु क्लस्टर

1032. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार हेतु अतिरिक्त क्लस्टर स्थापित किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कुल कितने क्लस्टरों को स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) इन क्लस्टरों से कितने गांवों को लाभ मिलेगा; और

(घ) ऐसे सभी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) 27 राज्यों के 500 जिलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 7,871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) को स्थापित करने और उनका प्रबंध करने के लिए सब्सिडी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा एक योजना शुरू की गई है। बोली लगाने के उद्देश्य से एक समूह का निर्माण करने के लिए दो या उससे अधिक जिलों को एक साथ मिलाकर जिलों का एक समूह बनाया गया है। प्रत्येक समूह को एक विशिष्ट समूह संख्या दी गई है और इन टावरों को स्थापित करने के लिए देश में 81 ऐसे समूह बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) उक्त योजना के तहत कुल 2,12,304 गांवों को शामिल किए जाने की संभावना है। यूएसओएफ ने सफल बोलीदाताओं के साथ एक करार सम्पन्न किया है जो 01.06.2007 से प्रभावी हो गया है। इन साझा टावरों के माध्यम से मई, 2008 तक चरणबद्ध तरीके से मोबाइल सेवाएं चालू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों के जवानों को सुविधाएं

1033. श्री मो. ताहिर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना के जवानों को भत्ते तथा सुविधाएं देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ये सुविधाएं सभी तीन सेनाओं को देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) रक्षा सेनाओं के कार्मिकों की सेवा शर्तों, वेतन तथा भत्तों में सुधार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में, सरकार ने रक्षा सेनाओं के कार्मिकों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं तथा भत्तों की घोषणा की है:–

(i) फील्ड/प्रतिविद्रोहिता–रोधी/आतंकवाद–रोधी संक्रिया क्षेत्रों में सेवारत सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों को घर अथवा परिवार के निवास के चयनित स्थान तक जाने के लिए अतिरिक्त रेल वारंट दिया जाना।

(ii) मौजूदा उच्च तुंगता (प्रतिकूल जलवायु) क्षेत्रों के भीतर अधिक कठिन, हानिकारक तथा एकाकी क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों को बढ़ी हुई दरों पर उच्च तुंगता (प्रतिकूल जलवायु) भत्ता दिया जाना।

(iii) अफसरों तथा अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों, दोनों के छुट्टी यात्रा रियायत की योजना का युक्तिकरण तथा अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत लेने के लिए 1450 कि.मी. के प्रतिबंध को हटाया जाना।

[अनुवाद]

'रोज' प्याज का उत्पादन

1034. श्री एन. शिवन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेष रूप से कर्नाटक कुल कितना 'रोज' प्याज (छोटे आकार का प्याज) का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 'रोज' प्याल की मांग बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार 'रोज' प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांतिलाल भूरिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में उत्पादित 'रोज' प्याज की कुल मात्रा (अनुमानित) निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (एमटी)
2004–05	35100
2005–06	39858
2006–07	46333

(ख) और (ग) 'रोज' प्याज केवल निर्यात के प्रयोजन से उगाई जाती है और गत तीन वर्षों के दौरान 'रोज' प्याज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2006–07 के दौरान 'रोज' प्याज का कुल निर्यात लगभग 33421 एमटी था। 'रोज प्याज का 90% से अधिक निर्यात मलेशिया को किया गया।

(घ) और (ङ) 'रोज' प्याज सहित बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए, दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन देश में कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकों को गुणवत्ता प्राप्त बीज उत्पादन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन के साथ–साथ बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए सहायता दी जाती है जिससे 'रोज' प्याज सहित बागवानी फसलों को क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।

[अनुवाद]

कमोडिटी एक्सचेंज में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1035. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कमोडिटी एक्सचेंजों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने हेतु मापदंडों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कमोडिटी एक्सचेंज में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) से (घ) सरकार कमोडिटी एक्सचेंजों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए मापदंडों को अंतिम रूप दे रही है।

(ङ) कमोडिटी एक्सचेंजों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए मापदंडों को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 विनियमन के तहत अधिसूचित किए जाने के बाद तत्काल कार्यान्वित किया जाएगा।

पुणे स्थित विमानपत्तन का रनवे

1036. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित विमानपत्तन के रनवे को असुरक्षित बताया गया है;

(ख) क्या उचित 'इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम' को अधिष्ठापित करके विमानपत्तन को सुरक्षित बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हवाई क्षेत्र में अवसंरचना का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन के एक भाग के रूप में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा पुणे में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के प्रतिष्ठान की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

ब्रांडेड मसालों का विपणन :

1037. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रांडेड मसालों तथा मूल्य-संवर्धित उत्पादों का घरेलू बाजार में विपणन पृथक माध्यम/तरीके से करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों के लिए लाभकारी तथा स्थिर मूल्य तथा उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी हां, मसाला बोर्ड, कोच्ची ने 'फ्लेवोरिट' नाम से ब्रान्डेड मसालों को उपभोक्ता पैकों में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उतारा है। मसाला बोर्ड फ्लेवोरिट ब्रांड को बढ़ावा देता है और राज्य व्यापार निगम लि. की सहायक कम्पनी एसटीसीएल इसका विपणन करती है। सत्रह मसालों मुख्यतया जैव मसालों का विपणन 'फ्लेवोरिट' ब्रान्ड के तहत किया जाता है, यथा-कालीमिर्च, सफेद मिर्च, इलायची, पिसी काली मिर्च, पिसी सफेद मिर्च, पिसी मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा अदरक बनीला बीन्स, रोज मैरी, अजवायन, ओरीगेनो, इमली सान्द्रण।

(ग) मसाला बोर्ड ने किसानों के लिए प्रत्यक्ष विपणन चैनल शुरू करने और उनके उत्पाद के लिए उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने हेतु ब्रान्डेड मसालों का विपणन शुरू किया है, क्योंकि जिन्स रूप में मसालें मूल्य प्रतिस्पर्धा के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। घरेलू और अंन्तर्राष्ट्रीय बाजार के ब्रान्डेड उत्पादों के मूल्य वर्धन, ब्रान्डिंग और विपणन द्वारा मूल्य उतार-चढ़ाव को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है जिससे मूल्य स्थिरता आएगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेंगे। उपरोक्त उपायों के अलावा, मसाला बोर्ड मुख्य उत्पादन केन्द्रों पर मसाला पार्क स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है जिससे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों को आवश्यक अवसंरचना प्रदान करके मसालों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, वेयरहाउसिंग, मूल्य वर्धान और विपणन संबंधी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। मसाला बोर्ड के अलावा, कृषि मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण कृषि मंडियों को जोड़कर एक कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (एग्मार्कनेट) विकसित किया है ताकि विभिन्न जिन्सों से संबंधित मंडी सूचना को एकत्रित और प्रसारित किया जा सके जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए बेहतर विपणन अवसर मुहैया करने में मदद मिल सके। वैकल्पिक विपणन अवसरों के सृजन के लिए राज्यों के साथ मंडी सुधार के कार्यान्वयन संबंधी मामले को भी उठाया जा रहा है जिससे बेहतर मूल्य का पता लगाने और मूल्य स्थिरता में मदद मिलेगी। एग्मार्क मानकों की ग्रेडिंग और प्रमाणीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बाजार में लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन

1038. प्रो. प्रेम कुमार धूमल :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कोई कमी है;;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्षेत्र-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करके तथा ऐसे नए संस्थानों को खोलकर ग्यारहवीं योजना के दौरान विश्व स्तर के कुशल श्रमिकों को पर्याप्त संख्या में तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे; और

(च) देश में कुशल मानव श्रम तैयार करने के लिए सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कमी के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है। फिर भी, यह महसूस किया गया है कि वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में, नए व्यवसायों तथा प्रौद्योगिकियों में श्रमिकों के कौशल स्तर के उन्नयन की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) विश्व स्तर के बहु–कौशलयुक्त कार्यबल को तैयार करने के उद्देश्य से 11वीं योजनावधि के दौरान 400 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु एक बाह्य सहायियत "व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वी टी आई पी)" आरंभ की गई है। वर्ष 2006–07 के दौरान उन्नयन हेतु 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चने गए तथा शेष 300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान उन्नयन किया जा रहा है। राज्य–वार एवं वर्ष–वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है। शेष 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की एक अन्य योजना भी सार्वजनिक–निजी भागीदारी माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) बहु–कौशलीय पाठयक्रमों हेतु मूलभूत ढांचे की स्थापना तथा संबंधित व्यवसायों के उन्नयन हेतु प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3.0 करोड़ रुपये का औसत आबंटन है। योजना के तहत उन्नयन हेतु चुने गए प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान से प्रति वर्ष न्यूनतम 100 प्रशिक्षु लाभान्वित होंगे।

(च) देश में कुशल जनशक्ति सृजित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं आरंभ की गई हैं:–

1. पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम एवं जम्मू व कश्मीर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

2. बहु–कौशलीय कार्यबल तैयार करने के लिए घरेलू वित्तीयन से 500 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

3. अगले पाच वर्षों में एक मिलियन श्रमिकों को प्रशिक्षित करने/उनके कौशलों के परीक्षण हेतु "कौशल विकास पहल (एसडीआई)" नामक एक योजना आरंभ की गई है।

विवरण

उन्नयन हेतु सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची–राज्य–वार एवं वर्ष–वार ब्यौरा

क्र. सं.	भाग लेने वाले राज्यों का नाम	वर्ष 2006–07 के दौरान चुने गए औ.प्र.सं. की संख्या	वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान चुने जाने वाले अनंतिम औ.प्र.सं. की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	14
2.	बिहार	2	4
3.	छत्तीसगढ़	4	14
4.	दिल्ली	1	2
5.	गोवा	1	1
6.	गुजरात	15	14
7.	हरियाणा	5	12
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11
9.	झारखंड	1	2
10.	कर्नाटक	6	24
11.	केरल	3	1
12.	मध्य प्रदेश	7	22
13.	महाराष्ट्र	15	60
14.	उड़ीसा	4	1
15.	पंजाब	4	1
16.	राजस्थान	5	15
17.	तमिलनाडु	5	9
18.	उत्तरांचल	1	11
19.	उत्तर प्रदेश	7	33
20.	पश्चिम बंगाल	3	7
21.	पांडिचेरी	–	1
22.	असम	4	3
23.	जम्मू और कश्मीर	2	8

1	2	3	4
24.	सिक्किम	1	0
25.	अंडमान और निकोबार	–	1
26.	अरुणाचल प्रदेश	–	1
27.	दादर और नागर हवेली	–	1
28.	दनम व दीव	–	1
29.	लक्षद्वीप	–	2
30.	मणिपुर	–	1
31.	मेघालय	–	1
32.	मिजोरम	–	1
33.	नागालैंड	–	1
34.	त्रिपुरा	–	1
	योग	100	300

[अनुवाद]

धान खरीद केन्द्र

1039. श्री राम कृपाल यादव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में धान की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम के कितने खरीद केन्द्र वर्तमान में कार्यरत हैं;

(ख) क्या इनमें से कई खरीद केन्द्र कार्यरत नहीं हैं जिससे किसानों को परेशानी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य के सभी ब्लाकों में धान खरीद केन्द्र के परिचालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि खरीफ विपणन मौसम 2006–07 में धान की वसूली करने के लिए बिहार में उन्होंने 127 वसूली केन्द्र खोले थे।

(ख) यह सभी केन्द्र उचित रूप से काम कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य में वसूली केन्द्रों को चलाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पग उठाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों और राज्य की एजेंसियों को निदेश दिए गए हैं कि वे राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों में वसूली केन्द्र खोलें।

रक्षा कार्मिकों को बीमा कवर

1040. श्री के. सी. पल्लानी सामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही बीमा कवर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रक्षा कार्मिकों तथा उनके परिवारों को इस प्रकार की और बीमा सुविधाएं दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) वास्तव में सरकारी ड्यूटियों के निष्पादन के दौरान मारे गए रक्षा सेना कार्मिकों को सरकार द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। ड्यूटियों के निष्पादन के दौरान हुई दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु के मामलों तथा आतंकवादियों, समाजविरोधी तत्वों आदि द्वारा हिंसा की कार्यवाइयों के कारण ड्यूटी के निष्पादन के दौरान हुई मृत्यु के मामलों में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने की व्यवस्था मौजूदा आर्डरों में है तथा (i) सीमा पर झड़पों तथा (ii) भाड़े के सैनिकों, आतंकवादियों, उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में हुई मृत्यु के मामलों में 7.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान देय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु की कार्रवाई अथवा युद्ध जैसी मुठभेड़ों, जिनकी विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, के दौरान हुई मृत्यु के मामलों में 10.00 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान देय है।

अनुग्रह राशि के भुगतान के अलावा सेना और वायुसेना के कार्मिकों को क्रमशः सेना सामूहिक बीमा निधि, नौ सेना सामूहिक बीमा निधि तथा वायुसेना सामूहिक बीमा निधि, जो कि वर्ष 1860 के सोसाइटी अधिनियम XXI के अधीन पंजीकृत संस्थाएं हैं, के तहत् अनुग्रह राशि का भुगतान, बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यह बीमा पूर्णतया स्वमददकारी और स्वप्रशासित योजना है जिसका उद्देश्य सेवा के दौरान रक्षा सेना कार्मिकों को अनिवार्य सामूहिक बीमा सह बचत योजना मुहैया कराना है। योजना के तहत सेना और नौ सेना के लिए बीमा सुरक्षा अधिकारियों के लिए 15 लाख रुपए ओर अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए 7.5 लाख रुपए है। इसी प्रकार वायुसेना अफसरों, अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों और अयोधियों (भर्ती किए गए) के लिए बीमा सुरक्षा की राशि क्रमशः 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 4 लाख रुपए हैं। इसके अलावा बीमा सामूहिक योजना के अधीन

विमानन/पनबुब्बी कार्मिकों के लिए अतिरिक्त बीमा सुरक्षा योजना मौजूद है।

सामूहिक बीमा योजना वर्धित बीमा योजना के तहत एक निश्चित आयु तक सेवानिवृत्ति के बाद भी बीमा सुरक्षा मुहैया कराती है।

ये बीमा कवरेज सरकार द्वारा मृत्यु की स्थिति में अथवा दी गई अनुग्रह राशि अथवा निशक्तता पेंशन के अलावा दिए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

1041. श्री एस. के. खादरवेलवन : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी विकास, ऊर्जा संरक्षण तथा प्रदूषण को कम करने में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत देश में राज्य-वार कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए तथा कितने स्थापित किए जाने वाले हैं; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा जारी की गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना प्रौद्योगिकी विकास, ऊर्जा संरक्षण तथा प्रदूषण कम करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए की गई है। सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) की अध्यक्षता में उक्त मिशन का कार्यान्वयन अनुवीक्षण एक शासी निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ग) प्रौद्योगिकी मिशन के तहत कोई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित अथवा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया जाता है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) के दौरान प्रौद्योगिकी मिशन के प्रकार्य के लिए 35 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है। अब तक कोई फंड जारी नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा में दूरसंचार सेवा

1042. श्रीमती संगीता चुनारी सिंह देव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार सेवाओं के अंतर्गत उड़ीसा में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ीसा में कितने गांवों में डब्ल्यूएलएल फोन सेवा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) कितने गांवों को डब्ल्यूएलएल फोन नेटवर्क से जोड़ा जाना बाकी है; और

(घ) राज्य के सभी गांवों में कब तक डब्ल्यूएलएल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) दूरसंचार सुविधाओं के तहत उड़ीसा में उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

* 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में फिक्स्ड लाइन और वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 77,07,309 और 34,95,941 है।
* उड़ीसा में 40,540 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) से कवर किया गया है।
* उड़ीसा में 11,341 के लक्ष्य के स्थान पर बीएसएनएल द्वारा जून, 2007 तक 10,618 मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटी को बदल दिया गया है।
* उड़ीसा में शेष सुविधारहित 4,899 गांवों में नवम्बर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए जाएंगे। इसमें 100 से कम आबादी वाले गांव, घने वन क्षेत्रों/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित गांव शामिल नहीं है।
* उड़ीसा में 2000 से अधिक आबादी वाले तथा पीसीओ रहित 938 गांवों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) प्रदान किए गए हैं।
* बीएसएनएल द्वारा 31.03.2007 तक लगभग 61,000 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान की गई है।

(ख) 31.7.2007 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल द्वारा उड़ीसा में 26,136 गांवों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) सेवा प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में कुल 5,000 गांवों को अभी भी डब्ल्यूएलएल फोन नेटवर्क से जोड़ा जाना है। इन गांवों में उत्तरोत्तर रूप से 31.3.2009 तक डब्ल्यूएलएल सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आईटी क्षेत्र में वृद्धि दर

1043. श्री सुप्रत बोस : क्या संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा इसकी संबंधित सेवाओं में उच्चतर वृद्धि दर दर्ज किए जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007–08 के दौरान कितनी वृद्धि दर का अनुमान है तथा गत तीन वर्षों की तुलना में यह कितनी अधिक है; और

(ग) वृद्धि दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का निर्यात सहित कुल राजस्व 49 से 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो वर्ष 2006–07 की तुलना में लगभग 26% दर से वृद्धि का परिचायक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हासिल की गई वृद्धि की दर नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का राजस्व (प्रतिशत वृद्धि दर)
2005–06	22.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (35%)
2006–07	30.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (34%)
2007–08	39.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (31%)

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 10% कर दिया गया है। आईटीए–1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए–1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर की सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

3. कम्प्यूटरों पर उत्पादन शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों, डीवीडी, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

4. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाइयों/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शू–न्यू शुल्क दूर संचार/इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

5. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे है। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाफ बैक लाभ का 50%।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। ईसीपीजी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त है।

7. निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/ईपटीपी/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) योजनाओं के अंतर्गत कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है

9. इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों, कम्प्यूटरों तथा दूर संचार उपस्करों को व्यवसाय करने वाली कंपनी के मामले में कम्पनी के किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्य पर हुए व्यय पर 150% की कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 के उप धारा (2एबी) के खण्ड (1) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

10 किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कम्पनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त को महत्व देने के लिए सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिंदु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

11. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबधित विधिक पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई–वाणिज्य के विस्तार से प्रोत्साहन दिया गया है।

अधिकतम खुदरा मूल्य की संगणना

1044. श्री के. एस. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादों की पैकेजिंग पर मुद्रण के पूर्व किसी उत्पाद की अधिकतम खुदरा मूल्य की संगणना करते वक्त कौन–कौन से लागत कारकों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) बढ़े हुए अधिकतम खुदरा मूल्य को मुद्रित करने से रोके जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ विनिर्माता विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर बेचे जाने वाले अपने उत्पादों पर अलग–अलग अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य मुद्रित करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) तौल और माप मानक (पैक वस्तुएं) नियमावली 1977 के प्रावधानों में पैक की हुई किसी वस्तु के संबंध में, सभी स्थानीय या अन्य कर, भाड़ा, परिवहन प्रभार, डीलरों के लिए देय कमीशन और विज्ञापन, डिलीवरी, पैकिंग, फोर्वार्डिंग जैसे सभी अन्य प्रभार "अधिकतम मूल्य" के प्रयोजन के लिए शामिल किए जाने जैसा मामला हो, की व्यवस्था है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) छापें जिसका उत्पादन की लागत और आशयित बिक्री मूल्य के साथ संबंध है, सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में पैकेज पर घोषित एम आर पी के आधार पर उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 में संशोधन किया गया है।

(ग) नियमों में केवल यह व्यवस्था है कि विनिर्माता, अन्य बातों के साथ, पैकेज पर एम आर पी घोषित करे। पैकेज पर घोषित एमआरपी की मात्रा विनिर्माता के लिए छोड़ दी गई है। इसके अतिरिक्त, नियम, विनिर्माता द्वारा पैकेज पर एम आर पी की घोषणा पर जो भी हो, कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्पीड पोस्ट शुल्क में कमी

1045. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने स्थानीय स्पीड पोस्ट शुल्कों में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पार्सल के प्रशुल्क में भारी वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पार्सल की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। डाक विभाग ने 11 जून, 2007 से स्थानीय स्पीड पोस्ट मदों की दरों में कमी की है और स्पीड पोस्ट की संशोधित दरें नीचे दी गई हैं:–

	वजन (ग्राम में)	दरें (रुपयों में)				
		स्थानीय	200 कि.ग्रा. तक	201-1000 कि.ग्रा. तक	1001-2000 कि.ग्रा. तक	2000 कि.ग्रा. तक
	1	2	3	4	5	6
(i)	50 तक	12*	25*	25*	25*	25*
(ii)	51 से 200	20	25	30	50	60

	1	2	3	4	5	6
(iii)	201 to 500	20	40	45	70	80
(iv)	अतिरिक्त 500 ग्राम या उसका अंश	5	7.5	15	30	40

(*) –सेवाकर एवं शिक्षा उपकर सहित।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पार्सलों का प्रशुल्क हाल ही में नहीं बढ़ा है।

(ङ) डाक विभाग उत्पाद सुधार एवं विपणन प्रयासों के जरिए पार्सल कारोबार की वृद्धि दर का सुधारने को लिए विभिन्न नए कदम उठा रहा है।

टेलीफोन कनेक्शन हेतु मानदंड

1046. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीफोन कनेक्शन देने और बिल प्रभारित करने हेतु शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या और अधिक लोगों को टेलीफोन कनेक्शन लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर और उस्मानाबाद को ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में माना जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) बीएसएनएल के पास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए स्वयं अपना कोई मानदंड नहीं है। और यह केवल जनगणना रिपोर्ट में किए गए वर्गीकरण को मानता है। बीएसएनएल जनगणना रिपोर्ट 2001 में ग्रामीण के रुप में वर्गीकृत क्षेत्र को ग्रामीण टैरिफ निर्धारित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र मानता है। अन्य सभी क्षेत्रों को जो जनगणना रिपोर्ट 2001 में ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत नहीं है, इस उद्देश्य के लिए शहरी माना गया है।

(ख) जनगणना रिपोर्ट 2001 के अनुसार महाराष्ट्र में अहमदनगर और उस्मानाबाद दोनों शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत हैं। अतः इन क्षेत्रों को बीएसएनएल द्वारा टेलीफोन टैरिफ प्रभारित करने के उद्देश्य से ग्रामीण नहीं माना जा सकता।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय डेयरी योजना

1047. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़े क्षेत्र में स्थित जिले की वलसाड डिस्ट्रिक को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन को विश्व बैंक के मुख्य मूल्यांकन अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी योजना 2007–08 से 2021–22 में पिछड़े क्षेत्र के जिलों को शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पिछड़े जिलों की डेयरियों को शामिल करने हेतु उक्त योजना की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। वलसाड दुग्ध संघ ने सूचित किया है कि विश्व बैंक के मुख्य मूल्यांकन अधिकारियों ने 13 मई, 1996 को वलसाड दुग्ध संघ का दौरा किया था तथा वे वलसाड जिले के धरमपुर तालुका में खुलातली नामक एक भीतरी गांव में एक दिन के लिए रुके थे। उन्होंने महिलाओं द्वारा प्रबंधित दुग्ध उत्पादन करने वाली समिति के सदस्यों के घरों और गोपशु शैडों का दौरा किया तथा उन्होंने दुग्ध उत्पादन करने वाली गतिविधियों की सराहना की।

(ग) से (च) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई मसौदा राष्ट्रीय डेयरी योजना (2007–08 से 2021–2022) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के एक संघ के जरिए 323 उच्च दुग्ध क्षमतावान जिलों तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की चालू डेयरी विकास योजनाओं के तहत शेष 283 कम दुग्ध उत्पादन की क्षमता वाले जिलों की सहायता का प्रस्ताव करती है। राष्ट्रीय डेयरी योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

भारत-अमरीका सैन्य सहयोग

1048. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका ने हाल ही में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की समीक्षा की है तथा उपमहाद्वीप के सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इससे भारत और अमरीका के बीच सैन्य संबंध किस प्रकार से सुधरेंगे?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) भारत और अमरीका के बीच रक्षा सहयोग की रक्षा नीति समूह (1995 में गठित) और उसके तत्वावधान में गठित अन्य उप–समूहों द्वारा समय–समय पर मॉनीटरी की जाती है। इन मंचों पर, पारस्परिक सैन्य सरोकारों/हितों के मामलों पर विचार–विमर्श किया जाता है और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में क्रिया–कलापों की आयोजना/तैयारी की जाती है। भारत–अमरीका के रक्षा सहयोग की नियमित रुप से मॉनीटरी करने से संयुक्त सैन्य अभ्यासों, प्रशिक्षण और अनुभव के आदान–प्रदान के क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित हुई है। 28 जून, 2005 को हस्ताक्षरित भारत अमरीका रक्षा संबंध के लिए नई रुपरेखा के कार्यान्वयन से दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध और सुदृढ़ हुए हैं।

खुदरा व्यापार का विनियमन

1049. श्री एम. श्रीनिवासुलु : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय खुदरा बाजार को विश्व का सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ते हुए खुदरा बाजार के रूप में आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खुदरा बाजार के विनियमन हेतु कोई नियम बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) और (ख) किसी सरकारी एजेंसी अथवा सरकार की तरफ से किसी अन्य एजेंसी द्वारा ऐसी कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ई-कॉमर्स

1050. श्री अनवर हुसैन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अथवा ई–कॉमर्स को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी दूरदर्शन और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से अभियान चलाने की कोई योजना भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) और (ख) अपनी सुविधा प्रदानकर्ता और संवर्धनात्मक भूमिका में सरकार ने ई–वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया है जो सारे देश में लागू है।

पूर्वोत्तर में ई–वाणिज्य को लोकप्रिय बनाने की कोई विशेष योजना नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन

1051. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी के मद्देनजर राज्यों द्वारा गेहूं, चावल और दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रस्तावित मिशन को क्रियान्वित करने हेतु उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की मांग की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) खाद्य उत्पादन में ठहराव को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय विकास परिषद ने चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को ग्यारहवीं योजना के अंत तक क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन मी. टन तक बढ़ाने के लिये एक संकल्प पारित किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के संकल्प को प्रचालनात्मक बनाने के लिये सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" नामक केन्द्रीय स्कीम पर विचार किया है।

[हिन्दी]

चीनी की मांग

1052. श्री थावरचन्द गेहलोत :

श्री के. सी. पल्लानी शामी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2004 से जून, 2007 तक देश में चीनी के उत्पादन, भंडार और उसकी मांग का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में और किस दर पर चीनी का आयात किया गया तथा उन देशों के नाम क्या हैं जहां से चीनी का आयात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी चीनी का निर्यात किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जहां इसका निर्यात किया गया और किन दरों पर इसका उक्त निर्यात किया गया; और

(ङ) आयातित और निर्यातित चीनी की गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) चीनी मौसमों 2003-04, 2004-05, 2005-06 (अक्तूबर-सितम्बर) तथा 30.06.2007 की स्थिति के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम के दौरान चीनी का राज्यवार उत्पादन और स्टॉक दर्शाने वाला विवरण-I के रूप में संलग्न है। पिछले तीन चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम के दौरान जून, 2007 तक देश में चीनी की मांग को पूरा करने के लिए की गई चीनी की निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान चीनी का देशवार और वर्षवार आयात दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है। तथापि, सरकार के खाते में कोई आयात नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) गत तीन वित्तीय वर्षों 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जिन देशों को चीनी का निर्यात किया गया उनके नाम और निर्यात का मूल्य दर्शाने वाला विवरण - IV संलग्न है।

(ङ) यह विभाग आयात और निर्यात की गई चीनी के गुणवत्ता के आंकड़े नहीं रखता है।

विवरण-I

चीनी मौसमों 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा वर्तमान चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार राज्यवार उत्पादन और स्टाक दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन चीनी मौसम				स्टाफ चीनी मौसम			
		2003-04	2004-05	2005-06 (अ)	2006-07 (अ) (30 जून तक)	2003-04	2004-05	2005-06 (P)	2006-07 (P) (30th जून की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पंजाब	3.88	3.37	3.88	5.50	2.47	0.67	0.67	2.65
2	हरियाणा	5.86	3.98	3.88	6.77	3.80	1.49	1.16	4.37
3	राजस्थान	0.10	0.11	0.05	0.07	0.10	0.01	0.02	0.08
4	उत्तराखंड	3.93	3.36	4.14	5.28	2.55	1.39	1.03	3.08
5	उत्तर प्रदेश	46.08	51.52	55.64	83.50	28.50	19.93	11.07	48.53
6	मध्य प्रदेश	0.94	0.78	0.94	1.48	0.27	0.03	0.26	0.90
7	छत्तीसगढ़	0.17	0.13	0,22	0.21	0.01	0.00	0.04	0.17
8	गुजरात	10.77	8.32	12.44	13.90	6.93	4.28	4.33	8.90
9	महाराष्ट्र	31.99	23.03	52.64	90.13	26.35	12.87	14.03	63.73
10	बिहार	2.77	2.70	4.19	4.83	1.10	1.01	0.76	3.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	असम	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उड़ीसा	0.44	0.87	0.52	0.65	0.10	0.12	0.04	0.34
13	पश्चिम बंगाल	0.07	0.05	0.07	0.04	0.01	0.01	0.02	0.02
14	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	आंध्र प्रदेश	8.81	12.03	12.76	19.07	3.36	3.45	2.10	11.43
16	कर्नाटक	11.57	11.32	20.09	24.30	5.25	3.33	6.75	15.64
17	तमिलनाडु	11.90	14.75	21.38	19.64	7.03	8.81	5.95	12.86
18	पांडिचेरी	0.20	0.19	0.26	0.46	0.22	0.08	0.04	0.37
19	केरल	0.01	0.00	0	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20	गोवा	0.10	0.09	0.11	0.19	0.09	0.07	0.02	0.12
	अखिल भारत	139.58	136.60	193.21	276.02	88.21	57.55	48.29	176.38

(अ) अनंतिम

विवरण-II

पिछले तीन चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम (30 जून, 2007 तक) के दौरान देश में चीनी की मांग को पूरा करने के लिए की गई चीनी की निर्मुक्तियां

(लाख टन में)

चीनी मौसम	लेवी	गैर–लेवी	जोड़
2003-04	24.79	147.53	172.32
2004-05	25.44	146.00	171.44
2005-06	19.83	162.26	182.09
2006-07 (जून, 2007 तक)	15.95	123.00	138.95

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान देशवार चीनी का आयात

(मात्रा टन में)

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र. सं.	देश	2004-2005	
		मात्रा*	मूल्य
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	42000	4346.52
2.	बेल्जियम	0	0.02
3.	ब्राजील	831558	86768.31
4.	कनाड़ा	23	6.84
5.	डेनमार्क	25	8.90
6.	जर्मनी	520	91.38
7.	इटली	55	7.34
8.	मलेशिया	22	7.12
9.	नीदरलैंड	94	16.56
10.	दक्षिण अफ्रीका	48322	5121.02
11.	थाईलैंड	118	22.31
12.	संयुक्त अरब अमीरात	2240	311.69
13.	यूनाईटेड किंगडम	242	41.33
14.	संयुक्त राज्य अमरीका	22	35.26
15.	अन्य	7500	833.25
	जोड़	932741	97617.85

*कच्ची चीनी सहित

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कोलकाता।

वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान देशवार चीनी का आयात

(मात्रा टन में)

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र. सं.	देश	2005-2006	
		मात्रा*	मूल्य
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	25000	2957.1
2.	सिंगापुर	451216	52601.53
3.	कनाड़ा	25	7.75

1	2	3	4
4.	चीन	123	52.35
5.	जर्मनी	102	46.99
6.	कोरिया	730	143.59
7.	मोजाम्बीक	21000	2324.45
8.	पाकिस्तान	3560	419.68
9.	दक्षिण अफ्रिका	53049	5918.82
10.	संयुक्त राज्य अमरीका	3655	598.48
11.	यूनाईटेड किंगडम	220	53.72
12.	सुयंक्त राज्य अमरीका	33	20.42
13.	अन्य	60	35.18
	जोड़	558773	65180.06

* कच्ची चीनी सहित

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कोलकाता।

वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान देशवार चीनी का आयात

(मात्रा टन में)

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र. सं.	देश	2006-2007	
		मात्रा	मूल्य
1.	आस्ट्रेलिया	452	118.44
2.	सिंगापुर	215	58.02
3.	जर्मनी	120	69.17
4.	कोरिया	154	37.96
5.	अन्य	67	43.65
	जोड़	1008	327.24

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कोलकाता।

विवरण-IV

वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान देशवार चीनी का निर्यात

(मात्रा टन में)

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र. सं.	देश	2004-2005	
		मात्रा*	मूल्य
1	2	3	4
1.	बंगलादेश	8235	871.60
2.	बेल्जियम	8219	2477.17
3.	भूटान	3192	503.16
4.	मलेशिया	8654	930.16
5.	मालदीव	7501	1023.08
6.	नेपाल	5868	749.42
7.	पाकिस्तान	1958	237.19
8.	सोमालिया	8039	904.94
9.	श्रीलंका	43180	4820.87
10.	संयुक्त राज्य अमरीका	3219	537.44
11.	यूनाईटेड किंगडम	1448	247.76
12.	संयुक्त राज्य अमरीका	1593	326.83
13.	अन्य	7581	1323.1
	जोड़	108687	14952.72 1

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कोलकाता।

वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान देशवार चीनी का आयात

(मात्रा टन में)

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र. सं.	देश	2005-2006	
		मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1.	बंगलादेश	52722	9377.68
2.	बेल्जियम	5126	1467.05
3.	भूटान	2828	433.19
4.	इंडोनेशिया	35332	5668.42
5.	मलेशिया	16774	2401.29
6.	मालदीव	8172	1272.4
7.	नेपाल	14864	2311.71
8.	पाकिस्तान	72285	13036.05
9.	पुर्तगाल	20173	4572.07
10.	सिंगापुर	8594	1356.06
11.	सोमालिया	1735	243.96
12.	श्रीलंका	53043	9577.49

1	2	3	4
13.	संयुक्त अरब अमीरात	3967	558.88
14.	युनाईटेड किंगडम	1085	172.76
15.	संयुक्त अरब अमीरात	13223	2123.54
16.	वियतनाम सं. गणराज्य	1300	254.96
17.	अन्य	5627	881.49
	जोड़	316850	55709.60

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कोलकाता।

वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान देशवार चीनी का निर्यात

(मात्रा टन में)

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र. सं.	देश	2006-2007	
		मात्रा*	मूल्य
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	3588	626.09
2.	बंगलादेश	272216	42025.69
3.	बेल्जियम	3059.0	934.94
4.	ताइवान	2176.0	474.55
5.	जिबोती	21204.0	3741.84
6.	क्रोएशिया	3978.0	589.75
7.	इथियोपिया	20000.0	3978.14
8.	इंडोनेशिया	107472	15487.69
9.	इराक	14000.0	2611.83
10.	ईरान	7515.0	1082.53
11.	ग्रीक	5624.0	1518.28
12.	मलेशिया	8992.0	1143.73
13.	मालदीव	8254.0	1499.79
14.	नेपाल	9600.0	1232.36
15.	ओमान	2110.0	406.09
16.	पाकिस्तान	746929.0	160308.61
17.	सर्बिया मांटनीग्रो	6370.0	944.87
18.	सिंगापुर	2526.0	503.67
19.	सोमालिया	73353.0	12501.27
20.	श्रीलंका	188038.0	32117.85
21.	सीरिया	4763.0	751.96
22.	तंजानिया	11189.0	1683.56
23.	संयुक्त अरब अमीरात	22412.0	4314.98
24.	यूनाईटेड किंगडम	1405.0	228.10
25.	संयुक्त राज्य अमरीका	1586.0	257.29
26.	वियतनाम	3288.0	626.99
27	यमन गणराज्य	65132.0	10758.83
	अन्य	19533.0	3194.54
	जोड़	1636312	305545.82

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कोलकाता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कटौती

1053. श्री एल. राजगोपाल :

श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान 100 प्रतिशत की सीमा को घटाकर 74 प्रतिशत करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यह सिफारिश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के खराब प्रदर्शन के मद्देनजर की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए 700 लाइसेंसों में से मात्र 135 इंटरनेट सेवा अनुज्ञप्तिधारक ही कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दिनांक 10 मई, 2007 की "इंटरनेट सेवाओं की समीक्षा" संबंधी अपनी सिफारिशों में सभी दूरसंचार लाइसेंसों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा 74% की एक समान इक्विटी की सिफारिश की है। इसके अलावा ट्राई ने यह उल्लेख किया है कि इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा/इक्विटी से अधिक वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी एफडीआई कैप/इक्विटी को दो वर्षों के भीतर 74% तक ले आएं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) 31.7.07 तक जारी किए गए 770 आईएसपी लाइसेंसों में से 275 आईएसपी लाइसेंसों ने सेवा शुरू करने की सूचना दी है, जबकि 397 आईएसपी लाइसेंस वापस/समाप्त कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार 51 लाइसेंसों को सेवा शुरू नहीं करने के कारण समाप्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और सेवा शुरू करने से पूर्व लाइसेंस वापस करने के लिए 7 आईएसपी लाइसेंसधारकों का अनुरोध विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, 40 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने सेवा शुरू करने संबंधी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 24 महीने का निर्धारित समय पूरा नहीं किया है।

(छ) किसी सेवा क्षेत्र में आईएसपी लाइसेंसों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और लाइसेंसधारक लाइसेंस की रूपरेखा के अंतर्गत अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपने लाइसेंस वापस करने के लिए भी स्वतंत्र है। सेवा शुरू नहीं करने पर इसे समाप्त करने के लिए लाइसेंसदाता द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। उपर्युक्त (ङ) तथा (च) में निर्दिष्ट उपाय इसके अनुसरण में है।

अमरीकी विमानवाहक

1054. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री रशीद मसूद :
श्री गुरूदास दासगुप्त :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूक्लियर वारहेड्स से सुसज्जित अमरीकी विमानवाहक युद्धपोत ने हाल ही में चेन्नई पत्तन पर लंगर डाला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चेन्नई पत्तन पर उक्त युद्धपोत के प्रवेश की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय पत्तनों पर विदेशी युद्धपोत पहले भी लंगर डाल चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) एक नाभिकीय शक्तिप्राप्त विमान वाहक यू एस एस निमित्ज ने 2 से 5 जुलाई, 2007 तक चेन्नई पत्तन से कुछ मील दूर लंगर डाला था।

(ख) भारतीय नौसेना सहित सभी नौसेनाओं के जलयान नेमी रूप से पत्तन में आते–जाते रहते हैं। विदेशी नौसेनाओं के जलयानों द्वारा पत्तन पर आने–जाने संबंधी नीति में भारत सरकार की अनुमति से भरतीय बंदगाहों पर आने वाले नाभिकीय शक्ति–प्राप्त जलयानों को रोका नहीं जाता है। पर्यावरण संबंधी सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय बंदरगाह पर पहुंचने वाले ऐसे जलयानों को अनुमति देने हेतु व्यवस्था निर्धारित की गई है और यू एस एस निमित्ज़ के दौरे के मामले में इसका अनुपालन किया गया था। तथापि, सरकार की यह नीति रही है कि परमाणु शस्त्र ढोने वाले विदेशी पोतों को पत्तन पर आने की अनुमति नहीं दी जाती है। विदेशी सरकारें इस तथ्य को अच्छी तरह से जानती हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न देशों के कई युद्धपोत विगत में पत्तनों पर आए हैं और उन्होंने विभिन्न भारतीय पत्तनों पर लंगर डाले हैं।

छावनी क्षेत्र में संपत्ति पट्टे पर देना

1055. श्री संतोष गंगवार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कतिपय छावनी क्षेत्रों में विभिन्न संपत्तियां पट्टे पर दी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी

रक्षा उत्पादन प्रणाली की आउटसोर्सिंग

1056. श्री रशीद मसूद :
श्री मो. ताहिर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा स्रोत बनने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने रक्षा उपकरण विनिर्माताओं तथा आयुध निर्माणियों को विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो वे विदेशी कंपनियां कौन-कौन सी हैं जिनके साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या विदेशों से आयात किए जाने वाले उपकरणों पर हो रहे वार्षिक व्यय को घटाने के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रक्षा उद्योग के अपनी ऑफसेट बाध्यताओं के निपटान के जरिए बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के लिए बाह्य-संसाधन के रूप में एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने की संभावना है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 में अधिसूचित ऑफसेट प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया के संबंध में, 'वैश्विक स्तर पर खरीदो' के रूप में वर्गीकृत पूंजीगत अर्जनों की सांकेतिक लागत का 30% तथा 'खरीदो और बनाओ' श्रेणी के अर्जनों में विदेशी विनिमय अंश का 30% न्यूनतम अपेक्षित क्षतिपूर्ति होगी। ऑफसेट बाध्यताओं को निम्नलिखित तरीकों के किसी संयोजन से सीधे ही निपटाया जाएगा:-

(i) भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा विनिर्मित रक्षा उत्पादों तथा संघटकों अथवा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की सीधी खरीद या उनके लिए निर्यात आदेश निष्पादित करना।

(ii) सेवाओं, सह-विकास संयुक्त उद्यम द्वारा विनिर्मित रक्षा उत्पादों के सह-उत्पादन हेतु औद्योगिक बुनियादी ढांचे के लिए भारतीय रक्षा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।

(iii) अनुसंधान तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास में कार्यरत भारतीय संगठनों में रक्षा क्षतिपूर्ति सुविधा एजेंसी (डीओएफए) द्वारा यथाप्रमाणित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।

(ग) से (च) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के रक्षा उपस्कर विनिर्माता, सरकार के पूर्व अनुमोदन से 26% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा के अध्यधीन संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकते हैं। आयुध निर्माणियां, सरकारी विभाग होने के कारण, रक्षा मदों के सह-विकास तथा सह-उत्पादन हेतु विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन के रूप में ऐसी ही व्यवस्था कर सकती हैं।

नवरत्न की प्रतिष्ठा से सम्मानित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्योगों को, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित शर्तों के अध्ययधीन देश अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक उद्यम स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण या संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देकर, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार का प्रयास रक्षा उपस्करों पर संभव सीमा तक वार्षिक आयात पर व्यय को कम करना है।

गेहूं के आटे पर आयात शुल्क में कटौती

1057. श्री सूरज सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गेहूं के आटे के आयात को बढ़ावा देने के लिए इस पर सीमा-शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश में गेहूं के आटे के आयात को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी टी कॉटन के इस्तेमाल में कटौती

1058. श्री बी विनोद कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के तथ्यों का पता लगाने वाले दल ने विदर्भ क्षेत्र में बी टी कॉटन के बीजों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय ने आंध्र प्रदेश में बी टी कॉटन बीजों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि पर बी टी कॉटन के नकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। योजना आयोग के तथ्य अन्वेषी दल ने विदर्भ क्षेत्र में बी टी कपास का उपयोग घटाने के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। तथापि, यह देखा गया है कि बी टी कपास के तहत शुद्ध प्रतिफल सिंचित दशाओं के तहत अपेक्षाकृत अधिक हैं और बी टी कपास बीजों पर कठोर गुणवत्ता नियंत्रण की सिफारिश की गई हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में बी टी कपास की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय ने बी टी कपास उत्पादन प्रौद्योगिकी बी टी कपास की खेती के मार्गदर्शन देने के लिए कार्रवाई, लाभों और सावधानी उपायों को अपने मोड के ब्यौरे प्रकाशित किए हैं। बीजकोष कीड़ों के नियंत्रण के कारण कपास उत्पादन में अपने सकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बी टी कपास का क्षेत्र 2002–03 में 0.29 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 2006–07 के दौरान देश में 34.61 लाख हैक्टेयर हो गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलें

1059. श्री मंजुनाथ कुन्नुर :
श्री पंकज चौधरी :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य–वार कुल कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में आज की स्थिति के अनुसार कुल कितनी चीनी मिलें बंद की गई हैं अथवा रूग्ण घोषित की गई है;

(ग) क्या सरकार इन मिलों का जीर्णोद्धार करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी मिलों को कोई विशेष पैकेज दिया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार चीनी मिलों की संख्या विवरण–I में दी गई है।

(ख) 2006–07 के दौरान जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया, उनकी राज्यवार संख्या विवरण–II में दी गई है। रूग्ण चीनी मिलों की राज्यवार संख्या–III में दी गई है।

(ग) और (घ) बन्द चीनी मिलों को पुनः आरंभ करने/पुनर्जीवित करने के उपाय करना उद्यमी का दायित्व है। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की रूग्ण चीनी मिलें रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) के उपबंधों के दायरे में आती हैं। जब कभी ऐसी चीनी मिलों की सिंचित हानियां उनकी नेटवर्थ के बराबर या उससे अधिक हो जाती हैं तब उन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को लिखना होता है। यदि बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्स्थापन स्कीमों में इस मंत्रालय में किसी राहत/रियायत मुहैया कराए जाने की व्यवस्था होती है, तो मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार इस स्कीम पर विचार किया जाता है। जहां तक सहकारी चीनी मिलों का संबंध है, इस क्षेत्र की संभावित रूप से व्यवहार्य रूग्ण चीनी मिलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) द्वारा एक समिति गठित की गई है। गत तीन मौसमों के दौरान समिति को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत सरकारी चीनी मिलों के सावधि ऋणों की पुनर्संरचना की गई/अदायगी की समय–अनुसूची पुनर्संरचित की गई और ब्याज की दर घटाकर 10% प्रति वर्ष कर दी गई है।

विवरण-I

31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार चीनी मिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	43
2.	असम	3
3.	बिहार	28

1	2	3
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	गुजरात	23
6.	गोवा	1
7.	हरियाणा	15
8.	केरल	2
9.	कर्नाटक	54
10.	मध्य प्रदेश	11
11.	महाराष्ट्र	189
12.	नागालैंड	1
13.	उड़ीसा	8
14.	पंजाब	23
15.	पांडिचेरी	2
16.	राजस्थान	3
17.	तमिलनाडु	39
18.	उत्तर प्रदेश	146
19.	उत्तरांचल	10
20.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	604

विवरण-II

2006–07 के दौरान देश में जिन चीनी मिलों के कार्य नहीं किया, उनकी राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	उन चीनी मिलों की संख्या जिन्होंने कार्य नहीं किया
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	3
3.	बिहार	19
4.	गुजरात	5
5.	हरियाणा	1
6.	केरल	2
7.	कर्नाटक	9
8.	मध्य प्रदेश	5
9.	महाराष्ट्र	25
10.	नागालैंड	1
11.	उड़ीसा	3
12.	पंजाब	7
13.	राजस्थान	2
14.	तमिलनाडु	3
15.	उत्तर प्रदेश	14
16.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	105

विवरण-III

रुग्ण चीनी मिलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	रुग्ण चीनी मिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	बिहार	3
3.	गुजरात	6
4.	हरियाणा	7
5	केरल	1
6.	कर्नाटक	19
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	महाराष्ट्र	50
9.	उड़ीसा	1
10.	पंजाब	9
11.	राजस्थान	1
12.	तमिलनाडु	12
13.	उत्तर प्रदेश	37
14.	उत्तरांचल	3
	कुल	160

1. 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार सहकारी क्षेत्र की रुग्ण चीनी मिलों के आंकड़े नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना से लिए गए हैं।
2. 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र की रुग्ण चीनी मिलों के आंकड़े बी.आई.एफ.आर. द्वारा दी गई सूचना से लिए गए हैं।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र

1060. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मात्रा तथा प्रतिशतता क्या है; और

(घ) निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) रक्षा उद्योग क्षेत्र को मई 2001 में लाइसेंस के तहत 26% तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति के साथ 100% तक भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। तब से व्यापक रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को 38 आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्तर मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 3040 करोड़ रुपए और 2132 करोड़ रुपए रहा है जो कि उनके द्वारा की गई कुल खरीददारी का सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए लगभग 21% तथा आयुध निर्माणियों के मामले में 67% होता है।

(घ) शस्त्रों एवं गोलाबारूदों के उत्पादन को लाइसेंस प्रदान करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने रक्षा मंत्रालय से परामर्श करके 4 जनवरी, 2002 के प्रेस नोट संख्या 2(2002 श्रृंखला) के रूप में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों को लाइसेंस

1061. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली निजी कंपनियों को कुछ वर्ष के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं; जबकि ये कंपनियां लाइफ टाइम सेवाएं/योजनाएं प्रदान करने की पेशकश कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रमुख कंपनियां कौन-कौन सी हैं और उन्हें कितनी अवधि के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(घ) क्या ये कंपनियां सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए लाइफ टाइम योजनाओं की पेशकश कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं तथा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) दूरसंचार अभिगम सेवा लाइसेंसधारको को संबंधित लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख से 20 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं तथा इस अवधि को और 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूरसंचार अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों की सूची विवरण में संलग्न है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी किए गए दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रशुल्क निर्धारित करने की छूट दी गई है। आजकल दूरसंचार प्रचालक उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रख कर अनेक वैकल्पिक प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश कर रहे है। दिसम्बर, 2005 और जनवरी, 2006 के महीनों में अधिकांश सेवा प्रदाताओं ने लाइफ टाइम वैधता के नाम और स्टाइल के तहत प्रशुल्क योजनाएं शुरू की हैं जिनके अनुसार अपफ्रंट भुगतान की राशि के एवज में उपभोक्ताओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन लाइफ लॉंग वैधता वाली योजनाओं की पेशकश की जा रही है। ऐसी योजनाएं उन उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त हैं जो निर्धारित मासिक प्रभारों को बार बार भुगतान किए बिना लंबी अवधि की वैधता वाली योजनाओं में दिलचस्पी रखते हैं।

विचार-विमर्श के पश्चात, ट्राई ने दिनांक 21.3.2006 के दूरसंचार प्रशुल्क (तैतालीसवां संशोधन) आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का अनुपालन अनिवार्य कार्य है:-

(i) प्रचालक लाइफ टाइम योजना के तहत तब तक सेवा प्रदान करते रहेंगे जब तक उन्हें मौजूदा लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के तहत ऐसी दूरसंचार सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी;

(ii) विनिर्दिष्ट वैधता अवधि के दौरान प्रशुल्क की किसी मद में वृद्धि करने की मनाही है; तथा

(iii) सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को अपने मौजूदा लाइसेंस की समाप्ति के महीने और वर्ष के संबंध में सूचित करेंगे।

ट्राई ने लाइफ टाइम योजनाओं के संबंध में इन कंपनियों के द्वारा दिनांक 21.3.2006 के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश का उल्लंघन करने के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

विवरण

16.8.2007 की स्थिति के अनुसार अभिगम सेवा लाइसेंसधारक कंपनियों की सूची

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	लाइसेंस की किस्म	लाइसेंस के प्रभावी होने की तारीख
1	2	3	4	5
1	मुंबई	बीपीएल मोबाइल कम्यु. लि.	सीएमटीएस	29 नवम्बर 94
2.	राजस्थान	श्याम टेलीलिंक लि.	यूएएस	4 मार्च 98
3.	चेन्नई	एयरटेल सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	29 नवम्बर 94
4.	आंध्र प्रदेश	एयरसेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
6.	गुजरात	एयरसेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
7.	कर्नाटक	एयरसेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
8.	महाराष्ट्र	एयरसेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
9.	मुंबई	एयरसेल लि.	यूएएस	6 दिसम्बर 06
10.	राजस्थान	एयरसेल लि.	यूएएस	5 सितम्बर 06
11.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	एयरसेल लि.	सीएमटीएस	31 दिसम्बर 98
12.	असम	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	21 अप्रैल 07
13.	बिहार	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	21 अप्रैल 07
14.	हरियाणा	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	14 दिसम्बर 06
15.	हिमाचल प्रदेश	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	21 अप्रैल 06
16.	जम्मू और कश्मीर	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	21 अप्रैल 06
17.	केरल	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	14 दिसम्बर 06
18.	कोलकाता	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	14 दिसम्बर 06
19.	मध्य प्रदेश	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	14 दिसम्बर 06
20.	पूर्वोत्तर	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	21 अप्रैल 06
21.	उड़ीसा	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	21 अप्रैल 06
22.	पंजाब	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	14 दिसम्बर 06
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	14 दिसम्बर, 06
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	14 दिसम्बर, 06
25.	पश्चिम बंगाल	डिशनेट वायरलेस लि.	यूएएस	21 अप्रैल 04
26.	आंध्र प्रदेश	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	12 दिसम्बर 95

1	2	3	4	5
27.	असम	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	8 जुलाई 04
28.	बिहार	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	10 फरवरी 04
29.	दिल्ली	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	29 नवम्बर 94
30.	गुजरात	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	28 नवम्बर 01
31.	हरियाणा	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	28 सितम्बर 01
32.	हिमाचल प्रदेश	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	12 दिसम्बर, 95
33.	जम्मू और कश्मीर	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	10 फरवरी 04
34.	कर्नाटक	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	15 फरवरी 96
35.	केरल	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	28 सितम्बर 01
36.	कोलकाता	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	29 नवम्बर 94
37.	मध्य प्रदेश	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	28 सितम्बर 01
38.	महाराष्ट्र	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	28 सितम्बर 01
39.	मुंबई	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	28 सितम्बर 01
40.	उड़ीसा	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	10 फरवरी 04
41.	पंजाब	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	12 दिसम्बर 95
42.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र सहित)	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	28 सितम्बर 01
43.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	10 फरवरी 04
44.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	28 सितम्बर 01
45.	पश्चिम बंगाल	भारती एयरटेल लि.	यूएएस	11 फरवरी 04
46.	पूर्वोत्तर	भारती हेक्साकॉम लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
47.	राजस्थान	भारती हेक्साकॉम लि.	यूएएस	22 अप्रैल 96
48.	आंध्र प्रदेश	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
49.	असम	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
50.	बिहार	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
51.	चेन्नई	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
52.	गुजरात	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
53.	हरियाणा	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000
54.	हिमाचल प्रदेश	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी, 2000

1	2	3	4	5
55.	जम्मू और कश्मीर	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
56.	कर्नाटक	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
57.	केरल	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
58.	कोलकाता	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
59.	मध्य प्रदेश	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
60.	महाराष्ट्र	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
61.	पूर्वोत्तर	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
62.	उड़ीसा	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
63.	पंजाब	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
64.	राजस्थान	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
65.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
66.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
67.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
68.	पश्चिम बंगाल	भारत संचार निगम लि.	सीएमटीएस	29 फरवरी 2000
69.	पंजाब	एचएफसीएल इंफोटेल लि.	यूएएस	30 सितम्बर 97
70.	हरियाणा	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
71.	राजस्थान	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
72.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
73.	असम	एस्सार स्पेसटेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
74.	बिहार	एस्सार स्पेसटेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
75.	हिमाचल प्रदेश	एस्सार स्पेसटेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
76.	जम्मू और कश्मीर	एस्सार स्पेसटेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
77.	पूर्वोत्तर	एस्सार स्पेसटेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
78.	उड़ीसा	एस्सार स्पेसटेल लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
79.	गुजरात	फास्सेल लि.	सीएमटीएस	19 दिसम्बर 95
80.	कोलकाता	हचिसन टेलीकॉम इस्ट लि.	सीएमटीएस	29 दिसम्बर 95
81.	केरल	हचिसन एस्सार सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
82.	महाराष्ट्र	हचिसन एस्सार सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	19 दिसम्बर 95

1	2	3	4	5
83.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	हचिसन एस्सार सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
84.	मुंबई	हचिसन एस्सार लि.	सीएमटीएस	29 नवम्बर 94
85.	दिल्ली	हचिसन एस्सार मोबाइल सर्विस लि.	सीएमटीएस	29 नवम्बर 94
86.	आंध्र प्रदेश	हचिसन एस्सार साऊथ लि.	सीएमटीएस	29 सितम्बर 01
87.	चेन्नई	हचिसन एस्सार साऊथ लि.	सीएमटीएस	26 सितम्बर 01
88.	कर्नाटक	हचिसन एस्सार साऊथ लि.	सीएमटीएस	26 सितम्बर 01
89.	पंजाब	हचिसन एस्सार साऊथ लि.	सीएमटीएस	5 अक्तूबर 01
90.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	हचिसन एस्सार साऊथ लि.	यूएएस	13 फरवरी 04
91.	पश्चिम बंगाल	हचिसन एस्सार साऊथ लि.	यूएएस	23 मार्च 04
92.	बिहार	आदित्य बिरला टेलीकॉम लि.	यूएएस	8 दिसम्बर 06
93.	मध्य प्रदेश	बीटीए सेलकॉम लि.	सीएमटी एस	12 दिसम्बर 06
94.	आंध्र प्रदेश	आइडिया सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	19 दिसम्बर 95
95.	दिल्ली	आइडिया सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	5 अक्तूबर 01
96.	गुजरात	आइडिया सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
97.	महाराष्ट्र	आइडिया सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
98.	मुंबई	आइडिया सेल्युलर लि.	यूएएस	5 दिसम्बर 06
99.	हरियाणा	आइडिया सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
100.	केरल	आइडिया सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
101.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	आइडिया सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
102.	हिमाचल प्रदेश	आइडिया टेलीकम्यु. लि.	सीएमटीएस	5 अक्तूबर 01
103.	राजस्थान	आइडिया टेलीकम्यु. लि.	सीएमटीएस	5 अक्तूबबर 01
104.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	आइडिया सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	5 अक्तूबर 01
105.	दिल्ली	महानगर टेलीफोन निगम लि.	सीएमटीएस	10 अक्तूबर 97
106.	मुंबई	महानगर टेलीफोन निगम लि.	सीएमटीएस	10 अक्तूबर 97
107.	आंध्र प्रदेश	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
108.	बिहार	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
109.	दिल्ली	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
110.	गुजरात	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	30 सितम्बर 97

1	2	3	4	5
111.	हरियाणा	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
112.	हिमाचल प्रदेश	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
113.	जम्मू और कश्मीर	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	6 सितम्बर 04
114.	कर्नाटक	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
115.	केरल	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
116.	कोलकाता	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
117.	मध्य प्रदेश	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
118.	महाराष्ट्र	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
119.	मुंबई	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
120.	उड़ीसा	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
121.	पंजाब	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
122.	राजस्थान	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
123.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र सहित)	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	26 सितम्बर 01
124.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
125.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
126.	पश्चिम बंगाल	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	20 जुलाई 01
127.	कोलकाता	रिलाएबल इंटरनेट सर्विसेज लि.	सीएमटीएस	27 सितम्बर 01
128.	बिहार	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
129.	हिमाचल प्रदेश	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
130.	मध्य प्रदेश	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
131.	पूर्वोत्तर	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
132.	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
133.	पश्चिम बंगाल	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
134.	असम	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सीएमटीएस	12 दिसम्बर 95
135.	कर्नाटक	स्पाइस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	9 अप्रैल 96
136.	पंजाब	स्पाइस कम्युनिकेशन लि.	यूएएस	9 अप्रैल 96
137.	महाराष्ट्र	टाटा टैलीसर्विसेज (महा.) लि.	यूएएस	30 सितम्बर 97
138.	मुंबई	टाटा टैलीसर्विसेज (महा.) लि.	यूएएस	30 सितम्बर 97

1	2	3	4	5
139.	आंध्र प्रदेश	टाटा टेलीसर्विसेज (महा.) लि.	यूएएस	30 सितम्बर 97
140.	बिहार	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
141.	चेन्नई	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	31 अगस्त 01
142.	दिल्ली	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	31 अगस्त 01
143.	गुजरात	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	31 अगस्त 01
144.	हरियाणा	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
145.	हिमाचल प्रदेश	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
146.	कर्नाटक	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	31 अगस्त 01
147.	केरल	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
148.	कोलकाता	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
149.	मध्य प्रदेश	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	12 फरवरी 04
150.	उड़ीसा	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
151.	पंजाब	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
152.	राजस्थान	टाटा.टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
153.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	31 अगस्त 01
154.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
155.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04
156.	पश्चिम बंगाल	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूएएस	30 जनवरी 04

यूएएस : एकीकृत अभिगम सेवा सीएमटीएस : सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

नोट : उपर्युक्त के अलावा, मै. भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को दिल्ली व मुंबई सेवा क्षेत्रों को छोड़कर सारे भारत में सेवा प्रदान करने के लिए एक बुनियादी सेवा लाइसेंस प्रदान किया गया है। और मै. महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) को दिल्ली व मुंबई सेवा क्षेत्रों के लिए एक बुनियादी सेवा लाइसेंस प्रदान किया गया है।

	लाइसेंसधारकों का सार
बुनियादी लाइसेंसधारक	2
सीएमटीएस लाइसेंसधारक	60
यूएएस लाइसेंसधारक	96
कुल लाइसेंसधारक	158

[अनुवाद]

मवेशियों और भैंसों का आनुवांशिक उन्नयन

1062. डा. एम. जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मवेशियों और भैंसों के दूध उत्पादन में वृद्धि करने तथा उनकी आयु बढ़ाने के लिए अनुवांशिक उन्नयन की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) जी, हां। आनुवांशिक उन्नयन के जरिए देश में गोपशु तथा भैंसों की उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से, सरकार ने भाग लेने वाले

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता से चरण-1 के लिए 402.00 करोड़ रुपए अनुमोदित आबंटन के साथ अक्तूबर, 2000 में एक प्रमुख कार्यक्रम "राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना" (एन पी सी बी बी) शुरु किया है। चरण-1 में प्राप्त लाभों को बनाए रखने के लिए, एन पी सी बी बी के चरण-2 को भी 775.87 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ आगामी पांच वर्षों के लिए दिसम्बर, 2006 से शुरू किया गया है। चरण-2 के तहत, प्रमुख जोर प्रजनन के लिए गुणवत्ता सांडों की उपलब्धता में सुधार, कृत्रिम गर्भाधान के सभी पहलुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों, स्वदेशी बोवाईन नस्लों के विकास एवं संरक्षण पर होगा। इस समय 28 राज्य तथा 1 संघ शासित प्रदेश परियोजना में भाग ले रहे हैं तथा 2006-07 तक 412.79 करोड़ रुपए की धनराशि, जिसमें चार राज्यों के 31 आत्महत्या संभावित जिलों के लिए 63.91 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जारी की गई है।

[हिन्दी]

बीएसएनएल कर्मचारियों को वीआरएस

1063. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड के "ग" तथा "घ" श्रेणी के 20,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के माध्यम से उन्हें सेवाओं से मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ङ) क्या उक्त प्रस्ताव पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। बीएसएनएल प्रबंधन अपने गैर-अधिशासी कर्मचारियों पर लागू की जानी है जिनका सेवा काल 15 वर्ष का हो गया अथवा जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है। वीआरएस का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को उनके सेवा काल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) अथवा बचे हुए सेवा काल के कुल महीनों के वेतन के बराबर अनुग्रह राशि, जो भी कम हो, प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। उन्हें अधिवर्षिता/सेवा-निवृत्ति के समय मिलने वाले अन्य सेवा-निवृत्त लाभ भी दिए जाने का प्रस्ताव है। वीआरएस संबंधी शर्तों को अभी अनुमोदन नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) उक्त प्रस्ताव को अभी अनुमोदन नहीं मिला है।

(ङ) और (च) कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से कई बार परामर्श किया गया है। तथापि, वे बीएसएनएल में वीआरएस के विरुद्ध हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण परिवारों की आय

1064. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण परिवारों की औसत आय बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषक आन्दोलन समन्वय समिति ने कृषि क्षेत्र में लगे लोगों के लिए एक निश्चित मासिक आय की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 59वें दौर के अनुसरा देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय (किराया, ब्याज, लाभांश आदि को छोड़कर) कृषि वर्ष 2002-03 के दौरान 2115 रुपए थी।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ आन्दोलन की समन्वय समिति ने अपने पत्र में मार्च, 2007 में माननीय प्रधानमंत्री को सभी कृषि फसलों के लिए अग्रिम रूप में तथा किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए समर्थन दिया है। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के विचार से भारत सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर बुवाई मौसम के आरंभ होने से पहले 25 कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तथा घोषित करती है एवं सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कार्य भी करती है। साथ ही राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पहले ध्यान में रखे जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय पैदावार/उत्पादन की लागत को महत्वपूर्ण तथ्यों

में से एक रूप में ध्यान में रखा जाता है। बाजार में स्थापित नामित सरकारी एजेंसियां प्रापण कार्यों को करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं ताकि विपणन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे न गिरे।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन का विनियमन

1065. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चीनी उत्पादन के विनियमन के संबंध में नियम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी का उत्पादन और मांग और चीनी की उत्पादन लागत कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा और कीमत कितनी थी और इसके आयात पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा और मूल्य कितना था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा देश में चीनी के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए की गई निर्मुक्तियां निम्नानुसार हैं:–

(लाख टन में)

चीनी मौसम	उत्पादन	निर्मुक्त की गई चीनी
2003–04	139.58	175.00
2004–05	136.60	171.44
2005–06 (अनंतिम)	193.21	183.21

(ख) जहां तक चीनी की उत्पादन लागत का संबंध है, केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार चीनी के उत्पादन को जोनवार इकाई लागत (गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5क के उपबंधों के अधीन एल. फैक्टर) निर्धारित करती है। आखिरी बार एल. फैक्टर को चीनी मौसम 2003–04 के लिए अंतिम रूप दिया गया है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चीनी मौसम 2004–05 और 2005–06 के लिए एल. फैक्टर का निर्धारण अभी किया जाना है।

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। सरकार के खाते में कोई आयात नहीं किया गया है, इसलिए चीनी के आयात पर हुए अतिरिक्त व्यय के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–III पर दिया गया है।

विवरण-I

चीनी मौसम 2003–04 के लिए जोनवार एल. फैक्टर

क्र.सं.	जोन	इकाई लागत 2003–04 (रुपये /क्विंटल
1.	पंजाब	1386.94
2.	हरियाणा	1251.46
3.	राजस्थान	1254.62
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	1300.55
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	1349.66
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	1448.45
7.	उत्तरी बिहार	1455.21
8.	दक्षिणी गुजरात	1221.76
9.	सौराष्ट्र	1464.76
10.	मध्य प्रदेश	1348.39
11.	मध्य महाराष्ट्र	1521.77
12.	दक्षिणी महाराष्ट्र	1497.62
13.	उत्तरी महाराष्ट्र	1438.68
14.	उत्तर–पश्चिम कर्नाटक	1486.27
15.	शेष कर्नाटक	1396.18
16.	आंध्र प्रदेश	1413.24
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	1438.46
18.	पश्चिम बंगाल – उड़ीसा, नागालैंड	1261.51
19	केरल, गोवा, तटीय कर्नाटक	1456.62
	अखिल भारत	1392.78

विवरण-II

गत तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल–मार्च) के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा और मूल्य

	चीनी का आयात	
वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
2003-2004	0.74	62.70
2004-2005	9.33	976.17
2005-2006	5.59	651.80

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कोलकाता।

विवरण-III

गत तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल–मार्च) के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा और मूल्य

	चीनी का निर्यात	
वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
2003-2004	12.01	1216.59
2004-2005	1.09	149.52
2005-2006	3.17	557.09

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कोलकाता।

[अनुवाद]

दूरसंचार निर्माण उद्योग

1066. श्री उदय सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वदेशी दूरसंचार निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने स्वदेशी दूरसंचार उपस्करों के विकास के लिए निवेशकों के अनुकूल वातावरण तैयार किया है। दूरसंचार विनिर्माण के क्षेत्र में आटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। सरकार ने देश में विशिष्ट तौर पर दूरसंचार के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना करने में सहायता प्रदान की है। देश में स्वदेशी दूरसंचार विनिर्माण इकाइयों का बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

* दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एसआईए के पास साधारण औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आईईएम) दर्ज कराया जाना संभव होता है।
* पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय लाभांश आय तथा निवेशित पूंजी।
* ऑटोमैटिक रूट से 2 मिलियन अमेरिकी डालर के तकनीकी जानकारी शुल्क का और स्वदेश में विक्रय पर 5% तक तथा निर्यात विक्रय पर 8% तक रायल्टी का, करों के निवल का भुगतान।
* निर्यात के दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ स्वदेशी प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में 100% विक्रय की अनुमति प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नालॉजी पार्क (ईएचटीपी)/विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) स्कीम का आशोधन।
* जिस दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण हेतु कोई लाइसेंस लेना अपेक्षित नहीं है उसके समस्त पूंजीगत माल का आयात।
* सरकार ने दूरसंचार उपस्कर तथा सेवाओं के लिए "निर्यात प्रोत्साहन मंच" स्थापित किया है।

दूरसंचार क्षेत्र में लोकपाल

1067. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों और विवादों को सुलझाने के लिए लोकपाल नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लोकपाल का संभावित क्षेत्राधिकार और स्थिति क्या होगी; और

(ग) इसके कब तक नियुक्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। दूरसंचार संबंधी शिकायतों/विवादों का समाधान करने के लिए लोकपाल नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य

1068. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो एसएमपी के आकलन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि की लागत और निर्धारित एसएमपी के मध्य कोई संगतता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष एसएमपी के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय सांविधिक न्यनतम मूल्य ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के अधीन निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है:-

(क) ईख की उत्पादन लागत;

(ख) वैकल्पिक फसलों से किसानों को आय और कृषि जिंसों के मूल्यों का आम रूझान;

(ग) उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं के लिए चीनी की उपलब्धता;

(घ) वह मूल्य जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा ईख से उत्पादित चीनी बेची जाती है; और

(ङ) गन्ने से चीनी की रिकवरी।

गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों तथा ऐसे अन्य संगठनों/एसोसिएशनों से परामर्श करने के बाद निर्धारित किए जाते हैं, जिनसे केन्द्र सरकार परामर्श करना उपयुक्त समझती है।

(ग) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय गन्ने की पैदावार की लागत एक ऐसा महत्वपूर्ण मानदंड है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि

1069. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर :
श्री बी. के. हुम्बर :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत प्रदान ऋण की धनराशि बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पी एम आर वाई के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान पी एम आर वाई के अंतर्गत राज्य-वार कितने शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति/युवा लाभान्वित हुए;

(ङ) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र है कि धनराशि का दुरुपयोग न किया जा सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने पी एम आर वाई का मूल्यांकन करने के लिये कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) 2007-08 से पी. एम. आर. वाई. के मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित कर दिया गया है। पी.एम.आर.वाई. के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत बिजनेस क्षेत्र के संबंध में परियोजना लागत को 1,00,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,00,000/- रुपये तथा उद्योग क्षेत्र के लिए 2,00,000 से बढ़कर 5,00,000 कर दिया गया है। सेवा क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 2,00,000/- रु. ही है। अतः वर्ष 2007-08 से परियोजना के लिए ऋण राशि तदनुसार बढ़ जाएगी।

(ग) पी.एम.आर.वाई. के तहत विगत तीन सालों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संस्वीकृत/जारी तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत शिक्षित/

अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों/युवा लाभार्थियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर. वाई.) के तहत रिलीज किए गए फण्ड्स के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इन फण्ड्स के उपयोग हेतु स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा मानदंडों को निर्धारित करके पहले ही रिलीज किए गए फण्ड्स के लिए "उपयोगिता प्रमाण पत्र" को फण्ड रिलीज से जोड़ कर, ऋण प्राप्त कर्ता को सीधे ही देने की बजाय माल आपूर्तिकर्ता को थर्ड पार्टी चेक के माध्यम से ऋण के संवितरण, इत्यादि किया जाता है। इसके अलावा, पी.एम.आर.वाई. के लिए निगरानी तंत्र है जिसमें जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता के तहत जिला पी.एम.आर.वाई. समितियां तथा संबंधित प्रमुख सचिवों की अध्यक्षता के तहत राज्य पी.एम.आर.वाई. समितियां हैं। ये समितियां जिला/राज्य स्तर पर स्कीम तथा फण्ड्स की उपयोगिता के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

(छ) और (ज) सरकार को प्रायोगिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) के माध्यम से आयोजित पी.एम.आर.वाई. के मूल्यांकन के तीन दौरों के निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। पी.एम.आर.वाई. के मूल्यांकन के विभिन्न दौरों के निष्कर्षों का ब्यौरा सुलग्न विवरण III में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमआरवाई के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/जारी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस्तेमाल की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		जारी निधियां	इस्तेमाल की गई निधियां	जारी निधियां	इस्तेमाल की गई निधियां	जारी निधियां	इस्तेमाल की गई निधियां
1	2	9	10	9	10	9	10
1	आंध्र प्रदेश	293.34	187.81	176.72	188.78	191.95	एन आर
2	असम	100.71	87.44	77.80	एन आर	1.73	एन आर
3	अरुणाचल प्रदेश	5.39	3.54	4.54	5.83	0.42	एन आर
4	बिहार	19.87	20.41	0.00	13.08	0.00	एन आर
5	छत्तीसगढ़	50.84	30.52	41.02	34.73	38.06	एन आर
6	दिल्ली	0.00	एन आर	0.00	एन आर	0.00	एन आर
7	गोवा	0.00	एन आर	0.00	0.12	0.00	एन आर
8	गुजरात	53.07	29.21	13.38	28.90	0.00	एन आर
9	हरियाणा	74.20	43.76	45.64	60.04	38.60	68.18
10	हिमाचल प्रदेश	5.12	14.06	15.03	10.67	26.77	एन आर
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	11.71	0.00	10.30	एन आर
12	झारखंड	34.56	17.03	0.06	33.28	14.62	3.32
13	कर्नाटक	173.19	163.16	124.08	139.09	165.91	एन आर
14	केरल	175.75	165.13	176.63	211.27	202.33	64.33

1	2	9	10	9	10	9	10
15	मध्य प्रदेश	265.38	164.66	226.32	114.15	209.89	एन आर
16	महाराष्ट्र	173.92	145.05	128.04	146.74	112.62	132.67
17	मणिपुर	4.55	8.82	1.23	5.11	8.24	एन आर
18	मेघालय	8.29	9.58	8.22	10.61	5.52	5.78
19	मिजोरम	3.24	2.96	8.22	4.75	0.00	एन आर
20	नागालैंड	17.12	13.44	22.03	19.51	6.79	10.12
21	उड़ीसा	147.50	111.35	135.46	134.26	128.31	122.67
22	पंजाब	81.45	20.17	56.67	52.75	0.00	एन आर
23	राजस्थान	104.30	103.41	109.97	126.83	124.90	एन आर
24	तमिलनाडु	136.75	12827	155.27	159.27	156.28	एन आर
25	त्रिपुरा	21.24	19.20	22.70	20.44	20.39	2056
26	उत्तर प्रदेश	644.91	359.17	422.85	446.25	386.87	एन आर
27	उत्तरांचल	92.76	52.58	64.16	56.63	83.49	एन आर
28	पश्चिम बंगाल	19.12	20.27	29.10	36.17	4.96	एन आर
29	अंडमान और निकोबार	2.51	0.33	0.55	0.82	0.89	0.09
30	चंडीगढ़	1.02	1.17	3.98	1.43	1.15	0.87
31	दमन और दीव	0.03	एन आर	0.03	एन आर	0.11	एन आर
32	दादरा और नगर हवेली	0.20	एन आर	0.19	एन आर	0.12	एन आर
33	लक्षद्वीप	0.14	एन आर	0.05	एन आर	0.04	एन आर
34	पांडिचेरी	4.74	2.08	0.57	2.22	3.38	3.51
35	सिक्किम	0.25	029	0.89	0.46	0.52	0.00
	कुल	2715.43	1924.86	2082.12	2064.17	1947.16	432.08

एन आर–राज्य सरकार द्वारा नहीं बताया गया।

* चूंकि वर्ष 2006–07 के लिए वितरण समाप्त करने के लिए अंतिम तिथि 30.06.07 तक बढ़ा दी गई है, अतः अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2006–07 के लिए निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

टिप्पणी 1 : पीएमजीएसवाई के तहत सब्सिडी और उद्यमिता विकास (ईडी) उद्देश्यों के लिए निधियां जारी की जाती हैं। सब्सिडी के लिए निधियां आरबीआई को अभिमुक्त की गई है, आरबीआई इन निधियों को कार्यान्वयक बैंकों को जारी करता है। अतः, सब्सिडी के लिए जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। ईडी यानि प्रशिक्षण और आकस्मिकता, आदि के लिए निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं।

टिप्पणी 2 : पिछले वर्ष का आधिक्य/कमी को बाद के वर्षों में समायोजित किया जाता है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमआरवाई के तहत लाभान्वित शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों/युवाओं का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05				2005-06				2006-07*			
		लक्ष्य (आवंटित) संख्या	व्यक्ति/युवा जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत किए गए		अनुमानित रोजगार सृजन #	लक्ष्य (आवंटित) संख्या	व्यक्ति/युवा जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत किए गए		अनुमानित रोजगार सृजन #	लक्ष्य (आवंटित) संख्या	व्यक्ति/युवा जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत किए गए		अनुमानित रोजगार सृजन #
			संख्या	राशि			संख्या	राशि			संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तरी क्षेत्र													
1	हरियाणा	10200	7755	4294.93	11633	10600	9565	5272.34	14348	11000	10254	5440.24	15381
2	हिमाचल प्रदेश	3000	2853	2285.89	4280	3000	2929	2438.78	4394	4700	3327	2819.07	4990.5
3	जम्मू और कश्मीर	3000	639	667.47	959	3000	544	583.89	816	3000	555	607.19	832.5
4	पंजाब	9200	8372	5141.36	12558	9200	8043	4966.79	12065	9200	7312	4426.97	10968
5	राजस्थान	18200	12919	7087.30	19379	18700	13868	7820.82	20802	19200	14149	7828.97	21223.5
6	चंडीगढ़	100	206	123.16	309	100	72	45.99	108	100	33	20.82	49.5
7	दिल्ली	4500	819	557.12	1229	4500	682	480.89	1023	4000	471	314.03	706.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र													
8	असम	15000	8256	5724.27	12384	15000	5671	3635.93	8507	10300	2648	2098.60	3972
9	मणिपुर	1500	387	304.23	581	1500	383	348.96	575	1500	129	101.08	193.5
10	मेघालय	1400	568	529.40	852	1400	564	515.14	846	800	181	142.01	271.5
11	नागालैंड	1200	109	102.45	164	2800	2379	3124.97	3569	1000	541	586.57	811.5
12	त्रिपुरा	3000	1747	1379.65	2621	3000	2032	1642.31	3048	3000	1196	1004.22	1794
13	अरुणाचल प्रदेश	850	440	434.80	660	1050	447	397.55	671	400	213	166.46	319.5
14	मिजोरम	200	142	133.20	213	1000	472	439.52	708	1000	55	36.64	82.5
15	सिक्किम	100	32	22.80	48	100	31	19.02	47	40	32	19.90	48
पूर्वी क्षेत्र													
16	बिहार	16000	10396	8887.83	15594	25000	12072	9359.65	18108	11400	7490	6178.53	11235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	झारखंड	9000	4804	3783.49	7206	9000	4566	3560.68	6849	9000	4541	3615.23	6811.5
18	उड़ीसा	18000	11339	6819.02	17009	18000	12823	7991.59	19235	15600	12459	7018.87	18688.5
19	पश्चिम बंगाल	24000	3796	2534.39	5694	24500	4616	3245.55	6924	4600	3118	2425.16	4677
20	अंडमान और निकोबार	400	142	109.21	213	200	150	109.26	225	200	107	83.31	160.5
मध्य क्षेत्र													
21	मध्य प्रदेश	28000	20642	12738.88	30963	32000	20909	12599.51	31364	32000	16519	9933.84	24778.5
22	छत्तीसगढ़	6000	3276	1987.65	4914	6800	3463	2130.18	5195	8400	3658	2271.35	5487
23	उत्तर प्रदेश	52000	42534	29211.20	63801	52500	40040	29746.62	60060	53900	40784	29338.13	61176
24	उत्तरांचल	7000	6637	4468.32	9956	8000	7404	5206.67	11106	8000	6069	4431.23	9103.5
पश्चिमी क्षेत्र													
25	गुजरात	12500	6406	3058.89	9609	9600	6347	3196.81	9521	9900	5729	2467.61	8593.5
26	महाराष्ट्र	39000	21819	11953.16	32729	36000	23817	13036.36	35726	38200	19588	10778.17	29382
27	दमन और दीव	50	4	3.51	6	50	14	10.66	21	50	8	6.00	12
28	गोवा	500	45	35.20	68	500	43	36.64	65	500	20	15.39	30
29	दादरा और नगर हवेली	50	22	15.00	33	50	24	16.00	36	50	3	1.95	4.5
दक्षिणी क्षेत्र													
30	आंध्र प्रदेश	43000	22542	14718.59	33813	43000	21334	12604.92	32001	43000	11668	7299.42	17502
31	कर्नाटक	24000	13931	8866.82	20897	24000	19246	11756.60	28869	24000	15396	8990.13	23094
32	केरल	25500	16552	8487.30	24830	28000	21447	10249.66	32171	28000	19190	8815.01	28785
33	तमिलनाडु	25000	16902	6752.80	25353	27000	19534	7531.31	29301	27000	20282	7986.63	30422
34	लक्षद्वीप	50	4	2.72	6	50	5	3.90	8	50	0	0.00	0
35	पांडिचेरी	650	329	138.31	494	650	348	154.07	522	750	297	129.82	445.5
	विनिर्दिष्ट		897	918.19	1346		1397	1094.47	2096		886	1009.31	1329
	अखिल भारत	402150	248264	154278.51	372396	419850	287281	165374.01	400922	383840	228908	138407.86	343362

स्रोत आरबीआई आंकड़े

*अनंतिम

@अनुमानित सृजित रोजगार /1.5 प्रति संक्षिप्तित मामले

विवरण-III

पी एम आर वाई के तहत विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष

पहला राउंड

वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के संबंध में मूल्यांकन राउंड वर्ष 1996–1997 में आयोजित किया गया था। पहले राउंड में 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 48 जिलें शामिल हैं।

पी एम आर वाई के संबंध में पहले मूल्यांकन राउंड के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नोक्त हैं:

i) सामान्य श्रेणी के 61.3%, ओ.बी.सी. के 25.6%, अनु.जा. के 11% तथा अनु.ज.जा. के 2.1%, महिलाओं का समानुपात 14% हितग्राहियों का था।

ii) लक्ष्य के 81.6% की संस्वीकृति थी तथा संस्वीकृत ऋणों मामलों का 74.7% संवितरित किया गया।

iii) प्रति हिग्राही ऋण संवितरित औसतन राशि 57,403/– रु. थी।

iv) प्रति कार्यरत इकाई में सृजित रोजगार 1.94 व्यक्ति था।

v) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हितलाभों का वितरण क्रमशः 49.9% तथा 50.1 प्रतिशत था।

vi) संवितरित मामलों में 89.7 प्रतिशत में परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है।

vii) हितग्राहियों की लागत 36.4% ऋण किस्तों की अदायगी समय पर कर रहा था।

viii) चूक के मामलों में जानबूझ कर चूककर्ता का समानुपात 16% था।

दूसरा राउंड

पी एम. आर वाई. के संबंध में मूल्यांकन का दूसरा राउंड 2000–2001 में आयोजित किया गया जिसमें संदर्भ वर्ष 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 को कवर किया गया है। यह अध्ययन 6 राज्यों के चुनिंदा 16 जिलों तक सीमित है। पी. एम. आर. वाई. के दूसरे मूल्यांकन राउंड के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नोक्त हैं:

i) 61.3 सामान्य श्रेणी के 25.6% ओ. बी. सी. के, 11.0% अनु.जा. के तथा 2.1% अनु.ज.जा. के 14% महिलाओं के समानुपात हितग्राहियों का था।

ii) लक्ष्य का 81.6% संस्वीकृत था तथा संस्वीकृत ऋण मामलों का 74.7% संवितरित किया गया।

iii) संवितरित ऋण की औसतन राशि 57403/– रु. प्रति हितग्राही थी।

iv) सृजित रोजगार 1.94 व्यक्ति प्रति कार्यरत इकाई था।

v) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हितग्राही वितरण क्रमशः 49.9% तथा 50.1% था।

vi) संवितरित मामलों के 89.7% में संपरिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है।

vii) हितग्राहियों का लगभग 42% 36.4% समय पर ऋण किस्तों का अदायगी करते थे।

viii) चूककर्ता मामलों में जानबूझ कर चूककर्ताओं का समानुपात 16% था।

तीसरा राउंड

पी एम. आर वाई. के संबंध तीसरा राउंड कार्यक्रम वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 के लिए 6 राज्यों में किया गया तथा इसमें 14 जिलों को कवर किया गया। पी. एम. आर. वाई. के संबंध में तीसरे मूल्यांकन राउंड के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नोक्त हैं:

i) 53.0 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के 26.6 प्रतिशत ओ. बी. सी. के, 11.7 प्रतिशत अनु.जा. के तथा 9.3 प्रतिशत अनु.ज.जा. के हितग्राहियों से संबंधित हैं। महिलाओं का समानुपात 13 प्रतिशत है।

ii) लक्ष्य का 39.8 प्रतिशत संस्वीकृत था तथा स्वीकृत मामलों का 99.6 प्रतिशत संवितरित किया गया।

iii) संवितरित ऋण की औसतन राशि 64,420 प्रति हितग्राही थी।

iv) सृजित रोजगार 1.95 प्रतिशत कार्यरत इकाई है।

v) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वितरण क्रमशः 39.1 प्रतिशत तथा 61.5 प्रतिशत है।

vi) संवितरित मामलों के 74.9 प्रतिशत में परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है।

vii) हितग्राहियों का लगभग 42% ऋण किस्तों को समय पर अदा कर रहा था।

विमानवाहक एडमिरल गोर्शकोव की खरीद

1070. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्रीमती मनोरमा मादवराज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी विमानवाहक एडमिरल गोर्शकोव की खरीद में कुछ समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) वायुयान वाहक का निर्माण अथवा मरम्मत और पुनः सज्जा एक जटिल कार्य है। इसमें न केवल प्लेटफार्म के निर्माण/मरम्मत का कार्य शामिल है वरन इसमें बड़ी संख्या में प्रणालियों, असेम्बलियों और उप–असेम्बलियों की फिटमेंट का काम भी शामिल होता है। इस प्रकार की किसी परियोजना में कई एजेंसियों के साथ तालमेल भी किया जाना होता है। यदा–कदा विभिन्न कारणों की वजह से समस्याएं उठ खड़ी होती हैं जिनका समाधान संबंधित एजेंसियों के साथ परस्पर संपर्क करके किया जाता है। यह बात समझी जानी चाहिए कि अप्रत्याशित समस्याओं की वजह से परियोजना में विलंब हो सकता है।

वायुयान वाहक विक्रमादित्य (पूर्व नाम एडमिरल गोर्शकोव) की मरम्मत और पुनः सज्जा का पर्यवेक्षण करने के लिए रक्षा सचिव के अधीन एक सर्वोच्च स्तर समिति तथा वाइस एडमिरल के अधीन एक संचालन समिति का गठन किया गया है। जिस शिपयार्ड में मरम्मत और पुनः सज्जा का काम किया जा रहा है वहां भी एक दल की तैनाती की गई है। समय–समय पर वरिष्ठ अफसरों को शामिल करके बनाए गए दल भी परियोजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए भेजे जाते हैं। इस समय रूस के प्राधिकारियों से पोत की सुपुर्दगी समय पर किए जाने का आग्रह किया जा रहा है।

कृषि विकास

1071. प्रो. एम. रामदास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रबी की फसलों विशेषकर गेहूं और चावल की बुवाई क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत वर्षों के दौरान तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय के विशेषज्ञ समूह ने स्थिति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ङ) क्या देश में कृषि विकास के परिणामस्वरूप पोषक फसलों जैसे बाजारा, ग्रेन लेगुसम और तिलहनों का क्षेत्र कम हो गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या चीनी, अंडा, दूध सब्जियों और फलों के मामले में विकास दर चीन से बहुत कम है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) निम्नलिखित सारणी में मंत्रालय में फसल मौसम निगरानी दल की साप्ताहिक बैठक में 10.8.2007 को सृजित किए गए मिन्न – मिन्न खरीफ फसलों के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र दिए गए हैं:–

फसल	बुवाई क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	
	2007-08 (10.08.2007 के अनुसार)	2006-07 (समान अवधि)
चावल	260.77	261.74
मोटे अनाज	193.26	177.75
दालें	104.34	95.45
तिलहन	159.30	148.78
कपास	86.24	81.74
गन्ना	51.16	48.32
पटसन	7.89	8.18
सभी फसलें	864.43	823.48

गेहूं एक रबी फसल है तथा इसकी बुवाई अक्तूबर, 2007 में शुरू की जायेगी। फसल मौसम निगरानी दल द्वारा फसलों की बुवाई स्थिति के अलावा, मौसम तथा निवेश आपूर्ति स्थिति की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाती है। यह पाया है कि मिन्न मिन्न फसलों के अंतर्गत बुवाई की प्रगति संतोषजनक है।

(ङ) और (च) निम्नलिखित सारणी में 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान ज्वार, बाजरा, छोटे मिलेट, दालों तथा तिलहनों के अंतर्गत क्षेत्र दिया गया है :–

(लाख हैक्टेयर)

वर्ष	ज्वार	बाजरा	कुटकी	दालें	तिलहन
2005-06	86.67	95.81	10.64	223.91	278.63
2006-07*	84.51	95.24	10.05	231.13	260.53

*19.7.2007 को पीछे आंकिन अनुमान

तिलहनों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज में गिरावट हुई है परन्तु दालों में इसमें काफी वृद्धि हुई है।

(छ) और (ज) निम्नलिखित सारणी में 2004 तथा 2005 के दौरान भारत तथा चीन में अण्डों, दूध, फलों, सब्जियों तथा शर्करा के उत्पादन के बारे में तथा इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर को दर्शाया गया है:

जिन्स/देश	इकाई	उत्पादन		वृद्धि दर (%)
		2004	2005	
अंडे				
भारत	000 टन	2,486.00	2,539.00	2.1
चीन	000 टन	27,612.49	28,645.29	3.7
दूध				
भारत	000 टन	91,059.00	95,619.00	5.0
चीन	000 टन	24,273.07	29,402.98	21.1
फल				
भारत	000 टन	30,474.94	31,239.76	2.5
चीन	000 टन	44,126.77	46,334.53	5.0
सब्जियां				
भारत	000 टन	48,593.72	50,635.04	4.2
चीन	000 टन	161075.89	166378.54	3.3
शर्करा				
भारत	000 टन	15,150.00	14,170.00	-6.5
चीन	000 टन	9,317.00	10,371.001	11.3

स्रोत : 17.08.2007 को प्राप्त खाद्य तथा कृषि संगठन वेबसाइड

टिप्पणी – फलों में सेब, केला, खट्टे फल, अंजीर, अनन्नस, आम, संतरा, पपीता तथा अनानास शामिल है। सब्जियों में बंदगोभी, फूलगोभी, प्याज, आलू तथा टमाटर शामिल है।

सब्जियों के अलावा उपर्युक्त सभी जिन्सों की वृद्धि दर भारत की अपेक्षा चीन में अधिक है। इन जिन्सों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। देश में इस अवधि के दौरान शर्करा को छोड़कर सभी जिन्सों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर रही है। शर्करा उत्पादन में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग पर रोक

1072. श्री जोआकिम बखला : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने लोकल लाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान लोकल लाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग के कारण हुई राजस्व हानि का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान अवैध रूटिंग में लिप्त फर्म/कंपनी/इंफोकोम की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने स्थानीय लाइनों के माध्यम से अंतराष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित अनुदश जारी किए हैं:–

- निजी प्रचालकों की ओर से बीएसएनएल को आने वाले परिवाह की आवधिक मानीटरिंग करना।
- आईएलडी (अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी) कॉलों की रूटिंग में अप्राधिकृत रूट बदलने को रोकना।
- गुप्त/अवैध ढंग से कार्यरत दूरसंचार केन्द्रों के टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रचालन को रोकना।

- बड़ी संख्या के लिए गए कनेक्शनों की निरंतर निगरानी, सीडीआर विश्लेषण, लीज्ड लाइन के उपभोक्ताओं का निरीक्षण और क्षेत्रीय इकाइयों से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करना।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान स्थानीय लाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग के कारण बीएसएनएल को हुई कल्पित राजस्व हानि का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	उपयोग की गई कनेक्टिविटी की प्रत्येक श्रेणी की बीएसएनएल को हुई कुल कल्पित राजस्व हानि			कुल (रुपए)
		आईएलएल/आईएसपी/ आईपीएलसी/आईएसडीएन	ब्रॉडबैंड	वी-सैट	
1	2005-06	19048400	9446000	शून्य	28494400
2	2006-07	119620000	10598400	शून्य	130218400
	कुल	138668400	20044400	शून्य	158712800

(घ) गत दो वर्षों के दौरान अवैध रूटिंग में लिप्त फर्म/कंपनी/इन्फोकॉम की वर्षवार और श्रेणीवार कुल संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	फर्म/कंपनी/ इन्फोकॉम की कुल संख्या	उपयोग की गई कनेक्टिविटी की श्रेणी आईएलएल/ आईएसपी/ आईपीएलसी/ आईएसडीएन	ब्रॉडबैंड	वी-सैट
1	2005-06	132	122	7	3
2	2006-07	46	42	4	शून्य
	कुल	178	164	11	3

(ङ) और (च) सरकार द्वारा की गई निवारक तथा कठोर कार्रवाई:

- इस प्रकार के अवैध टेलीफोन एक्सचेंजों पर नियंत्रण रखने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा देश के समस्त 24 दूरसंचार सर्किलों तथा 10 महानगरों में 34 सतर्कता एवं दूरसंचार मानीटरिंग सेल बनाए गए हैं।
- निःशुल्क सार्वजनिक नंबर 1800-110-420 खोला गया है ताकि आम जनता इस प्रकार के मामलों का पता लगाने में विभाग की सहायता कर सके। लोगों को जागरूकता जगाने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं और मोबाइल प्रचालकों द्वारा उनके उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजे जाते हैं।
- अवैध स्थापना में प्रयुक्त समस्त हाई टेक उपस्कर को सुरक्षा एजेंसी द्वारा ज़ब्त कर लिया जाता है और अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामलों में आगे जांच-पड़ताल करने का कार्य चल रहा है।
- बड़ी संख्या में टेलीफोनों की बुकिंग का निरीक्षण करके और कालों के परियात की मानीटरिंग करके धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।
- दूरसंचार विभाग ने इस प्रकार की अवैध स्थापनाओं/धोखाधड़ी की प्रभावी ढंग से मानीटरिंग करने, उनका पता लगाने तथा उनकी रोकथाम के लिए सभी सेवा प्रदाताओं को अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- इस प्रकार की अवैध स्थापनाओं का प्रभावी ढंग से पता लगाने तथा इनकी रोकथाम करने के संबंध में बेहतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वरिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों को प्रशिक्षण और संबंधित सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में भूमिगत केबल

1073. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत केबल द्वारा जुड़ी हुई ग्राम पंचायतों की आज की स्थिति के अनुसार स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) केबल बिछाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केबल बिछाने के बावजूद ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन न प्रदान करने के क्या कारण हैं और ऐसी पंचायतों की संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 66,822 गांव टेलीफोन सुविधारहित थे जिनमें 100 से कम की आबादी वाले गांव, घने वन क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बसे गांव शामिल नहीं हैं। 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार इनमें से 47,704 गांवों को सुविधा प्रदान कर दी गई है जिनमें ग्राम पंचायत भी शामिल है, ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) और (ग) केबल लाइनें बिछाने संबंधी शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाता है। जनवरी, 2006 से, दूरसंचार विभाग में तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें जांच तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड को भेज दिया गया है।

(घ) 18118 सुविधारहित गांवों को नवम्बर, 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से सुविधा प्रदान की जाएगी।

विवरण

30.6.2007 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड के सुविधा रहित गांवों का सार

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	सुविधारहित गांवों की कुल सं.	डीएसपीटी पर	अन्य प्रौद्योगिकियों पर	प्रदान किए गए वीपीटी	सुविधारहित शेष बचे गांव
1	2	3	4	5	6	7
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1074	115	959	605	469
3	असम	8931	279	8652	8504	427
4	बिहार	0	0	0	0	0
5	झारखंड	1694	1694	0	800	894
6	गुजरात	4144	0	4144	3588	556
7	हरियाणा	0	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	1002	275	727	828	174
9	जम्मू और कश्मीर	1755	465	1290	1142	613
10	कर्नाटक	0	0	0	0	0
11	केरल	0	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	11894	443	11451	11604	290
13	छत्तीसगढ़	5043	88	4955	2885	2158
14	महाराष्ट्र	6441	496	5945	5545	896
15	उत्तर पूर्व–I	2128	578	1550	261	1867
15क	मेघालय (उत्तर पूर्व–I)	1957	500	1457	182	1775
15ख	मिजोरम (उत्तर पूर्व–I)	96	20	76	10	86
15ग	त्रिपुरा (उत्तर पूर्व–I)	75	58	17	69	6

1	2	3	4	5	6	7
16	नागालैंड (उत्तर पूर्व–II)	1550	1289	261	633	917
16क	अरुणाचल प्रदेश (उत्तर पूर्व–II)	646	543	103	170	476
16ख	मणिपुर (उत्तर पूर्व–II)	876	730	146	446	430
16ग	मिजोरम (उत्तर पूर्व–II)	28	16	12	17	11
17	उड़ीसा	4899	4899	0	560	4339
18	पंजाब	0	0	0	0	0
19	राजस्थान	12386	18	12368	10184	2202
20	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
21	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु (पश्चिम)	0	0	0	0	0
23	उत्तरांचल	3881	3544	337	1565	2316
24	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल	66822	14183	52639	48704	18118

कृषि वानिकी परियोजनाएं

1074. श्री तूफानी सरोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यान्वित की गई वानिकी परियोजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटित जारी की गई, उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि वानिकी क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए सरकार की भावी योजना क्या है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) देश में क्रियान्वित की जा रही कोई विशिष्ट सस्य–वानिकी परियोजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार देश में भूमि के विकास के लिये (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये मृदा संरक्षण (iii) क्षारीय मृदा का सुधार (iv) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाएं (v) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (vi) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (vii) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (viii) पनधारा विकास कोष तथा (ix) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें नामक विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। इन कार्यक्रमों के तहत सस्य–वानिकी एक घटक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के तहत 8810.20 करोड़ रु. व्यय करके 22.06 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र का उपचार किया गया है। इसका स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I पर दिया गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भी निम्नीकृत वन भूमियों और समीपवर्ती भूमि के पुनः विकास के लिये राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम को वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों की द्वि–स्तरीय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के जरिये क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र का उपचार जे एफ एम सी क्षेत्र के लिये निरूपित सूक्ष्म–योजना के अनुसार किया जाता है। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार 24,215

जे एक एम सी के जरिये 9.36 लाख हैक्टेयर परियोजना के क्षेत्र कवर करने के लिये 28 राज्यों में 729 वन विकास एजेंसी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। विगत पांच वर्षों (2002–03 से 2006–07) के दौरान इस कार्यक्रम के तहत जारी राज्यवार कोष का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सस्य–वानिकी से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना क्रियान्वित कर रहा है जिसकी परियोजना समन्वयन इकाई राष्ट्रीय सस्य–वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी तथा समन्वयन केन्द्र देश में आई सी ए आर की विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न समन्वय केन्द्रों की विस्तृत सूची और उनको आबंटित कोष का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सभी विभिन्न प्रकार की स्कीमों/कार्यक्रमों की नियमित मानीटरिंग और मूल्यांकन की अपनी निजी प्रणाली है। सभी पनधारा कार्यक्रमों की त्रैमासिक आधार पर उनके निष्पादन के मामले में समीक्षा की जाती है। सस्य–वानिकी संबंधी ए आई सी आर पी की प्रगति की मानीटरिंग और आकलन परियोजना की सामूहिक बैठक या वार्षिक कार्यशाला के रूप में आयोजित वार्षिक समीक्षा बैठकों के दौरान किया जाता है। आई सी ए आर द्वारा गठित पंचवार्षिक समीक्षा दल के माध्यम से भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ङ) और (च) निम्नीकृत भूमि/बंजर भूमि के पुनरूद्धार सहित कृषि तथा शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति के कार्यकारी समूह के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 32095.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के तहत लगभग 38 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिये विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के लिये परियोजनावार लक्ष्य तथा परिव्यय निम्नलिखित हैं:–

क्रियान्वयन करने वाला विभाग/मंत्रालय	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य (मिलियन है.)	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रुपये में)
कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय	एन डब्ल्यू डी पी आर ए	4.00	4000
	आर वी पी एण्ड एफ पी आर	2.00	2400
	डब्ल्यू डी पी एस सी ए	0.20	240
	आर ए एस	0.50	1455
	डब्लयू डी एफ	0.40	300
	ई ए पी एस	0.50	750
	नई स्कीमें	2.40	2500
	उप–योग	10.00	11645
भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय	आई डब्ल्यू डी पी	10.0	5200
	डी पी ए पी	10.0	5200
	डी डी पी	5.0	2600
	कुल IX वीं योजना	0.00	13000
	दसवीं योजना की कुल देयताएं	0.00	5200
	उप–योग	25.00	18200
योजना आयोग सार्वजनिक निजी सहभागिता	एच ए डी पी एवं डब्ल्यू जी डी पी	1.00	750
		2.00	1500
	कुल	38.00	32095

एन आर सी ए एफ, झांसी और सस्य–वानिकी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक मजबूत बनाने का प्रस्ताव है तथा 11वीं योजना के लिये प्रस्तावित परिव्यय एन आर सी ए एफ के लिये 26.22 करोड़ रु. और सस्य–वानिकी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के लिये 29.70 करोड़ रुपये है।

विवरण-I

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के तहत विकसित भूमि

(क्षेत्रफल लाख हैक्टेयर में और खर्च करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मंत्रालय/स्कीम तथा शुरू करने का वर्ष	दसवीं योजना के दौरान प्रगति (2002-07)	
		क्षेत्रफल	खर्च
1.	एनडब्ल्यूडीपीआरए (1990-91)	23.30	1147.82
2.	आरवीपी और एफपीआर (1962 और 81)	9.98	727.98
3.	डब्ल्यूडीपीएससीए (1974-75)	1.35	129.31
4.	आरएएस (1985-86)	1.30	45.35
5.	डब्ल्यूडीएफ (1999-00)	0.59	26.02
6.	ईएपी	4.80	1927.54
	उप–योग	41.32	4004.02
1.	डीपीएपी (1973-74)	68.32	1557.76
2.	डीडीपी (1977-78)	45.17	1152.50
3.	आईडब्ल्यूडीपी (1988-89)	62.22	1821.64
4.	ईएपी	3.60	274.28
	उप–योग	179.31	4806.18
	कुल योग (क+ख)	220.63	8810.20

* 2006-07 की अनंतिम उपलब्धि शामिल है।

संक्षेपण

एनडब्ल्यूडीपीआरए	–	वर्षासिंचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
आरवीपी और एफपीआर	–	नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी
डब्ल्यूडीपीएससीए	–	झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना
आरएएस	–	क्षारीय मृदाओं का सुधार
डब्ल्यूडीएफ	–	पनधारा विकास कोष
ईएपी	–	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना
डीपीएपी	–	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीडीपी	–	मरुस्थल विकास कार्यक्रम
आईडब्ल्यूडीपी	–	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

स्रोत : योजना आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंध की कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, जनवरी, 2007

विवरण-II

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के लिए निर्मुक्त राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03 कुल निर्मुक्ति	2003-04 कुल निर्मुक्ति	2004-05 कुल निर्मुक्ति	2005-06 कुल निर्मुक्ति	2006-07 कुल निर्मुक्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8.56	12.15	14.33	7.06	11.06	53.16

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	छत्तीसगढ़	6.16	10.75	17.63	17.63	13.05	65.22
3.	गुजरात	4.60	5.32	9.01	12.34	17.53	48.80
4.	हरियाणा	11.63	8.35	7.46	4.35	9.20	40.99
5.	हिमाचल प्रदेश	0.70	6.95	10.60	9.08	11.56	38.89
6.	जम्मू और कश्मीर	7.42	8.28	4.09	5.39	5.83	31.01
7.	कर्नाटक	16.43	17.11	21.49	23.05	23.54	101.62
8.	मध्य प्रदेश	13.95	11.76	17.38	12.61	15.83	71.53
9.	महाराष्ट्र	5.42	12.37	13.32	14.89	15.93	61.93
10.	उड़ीसा	20.06	9.39	11.97	12.05	14.07	67.54
11.	पंजाब	0.95	1.74	0.14	3.97	3.37	10.17
12.	राजस्थान	4.45	5.56	4.80	7.26	5.62	27.69
13.	तमिलनाडु	8.25	15.66	14.48	20.92	17.22	76.53
14.	उत्तर प्रदेश	20.01	21.54	18.54	17.04	11.88	89.01
15.	उत्तराखण्ड	2.86	5.81	10.88	13.35	11.51	44.41
16.	गोवा	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
17.	झारखंड	1.34	9.27	8.66	7.85	19.03	46.15
18.	बिहार	0.00	1.88	2.74	3.42	4.94	12.98
19.	केरल	1.22	4.60	1.48	5.04	12.75	25.09
20.	पश्चिम बंगाल	2.89	5.95	6.03	5.92	7.00	27.79
	कुल (अन्य राज्य)	136.90	175.08	195.03	203.24	230.92	941.17
21.	अरुणाचल प्रदेश	2.76	4.84	0.76	2.89	2.93	14.18
22.	असम	0.17	5.77	8.03	5.50	13.60	33.07
23.	मणिपुर	2.40	5.08	5.43	6.30	7.78	26.99
24.	नागालैंड	8.51	8.94	5.60	5.37	7.22	35.64
25.	सिक्किम	4.88	4.71	4.37	6.43	7.41	27.80
26.	त्रिपुरा	3.80	4.16	4.66	4.27	4.37	21.26
27.	मिजोरम	10.63	16.99	11.70	10.06	13.09	62.47
28.	मेघालय	0.33	0.05	2.45	5.18	5.44	13.45
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	33.48	50.54	43.00	46.00	61.84	234.86
	कुल योग	170.38	225.62	238.03	249.24	292.76	1176.03

विवरण -III

विगत 5 वर्षों के दौरान आवंटित कोष और केन्द्रों के नाम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उड़ीसा	ओयूएटी, भुबनेश्वर	11.00	13.50	17.00	20.00	22.75	84.25
2	तमिलनाडु	टीएनवी एण्ड एएसयू, कोट्टूपक्कम	12.00	6.50	9.50	10.50	10.00	48.50
		टीएमएयू, कोयम्बटूर	14.00	9.50	18.00	23.50	22.00	87.00
		उप–योग	26.00	16.00	27.50	34.00	32.00	135.50
3	कर्नाटक	यूएएस, बंगलौर	0.45	0.75	4.05	14.50	10.00	29.75
		यूएएस, धारवाड़	17.00	21.00	16.00	27.21	24.00	105.21
		उप–योग	17.45	21.75	20.05	41.71	34.00	134.96
4	उत्तर प्रदेश	सीएसएयूए एण्ड टी कानपुर	13.33	12.00	1-04-2004 से बन्द			25.33
		एनडीयूए एण्ड टी फैजाबाद	7.00	12.50	13.00	16.50	21.00	70.00
		एनआरसीएफ, झांसी	125.98	130.00	178.50	175.00	220.00	829.48
		उप–योग	146.31	154.50	191.50	191.50	241.00	924.81
5	राजस्थान	आरएयू, फतेहपुर–एच	5.47	12.00	15.00	17.00	15.00	64.47
6	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार	17.24	13.50	20.00	17.00	24.00	91.74
7	आंध्र प्रदेश	एएनजीआरएयू, हैदराबाद	17.00	14.58	15.25	19.50	19.00	85.33
8	मध्य प्रदेश	जेएनकेवी, जबलपुर	18.64	12.50	13.00	13.00	19.00	76.14
9	पंजाब	पीएयू, लुधियाना	15.50	16.00	16.00	20.00	25.00	92.50
10	असम	एएयू, कहीकुची	7.00	12.50	15.00	20.00	21.00	75.50
11	उत्तराखण्ड	जीबीपीयूए एण्ड टी पंजनगर	9.72	12.50	11.00	22.00	19.75	7497
12	बिहार	आरएयू, पूसा	2.00	10.20	10.00	12.86	12.00	47.06
13	महाराष्ट्र	बीएसकेकेवी, दपोली	13.51	11.50	15.00	16.50	19.63	76.14
		पीडीकेवी, नागपुर	21.00	15.50	17.00	16.50	22.00	92.00
		एमएयू, प्रभाई	15.78	6.00	1-04-2004 से बन्द			21.78
		एमपीकेवी, राहुरी	16.84	10.50	16.00	14.00	20.00	77.34
		उप–योग	67.13	43.50	48.00	47.00	61.63	267.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	छत्तीसगढ़	आजीकेवी, रायपुर	8.00	4.00	8.75	13.50	13.00	47.25
15	झारखण्ड	बीएयू, रांची	5.00	13.50	19.00	19.50	20.00	77.00
16	गुजरात	एसडीएयू, एस. के. नगर	19.69	9.50	15.00	23.50	22.00	89.69
17	हिमाचल प्रदेश	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	0.75	0.75	4.00	14.00	10.50	30.00
		वाईएसपीयूएस एण्ड एफ, सोलन	17.30	13.50	14.00	25.50	25.00	95.30
		उप–योग	18.05	14.25	18.00	39.50	35.50	125.30
18	जम्मू और कश्मीर	एसकेयूएटी, श्रीनगर	12.00	9.50	13.00	19.00	21.00	74.50
19	केरल	केएयू, थीसूर	4.00	9.00	14.00	18.50	16.00	61.50
20	पश्चिम बंगाल	बीसीकेवीवी, पश्चिम बंगाल	16.09	14.50	13.00	18.00	20.00	81.59
		कुल योग	443.29	427.28	520.05	627.07	693.63	2711.32

संस्थान के अपने निजी बजटीय संस्थानों के साथ सहकारी केन्द्रों के रूप में कार्यरत आई सी ए आर की संस्थाओं की सूची

21 आईसीआरडब्ल्यूसीआर एण्ड टीआई, देहरादून (उत्तराखण्ड)

22 आईसीएआर एनईएच, रिजनल काम्पलेक्स, बारापानी (मेघालय)

23 आईसीएआर एनईएच, रिजनल काम्पलेक्स, इम्फाल (मणिपुर)

24 आईसीएआर एनईएच, रिजनल काम्पलेक्स, गंगटोक (सिक्किम)

25 सीएसएसआरआई, करनाल (हरियाणा)

26 आईसीआर एनईएच, रिजनल काम्प्लेक्स, अगरतला (त्रिपुरा)

27 सीएजेडआरआई, जोधपुर (राजस्थान)

28 आईजीएफआरआई, झांसी (उ.प्र.)

29 सीआरआईडीए, हैदराबाद (आ.प्र.)

30 सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

31. आईसीएआर, रिजनल काम्प्लेक्स फार ईस्टर्न रिजनल पलाडू, रांची (झारखण्ड)

[अनुवाद]

कलाई कुण्डा एयरफोर्स बेस

1075. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कलाई कुण्डा एयरफोर्स बेस का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कलाई कुण्डा से देश के अन्य विमानपत्तनों के लिए इंडियन एयरलाइंस की सिविल उड़ानें प्रचालित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) कलाई कुण्डा वायुसेना बेस में सैन्य विमानों के प्रचालन के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं मौजूद हैं। रक्षा एयर फील्ड का उन्नयन सेनाओं की संक्रियात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय वायुसेना को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

फसलों में कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग

1076. डा. राजेश मिश्रा :
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :
श्री मो. ताहिर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से देश में फलों और सब्जियों के कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य हानिकारक तत्वों के अत्यधिक उपयोग का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए हाल ही में कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों द्वारा अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है और उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) ऐसे निरीक्षण और अध्ययन के दौरान फलों और सब्जियों में पाए गए विभिन्न हानिकारक तत्वों का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि, पशु एवं खाद्य जिंसों में केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के रूप में "कीटनाशी अवशेषों का प्रबोधन" स्कीम को शुरू किया गया था। वर्ष 2007–08 के दौरान स्कीम के लिए 10 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कृषि, पशु उत्पाद एवं खाद्य जिंसों में कीटनाशी अवशेषों का संग्रहण, मिश्रण एवं विश्लेषण आंकड़े तैयार करना है। स्कीम में अभिज्ञात कीटनाशी अवशेष प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एवं कीटनाशी अवशेषों के लिए विश्लेषित चुनिंदा जिंसों और अन्य नुकसानदायक तत्वों के नमूनें प्राप्त करने के लिए प्रावधान है।

(ग) कृषि जलवायुवीय की स्थितियों एवं अपेक्षाओं के आधार पर फसलों की उच्चतर उत्पादकता के लिए कीटनाशी एवं उर्वरकों के प्रयोग की इष्टतम मात्रा निर्धारण की सिफारिश की जाती है। राज्य कृषि जलवायुवीय स्थितियों एवं फसलों पर रोग के आपात पर निर्भर कीटनाशी उर्वरक का प्रयोग करते हैं। वर्ष 2005–06 के दौरान देश में उर्वरकों की औसत खपत 104.50 किग्रा प्रति हैक्टे. थी। ऐसा माना जाता है कि खपत की इस स्तर से भूमि की उर्वरता पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबधन (आईएनएम) को बढ़ावा दे रही है जिसमें सतत मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता के लिए फार्म यार्ड खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपास्ट, हरी खादी एवं जैव उर्वरकों जैसी जैविक खादो के मिश्रण से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं उचित प्रयोग के आधार पर मृदा परीक्षण शामिल है।

(घ) दिल्ली में एकत्रित सब्जी के नमूनों में सह्य सीमा से अधिक कीटनाशी अवशेष नहीं पाए गए। देश के शेष भाग से एकत्रित नमूनों (1117) में 3.8% नमनों में सह्य सीमा से अधिक अवशेष पाए गए हैं।

(ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग कीट समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) नीति का पालन करता है जोकि पर्यावरण पारिस्थितिकी के अनुकूल है। इसमें कल्चरल, यांत्रिकी, जीव–विज्ञानी, कीट नियंत्रण तकनीकों का सम्मिश्रण होता है जिसमें रासायनिक कीटनाशी न्यूनतम होते हैं। आईपीएम का संवर्द्धन कीटनाशी अवशेषों की समस्याओं को कम कर देगा।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग को प्रोत्साहन

1077. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा न देने के लिए चीनी उद्योग को कुछ गैर–नकदी प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी अवधि तक के लिए इन प्रोत्साहनों को दिया जाएगा; और

(घ) ऐसे प्रोत्साहनों से चीनी उद्योगों को किस प्रकार से लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने दिनांक 8 फरवरी, 2007 के प्रेस नोट द्वारा चीनी का निर्यात करने वाली चीनी फैक्ट्रियों को निम्नलिखित गैर–नगद प्रोत्साहन देने का निर्णय किया–

(i) निर्यात के प्रयोजन की चीनी को लेवी दायित्व से छूट दी जाएगी, और

(ii) निर्यात के प्रयोजन की चीनी की मात्रा को अग्रिम गैर–लेवी (मुक्त बिक्री) का रिलीज माना जाएगा, जिसे 12 माह की अवधि के बाद चीनी फैक्ट्रियों के मुक्त बिक्री के स्टोक में समायोजित किया जाएगा।

उपर्युक्त गैर–नकद प्रोत्साहन अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन 3.1.2007 से 2.7.2007 तक की अवधि के दौरान किए गए चीनी के निर्यात पर और 23.1.2007 से 27.7.2007 तक खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन के निर्यात के लिए अनुमत किए गए थे। जून, 2007 में केंद्र सरकार ने उपर्युक्त प्रोत्साहनों की अवधि को 6 और माह अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। तदनुसार प्रोत्साहन की अवधि अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन निर्यात के लिए 3.7.2007 से 2.1.2008 तक और खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन 23.7.2007 से 22.1.2008 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हों, बढ़ाई गई है। उपर्युक्त प्रोत्साहन तरजीह कोटे के अधीन किए गए निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं है।

(घ) लेवी दायित्व से छूट देकर संबंधित चीनी फैक्ट्री द्वारा निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर सरकार को लेवी मूल्यों पर लेवी चीनी दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा। जहां तक निर्यातित चीनी की मात्रा के समायोजन का आस्थगन करने का संबंध है, संबंधित चीनी फैक्ट्री घरेलू बाजार में बिक्री करने के लिए गैर–लेवी चीनी के अधिक मात्रा में रिलीज प्राप्त करेगी, जिससे उसे ऐसी गैर–लेवी के अधिक रिलीजों पर रख–रखाव लागत की बचत होगी।

सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक का ऋण

1078. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक ने निधि प्रदान करने की पेशकश की है जैसाकि 8 जून, 2007 के 'द हिंदू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान विश्व बैंक के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ भेजे गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) विश्व बैंक इस समय भारत में सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण के उद्देश्य वाली अनेक परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। तथापि, दिनांक 8 जून, 2007 के "द हिन्दू" में प्रकाशित समाचार के संबंध में विश्व बैंक ने सूचित किया है कि हाल ही में अनुमोदित तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल–निकाय पुनरूद्धार तथा प्रबंधन (टीएनआईएएमडब्ल्यूएआरएम) परियोजना के अतिरिक्त उसने तमिलनाडु में किसी अन्य सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण का वादा नहीं किया है और न उसे ऐसा कोई अधिकारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है:

(i) तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरूद्धार तथा प्रबंधन (टीएनआईएएमडब्ल्यूआरएम परियोजना)

(ii) आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना।

इसके अतिरिक्त, विचार किए जाने के लिए विश्व बैंक के समक्ष निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं:

(i) उड़ीसा सामुदायिक टैंक प्रबंधन परियोजना

(ii) कर्नाटक टैंक परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण

(iii) आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना।

(iv) पश्चिम बंगाल–लघु सिंचाई का त्वरित विकास।

(v) महानदी बेसिन विकास परियोजना।

(ग) निम्नलिखित सिंचाई/जल संसाधन परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चल रही हैं:

(i) राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (राजस्थान)

(ii) उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (उत्तर प्रदेश)

(iii) कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (कर्नाटक)

(iv) मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (मध्य प्रदेश)

(v) महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना (महाराष्ट्र)

(vi) तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार परियोजना (तमिलनाडु)

(vii) आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (आंध्र प्रदेश)

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के डिपो

1079. श्री महावीर भगोरा :

श्री एन. राजामोहन रेड्डी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में संचालित किए जा रहे डिपो की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए डिपो की राज्यवार संख्या कितनी हैं;

(ग) बंद करने से पहले ऐसे डिपो की समीक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ङ) क्या सरकार बंद डिपो को दुबारा खोलने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो ऐसे डिपो को कब तक दुबारा खोले जाने की संभावना है;

(छ) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की वर्तमान भण्डारण क्षमता पर्याप्त है; और

(ज) यदि नहीं, तो और अधिक भण्डारण क्षमता का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार देश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाए जा रहे डिपुओं की कुल संख्या 1450 (अपने और किराये के/ ढके हुए तथा कैप) है। इसमें से 133 डिपु आंध्र प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। डिपुओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम का अपना कोई डिपु बंद नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम उन गोदामों को किराए से खाली कराता रहा है जिन्हें अधिशेष और अलाभप्रद समझा जाता है।

(ग) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम किराये पर लिया जाना और खाली किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक माह इस संबंध में एक समीक्षा की जाती है और जो गोदाम अधिशेष तथा अलाभप्रद पाए जाते हैं उन्हें किराये से खाली कर दिया जाता है और यदि किसी स्थान पर भंडारण क्षमता अपर्याप्त पाई जाती है तो केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगम/राज्य सरकार/प्राइवेट पार्टियों से भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश के अनुमोदन से अतिरिक्त क्षमता किराये पर ली जाती है।

(घ) आवधिक समीक्षाओं के निष्कर्ष के रूप में भारतीय खाद्य निगम ने जहां कहीं अपेक्षित पाया गया गोदामों को किराये से खाली किया/किराये पर लिया। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार गोदाम किराये से खाली किए गए/किराए पर लिए गए विवरण–II के रुप में संलग्न है।

(ङ) और (च) जैसाकि ऊपर कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम किराये पर लिया जाना और खाली किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय खाद्य निगम को यदि किराये से खाली किए गए गोदामों को फिर किराये पर लेने की जरूरत उत्पन्न होती है तो किराये से खाली किए गए गोदामों को फिर से किराये पर लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(छ) और (ज) जी, हां। मैक्रो स्तर पर फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध समूची भंडारण क्षमता बिल्कुल पर्याप्त है। 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास मौजूद 247.50 लाख टन क्षमता में से 93.22 लाख टन क्षमता रिक्त पड़ी हुई है। 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में 33.68 लाख टन कुल क्षमता है जिसमें 7.46 लाख टन क्षमता रिक्त पड़ी हुई है। रिक्त स्थान की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण III में दी गई है। माइक्रो स्तर पर भंडारण क्षमता में अंतर को दूर करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(i) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भंडारण गोदामों का निर्माण करेन के लिए 170 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी देने हेतु योजना आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। भारतीय खाद्य निगम का विभिन्न राज्यों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.04 लाख टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ii) खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अधीन 'बनाओ और चलाओ' आधार पर वसूली और कमी, दोनों प्रकार के राज्यों में 5.5 लाख टन क्षमता का सृजन किया जा रहा है।

(iii) इसके अलावा आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माइक्रो स्तर पर केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य सरकारों से अतिरिक्त क्षमता किराये पर लेने के लिए महा प्रबंधक (क्षेत्रीय)/कार्यकारी निदेशक (अंचल) को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। तथापि, प्राइवेट पार्टियों से गोदाम किराये पर लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम के पास 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध डिपुओं (अपनी और किराए की/ढकी और कैप) की राज्यवार संख्या

(अनंतिम)

क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी										
	भा.खा.नि. की अपनी	निम्न से किराए पर ली गई				जोड़ किराए की	जोड़ ढकी	कैप अपनी	(खुली) किराए की	जोड़	सकल जोड़
		राज्य सरकार	के.भं.नि.	रा.भा.नि.	निजी पार्टियां						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	14	1	8	15	10	34	48	0	0	0	48
झारखण्ड	6	1	2	9	2	14	20	0	0	0	20
उड़ीसा	23	0	10	40	1	51	74	0	0	0	74
पश्चिम बंगाल	26	2	7	0	6	15	41	0	0	0	41
सिक्किम	1.00	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2
कुल	70	5	27	64	19	115	185	0	0	0	185
असम	17	1	2	2	10	15	32	0	0	0	32
अरुणाचल प्रदेश	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
मेघालय	3	0	1	2	0	3	6	0	0	0	6
मिजोरम	4	1	0	0	0	1	5	0	0	0	5
त्रिपुरा	3	2	1	0	0	3	6	0	0	0	6
मणिपुर	3	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4
नागालैंड	4	0	1	0	0	1	5	0	0	0	5
कुल	38	5	5	4	10	24	62	0	0	0	62
दिल्ली	6	0	0	0	0	0	6	4	0	4	10
हरियाणा	36	22	9	26	8	65	101	25	1	26	127
हिमाचल प्रदेश	6	8	3	0	0	11	17	0	0	0	17
जम्मू और कश्मीर	14	3	0	0	7	10	24	0	0	0	24
पंजाब	111	2	7	73	23	115	226	93	0	93	319
चंडीगढ़	4	0	4	3	0	7	11	4	0	4	15
राजस्थान	35	0	3	6	3	12	47	15	18	33	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर प्रदेश	52	2	20	20	3	45	97	28	0	28	125
उत्तरांचल	5	4	4	7	116	21	2	0	2	23	
कुल	269	41	50	145	45	261	550	171	19	190	740
आंध्र प्रदेश	35	0	17	74	2	93	128	5	0	5	133
अण्डमान और निकोबार	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
केरल	23	0	0	0	0	0	23	6	0	6	29
कर्नाटक	21	0	6	10	0	16	37	9	0	9	46
तमिलनाडु	13	0	5	7	0	12	25	6	0	6	31
पांडिचेरी	3	0	0	3	0	1	4	1	0	1	5
कुल	96	0	28	92	2	122	218	27	0	27	245
गुजरात	15	2	5	0	0	7	22	10	0	10	32
महाराष्ट्र	17	2	14	20	6	42	59	5	0	5	64
गोवा	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
मध्य प्रदेश	23	1	9	22	4	38	59	6	0	6	65
छत्तीसगढ़	18	0	5	19	1	25	43	2	11	13	56
कुल	74	5	33	61	11	110	164	23	11	34	218
सकल जोड़	547	56	143	366	87	652	1199	221	30	251	1450

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए/किराए पर लिए गए और किराए से हटाये गये डिपुओं की संख्या

क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 के दौरान	2005-06 के दौरान	2006-07 के दौरान
1	2	3	4
बिहार	(+)2	(+)4	(+)3
झारखण्ड	(+)2	(+)6	(-)2
उड़ीसा	(-)3	(-)4	(+)9
पश्चिम बंगाल	0	(-)4	0
सिक्किम	0	0	0
कुल	(+)1	(+)2	(+)10
असम	(-)3	(+)1	(-)2
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
मेघालय	0	(+)1	0
मिजोरम	0	0	0
त्रिपुरा	(-)1	0	0
मणिपुर	0	0	(+)2
नागालैण्ड	0	0	0
कुल	(-) 4	(+)2	0
दिल्ली	(-)1	0	0
हरियाणा	(-)7	(+)1	(-)6

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	0	0	(+)1
जम्मू और कश्मीर	0	(-)1	(+)8
पंजाब	(-)61	(-)55	(-)10
चंडीगढ़	(-)3	0	0
राजस्थान	(+)2	(-)2	(-)2
उत्तर प्रदेश	(-)12	(-)5	(-)1
उत्तरांचल	(+)1	0	(-)5
कुल	(-)81	(-)62	(-) 15
आंध्र प्रदेश	(+)2	(-)1	(+)8
अंडमान व निकोबार	0	0	0
केरल	0	0	0
कर्नाटक	(+)11	(+)2	(-)10
तमिलनाडु	(+)5	(+)2	0
पांडिचेरी	(+)2	0	0
कुल	(+)20	(+)3	(-)2
गुजरात	(+)5	(-)1	(+)4
महाराष्ट्र	(+)8	0	(+)4
गोवा	0	0	0
मध्य प्रदेश	(-)15	(+)4	(+)6
छत्तीसगढ़	(+)13	(+)19	(-)11
कुल	(+)11	(+)22	(+)3
सकल जोड़	(-)53	(-)33	(-)4

टिप्पणी (+) = किराए पर लिए गए (–) किराए से हटाए गए

विवरण-III

भारतीय खाद्य निगम के पास 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार भंडारण क्षमता और खाली स्थान

(आंकड़े लाख टन में)

क्षेत्र	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	कुल क्षमता	रखा गया स्टाक	खाली स्थान
			ढकी हुई और कैंप		
1	2	3	4	5	6
पूर्वी	1	बिहार	5.30	2.69	2.61
	2	झारखण्ड	1.20	0.66	0.54
	3	उड़ीसा	6.73	4.88	1.85
	4	पश्चिम बंगाल	10.01	5.43	4.58
	5	सिक्किम	0.11	0.10	0.01
		जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	23.35	13.76	9.59
उत्तर-पूर्व	6	असम	261	2.11	0.50
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.12	0.06
	8	मेघालय	0.29	0.26	0.03
	9	मिजोरम	0.18	0.06	0.12
	10	त्रिपुरा	0.40	0.30	0.10
	11	मणिपुर	0.22	0.18	0.04
	12	नागालैण्ड	0.34	0.30	0.04
		जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	4.22	3.33	0.89
छवतजी	13	दिल्ली	3.70	2.07	1.63
	14	हरियाणा	22.02	18.71	3.31
	15	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.19	0.08
	16	जम्मू और कश्मीर	1.25	0.88	0.37
	17	पंजाब	64.97	38.30	26.67
	18	चंड़ीगढ़	1.10	0.76	0.34
	19	राजस्थान	10.91	5.31	5.60
	20	उत्तर प्रदेश	26.06	12.10	13.96
	21	उत्तरांचल	1.61	1.12	0.49
		जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	131.89	79.44	52.45
दक्षिण	22	आंध्र प्रदेश	33.68	26.22	7.46
	23	अंडमान और निकोबार	0.07	0.04	0.03
	23	केरल	5.33	2.68	2.65
	24	कर्नाटक	5.83	3.18	2.65
	25	तमिलनाडु	7.33	4.94	2.39
	26	पांडिचेरी	0.53	0.27	0.26
		जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	52.77	37.33	15.44

1	2	3	4	5	6
पश्चिम	27	गुजरात	6.24	3.97	2.27
	28	महाराष्ट्र	16.19	6.87	9.32
	29	गोवा	0.15	0.14	0.01
	30	मध्य प्रदेश	5.55	3.77	1.78
	31	छत्तीसगढ़	7.18	5.71	1.47
		जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	35.31	20.46	14.85
		सकल जोड़	247.54	154.32	93.22

[अनुवाद]

कृषि नीति

1080. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोई व्यापक कृषि नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय दल द्वारा नियले स्तर पर नीतियों के कार्यकरण का आकलन करने के लिए छह राज्यों का दौरा करने की संभावना है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति का निरूपण किया था। इस नीति में घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और इसके विकास के लिए बहुत से क्रियाकलाप शुरू किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण नीति घोषित करना शामिल है, जिसके तहत 2007 तक कृषि क्षेत्र में ऋण की राशि को दोगुना बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा खरीफ 2006–07 से किसानों को 7% ब्याज दर पर 3 लाख रु. तक के फसल ऋण दिए जा रहे हैं। सरकार ने सहकारी ऋण व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए एक पैकेज तैयार किया है और इसे घोषित किया है। कृषि के विविधीकरण के लिए एक बृहत प्रयास शुरू किया गया है। अनुसंधान, कटाई पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए अग्र व पश्च संपर्कों के साथ आद्योपांत प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रचालित किया गया है। सरकार द्वारा अन्य क्रियाकलापों में सिंचाई के तहत क्षेत्र विस्तार, पनधारा विकास के साथ उन्नत जल प्रबंधन तथा वर्षा जल भंडारण और राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना शामिल है।

(ग) से (च) कृषि व संबद्ध मुद्दों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की 53वीं बैठक में पारित संकल्पों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने क्रियान्वयन हेतु दो स्कीमों नामत:, (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ii) कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, को अनुमोदित किया है। वर्तमान में, आधारभूत स्तर पर नीतियों का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल प्रतिनियुक्त करने से संबंधित कोई प्रस्ताव कृषि एवं सहकारिता विभाग के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

एस.एम.एस. के दुरुपयोग पर रोक

1081. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एस.एम.एस. के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच समिति ने एस.एम.एस. की तकनीक का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध किसी दण्डात्मक कार्यवाही की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। दूरसंचार विभाग के ध्यान में यह बात लायी गयी कि एसएमएस के मामले में उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर प्रदर्शित हुआ जिसने मेसेज नहीं भेजा था। सरकार ने एक समिति गठित की थी जिसने निम्नलिखित मुद्दों की जांच की:–

(i) यह निर्धारित करना कि प्रौद्योगिकी का ऐसा दुरुपयोग कैसे संभव है।

(ii) सामान्य एसएमएस सेवा की अनुमति देते समय प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय।

(iiv) दूरसंचार सेवा प्रदाता की भूमिका।

(iv) कोई अन्य मुद्दे जिन पर समिति द्वारा विचार किया जाना समिति के सदस्य आवश्यक समझें।

रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

(i) लेवल+91 को अवरुद्ध करना अर्थात् विदेशी नेटवर्कों से प्राप्त एसएमएस में +91 से प्रारंभ होकर 'ए' पार्टी पता न हो।

(ii) अभिगम नियंत्रण तंत्र अर्थात् सेवा प्रदाताओं के लघु संदेश सेवा केन्द्र (एसएमएससी) के अनुप्रयोगों/विषय वस्तु प्रदाता तक अभिगम्यता, यदि सेवा इंटरनेट पर प्रदान की जाती है, कठोर अभिगम नियंत्रण तंत्र का उपयोग करके दी जाएगी।

(iii) ऐसी शिकायतों को निपटाने में सेवा प्रदाता/दूरसंचार विभाग सतर्क रहें।

(iv) इंटरनेट साइटों को अवरुद्ध करना।

(ग) से (ङ) संप्रेषण करते समय किसी अन्य व्यक्ति की पहचान जैसेकि टेलीफोन नंबर का उपयोग छदमरूप धारण करना और जालसाजी है जो एक दण्डनीय अपराध है और इसके लिए व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित इंटरनेट साइटों को अवरुद्ध कर दिया गया है।

ग्रामीण उद्योग के उत्पादों को बढ़ावा

1082. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों पर राजसहायता दी जा रही है,

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप बिक्री में हुई वृद्धि के प्रतिशत का राज्यवार/उत्पादवार ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम/योजना बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अपने विभाग द्वारा संचालित 12 बिक्री आउटलेटों और प्रदर्शनियों/मेलों के आयोजन के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए अपना बिक्री संवर्धन प्रयास जारी रखे हुए हैं। यह विभिन्न विशेष अवसरों पर आयोजित किए जा रहे विशेष प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों के वित्तपोषण के अलावा जिला/राज्य/प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2006–07 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में 106 ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रारूप निम्नलिखित है:–

प्रदर्शनियों का प्रकार	प्रति प्रदर्शनी दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)
राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां	40.00
प्रांतीय स्तर की प्रदर्शनियां	25.00
राज्य स्तर की प्रदर्शनियां	10.00
जिला स्तर की प्रदर्शनियां	2.50

2006–07 के दौरान आयोजित की गई प्रदर्शनियां और हुई बिक्री का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

प्रदर्शनियों की प्रकृति	प्रदर्शनियों की संख्या	बिक्री (लाख रुपये में)
राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां	3	1,274.93
राज्य स्तर की प्रदर्शनियां	18	1,770.68
जिला स्तर की प्रदर्शनियां	80	1,521.10
विशेष प्रदर्शनियां/कार्यक्रम	5	48.31
कुल	106	4,615.02

(ग) जी, नहीं। केवीआईसी द्वारा संवर्धित ग्रामोद्योग उत्पादों पर सब्सिडी नहीं दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, खादी और ग्रामोद्योगों (केवीआई) के सशक्तीकरण और उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, सरकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में) मार्जिन मनी के रूप में सब्सिडी प्रदान करते हुए ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए बैंक ऋणों पर रियायती ब्याज दर प्रदान करने वाली ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना (आईएसईसी), केवीआई उत्पादों की डिजाइन और पैकेजिंग बेहतर करने के लिए डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना और केवीआईसी के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) जैसी योजनाएं कार्यान्वित करती

रही हैं। केवीआई उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु राष्ट्रीय, उप–राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए केवीआई इकाइयों को सहायता दी जा रही है। ये सुविधाएं सभी पात्र कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2005–06 से पांच वर्षों के लिए 34 खादी, 62 ग्रामीण और 26 कॅयर उद्योग कलस्टरों में परंपरागत उद्योगों के नवीनीकरण के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) आरंभ की है। स्फूर्ति में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, नए उत्पादों के विकास, बेहतर पैकेजिंग, नए डिजाइन, बाजार संवर्धन, आदि के लिए सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

वर्मी कम्पोस्ट और जैविक खाद

1083. श्री विजय कृष्ण : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कचरे का कितना प्रतिशत वर्मी कम्पोस्ट और अन्य जैविक खाद को तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है;

(ख) क्या बिहार और झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कचरे का भी इस प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इसे प्रोत्साहन देने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्मी कम्पोस्ट और अन्य जैविक खाद तैयार करने के लिए उपयोग किए जा रहे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित अपशिष्ट सामग्री की प्रतिशतता के प्रमाणिक डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्मी कम्पोस्ट और अन्य जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, बिहार और झारखंड सहित सभी राज्यों में "आर्गेनिक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना" "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" के तहत आर्थिक सहायता प्रदत्त की जा रही है।

[अनुवाद]

पोल्ट्री उद्योग

1084. श्री किशनभाई वी. पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोल्ट्री उद्योग ने सरकार से तत्काल सावधानी बरतने का अनुरोध किया है ताकि देश में एवियन फ्लू के फैलने की किसी एक घटना से निर्यात प्रभावित न हो;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चीन और मलेशिया की भांति राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर जोनों के सृजन का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पोल्ट्री उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) से (घ) देश में एवियन इंफ्लूएंजा की अकेली छिटपुट घटना के फलस्वरूप उभरी आपात स्थितियों से निपटने के लिए उद्योग तथा व्यापार द्वारा अपनाए जाने वाले उपचारात्मक उपायों के लिए नीति तैयार करने के लिए अखिल भारतीय कुक्कुट पालक संघ ने सरकार से विभिन्न पणधारियों की संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। सरकार ने इस अनुरोध की जांच के लिए राज्य सरकारों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा कुक्कुट उद्योग ने प्रतिनिधियों को शामिल करके एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम इस प्रकार हैं:–

1. मुआवजा : भारत सरकार मारे गए पक्षियों तथा आहार तथा आहार सामग्री को नष्ट करने के लिए मुआवजे की लागत में हिस्सेदारी करती है। 2006 के प्रकोप में, कुक्कुट के लिए मुआवजे के संबंध में महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने 7,85.12 लाख रुपए का खर्च दर्शाया है जिसका 50% केन्द्रीय हिस्सेदारी है। हाल के मणिपुर में हुए प्रकोप के दौरान मारे कुक्कटों के लिए 94.00 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया था।
2. 2006 के प्रकोप के बाद कुक्कुट उद्योग के लिए पैकेज का ब्यौरा विवरण के रूप में सलग्न है।
3. मणिपुर में नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए पहलकदमी की गई थी ताकि देश शीघ्रातिशीघ्र एवियन इंफ्लूएंजा से मुक्ति का दावा कर सके।

विवरण

सरकार द्वारा किए गए राहत उपाय

सरकार द्वारा कुक्कुट उद्योग को बचाने के लिए निम्नलिखित राहत उपाय किए हैं:–

1. सरकार द्वारा कुक्कुट उद्योग को दी गई वित्तीय राहत:

(क) वर्ष 2006 में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा गुजरात के बर्ड फ्लू की छिटपुट घटनाओं से कुक्कुट उत्पादों की मांग तथा मूल्यों में कमी

के परिणामस्वरूप आय में कमी के कारण कुक्कुट क्षेत्र को हुई क्षति को देखते हुए, सरकार ने कुक्कुट यूनिटों के लिए बहुत से वित्तीय उपायों की घोषणा की, जो इस प्रकार है;

1) सभी अधिसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देय नियत अवधि के ऋणों और कार्यकारी पूंजी के लिए मौजूदा मूल और ब्याज पर एक वर्ष का ऋण स्थगन।

2) कार्यकारी पूंजी को नियत अवधि के ऋण में बदलना। पुनर्भुगतान का प्रथम वर्ष ऋण स्थगन अवधि की समाप्ति के बाद होना था।

3) नियत अवधि के ऋण की सहमत अवधि से दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि से अधिक कुक्कुट यूनिटों द्वारा लिए गए नियत अवधि के ऋणों के पुनर्भुगतान को पुनः निर्धारित करना।

4) कार्यकारी पूंजी को नियत अवधि के ऋण में बदलने के बाद कुक्कुट यूनिटों को प्रत्येक यूनिट की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए अतिरिक्त कार्यकारी पूंजी लेने की अनुमति देना।

5) जानबूझ कर चूक करने वालों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक चूक लेखों को एन पी ए के रूप में नहीं समझेगा।

6) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, शेष मूल राशि के एक वर्ष की अवधि के लिए 4% की एकमुश्त ब्याज सहायता देना।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में 4 अप्रैल, 2006 को सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जहां तक सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संबंध है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 5 अप्रैल, 2006 को उक्त राहत उपायों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए थे।

(ग) सरकार ने सभी कुक्कुट यूनिटों को प्रदान ब्याज सहायता के क्रियान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अब तक 107.00 करोड़ रुपए की राशि भी दी है।

2. सरकार द्वारा किए गए अन्य राहत उपाय :

1. बाजार में मक्का की अपर्याप्त उपलब्धता/उच्च मूल्य पर उपलब्धता के कारण उद्योग को और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने अगस्त, 2006 से मार्च, 2007 के बीच कुक्कुट किसानों के बीच वितरण के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एफ सी आई के स्टॉक से 450 रुपए प्रति क्विंटल, की राजसहायता प्राप्त मूल्य पर 41 लाख क्विंटल मक्का जारी की।

2) सरकार ने 31.12.2007 तक ओ पी एल के तहत शून्य शुल्क पर मक्का आयात करने की अनुमति दी है।

कर्नाटक की काबिनी परियोजना

1085. श्री एम. शिवन्ना : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार काबिनी परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु केन्द्रीय सरकार से निरंतर मांग करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वोडाफोन कंपनी द्वारा निवेश

1086. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी, वोडाफोन का भारत से सस्ते मोबाइल हैन्डसैट उपलब्ध कराकर भारतीय बाजार में स्वयं को स्थापित करने हेतु 200 करोड़ रुपये निवेश करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाक विभाग द्वारा टिकटों की बिक्री

1087. श्री के. सी. पल्लाम्पी शामी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का कुछ निजी और सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन्स की टिकटों की बिक्री करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना से कितना राजस्व जुटाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। डाक विभाग, कर्नाटक डाक सर्किल, दक्कन एविएशन लिमिटेड की हवाई टिकटों की बिक्री कर रहा है।

(ख) दक्कन एविएशन लिमिटेड की हवाई टिकटों की बिक्री की योजना, कर्नाटक डाक सर्किल के 511 ई-आधारित डाकघरों की मार्फत 2 जुलाई, 2007 से प्रारंभ की गई है। यह एक प्रायोगिक परियोजना है जिसे कर्नाटक सर्किल के चुनिंदा डाकघरों में क्रियान्वित किया गया है। अतएव, एक पहल के लिए सृजित होने वाले राजस्व का आकलन करना समय से पूर्व होगा।

(ग) और (घ) फिलहाल इस योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में खाद्यान्न स्टॉक बनाना

1088. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल कंपनियों द्वारा विदेश में तेल भंडारण की तर्ज पर विदेश में खाद्यान्न स्टॉक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने विदेश में खाद्यान्न स्टॉक बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

कृषि उपज विपणन समिति

1089. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) से सरकार को कृषि उत्पादन के संबंध में कृषि उपज विपणन समिति (विकास और विनियम) अधिनियम, 2003 में संशोधन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) ये संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या निजी बाजार, संविदा खेती और उचित कराधान के संबंध में भी फिक्की ने कोई सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि उत्पाद विपणन समिति (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2003 एक विधान नहीं है यह केवल मॉडल अधिनियम है जिसे इस विभाग द्वारा राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश देने के लिये निरुपित किया गया है ताकि कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों को क्रियान्वित करने के लिये कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियमों में संशोधन किया जा सके। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ ने उक्त मॉडल अधिनियम में सुधार लाने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ ने "भारतीय असीम कृषि-भारतीय कृषि को वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बनाना" नामक अपनी कार्य बल रिपोर्ट में कृषि विपणन से संबंधित विभिन्न प्रकार के करों को युक्तिसंगत बनाने, अनुबंध खेती तथा निजी कृषि मण्डियों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा उसे कारगर बनाने की सिफारिश की है। कृषि विपणन सुधारों से संबंधित अन्तः मंत्रालयी कार्य बल की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार ने पहले ही एक मॉडल एपीएमसी अधिनियम का निरुपण किया है और इसे 2003 में राज्यों को परिचालित किया है ताकि निजी मण्डियों की स्थापना, अनुबंध खेती को कारगर बनाने और संबंधित मामलों में मण्डी शुल्क में छूट के लिये प्रावधान बनाने के लिये राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन किया जा सके। बहुत सी राज्य सरकारों ने इस संबंध में पहले ही अपने एपीएमसी अधिनियमों में उचित संशोधन किये हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति

1090. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री एम. एस. बी. चितन :
श्री महावीर भगोरा :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कुल कितने रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद आज तक प्रत्येक रोजगार कार्यालय में ट्रेड के नाम तथा उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित शिक्षित/अशिक्षित व्यक्तियों/युवकों की संख्या श्रेणी-वार और राज्य-वार कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रोजगार कार्यालय–वार, श्रेणी वार और राज्य–वार लाभान्वित व्यक्तियों/युवकों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) काफी लंबे समय से रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने के बावजूद बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने के पश्चात एक व्यक्ति को औसतन कितने समय में रोजगार मिलने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) 31 जुलाई 2007 की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रहे विश्वविद्यालय सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित रोजगार कार्यालयों की राज्य–वार संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या विवरण–I में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से राज्य–वार नियोजित व्यक्तियों/युवाओं की संख्या विवरण–II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) रोजगार कार्यालयों की भूमिका नियोजकों एवं पंजीकृत रोजगार चाहने वालों के मध्य सुविधा प्रदाता की होती है और ये किसी प्रकार के रोजगार अवसर सृजित नहीं करते। तथापि, रोजगार कार्यालय नियोजकों द्वारा उन्हें अधिसूचित रिक्तियों के लिए पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की सूची भेजते हैं। अतः रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकृत किए गए रोजगार चाहने वालों के नियोजन हेतु समय सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं होगा।

विवरण-I

रोजगार कार्यालयों तथा रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की राज्य–वार संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1 जुलाई 2007 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालय/ यूईआईजीबीएस (वास्तविक संख्या में)	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	31	2531.8	2427.6	2418.6
2	अरूणाचल प्रदेश	11	22.6	25.1	30.2
3	असम	52	1632.0	1760.8	1843.2
4	बिहार	37	1567.3	1461.8	1747.1
5	छत्तीसगढ़	17	901.9	988.5	1050.9
6	दिल्ली	14	636.2	671.4	556.9
7	गोवा	01	100.7	100.8	101.8
8	गुजरात	44	926.8	854.6	801.5
9	हरियाणा	61	932.4	1064.7	1120.4
10	हिमाचल प्रदेश	15	869.8	911.3	766.0
11	जम्मू और कश्मीर	14	112.4	116.0	105.6
12	झारखंड	39	1393.8	1206.9	1254.2

1	2	3	4	5	6
13	कर्नाटक	37	1568.0	1318.3	1143.5
14	केरल	89	3752.4	3628.6	3777.3
15	मध्य प्रदेश	58	2030.8	2160.9	2006.1
16	महाराष्ट्र	47	4391.1	3991.8	3652.2
17	मणिपुर	11	457.7	532.3	579.9
18	मेघालय	12	37.3	38.0	32.1
19	मिजोरम	03	34.9	34.4	44.9
20	नागालैंड	08	44.0	44.3	42.6
21	उड़ीसा	40	857.0	833.2	891.3
22	पंजाब	46	477.3	463.1	454.3
23	राजस्थान	42	794.1	793.6	779.6
24	सिक्किम*				
25	तमिलनाडु	34	4506.5	3681.2	4258.8
26	त्रिपुरा	05	377.9	399.7	427.2
27	उत्तरांचल	24	312.7	378.9	484.1
28	उत्तर प्रदेश	90	1897.7	1871.3	3110.6
29	पश्चिम बंगाल	75	6996.2	7291.9	7702.3
(ख)	संघ शासित प्रदेश				
30	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	01	38.6	39.0	40.0
31	चंडीगढ़	02	64.6	56.0	52.0
32	दादर व नागर हवेली	01	6.5	6.5	6.5
33	दमन व दीव	02	9.9	10.6	10.9
34	चण्डीगढ़	01	11.1	11.2	11.2
35	पांडिचेरी	01	163.7	171.4	182.2
	कुल	965	40457.6	39347.8	41466.0

टिप्पणी :

* इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

विवरण-II

2004, 2005, 2006 के दौरान किए गए नियोजनों की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004	2005	2006
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2.4	1.7	0.9
अरुणाचल प्रदेश	@	@	@
असम	0.2	0.4	1.1
बिहार	0.1	@	0.1
छत्तीसगढ़	0.9	2.2	2.5
दिल्ली	0.3	0.1	0.2
गोवा	0.2	0.3	0.6
गुजरात	64.9	92.9	99.0
हरियाणा	3.4	3.5	3.1
हिमाचल प्रदेश	1.0	1.7	1.8
जम्मू और कश्मीर	-	@	-
झारखंड	0.7	2.7	1.6
कर्नाटक	1.6	1.7	2.3
केरल	7.5	9.7	10.0
मध्य प्रदेश	1.6	1.7	1.9
महाराष्ट्र	12.8	15.0	13.9
मणिपुर		0.3	0.1
मेघालय	@	@	@
मिजोरम	@	-	@
नागालैंड	@	@	@
उड़ीसा	1.3	2.0	1.0
पंजाब	2.7	2.1	33
राजस्थान	3.4	7.7	4.1
सिक्किम*			
तमिलनाडु	13.2	15.3	9.7
त्रिपुरा	0.3	0.2	0.4
उत्तरांचल	1.5	2.1	3.1
उत्तर प्रदेश	1.7	1.6	1.7
पश्चिम बंगाल	10.1	7.3	13.1
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.1	0.1	0.3
चंडीगढ़	0.3	0.2	0.3
दादर और नागर हवेली	@	-	-
दमन और दीव	@	@	@
लक्षद्वीप	@	-	-
पांडिचेरी	0.3	0.7	0.7
योग	132.6	173.2	177.0

टिप्पणी:

@आंकड़े 50 से कम।
*राज्य में कोई भी बेरोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

छठे वेतन आयोग में सशस्त्र बल का प्रतिनिधित्व

1091. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठे वेतन आयोग में सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नामिती नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वेतन आयोग में सशस्त्र बलों को प्रतिनिधित्व नहीं देने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त वेतन आयोग में सशस्त्र बलों के विचार और अनुभव की ग्राह्यता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में सैन्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को नियुक्त करने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्रालय का यह अभिमत था कि वेतन आयोग के सदस्य किसी सेवा अथवा विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं बल्कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समग्र सेवा शर्तों

से संबंधित सभी मुद्दों पर कार्य करते हैं। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह भी महसूस किया कि सशस्त्र सेनाओं को आयोग के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा, इसलिए आयोग में सशस्त्र सेनाओं का प्रतिनिधि होना जरूरी नहीं होगा।

(ग) तीनों सेनाओं को वेतन आयोग के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति दी गई है। तीनों सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी 19.4.2007 को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के साथ विचार–विमर्श किया था। जिसमें सेनाओं से संबंधित विषयों को भी उठाया गया था। सेनाओं ने अपनी मांगों और आकांक्षाओं को प्रस्तुत करते हुए आयोग को एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि विशिष्ट मुद्दों पर वेतन आयोग के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

गोदामों का इष्टतम उपयोग

1092. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में कितने गोदाम हैं और उनकी क्षमता क्या है;

(ख) गत वर्ष के दौरान उक्त गोदामों से निकाले गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा और उनका मूल्य क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खुले गोदामों में कुल कितने खाद्यान्न का भंडारण किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त में से कितनी धनराशि के खाद्यान्न नष्ट हो चुके हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों का इष्टतम उपयोग करने में विफल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के इष्टतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पहली जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम 247.54 लाख टन की भंडारण क्षमता के साथ 1450 (अपने और किराये के/ढके हुए तथा कैप) गोदाम चला रहा है।

(ख) वर्ष 2005–06 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निकाले गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:–

मात्रा मिलियन टन में
मूल्य करोड़ रुपये में

	मात्रा	मूल्य
खरीद	35.29	34,452.33
बिक्री	36.04	22,740.92

नोट :– खरीद और बिक्री के मूल्य वास्तविक अदा की गई/रिलीज की गई दर हैं।

(ग) 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार 25.20 लाट टन कैप क्षमता की तुलना में ढके हुए और प्लिंथ में कुल 5.71 लाख टन की मात्रा का भंडारण किया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

आंकड़े लाख टन

वर्ष	क्षतिग्रस्त मात्रा		कुल
	गेहूं	चावल	
2004-05	0.12	0.85	0.97
2005-06	0.15	0.80	0.95
2006-07	0.01	0.24	0.25

(चावल का भंडारण केवल ढके हुए गोदामों में किया जाता है और गेहूं का भंडारण खुले में भी किया जाता है)

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का इष्टतम उपयोग खाद्यान्नों की वसूली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन उठान की गति पर निर्भर करता है।

1998–99 से 2005–06 तक के वर्षों में गेहूं की अत्यधिक वसूली होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के सामने भंडारण क्षमता की कमी होने की समस्या आनी शुरू हो गई है। खाद्यान्नों की सुचारू वसूली और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराये पर लेनी पड़ी थी। 1999–2000 तक के दौरान की कुल 25.5 मिलियन टन क्षमता 2001–2002 में बढ़कर 35.9 मिलियन टन हो गई।

तथापि, रबी विपणन मौसम 2006–07 में गेहूं की वसूली में गिरावट होने और 2002–03 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा

अन्य कल्याण योजनाओं में उठान में वृद्धि होने के कारण केन्द्रीय पूल में स्टाक स्तर गिर गया था जिससे भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता का कम उपयोग हुआ। आवधिक समीक्षा करने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिशेष समझी गई क्षमता को किराये से खाली कर दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता को 31.3. 2001 के 314.26 लाख टन से कम करके 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार 247.54 लाख टन कर दिया गया है।

(छ) क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(i) भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी निदेशक (अंचल) द्वारा मासिक समीक्षा की जाती है और अधिशेष पाई गई क्षमता को किराये से खाली कर दिया जाता है।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के पास अधिशेष भंडारण क्षमता को संभावित उपयोगकर्ताओं को किराये पर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

नदियों का जल स्तर

1093. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों के जल स्तर में धीरे–धीरे गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो नदी–वार उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्याओं से किस प्रकार निपटने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) औसत वार्षिक प्रवाह आंकड़ों के विश्लेषण में नदियों के जल स्तर में गिरावट के रूझान के संकेत नहीं हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र के लिये योजनाएं

1094. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए कार्यान्वित की गई प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमो का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत राज्य–वार स्कीम और कार्यक्रम–वार आबंटित, जारी और उपयोग में लाई गई धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योग से संबद्ध महिलाओं और बच्चों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, ग्राम एवं कॅयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करता है। दसवीं योजना (2002–03 से 2006–07) के दौरान लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम, जिन्हें ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखे जाने की सिफारिश की गई है। विवरण–I के रूप में सलग्न है। कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण – II के रूप में संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत आबंटित, जारी एवं प्रयुक्त निधियों का विवरण – III के रूप में संलग्न है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय उन अधिकतर योजनाओं/कार्यक्रमों, जो मांग–आधारित होते हैं, के लिए निधियां आबंटित नहीं करता है।

(ग) और (घ) हालांकि एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े महिलाओं और बच्चों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उससे संबंधित विशिष्ट मुद्दों तक अनुभववादी तरीके से पहुंचाना कठिन है, तथापि महिला उद्यमियों के हितों को बढ़ावा देने की आवश्यकता की प्रशंसा करते हुए सरकार ने फरवरी/मार्च 2007 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए पैकेज में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के समर्थन के लिए बहुत से उपाय घोषित किए है। इन उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ विशिष्ट ईडीपी/ईएसडीपी आरंभ करना, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए विशिष्ट रूप से विकसित क्लस्टारों की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक की भारत सरकार की सहायता, प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना, महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा वांछित सभी पात्र ऋणों के लिए 80 प्रतिशत की गारण्टी कवर प्रस्तुत करना, प्रबंध विकास कार्यक्रमों के लिए शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत तथा विपणन सुविधा के लिए 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी की सुविधा देना, आदि शामिल है।

विवरण-I

क्र.सं.	दसवीं योजना में कार्यान्वित की जाने वाली तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रखे जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम
1	2
(क)	
I	**लघु उद्योग**
1.	लघु उद्योग सेवा संस्थान
2.	एमटीआर को कार्यशालाओं का उन्नीयकरण
3.	विज्ञापन एवं प्रचार
4.	लघु उद्योग समाचार
5.	सीमेंट परियोजना
II	**अनुसंधान संस्थान**
1.	ईएसटीसी, रामनगर
2.	एनजीटीसी, फिरोजाबाद
3.	पीपीडीसी, मेरठ
4.	पीपीडीसी, आगरा
5.	पीपीडीसी, कन्नौज
6.	आईडीईएमआई, मुंबई
III	**प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**
1.	सीएफटीआई, चेन्नै
2.	सीएफटीआई, आगरा
3.	एमडीपी
4.	सीडो अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम
5.	ईडीपी
6.	डब्ल्यूटीओ
7.	आईपीआर
8.	राष्ट्रीय पुरस्कार (ईडीपी)
9.	ट्रैड
IV	**अनुषंगी विकास**
1.	अनुषंगीकरण के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम
V	**टूल रूम**
1.	सीटीआर एंड टीसी, कोलकाता
2.	सीटीआर, लुधियाना
3.	आईजीटीआर, अहमदाबाद
4.	आईजीटीआर, औरंगाबाद
5.	आईजीटीआर, इंदौर
6.	सीटीआर एंड टीसी, भुवनेश्वर
7.	आईडीटीआर, जमशेदपुर
8.	एचटीआई, जालंधर
9.	एचटीआई, नागौर
10.	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, गुवाहाटी
VI	**विपणन सहायता एवं ई पी**
1.	प्रचार एवं प्रदर्शनी
2.	निर्यात संवर्धन
3.	राष्ट्रीय पुरस्कार (गुणवत्ता)
4.	एमडीए योजना
VII	**परीक्षण केन्द्र**
1.	आरटीसी
2.	एफटीसी
VIII	**प्रौद्योगिकी उन्नयन**
1.	लघु उद्योग कलस्टर विकास कार्यक्रम
2.	आईएसओ 9000 प्रतिपूर्ति
3.	सीडो कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण
4.	ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम
IX	**आईआईडी योजना** (लघु उद्योग कैंयर विकास कार्यक्रम में समाविष्ट जिसे अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी) के नाम से जाना जाता है।
X	**सांख्यिकी का संग्रहण**
XI	**लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना**
XII	**क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना**

1	2
XIII	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज
एनएसआईसी	
I	अन्य अनुदान
II	विपणन सहायता योजना
अन्य योजनाएं	
I	सर्वेक्षण, अध्ययन एवं नीति अनुसंधान
II	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
III	प्रशिक्षण संस्थान
1.	निसिएट, हैदराबाद
2.	निस्वड, नोएडा
3.	ईडीआई को सहायता
4.	आईआईई, गुवाहाटी (पूर्वोत्तर प्रदेश)
5.	एनसीईयूएस
I	असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग
(ख)	
I	केवीआईसी
क	खादी
1.	खादी के लिए एमडीए सहित खादी अनुदान (10.00 करोड़ रु.)
2.	खादी (एसएण्डटी)
3.	ब्याज सब्सिडी (खादी)
4	खादी ऋण
ख	ग्राम उद्योग
1.	ग्रामोद्योग अनुदान
2.	ग्रामोद्योग अनुदान (एसएण्डटी)
3.	ग्रामोद्योग ऋण
4.	ब्याज सब्सिडी (ग्रामोद्योग)
5.	आरईजीपी
II	कॅयर बोर्ड
1.	योजना (एसएण्डटी)
2	योजना (सामान्य)
3.	प्रशिक्षण विस्तार, गुणवत्ता सुधार
4.	महिला कॅयर योजना* एवं कल्याण उपाय
III	पीएमआरवाई प्रभाग, पीएमआरवाई (संशोधित)
1.	पीएमआरवाई सब्सिडी
2.	सब्सिडी ईडीपी
IV	पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सजन के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)

विवरण-II

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा

1. **क्रेडिट गारंटी फंड योजना**

यह योजना 50 लाख रु. तक के ऋणों पर नई एवं विपणन लघु उद्योग इकाइयों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए कोलेटेरल मुक्त ऋण (आवधिक ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण) के 75 प्रतिशत तक गारंटी कवर प्रदान करती है। यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड (सीजीटीएमएसई) द्वारा संचालित की जाती है।

2. **सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई सीडीपी)**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक कलॅस्टरों का संपूर्ण विकास करना है, अर्थात एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक ही प्रकार के उत्पादों का निर्माण करने वाली लघु उद्योग इकाइयों का समेकन। ऐसे कलस्टरों की विकास आवश्यकताओं की पहचान नैदानिक अध्ययन के माध्यम से की जाती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, सामान्य सुविधा केन्द्र का सृजन आदि जैसे क्षेत्रों का अनुभव की गई आवश्यकताओं के संबंध में कलॅस्टर विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है।

3. **प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना**

योजना के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 1 करोड़ रु. तक के ऋणों पर 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना खादी, ग्रामीण और कॅयर उद्यमों सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए है।

4. **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)**

आरईजीपी के तहत, उद्यमी केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता

और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, आदि से अधिकतम 25 लाख रुपय तक परियोजनाओं के लिए ऋण लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं।

5. **प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)**

पीएमआरवाई के तहत, देश भर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है। पीएमआरवाई के तहत, प्रत्यक्ष कृषि कार्य जैसे फसलें उगाना, खादों की खरीद, आदि को छोड़कर कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियां स्वीकृत हैं।

6. **आईएसओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना**

लघु उद्योगों द्वारा आईएसओ 9000 प्रमाणीकरण प्राप्त करने की लागत की 75 प्रतिशत अथवा 75,000 रु. तक की सीमा तक, इसमें जो भी कम हो, की क्षतिपूर्ति की जाती है। योजना का उद्देश्य लघु उद्योग उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी विपणन क्षमता में सुधार करना है।

7. **उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम**

बेरोजगार युवाओं को स्व–रोजगार के लिए अपेक्षित कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से ईडीपी/एमडीपी आयोजित किए जाते हैं। पाठयक्रमों में 22.5 प्रतिशत सीटें समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होती हैं।

8. **महिला कॅयर योजना**

कॅयर बोर्ड की महिला कॅयर योजना स्कीम के तहत, राज्य में ग्रामीण महिलाओं को छात्रवृत्ति के साथ स्पिनिंग कार्न वार्न पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर सफल प्रशिक्षुओं को स्पिनिंग रैट्स की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण स्व–सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से दिया जाता है।

विवरण-III

वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के लिए निधियों के आबंटन, जारी होने और उपयोग को दर्शाता ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	बजट अनुमान 2004-05	जारी/उपयोग 2004-05	बजट अनुमान 2005-06	जारी/उपयोग 2005-06	बजट अनुमान 2006-07	जारी/उपयोग 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
I	लघु उद्योगों का संवर्धन	14.73	13.64	14.66	13.09	15.09	11.95
II	विज्ञान, प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	10.43	10.39	11.20	9.70	16.85	16.08
III	1 प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास	6.34	4.84	6.76	6.09	8.58	6.94
	2 ट्रेड योजना	0.50	0.26	0.50	0.43	1.11	0.45
IV	अनुषंगी विकास के लिए सबकांट्रेक्टिंग एक्सचेंज	1.00	0.81	1.10	1.03	1.20	0.91
V	टूल रूमों के लिए योजना	26.85	27.24	30.00	29.96	29.34	28.84
VI	विपणन सहायता और ई पी योजना	2.32	2.02	2.32	2.46	2.62	2.99
VII	क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और परीक्षण स्थान	3.55	2.40	4.05	2.54	4.05	298

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	प्रौद्योगिकी उन्नयन	25.49	22.30	30.00	27.80	62.93	33.05
IX	कैड/कैम केन्द्र, चेन्नई	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
X	एकीकृत आधाभूत संरचना विकास स्कीम	15.45	16.24	30.00	20.68	19.00	19.67
XI	आंकड़ों का संग्रहण	4.40	3.24	5.00	4.38	8.75	4.73
XII	1 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	196.29	196.29	200.00	205.90	118.1	126.10
	2 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम	2.00	2.00	5.00	2.75	32.28	10.00
XIII	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना	6.10	5.40	20.00	25.88	61.81	73.64
XIV	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए पैकेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
XV	निवेश (इक्विटी शेयर पूंजी)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
XVI	अन्य अनुदान	6.00	1.73	11.00	12.97	18.45	17.67
XVII	विपणन सहायता योजना	9.00	7.75	11.50	9.83	9.50	10.28
XVIII	एनटीएसी के व्यय की प्रतिपूर्ति–सहायता अनुदान	10.00	9.39	4.50	4.00	2.00	2.00
XIX	सर्वेक्षण और अध्ययन और नीति अनुसंधान	2.00	0.32	0.50	0.23	2.00	0.18
XX	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2.50	1.30	1.00	1.20	1.75	1.75
XXI	राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड (एनईडीबी)	0.50	0.68	0.50	0.59	1.00	1.00
XXII	प्रशिक्षण संस्थान (निसिएट, निसबड, इंडीआई, आईआईई)	5.45	6.24	4.57	4.85	5.65	5.10
XXIII	असंगठिता क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग	0.00	1.44	3.00	2.96	32.87	5.60
XXIV	केवीआईसी	437.00	460.99	587.00	558.56	592.93	589.82
XXV	कॅयर बोर्ड	18.00	16.80	23.00	35.43	23.00	21.90
XXVI	पीएमआरवाई*	219.00	218.19	219.00	272.54	325.10	248.51
XXVII	स्फूर्ति	100.00	30.00	1.50	25.97	25.53	
कुल (एमएसएमई मंत्रालय)		1140.00	1046.90	1271.26	1272.35	1436.93	1282.68

* इसमें एनपीआरवाई शामिल है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं

1095. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दी गई सुविधाओं में समानता है किंतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में असमानताएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रक्षा मंत्रालयों में भूतपूर्व सैनिक विभाग द्वारा इस मामले में एक रूपता लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकारों ने पुनः रोजगार, गृह स्थल और औद्योगिक शैडों के आबंटन और शैक्षिक संस्थानों में उनके बच्चों के दाखिले में आरक्षण के भिन्न-भिन्न प्रतिशत की व्यवस्था की है। इसके अलावा, वृद्धावस्था पेंशन, वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद अनुदान, वित्तीय सहायता और भूतपूर्व सैनिकों के लिए युद्ध जागीर भत्ता भी राज्य-दर-राज्य-भिन्न-भिन्न है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध करते हुए एक आदर्श कल्याण पैकेज परिचालित किया है कि इस विषय में समानता लाई जाए।

[अनुवाद]

वायदा बाजार आयोग को अधिक शक्तियां

1096. श्री वृज किशोर त्रिपाठी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायदा बाजार आयोग (एफ. एम. सी.) ने कमोडिटी वायदा बाजार को विनियमित करने के लिए अधिक शक्तियों और स्वायत्ता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अग्रिम संविदा अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से कमोडिटी वायदा बाजार को विनियमित करने के लिए वायदा बाजार आयोग (एम एम सी) को दी जाने वाली प्रस्तावित शक्तियों और स्वायत्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संशोधनों से वायदा बाजार के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) से (घ) वायदा बाजार आयोग के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए सरकार ने 21.3.2006 को लोक सभा में अग्रिम संविदा (विनियमन) विधेयक, 2006 पुरः स्थापित किया है। विधेयक में अन्य बातों के अलावा, (1) वायदा बाजार आयोग के सदस्यों की संख्या को चार से बढ़ाकर नौ करने जिनमें तीन पूर्णकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष शामिल हैं : (2) वायदा बाजार आयोग की शक्तियों में वृद्धि करने; (3) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए वायदा बाजार आयोग की शक्तियां प्रदान करने; (4) शुल्क वसूल करने के लिए वायदा बाजार आयोग को शक्तियां प्रदान करने; (5) वायदा बाजार आयोग सामान्य निधि, जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाएंगी, का सृजन करने तथा (6) वायदा बाजार आयोग में विचौलियों का पंजीकरण करने के प्रावधान शामिल है।

(ङ) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में संशोधनों से वायदा आयोग मजबूत होगा और यह कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट को अधिक प्रभावशाली ढंग से विनियमित कर सकेगा।

[हिन्दी]

ऋण की वसूली और किसानों द्वारा आत्महत्याएं

1097. श्री विजय कृष्ण :
श्री भावरचन्द गेहलोत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपना कृषि ऋण चुका पाने में असमर्थ किसानों को एस. ए. आर. : एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन किसानों को कब तक उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण विकास बैंकों को भी उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 31 के प्रावधान के अनुसार, एक लाख रुपए तक के ऋण और वे ऋण भी जहां कृषि भूमि प्रतिभूति है, को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की परिधि के भीतर नहीं लाया गया है।

(ग) कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की परिधि के भीतर नहीं लाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1098. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की अनुमति देते समय रक्षा और सरकारी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित नेटवर्क उत्पन्न करने का है जैसाकि दिनांक 28 जुलाई, 2007 के 'द फाइनैन्शियल एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रकाशित विदेशी निवेश की जांच करने के लिए मंत्रियों का उच्च स्तरीय समूह गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दूरसंचार क्षेत्र में निवेश संबंधी अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त समिति द्वारा बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे का किस सीमा तक समाधान हो पाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं हेतु समर्पित एवं सुरक्षित नेटवर्क प्रस्तावित है।

(ख) यह नेटवर्क अंतर्विभागीय वर्गीकृत संचार के लिए है। नेटवर्क की संरचना मॉडयूलर तथा मुख्यतः वॉयस संचार के लिए होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

लाजिस्टिक पोस्ट

1099. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का विचार परिवहन और संचार के बड़े सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ करने का है जैसाकि 28 जुलाई, 2007 के 'द फाइनैन्शियल एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक कौन-कौन सी एजेन्सियों से परामर्श किया गया है; और

(घ) इसका कब तक कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) जी, हां। डाक विभाग का लॉजिस्टक पोस्ट के अंतर्गत एक सिरे से दूसरे सिरे तक लॉजिस्टिक समाधान उपलब्ध करवाने के भाग के रूप में प्रमुख परिवहन एवं लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ का प्रस्ताव है। विभाग ने इस संबंध में 'रुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की है। 'रुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित करने हेतु किसी भी एजेंसी से परामर्श नहीं किया गया है। 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्राप्त करने की अंतिम तारीख 29 अगस्त, 2007 निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायता

1100. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंजीकृत/अपंजीकृत लघु उद्योग इकाइयां

1101. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत और अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश में चल रहे सभी लघु उद्योगों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में प्रचालनरत पंजीकृत तथा अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की राज्य–वार अनुमानित संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 8 की व्यवस्था के अनुसार लघु उद्योग के पंजीकरण की पूर्व योजना, जो गैर–वैधानिक थी, को उद्यमी ज्ञापन (ईएम) की फाइलिंग से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए तथा मध्यम उद्यमों के लिए ईएम की फाइलिंग वैकल्पिक है, जबकि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए यह अनिवार्य है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा ईएम की फाइलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे लघु उद्योगों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) का अनुमानित राज्य–वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यरत लघु उद्योग इकाइयों की सं.		
		पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल
1	2	3	4	5
01.	जम्मू और कश्मीर	20,782	68,944	89,726
02.	हिमाचल प्रदेश	18,139	77,433	95,572
03.	पंजाब	69,604	372,193	441,797
04.	चंडीगढ़	1,536	25,076	26,612
05.	उत्तराखंड	30,268	107,350	137,618
06.	हरियाणा	43,945	219,363	263,308
07.	दिल्ली	7,676	203,229	210,905
08.	राजस्थान	65,967	472,761	538,728
09.	उत्तर प्रदेश	287,627	1,829,164	2,116,791
10.	बिहार	74,868	554,641	629,509
11.	सिक्किम	244	230	474
12.	अरूणाचल प्रदेश	469	1,109	1,578
13.	नागालैंड	3,479	15,545	19,024
14.	मणिपुर	5,294	51,877	57,171
15.	मिजोरम	4,458	9,877	14,335
16.	त्रिपुरा	1,146	27,995	29,141
17.	मेघालय	4,257	24,334	28,591
18.	असम	21,837	213,739	235,576
19.	पश्चिम बंगाल	49,249	871,972	921,221

1	2	3	4	5
20.	झारखंड	28,468	134,752	163,220
21.	उड़ीसा	19,815	448,653	468,468
22.	छत्तीसगढ़	41,209	273,909	315,118
23	मध्य प्रदेश	154,439	822,542	976,981
24.	गुजरात	186,106	460,273	646,379
25.	दमन और दीव	1,924	1,112	4,579
26.	दादर व नगर हवेली	1,543		
27.	महाराष्ट्र	134,212	855,042	989,254
28.	आंध्र प्रदेश	72,107	971,405	1,043,512
29.	कर्नाटक	159,882	644,929	804,811
30.	गोवा	3,089	5,565	8,654
31.	लक्षद्वीप	126	549	675
32.	केरल	197,842	344,768	542,610
33.	तमिलनाडु	316,518	690,166	1,006,684
34.	पांडिचेरी	2,722	8,398	11,120
35.	अंडमान और निकोबार	1,063	2,969	4,032
	कुल	2,031,910	10,811,864	12,843,774

[हिन्दी]

रेल यात्रा के दौरान जवानों और नागरिकों के बीच झड़प

1102. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल यात्रा के दौरान सेना के जवानों और रेल यात्रियों के बीच झड़प और उन्हें रेलगाड़ियों से बाहर फेंकने की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को ऐसे कितने मामलों की सूचना दी गई; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) रेल यात्रा के दौरान सेना के जवानों और रेल यात्रियों के बीच कथित झड़प की कुछेक घटनाएं हुई थीं। तथापि, सेना के जवानों द्वारा यात्रियों को रेल गाड़ियों से बाहर फेंकने की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान सेना के जवानों और अन्य यात्रियों के कथित झड़पों की क्रमशः चार, सात, और दस घटनाएं सूचित की गई हैं।

(ग) सैन्य प्राधिकारियों के ध्यान में लाई गई प्रत्येक घटना की अविलम्ब जांच की जाती है और दोषी पाए गए व्यक्ति को कड़ी सज़ा दी जाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) सैनिकों को छुट्टी/तात्कालिक ड्यूटी पर उनके आने–जाने के बारे में पहले ही योजना बनाने की शिक्षा देना।

(ii) आरक्षित शायिका (बर्थ) में यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रक्षा विभागीय कोटे और सैन्य डिब्बों का इष्टतम उपयोग।

(iii) उचित अनुशासन को बनाए रखने के लिए रेल यात्रा के दौरान किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्यों के बारे में सैनिकों को बताना।

(iv) रेल मंत्रालय को अतिरिक्त रक्षा विभागीय कोटा देने और सैन्य डिब्बे लगाए जाने और हटाए गए डिब्बों को बहाल किए जाने का प्रस्ताव भेजना।

(v) सेना पुलिस द्वारा यात्रा के दौरान रक्षा कार्मिकों की नियमित मॉनीटरी करना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय किसान आयोग की दूसरी रिपोर्ट

1103. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या और उसके कारणों और संभावित उपचारों पर गहन अध्ययन करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में, एक समुचित समझ, कारणों का मूल्यांकन और आत्महत्याओं की संख्या के लिए आत्महत्याओं की गणना की सिफारिश की थी। आयोग ने, अन्य बातों के साथ–साथ, किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए अपेक्षित कुछ सिफारिशें की थी, जैसे फसल हानियों से दुष्प्रभावित किसानों की सहायता के लिए एक समूह, ऋणों पर ब्याज की दर की कटौती, सूखा और बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्रों पर ब्याज की माफी, ऋण व वसूली पर स्थगन या उसे आसान किस्तों में बदलना, समस्त देश और सभी फसलों को कवर करने के लिए फसल बीमा, किसान आजीविका सुरक्षा इत्यादि।

(ग) भारत सरकार द्वारा 31 जिलों के लिए, जिनसे किसानों की आत्महत्याओं की उच्च संख्या की रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, एक विशेष पुनर्वास पैकेज पहले ही आरंभ कर दिया गया है। ये जिले 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के हैं। यह पैकेज 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसमें तात्कालिक और मीडियम अवधि के उपाय शामिल हैं। इस पैकेज में 16978.69 करोड़ रु. की कुल धनराशि है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लघु और सीमांत किसानों सहित किसानों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ कृषि सेक्टर के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए वर्ष 2004 में एक ऋण नीति की घोषणा शामिल है। खरीफ 2006–07 से, किसानों को 7% प्रति वर्ष की घटी दर पर 3 लाख रु. तक फसल ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। उन छोटे ऋणियों के लिए जिनके पास आनुषंगिक रूप में आवश्यक परिसंपत्तियां नहीं हों, बैंकों को 50000/– रु. तक कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/सिक्योरिटी आवश्यकताओं को माफ करने की सलाह दी गई है। सरकार ने सहकारी ऋण संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए भी एक पैकेज की घोषणा की है। कृषि के विविधिकरण के लिए एक प्रमुख बड़ा प्रयास आरंभ किया गया। वर्ष 2005 से अनुसंधान, फसलोपरांत प्रबंधन प्रसंस्करण तथा विपणन को कवर करते हुए बैकवर्ड एवं फारवर्ड संपर्कों को आद्योपांत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरंभ किया गया है। सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों में सिंचाई, संशोधित जल प्रबंधन के साथ पनधारा विकास और वर्षा जल संचयन और राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना के तहत क्षेत्र विस्तार करना शामिल है।

कृषि में निवेश

1104. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सरकारी, गैर–सरकारी भागीदारी से कृषि–जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विकास के लिए निवेश योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि–जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से कौन–कौन से विभागों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे निवेश से किसान किस प्रकार लाभान्वित होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सितम्बर, 2005 के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्पादन विकास के लिए तथा प्रौद्योगिकीय नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी सहित जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में जनता–निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए "लघु व्यवसाय नव प्रवर्तन और अनुसंधान नवप्रवर्तन (एसबीआईआरआई)" नामक एक स्कीम आरंभ की गई है। कृषि के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास जैसे संवर्धित पौध किस्मों, का आशय किसानों की मदद करना है।

[हिन्दी]

गुणवत्ता मानकों में संशोधन

1105. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) गुणवत्ता मानक चिन्हों के उपयोग का कोई शुल्क वसूलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शुल्कों के निर्धारण के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विनिर्माताओं द्वारा मानक चिन्हों के उपयोग के लिए शुल्क के निर्धारण और संग्रहण के मानदंडों के लिए कुछ संशोधन किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संशोधनों के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान हुआ है; और

(च) सरकार ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह स्कीम चला रहा है। किसी उत्पाद पर शुल्क भारतीय मानक द्वारा उत्पाद प्रमाणन के संबंध में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए प्रशासनिक और संबंधित विकासात्मक और निगरानी खर्चों को पूरा करने के लिए वसूल किया जाता है। ऐसे प्रभारों के निर्धारण में बाजार नमूनों की लागत, परीक्षण की लागत और बंधे हुए व्यय शामिल हैं।

(ग) उक्त मानदंड में कोई संशोधन नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा टायर पर चिह्नांकन शुल्क 15 जून, 1994 को संशोधित किया गया था जिसे 27 जून, 2005 को अधिसूचित किया गया।

(घ) 15 जून, 1994 को संशोधित चिह्नांकन शुल्क की सूचना सभी लाइसेंसधारियों को दे दी गई थी। हालांकि संशोधित चिह्नांकन शुल्क को भारतीय मानक ब्यूरो के विनियमों के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित किया जाना चाहिए था जिसे नहीं किया जा सका। मामले पर भारतीय मानक ब्यूरो में विचार-विमर्श चलता रहा तथा मामले में अंतिम निर्णय जून, 2005 में लिया जा सका जब दरों को अंतिम रूप दे दिया गया था तथा राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था।

(ङ) सी ए जी की 2007 की रिपोर्ट संख्या 3 के पैरा संख्या 4.1 में उल्लिखित 1.63 करोड़ रुपए की राशि केवल घाटे की काल्पनिक राशि मात्र है क्योंकि संशोधित चिह्नांकन शुल्क को राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था और बकाया राशि की वसूली करना विधिक तौर पर संभव नहीं था।

(च) जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे की भारतीय मानक ब्यूरो में जांच की गई। यह निश्चित किया गया कि संयुक्त जिम्मेदारी तत्कालीन केन्द्रीय मुहर विभाग-1 के प्रमुख, संबंधित अधिकारी और अनुभाग अधिकारी की है। तथापि, सभी दोषी अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी तय किए जाने पर भी सी सी एस (सीसीए) नियमावली के अनुसार समय-सीमा बीत जाने के कारण उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

राष्ट्रीय संप्रतीक का उल्लंघन

1106. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से दिल्ली में कुछ निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नेशनल एम्बलम (प्रीवेन्शन ऑफ मिसयूज) एक्ट, 1950 का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं। सरकार को माननीय संसद सदस्यों से दिल्ली में किसी निजी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग) अधिनियम, 1950 के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

1107. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं उसके बाद

कंपनियों/कारखानों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए सरकार को प्राप्त शिकायतों एवं दर्ज मामलों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों/कारखानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु श्रम निरीक्षक कंपनियों/कारखानों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो चूककर्ता श्रम निरीक्षकों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार को विचार श्रम कानूनों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति के सदस्य कौन–कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या है; और

(ज) श्रम कानूनों के उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) और (छ) जी, नहीं। श्रम कानूनों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए त्रिपक्षीय समिति गठित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) जब कभी राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र में या तो शिकायतों के आधार पर अथवा समुचित सरकार के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गये आवधिक निरीक्षणों के समय श्रम कानूनों के उल्लंघन का पता चलता है तब संबंधित समुचित सरकार द्वारा संगत अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

संगठित क्षेत्र में राज्य–वार नियोजन

31.3.2004 तथा 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजन (हजारों में) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र
1	2	3	4
1.	हरियाणा	255.5	258.0
2.	पंजाब	261.4	253.1
3.	हिमाचल प्रदेश	49.5	58.9
4.	छत्तीसगढ़	29.1	28.5
5.	दिल्ली	219.2	216.2
6.	राजस्थान	243.0	247.7
7.	जम्मू और कश्मीर	10.5	10.5
8.	मध्य प्रदेश	158.8	155.7
9.	छत्तीसगढ़	29.6	31.7
10.	उत्तर प्रदेश	444.5	437.5
11.	उत्तरांचल	36.8	37.3
12.	असम	572.1	580.6
13.	मेघालय	9.3	9.3
14.	मणिपुर	2.7	2.7
15.	मिजोरम	1.4	1.4
16.	नागालैंड	3.5	4.1
17.	त्रिपुरा	12.9	12.9
18	बिहार	32.5	32.5
19.	झारखंड	150.3	150.3
20.	उड़ीसा	86.1	90.2
21.	पश्चिम बंगाल	680.7	752.4
22.	गुजरात	803.3	861.4
23.	महाराष्ट्र	1392.3	1403.3
24.	गोवा	24.8	41.9
25.	दमन और दीव	12.5	12.5
26.	आंध्र प्रदेश	620.7	647.0
27.	कर्नाटक	753.2	802.8
28.	केरल	589.6	524.9
29.	पांडिचेरी	16.2	17.6
30.	तमिलनाडु	741.3	765.9
31.	अण्डमान और निकोबार	2.7	2.7
	कुल	8246.0	8451.8

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे। श्री शरद पवार।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6719/07]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : मैं हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6720/07]

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा लघु उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6721/07]

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) शिक्षु (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) शिक्षु (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 16 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6722/07]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : मैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उपधारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (नियंत्रक की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2006 जो 5 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 619(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6723/07]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6724/07]

(2) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6725/07]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 401(अ)/ आव. वस्तु/शुगरकेन जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 112(अ)/आव. वस्तु/शुगरकेन का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) सा.का.नि. 402(अ)/ आव. वस्तु/शुगरकेन जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें उनमें उल्लिखित वैक्यूम पैन प्रोसेस शुगर फैक्ट्री के स्वामियों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा वर्ष 2004–2005 के शुगर वर्ष के लिए देय न्यूनतम मूल्य के निर्धारण संबंधी आदेश दिया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 403(अ)/ आव. वस्तु/शुगरकेन जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें उनमें उल्लिखित वैक्यूम पैन प्रोसेस शुगर फैक्ट्री के स्वामियों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा वर्ष 2005–2006 के शुगर वर्ष के लिए देय न्यूनतम मूल्य के निर्धारण संबंधी आदेश दिया गया है।

(चार) सा.कां.नि. 404(अ)/ आव. वस्तु/शुगरकेन जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनसे उनमें उल्लिखित पैन प्रोसेस शुगर फैक्ट्री के स्वामियों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा वर्ष 2006–2007 के शुगर वर्ष के लिए देय–न्यूनतम मूल्य के निर्धारण संबंधी आदेश दिया गया है।

(पांच) का.आ. 1310(अ) जो 31 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2006–07 और 2007–08 शुगर सीजन में, अर्थात् 30 सितम्बर, 2008 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों तथा संयुक्त राष्ट्र को निर्यात के सिवाए, चीनी के निर्यात के लिए 31.07.2007 से निर्यात जारी आदेश प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट देने वाला आदेश अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6726/07]

(2) फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6727/07]

अपराह्न 12.02 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'संविधान (106वां संशोधन) विधेयक, 2006' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 ½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

तिरासीवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का विशेष आर्थिक जोनों के कार्यकरण के बारे में *83वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

**मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2006-07) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं 1 सितम्बर, 2004 को, लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम, 389 के उपबंधों के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी निदेश के अनुसार, श्रम संबंधी स्थायी

*प्रतिवेदन 20 जून, 2007 को, जब राज्य सभा सत्र में नहीं थी, माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित किया गया।

**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6728/07

समिति की अठारहवीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित समिति की अठारहवीं रिपोर्ट, जो सदन के पटल पर 12.12.2006 को रखी गई थी। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मंत्रालय ने 29.03.2007 को इस रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत कर दी थी, जिसको समिति ने अपने संज्ञान में लिया है।

अठारहवीं रिपोर्ट में सन्निहित, समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति, माननीय सदस्यों के बीच परिचालित, मेरे वक्तव्य में दर्शायी गई है और इसे ग्रंथालय में भी रखा गया है। मैं इस अनुबंध की सभी विषय–वस्तुओं को पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा।

मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 12, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व, माननीय मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी से मुझे एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। उन्होंने मद संख्या 20 को स्थगित करने का अनुरोध किया है। श्री सुमन का सांविधिक संकल्प मद संख्या 19 में है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, फार्मर्स की बात है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसी पर आ रहा हूं। वे केवल स्थगन चाहते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि वे स्थगन के लिए अनुरोध कर सकते हैं जिससे यदि सदन सहमत हो, तो इसे हम एक सप्ताह के लिए स्थगित कर सकते हैं।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, कृपया राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए एक वर्ष की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों पर विचार करने से संबंधित विधेयक जो कि मद संख्या 20 पर सूचीबद्ध है, को स्थगित कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुमन, आप भी निरनुमोदन हेतु अपने सांविधिक संकल्प को स्थगित करने के लिए सहमत हो सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये दोनों विषय एक सप्ताह के बाद लिए जायेगें।

आप सब लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज किसान *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप तो रूल जानते हैं। कालिंग अटैंशन खत्म होने में 20 मिनट लगेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, किसानों का विषय है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटैंशन 20 मिनट में समाप्त हो जायेगा। उसके बाद हम आपको बोलने का मौका देंगे।

[अनुवाद]

मैं वायदा करता हूं। मैं इस विषय को लेने के लिए बाध्य हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव खत्म होते ही मैं आपको अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके बनाए हुए नियम हैं, अगर आप ही नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। आप अपने महत्वपूर्ण विषय के साथ पूर्ण न्याय कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके साथ पूरी सहानुभूति है। उनके विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें। उन्हें रैली में जाना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे 20 मिनट बाद रैली में जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक को अनुमति दूंगा। कृपया अपना सहयोग दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इतने समय में तो कालिंग अटैंशन हो जाता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात हो रही है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री एस. अजय कुमार की ओर से एक निवेदन प्राप्त हुआ है कि श्री एन.एन. कृष्णदास जिनका नाम पांचवें स्थान पर है, को माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए।

श्री एन. एन कृष्णदास

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पालाघाट रेल मंडल का विभाजन कर प्रस्तावित सेलम रेल मंडल के निमार्ण से उत्पन्न स्थिति*

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पर अपना वक्तव्य दें।

"पालघाट रेलवे मंडल का विभाजन करके सेलम रेलवे मडल बनाए जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर) : महोदय, सेलम रेलवे मडल को तुरंत शुरू किया जाए *...(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : महोदय, सेलम मंडल तुरंत शुरू किया जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं तमिलनाडु से एक संसद सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

यह क्या बात हो रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दी है। श्री कृष्णास्वामी, मैं तमिलनाडु से एक सदस्य को बोलने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। माननीय मंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दी है, उस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : क्या कार्यवाही करूंगा, यह सही समय पर बताएंगे। आप भी कभी स्पीकर थे, आप जानते हैं कि क्या काम है। आपको तो रोल माडल बनना चाहिए।

[अनुवाद]

उन्हें गुमराह नहीं करें।

[हिन्दी]

आइए, आपको सब बातें बताएंगे और हम दोनों बैठकर चाय पीएंगे।

---

* ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6729/07

...(व्यवधान)

इस प्रकार प्रस्तावित सेलम डिवीजन को बनाने के लिए पालघाट से 623 रूट किलोमीटर, त्रिचुरापल्ली से 135 रूट किलोमीटर तथा निर्माणाधीन नई लाइन का 85 रूट किलोमीटर लिया गया है। प्रस्तावित विभाजन के उपरांत पालघाट डिवीजन में 509 किलोमीटर की वर्तमान लाइन तथा 36 किलोमीटर की निर्माणाधीन लाइन के रूट किलोमीटर बच जाएंगे। प्रस्तावित सेलम डिवीजन के कार्यक्षेत्र के बारे में अंतिम रूप से अभी तक गजट में अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

प्रस्तावित सेलम डिवीजन का अधिकांश कार्यक्षेत्र पालघाट डिवीजन से लिया गया तथा पालघाट डिवीजन का कार्यक्षेत्र प्रस्तावित सेलम डिवीजन से कम हो गया है जो केरल के माननीय सदस्यों के विरोध का एक कारण है। केरल के माननीय सांसदों ने यह भी आपत्ति की है कि पालघाट डिवीजन का बंटवारा अवैज्ञानिक ढंग से किया गया है और पालघाट का आकार छोटा होने के कारण यह आर्थिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं रह गया है। इस संबंध में केरल के मुख्य मंत्री एवं दोनों सदनों के कई माननीय सदस्यों ने मुझसे मिलकर एवं पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

केरल के मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में अपनी आपत्ति जाहिर की थी। माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 24 जुलाई, 2007 को मुझे पत्र लिखकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श कर इस मसले का आपसी सहमति से मान्य हल निकालने के लिए कहा है। मैंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वे मिल बैठकर आपसी सहमति से इस समस्या का हल निकालें। लेकिन अभी तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक संभव नहीं हो पाई है। मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे जल्द ही एक सुविधाजनक तिथि निर्धारित करके आपसी सहमति से इस समस्या का हल निकालें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह भी उद्धृत किया गया है कि केरल के लिए नए वेस्ट कोस्ट जोन के सृजन में अत्यधिक देरी हो रही है। इस संबंध में विभाजन के मानदंड कार्यभार, भौगोलिक फैलाव, यातायात प्रवाह का पैटर्न, आर्थिक औचित्य और अन्य परिचालनिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं आदि के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर केरल के नए वेस्ट कोस्ट जोन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस आशय की जानकारी केरल के माननीय सांसदों को पत्र द्वारा दी गई है। दिनांक २.१२.२००४ को मैं इस नए जोन की अव्यावहारिता के संबंध में सदन को भी अवगत करा चुका हूं। चूंकि केरल में नए जोन के सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है इसलिए इसमें विलंब का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री कृष्णदास।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक–एक करके बुला रहा हूं। सभी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहा है।

...(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, चूंकि अभी माननीय सदस्य और आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय रेल केवल यातायात का साधन नहीं है अपितु यह हमारे देश की एकता और अखंडता का महान प्रतीक है। इसीलिए जब हम किसी नए मंडल या जोन की स्थापना का कार्य करते हैं तो हम ऐसा किसी भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी मुख्य चिंता का विषय होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

हमारे पास एक मामला है। यह तमिलनाडु के हमारे मित्रों या किसी अन्य राज्य के खिलाफ नहीं है *...(व्यवधान)*। हम यह मामला भारतीय रेल के साथ उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : मैं तमिलनाडु के अपने मित्रों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं तमिलनाडु के माननीय संसद सदस्यों में से भी एक को अपनी बात कहने के लिए बुलाऊंगा। मैंने पहले ही यह कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप सभी बहुत वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री ई. पुन्नुस्वामी (चिदम्बरम) : हम भी किसी राष्ट्रीय हित के खिलाफ नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम यह जानते हैं। वे भी एक माननीय सदस्य हैं और आप भी सभा के माननीय सदस्य हैं।

श्री कृष्णदास, आप अपनी बात कहें और कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, हम यह मामला केवल केन्द्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ उठा रहे हैं।

महोदय, रेल मंत्री के उत्तर में, यह गलत उद्धृत किया गया कि "केरल के संसद सदस्यों से भी इस मामले में परामर्श किया गया था। यह सचमुच अनुचित है। यह बात पूर्णतः गलत है कि हम से परामर्श किया गया था ...*(व्यवधान)* यह मेरा पहला मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह बहुत दुःखद है। हम अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है कि माननीय संसद सदस्य अपने आप को पहले भारतीय नहीं मानते हैं। हम सबसे पहले भारतीय हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह चीज ऐसे ही चलती रहे।

क्या हम पहले भारतीय नहीं हैं? क्या यह केरल या तमिलनाडु की विधानसभा है। आप सबसे पहले भारतीय हैं परंतु आप भारतीयों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? नहीं, नहीं आप नहीं, नहीं कह रहे हैं। हम यह करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं तमिलनाडु के संसद सदस्य को भी बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री कृष्णदास के निवेदन के अलावा किसी और सदस्य की बात से एक भी शब्द कार्यवाहील वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करें। कार्यवाही सारांश में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : फिर आप यह लड़ाई सड़क पर कर लें। मैं इस मामले को स्थगित कर देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : माननीय रेल मंत्री, श्री लालूजी से मेरा यह अनुरोध है कि यह वाक्य कि "केरल के माननीय संसद सदस्यों से भी इस मामले में परामर्श किया गया था" उनके वक्तव्य से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह आपका अनुरोध है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन. एन. कृष्णदास : जी हां, महोदय।

दूसरा मुद्दा यह है कि हम उनके वक्तव्य से सहमत हैं जहां उन्होंने यह उल्लेख किया है कि प्रस्तावित सेलम मंडल के अधिकार क्षेत्र का एक बड़ा भाग पालघाट मंडल से लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे बैठक करें। उन्होंने कहा है कि किसी अन्य मंडल को शुरू करने में देर करने का कोई प्रश्न नहीं है। दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होने दें।

श्री एन.एन. कृष्णदास : हां। मैं उनके वक्तव्य के शेष हिस्से का स्वागत करता हूं।

उन्होंने कहा कि "प्रस्तावित सेलम मंडल के अधिकार क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पालघाट मंडल से लिया गया है और पालघाट मंडल का शेष अधिकार क्षेत्र सेलम मंडल से कम हो गया है।"

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह स्वीकार किया है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : इसलिए सभा के समक्ष एक प्रस्ताव लाया गया था। हमने इसका कभी विरोध नहीं किया। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हम यह कैसे कह सकते हैं कि 'नहीं, देश में किसी नए मंडल या जोन की आवश्यकता नहीं है।' हम ऐसा नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री एन. एन. कृष्णदास : परंतु, एक गठन होना चाहिए। गठन का आशय है कि सेलम के साथ केन्द्रीकृत एक नए मंडल रूट किलोमीटर तथा सभी नजदीकी क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत तथा औचित्यपूर्ण ढंग से स्थापित किया जाए। यह चेन्नई मंडल से भी हो सकता है, त्रिची मंडल से भी हो सकता है, मदुरै मंडल से हो सकता है या पालघाट मंडल से भी हो सकता है। इसलिए यह गठन होना चाहिए, विभाजन नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, प्रस्ताव गठन का था लेकिन विद्यमान पालघाट मंडल का गठन के बजाय विभाजन किया जा रहा है। हमने बताया है कि विभाजन के पश्चात्, पालघाट मंडल वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं रहेगा, जिसे माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में भी इंगित किया गया है।

अतः, यह औचित्यपूर्ण और तर्कसंगत नहीं है। यह मेरा विनम्र निवेदन है। एक मां ऐसे बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है जो आकार

में उससे बड़ा हो। ऐसा होने पर निश्चित तौर पर मां की मृत्यु हो जाएगी। हम भारत सरकार विशेषकर केन्द्रीय रेल मंत्री से न्याय की मांग कर रहे हैं। हमें न्याय की आवश्यकता है। अतः यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देंगे। आप उन्हें मौका दीजिए।

श्री एन. एन. कृष्णदास : सभी आस-पास के क्षेत्रों से भी कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक नया सेलम मंडल बनाने में क्या कठिनाई है?

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती सुजाता अपना प्रश्न पूछें। आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्री एन. एन. कृष्णदास : और दूसरी बात अंतिम वाक्तय से संबद्ध है। उन्होंने, कई संसद सदस्यों और केरल सरकार के एक नए जोन, दक्षिण पश्चिम जोन का गठन करने के अनुरोध को नहीं माना। उन्होंने लिखित में इससे इनकार किया है। इसका उल्लेख ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : नहीं महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दें। जोन और मंडल कार्यभार, भौगोलिक विस्तार, यातायात, आवागमन की पद्धति, आर्थिक व्यवहार्यता तथा अन्य प्रचालनात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं जैसे मानदण्डों पर आधारित है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा था।

श्री एन. एन. कृष्णदास : वे इन्हीं मानदण्डों का पालन कर रहे हैं। भारतीय रेल द्वारा पहले भी इसी परंपरा का अनुपालन किया जाता रहा है। तो फिर, इनकार करने का क्या औचित्य है? यदि आप इन सभी मानदण्डों के आधार पर एक नए मण्डल का निर्माण कर रहे हैं, तो देश में दक्षिण पश्चिम जोन के गठन से इनकार करने का क्या औचित्य है?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने प्रश्न पूछ लिया है। अब श्रीमती सुजाता कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मैं आपके माध्यम से तीसरी बात कहना चाहता हूं। यह मेरा अनुरोध है। अब, केवल दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श से प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने इस सम्माननीय सभा को पहले भी लिखित में ऐसा आश्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने मुख्यमंत्री पर जोर क्यों नहीं डालते?

श्री एन. एन. कृष्णदास : लेकिन राज्य मंत्री ने 15 सितम्बर को सेलम खंड के उद्घाटन की एकपक्षीय घोषणा कर दी। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या इस प्रस्तावित सेलम के उद्घाटन के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को अंतिम रूप दे दिया गया है? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी है। आपने अपनी बात काफी अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुजाता। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपनी मातृभाषा में बोल सकती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण देने के लिए नहीं लेकिन प्रश्न पूछने के लिए ऐसा कर सकती हैं।

***श्रीमती सी.एस. सुजाता** : मैं, मेरे सहयोगी श्री कृष्णदास द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। 1951 में दक्षिण रेलवे के गठन के पश्चात् केरल की बार-बार उपेक्षा की गई और पालघाट मंडल को नष्ट करने का निर्णय हमारे प्रति हुए अन्याय की कड़ी में नवीनतम कदम है। पालघाट रेलवे मंडल भारत के प्राचीनतम रेल मंडलों में से एक है।

हम सेलम मण्डल बनाने के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन इसका निर्माण पालघाट मण्डल को नष्ट करके नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान निर्णय पालघाट मण्डल को नष्ट करने को लक्षित करता है। मंत्री जी ने बताया कि सेलम मंडल के बनने से पालघाट की कुल लंबाई कम हो जायेगी

श्री कृष्णदास ने कहा कि एक मां के अपने से बड़े आकार के बच्चे को जन्म देने जैसा होगा। महोदय, हमने सभा में मंत्री जी के लिए उत्तर को सुना है और श्री कृष्णदास ने भी सभा में यहां उसे उद्धृत किया है।

मंत्री जी ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा के पश्चात् ही सेलम मण्डल की क्षेत्र सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। केरल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चर्चा के लिए अपनी सहमति दे दी है।

लेकिन एक ओर तो आप सभा में कहते हैं कि चर्चा की जाएगी लेकिन दूसरी ओर आप सेलम मण्डल के गठन को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सही कदम नहीं है। यह सभा में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन है।

---

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

माननीय मंत्री जी को सभा में दिए गए अपने आश्वासन को पूरा करना चाहिए और उन्होंने रेलवे जोन का उल्लेख भी किया था। केरल को केन्द्र में रखकर रेलवे जोन का गठन किया जाना चाहिए। जहां चाह है, वहीं राह है। लालू जी, केरलवासियों को आपसे काफी आशाएं हैं और आपको इन आशाओं को पूरा करना चाहिए।

[हिन्दी]

रेल मंत्री लालू जी जो केरल के मित्र हैं, वहां की जनता को उनसे कुछ उम्मीदें हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : और कुछ नहीं है। श्री सुरेश कुरुप कृपया आप बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछा जाए। कृपया नियम 197 देखें।

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर अत्यन्त निराशाजनक है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि हममें से किसी से भी सेलम मण्डल के संबंध में कभी भी परामर्श नहीं किया गया था। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यदि हमसे परामर्श किया जाता तो हमें सेलम मण्डल के गठन पर आपत्ति नहीं होती। हमें आपत्ति इस बात पर नहीं है कि सेलम मण्डल का गठन किया जा रहा है, बल्कि इस बात पर है कि भारतीय रेल में आरंभ से ही विद्यमान पालघाट मण्डल का एक बड़ा हिस्सा लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ही बात है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप : यह बहुत लाभकारी मण्डल है। इस मण्डल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया जा रहा है। यहां कई और मण्डल हैं, जो 1,175 कि.मी. के रूट कि.मी. हैं। मदुरै मण्डल में 1,451 कि.मी. का रूट कि.मी. है। इन दोनों मण्डलों में रूट कि.मी. पालघाट मण्डल से अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

एडवोकेट सुरेश कुरूप : महोदय, केवल पालघाट मण्डल का एक बड़ा हिस्सा लिया जा रहा है। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय रेल हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आप ऐसा कार्य करके विभाजन के बीज क्यों बो रहे हैं?

मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य मण्डलों को बिना किसी व्यवधान के बने रहने की अनुमति देकर और पालघाट मण्डल से सभी क्षेत्रों को लेकर इस नए मण्डल का गठन करने का क्या मानदंड है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान चार नए रेलवे जोनों का सृजन किया गया था। जब भी हम किसी रेलवे जोन की मांग करते हैं, अचानक योजना आयोग अस्तित्व में आ जाता है और तत्काल सभी अन्य प्रकार की कठिनाईयां सामने रख दी जाती हैं। अन्य राज्यों के अन्य क्षेत्रों में नए रेलवे जोन और रेलवे डिवीजन बनाए जा रहे हैं। परंतु जब भी हम किसी रेलवे जोन या डिवीजन की मांग करते हैं जो कि काफी लम्बे अरसे से चली आ रही है, जैसे कि सेलम डिवीजन की है, हमें यह कहा जाता है कि यह संभव नहीं है।

केरल में हुए इन सभी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप केरल के लिए एक रेलवे जोन की मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे जोकि लम्बे समय से चली आ रही है तथा जिसके केरल के लिए एक दक्षिणी जोन की मांग की गई है। क्या हम नए रेल डिवीजन के उद्घाटन को, मुख्यमंत्रियों की बैठक होने और इसके लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढें जाने तक, स्थगित रखा जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। यह अच्छा प्रश्न था।

श्री पी.सी. थॉमस – अनुपस्थित।

श्री अजय कुमार अब अपना प्रश्न पूछें।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : धन्यवाद, महोदय। मेरे सहयोगी ने कई मुद्दों का उल्लेख किया है। *...(व्यवधान)* मैं उनमें विस्तार से नहीं जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके विस्तार में जाने का अधिकार नहीं है। आप केवल स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस. अजय कुमार : सेलम में रेलवे डिवीजन की मांग बहुत पुरानी है। यह वक्तव्य बिल्कुल गलत है। मैं यह कह सकता हूं कि वर्ष 1946 में राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट में यह निर्णय लिया गया था कि कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए सात नए जोनों और आठ नए डिवीजनों की स्थापना की जाएगी। तथापि सेलम डिवीजन का गठन इसमें शामिल नहीं किया गया। इसलिए, यह मांग किसी प्रकार सामने आयी और रेल सुधार समिति का मत लिए बिना यह किस प्रकार गठित किया गया? सरकार रेल सुधार समिति की चिंताओं पर कब ध्यान देगी? यह मेरा पहला प्रश्न है।

आपने नया डिवीजन बनाने की मांग मान ली है। परंतु जब भी

केरल से नए जोन के लिए मांग की जाती है तो इसके विरुद्ध सभी प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। इसलिए क्या सरकार नए रेलवे जोन की हमारी काफी समय से लंबित मांग पर गंभीरता से विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरूप ने इसका उल्लेख किया है।

अब श्री तंगबालू को बोलना है।

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आरंभ में मैंने आपसे मुलाकात की थी और आपसे चर्चा की थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमारे साथ कुछ डिस्कस नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

आप केवल मेरे पास आकर मुझसे मिले थे।

श्री के.वी. तंगबालु : हम आपके पास आए थे और आपसे अनुरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अवसर दिया है। इस अवसर का उपयोग करें।

श्री के.वी. तंगबालु : न केवल मैं बल्कि तमिलनाडु के 40 संसद सदस्य अपने मामलों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया हम अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : औरों के बारे में चिंता नहीं करें। आप अपनी बात कहें।

श्री के.वी. तंगबालु : ठीक है, महोदय।

सेलम रेलवे डिवीजन के लिए अनुरोध कमोबेश तमिलनाडु के लोगों द्वारा किया गया। हमारे मुख्यमंत्री, डा. के. करुणानिधि और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने और हमने, सबने मिलकर संप्रग सरकार से अनुरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री के.वी. तंगबालु : उन्होंने इसे मंजूर किया। अब उस तरफ के हमारे मित्र कह रहे हैं कि इसमें कोई तर्कसंगतता या औचित्य नहीं है। इसमें तर्कसंगतता और औचित्य हमेशा से रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार की इस घोषणा के द्वारा तमिल लोगों की चिर लंबित और लम्बे समय से महसूस की जा रही इस आवश्यकता और तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया गया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग इस तरह से लड़ाई करेंगे, पूरा देश टुकड़ों में बंट जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु : महोदय, जहां तक अधिकार क्षेत्र की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में केवल 544 रूट कि.मी. दिया गया जबकि ...*(व्यवधान)*। कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान पर नहीं बैठ सकते हैं तो मैं मंत्री जी से उत्तर देने के लिए कहूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब, बस एक मिनट।

...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु : महोदय, मैंने तो अभी अपनी बात कहनी शुरू ही की है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते तो मैं उनसे बोलने के लिए कहूंगा।

श्री के.वी. तंगबालु : महोदय, मैं प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : तो प्रश्न पूछें।

श्री के.वी. तंगबालु : इस सभा में दो मुद्दे उठाए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर पूरा देश विभाजित हो रहा है।

श्री के.वी. तंगबालु : नहीं महोदय।

अध्यक्ष महोदय : क्या नहीं? पूरा देश, रेलवे और सभी चीजों के लिए बांटा जा रहा है।

श्री के.वी तंगबालु : हम भाषाई नहीं हैं और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि तमिलनाडु और तमिलनाडु की जनता को निष्पक्ष न्याय मिले। हमने यही कहा है। वस्तुतः हम केरल के किसी भी हिस्से को बिल्कुल नहीं ले रहे है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. कृष्णास्वामी।

श्री के.वी. तंगबालु : महोदय, वस्तुतः हम यह चाहते हैं कि सेलम डिवीजन जिसकी घोषणा की गई है, को कार्यान्वित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया।

श्री के.वी. तंगबालु : वे मुख्यमंत्रियों के बैठक की बात कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्रियों के बैठक की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इसे पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. कृष्णास्वामी, यदि आप अपनी बात शुरू नहीं करते हैं तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तंगबालु, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तंगबालु, अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : धन्यवाद, महोदय। मंत्री महोदय ने जो भी कहा है, वह सत्य है। दो वर्ष पहले तमिलनाडु और केरल के संसद सदस्यों के बीच एक बैठक हुई थी और सेलम डिवीजन पर सर्वसम्मति बनी थी।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री ए. कृष्णास्वामी : केरल के सदस्य इसके लिए मना कर रहे हैं पर यदि आप श्री वरकला राधाकृष्णन को बोलने की अनुमति दें तो वे इस तथ्य को स्वीकार करेंगे क्योंकि वे उस बैठक के सभापति थे। उस बैठक में श्री वरकला राधाकृष्णन के सामने ही हम सभी सेलम डिवीजन के लिए सहमत हुए थे, परंतु आज, वे इस बात के लिए मना कर रहे हैं। आज सेलम डिवीजन का गठन को बजट में पारित कर दिया गया है और 20 करोड़ रुपए आबंटित कर दिए गए हैं तथा 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और इस संबंध में 1.5 करोड़ रुपए का व्यय कर दिया गया है।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक वाद दायर किया था और उच्चतम न्यायालय ने उनकी शिकायत खारिज कर दी है।

अब हमने सेलम डिवीजन के उद्घाटन के लिए 14 सितम्बर का दिन तय किया है *...(व्यवधान)* रेल विभाग ने यह तारीख निर्धारित की है। इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। इसका शीघ्रातिशीघ्र उद्घाटन किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब आप जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल माननीय मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केरल के माननीय संसद सदस्यों, आपने बहुत सक्षमतापूर्वक अपना मामला रखा है। मैंने तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ संसद सदस्यों को भी अवसर दिया था। पूरा देश जानता है कि – क्या समस्या है। माननीय मंत्री को अब अपना उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बाजार नहीं है, भारतीय संसद है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि हम देश को यथासंभव विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह रेलवे हो, जल अथवा अन्य कुछ हो, हमें देश को विभाजित नहीं करना चाहिए। आप सैनिकों की देशभक्ति की बात कर रहे हैं; और क्या सदस्यों को देशभक्ति नहीं दिखानी होती है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब देते रहिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, *...(व्यवधान)* आप बोलने दीजिए। लैट मी स्पीक।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिए।

श्री लालू प्रसाद : सर, ये फिर वही कंफ्यूजन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और अपना उत्तर समाप्त करें।

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : राधाकृष्णन जी, आप बाद में बोलिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री लालू प्रसाद : दोनों राज्य हमारे देश के राज्य हैं, हमें दोनों प्यारे हैं और किसी भी झगड़े–झंझट को खत्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने आकर एकाएक कोई घोषणा कर दी। दो दिन बैठक हुई और मैं धन्यवाद देता हूं, राधाकृष्णन जी सीनियर मैम्बर हैं, वह स्वयं तथा केरल के माननीय सांसद भी बताएंगे कि आपने ...*(व्यवधान)* आप जाइये और बनवाइये, हम नहीं बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड़) : अतः, उन्हें इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए सूचना दी और मैंने उसकी अनुमति दी है। मैंने आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया और मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। तत्पश्चात्, आपने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दे दी है। क्या आप माननीय मंत्री जी को उत्तर नहीं देने देंगे? तो फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसलिए है?

[हिन्दी]

प्लीज आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपको हिन्दी समझ आती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। हर किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यह गलत बात है। ...*(व्यवधान)* आप राइट हैं और हम क्या रांग हैं? ...*(व्यवधान)* यह गलत बात है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, दो दिन बैठक हुई और यहां बजट भाषण में हमने यह कहा था कि एक नया डिवीजन क्रिएट किया जायेगा। जब भी कोई डिवीजन क्रिएट होता है तो बंटवारा होना अवश्यंभावी है, आप पूरे देश को देखें। झगड़ा इस बात का है कि लैंथ ऑफ दी रेलवे लाइन तमिलनाडु को ज्यादा मिल गया। जहां तक केरल राज्य का सवाल है, पूरे सेलम डिवीजन के लिए एक इंच भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है, उल्टे 24 किलोमीटर तमिलनाडु का अभी पालघाट में है। फिर भी लोगों को असंतोष है। आप सभी लोग कहिये, किस स्तर पर केरल के लोग मिले हैं, पक्ष–विपक्ष के लोग श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले, प्रधान मंत्री जी से मिले। हमने किसी भी झगड़े को टालने के लिए प्रयास किया है। यह कोई बहुत गम्भीर समस्या नहीं है, जिसके लिए हम लोग आपस में कोई वातावरण खराब करने का काम करें। इन चीजों का असर पड़ता है। इसलिए जो स्टेट्स हैं, देश भर में पहले जो डिवीजन्स की क्रिएशन्स हुई है, वह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मुम्बई मध्य रेलवे में 524 किलोमीटर है, पुणे का 505 किलोमीटर है, मुगलसराय में 317 किलोमीटर है, सोनपुर जो हमारे क्षेत्र में है, 473 किलोमीटर का है, मालदा में 438 किलोमीटर है, तिनसुकिया में 511 किलोमीटर है, रायपुर में 355 किलोमीटर है, रांची 442 है। मैं यहां संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अभी बंटवारे के बाद, यह बात सही है और मैंने कबूल किया है कि लोगों को ऐसा दिखता है कि सेलम डिवीजन में ज्यादा चला गया है। जबकि जो पालघाट बड़ा था, यह उसमें गया है, यह बात हमने जवाब में भी कही है। इसलिए इसे हम लोग एमिकेबली कैसे सैटल करें। हमने इतना कहा कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों का जो मैनडेट हो, हमने दो–दो चिट्ठियां भी लिखीं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और टेलिफोन भी कर रहे हैं कि आपस में बैठकर इस झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपस में बैठकर दोनों का मन ठीक रहे तो बात हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इस पर रेलकर्मियों का जो अनुमानित विभाजन है, उसमें पालघाट डिवीजन में अभी कर्मचारियों की संख्या 8817 रह जाती है और प्रस्तावित सेलम डिवीजन में 8245 है। कुल अनुमानित उपार्जन जो होने वाला है, वह पालघाट में 260 करोड़ रुपए है। इसमें सीमेंट फैक्टरी से लेकर, जो भी इंडस्ट्री है, वे पालघाट के ज्युरिस्डिक्शन में ही है और 200 करोड़ रुपए का उपार्जन सेलम में हो रहा है, 260

पालघाट में बाइफर्केट होने के बाद होगा। आखिर जब बंटेगा, तभी कोई डिवीजन बनेगी। हम देश में कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं।

[अनुवाद]

आपने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सूचना में गलत कहा है कि जोन के सृजन में अनावश्यक विलंब से असंतोष फैलने वाला है।

[हिन्दी]

यह आपने गलत कहा है। रेलवे के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है जिसमें डिले होता हो। आप बैठिए। मैंने कहा कि अभी गजट भी नहीं हुआ और कहीं भी कोई रयूमर लोगों को बता देते हैं। मान लीजिए कि अभी सोनिया जी और हम लोग अभी सेतव–रामेश्वरम गये थे जो अभी पुल के उद्घाटन में किसी ने कह दिया कि वहां पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम मंत्री हैं, हमें पता ही नहीं है और तब तक वहां युद्ध चल रहा है, ...*(व्यवधान)* इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वैसे ही माहौल गर्म है। ...*(व्यवधान)* आप पहले सुनिए। राधाकृष्णन जी, आप सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* हम सुनेंगे। आप हमारे सीनियर लीडर हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रैस करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप बताइए कि आपने हमको क्लिअरेंस दिया था कि नहीं गो अहैड। ...*(व्यवधान)* हां, बाइफर्केशन के मामले में आपकी शिकायत जायज है। इसे हम लोग बैठकर देखेंगे। ...*(व्यवधान)* न उस दिन कोई डेट फिक्स्ड थी। ...*(व्यवधान)* न उद्घाटन की कोई डेट फिक्स्ड थी और न अभी है और जब तक सैटिल नहीं होता है, तब तक नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया।

[अनुवाद]

कृपया उत्तर को अधिक न बढ़ाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री ने बताया कि कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लालू प्रसाद : मैं देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी, आप दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुला लीजिए और हमें भी बुला लीजिए और इसमें भी जो दोनों तरफ से सीनियर्स हैं, उनको बुलाकर इसे क्लिअरेंस करिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. जटिया को छोड़कर किसी का भी एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। मंत्री जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सभा में सभी से अपील की है और कहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री से दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाने का अनुरोध करेंगे और तब इसका निर्णय होगा। अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। काल्पनिक तिथियों के आधार पर आप इस बात को उठा रहे हैं। डा. मनोज कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाइए। किसी भी बात की अनुमति नहीं दी जायेगी और केवल डा. जटिया के निवेदन को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मैं आप सभी को बोलने के लिए समय देने का भरसक प्रयास कर रहा हूं तो आप कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 13, श्री प्रियरंजन दासमुंशी –

अपराह्न 12.42 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्यमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"कि यह सभा 17 अगस्त, 2007 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 17 अगस्त, 2007 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम मद सं. 14 को बाद में लेंगे। अभी हम लोक महत्व के अविलंबनीय मामलों पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. जटिया, मुझे बताया गया है कि काफी संख्या में किसान दिल्ली आए हैं। उसके मद्देनजर मैं आपको इसका उल्लेख करने की अनुमति दे रहा हूं, अन्यथा किसानों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इसलिए, केवल महत्वपूर्ण बातें ही कहें। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके पास काफी समय है और यही मेरा आपसे अनुरोध है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में देश भर के सारे किसान अपनी समस्याओं के बारे में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज रामलीला मैदान में आए हैं।

लाखों की संख्या में किसान आये हुए हैं, जिनकी समस्याओं की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसानों के लिए, जो समर्थन मूल्य तय करती है, उससे किसानों का गुजारा नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों को लाभकारी मूल्य दे। सरकार इसके लिए सुनिश्चित उपाय करे। अभी बाढ़, भीषण वर्षा से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार को अनुदान राशि की घोषणा करनी चाहिए। आज अपनी बेबसी के कारण हजारों की संख्या में किसान कर्ज न चुकाने की स्थिति में आत्महत्यायें कर रहे हैं। इस कष्टप्रद स्थिति को देखते हुए सरकार को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए कि जिस तरह अल्पसंख्यकों या अन्य योजनाओं में बाकी लोगों के लिए बिना ब्याज ऋण वाली है, किसानों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए और खेतिहर मजदूरों को राहत भत्ता बेरोजगारी की स्थिति में देना चाहिए। मेरी मांग है कि किसानों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया कराया जाये। आज किसान रामलीला मैदान में आये हुए हैं। सरकार को उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। "कौन बनाता हिन्दुस्तान, भारत का मजदूर किसान" देश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। देश की कृषि क्षेत्र में जीडीपी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सरकार देश के किसानों और कृषि की समस्याओं की ओर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस मामले को अच्छे ढंग से उठाया है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, जैसा डा. जटिया ने बताया कि देश के कोने–कोने से लाखों किसान यहां आये हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का दौर बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्या की हैं लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज ही प्रश्नकाल में माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार गेहूं का आयात कर रही है जो हमें 1400 रुपए क्विंटल के भाव पड़ेगा और यदि किसानों को 850–900–1000 रुपए गेहूं का भाव मिलेगा तो यह सौगात है। इसके अलावा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि साढ़े चार हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया देना है। इसके अलावा यदि किसानों की बैंकों से दो किश्तें छूट जायें तो उन्हें जेल जाना पड़ता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : आज सरकार कॉरपोरेट फॉर्मिंग की ओर ध्यान दे रही है। सरकार ने कहा था कि कृषि विकास दर 4 प्रतिशत पर ले आयेंगे लेकिन आज की तारीख से वह 1.2 प्रतिशत है। आज कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि देश में 82 प्रतिशत किसान ढाई एकड़ से कम जमीन वाले हैं। लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि सारे किसान खत्म कर देने हैं और देश में कॉरपोरेट फॉर्मिंग के माध्यम से केवल 4 से 6 प्रतिशत लोगों को जमने का अवसर दे रही है। सरकार ने किसानों को पैकेज देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के केवल 31 जिले तय किये हैं *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : अध्यक्ष जी, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके आप लोग सहयोग कीजिए। अगर आपने नोटिस दिया है, लेकिन आप नोटिस क्या देते हैं, फिर बोलते क्या हैं? हमने आपका नोटिस एडमिट किया है लेकिन क्या हम वहां से बोलेंगे?

श्री संतोष गंगवार : किसानों को पैकेज देने के लिए देश के केवल 31 जिले तय किये गये हैं जबकि देश में ऐसे जिलों की संख्या 167 है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपनी सभी बातें एक साथ न कहें।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : क्या देश के 31 जिलों के किसान गरीब हैं, बाकी जिलों की सरकार को चिन्ता नहीं है? मेरा अनुरोध है कि देश में जो किसान हैं, उनकी खेती पर लोग निर्भर हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कई और मामलों पर भी चर्चा होनी है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : क्या सरकार की यह कोशिश है कि देश से किसान खत्म हो जाएं? आज लाखों की संख्या में किसान यहां आए हुए हैं। सरकार इस विषय को तय करे कि हमारी कृषि नीति क्या होगी और वे किस हिसाब से गांव में आगे बढ़ सकेंगे?

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, डा. सत्यनारायण जटिया और श्री संतोष गंगवार द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर मैं अपने दल की ओर से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर बोफोर्स कांड का मुख्य अभियुक्त क्वात्रोची आजाद होकर चला गया। यह सरकार के भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण है। हजारों शहीदों ने लोकतंत्र के लिए इसलिए बलिदान नहीं दिया था, इसलिए फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े थे कि कोई आदमी देश को लूटकर यहां से चला जाए और सरकार उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो। ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : क्वात्रोची का शहीदों के बलिदान से क्या मतलब है? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जिस तरह से क्वात्रोची प्रमुख अभियुक्त था, पहले उसको देश से भागने दिया गया और फिर उसके बाद वहां पर उसके खाते खुलवाए गए। 34 करोड़ रुपए उसने खातों से निकाल लिया और उसके बाद अर्जेन्टीना की सुप्रीम कोर्ट में जब केस दाखिल करना था, हमारा वकील वहां पर इंतजार करता रहा और समाचार-पत्रों में आया कि यहां पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि केस को वापस ले लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, केस को वापस लेना और केवल इसलिए कि ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। आंशिक संदर्भ न दें। उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यूपीए की सरकार, सीबीआई और ...*(व्यवधान)** हम उसे कंडैम करना चाहते हैं और जिस तरीके से यह किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, क्वात्रोची का बचना, यूपीए सरकार और सीबीआई की मिलीभगत से संभव हुआ। प्रधान मंत्री कटघरे में हैं। प्रधान मंत्री ने उसको बचाने की कोशिश की, हमारे लॉ मिनिस्टर ने उसके लिए कोशिश की और इन्होंने मिलकर उसको बचाया। इसके खिलाफ हम जोरदार विरोध करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : जब आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री महताब, आप केवल संबद्ध रहें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इतालवी भगोड़े और बोफोर्स मामले में मुख्य आरोपी श्री ओटारियो क्वात्रोची ने सीबीआई को पुनः चकमा दे दिया है। अर्जेन्टीना में उसके प्रत्यर्पण के अभिवचन पर उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई न होने पर वह छूट गया है। मेरा सरकार से प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे अपील पर कार्रवाई नहीं करेंगे? अर्जेन्टीना विदेशी मामले संबंधी कार्यालय का उच्चतम न्यायालय की अपील को वापस लेने के लिए कहा गया। और इस प्रकार प्रत्यर्पण संबंधी मामला विगत सप्ताह

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में ही समाप्त हो गया था। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, कोई नहीं जानता। सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसलिए आज मेरा प्रश्न यह है कि : क्या भारत सरकार श्री क्वात्रोची के खिलाफ जांच को आगे जारी रखना चाहती है? क्या क्वात्रोची के खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस (आर सी एन) अभी भी वैध है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री महताब, यह वाद–विवाद का विषय नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब : यह राष्ट्र के समक्ष प्रश्न है। क्या यह सही है कि जब भगोड़ा वास्तव में अर्जेन्टीना छोड़ कर चला गया तब भारतीय दूतावास ने मंगलवार देर रात को आधिकारिक रूप से नई दिल्ली को सूचना दी थी? सीबीआई द्वारा श्री क्वात्रोची को अर्जेन्टीना में रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई जबकि वह अपना पासपोर्ट लौटाने के बाद चार दिन तक वहां रहा था? क्या सीबीआई को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या यह सही है कि भारत सरकार श्री क्वात्रोची के खिलाफ अपना मुकदमा इसलिए हारी क्योंकि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के फरवरी, 2004 और मई, 2005 के निर्णय जिसके फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों और कुछ अन्य आरोपियों के विरुद्ध हो रही कार्यवाही अभिखंडित कर दी गई थी, के पश्चात् उसके विरुद्ध तत्काल कोई 'नया गिरफ्तारी वारंट' जारी नहीं करा सकी?

क्या यह सही है कि एल डोरेडो न्यायालय द्वारा इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस, जो बिना किसी वैध गिरफ्तारी वारंट के लागू है, के अंतर्गत श्री क्वात्रोची को रोके रखने पर प्रश्नचिह्न लगाया गया। क्या एल डोरेडो न्यायालय ने यह पाया है कि दिल्ली के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने श्री क्वात्रोची के खिलाफ 24 फरवरी को नया गिरफ्तारी वारंट जारी करते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है?

क्या यह सब श्री क्वात्रोची के विरुद्ध मामले पर आगे कार्यवाही करने के संबंध में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया केरल मामले का उल्लेख करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : यह देश पिछले 22 वर्षों से बोफोर्स घोटाले के मुद्दे पर आन्दोलन कर रहा है। इस अवधि में हमने कई उतार–चढ़ाव देखे हैं और मैं उन सब बातों को पुनः नहीं दोहराना चाहता हूं। बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी गई है और उसे 34 करोड़ रुपए की कुल प्रतिफल राशि को ले जाने दिया गया।

अब, देश इस समाचार से अचंभित है कि बोफोर्स आरोपी, श्री क्वात्रोची अर्जेन्टीना से आजाद हो चुके हैं और सीबीआई भारत में प्रत्यपर्ण न करने संबंधी उस देश के निचले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने में असफल रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है – जब पूरा देश पिछले 22 वर्षों से एक ही मुद्दे पर आन्दोलन कर रहा है, एक विशेष राजनैतिक दल चाहे वह विपक्ष अथवा सत्ता में रहा है वह दल क्वात्रोची को आजाद कराने और मामले को कमजोर बनाने में सहायक रहा। यह संदेह बना रहा कि सीबीआई इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में दबाव में है। यदि सीबीआई दबाव में है तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? मैं यह जानना चाहता हू कि देश के हित का क्या होगा? अब वह मामले से दूर है और इटली चला गया है। अब उसे देश में वापस लाना संभव नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले का हश्र क्या होगा। इस मामले की अनदेखी क्यों की जा रही है? उनका उत्तर क्या है? वे इस मामले का अर्जेन्टीना के उच्चतम न्यायालय में गंभीरता से क्यों नहीं उठा रहे हैं? सरकार द्वारा सी.बी.आई. को ऐसी राय क्यों दी गई। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसने सीबीआई को मामले की गंभीरता से नहीं लेने की सलाह दी। इसीलिए बैंक खाते पर लगी रोक को हटाने की अनुमति दी गई। अब मामला खत्म हो गया है और हमें न्याय नहीं मिलेगा। देश के निवासियों को 22 वर्षों का विद्रोह व्यर्थ हो गया है। उन्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला 22 वर्ष पुराना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 22 साल का इतिहास अब न बोलें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को लेकर देश में सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है और इतना प्रमाणित भी हो चुका है कि इस देश का पैसा इटली के भगौड़ा ने दलाली के रूप में लिया है। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : भगौड़ा का मतलब क्या है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसका मतलब फरारी है, यह शुद्ध भोजपुरी है। हिन्दी में भी इस शब्द को मिला–जुला कर बोला जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ दो–तीन बिन्दु उठाना चाहते हैं कि इतनी जानकारी के बाद, सीबीआई भारत की बहुत मजबूत जांच एजेंसी मानी जाती है, लेकिन जांच एजेंसी इतनी मजबूत रहने के बाद भी उसे यहां से भागने का मौका मिला। वह जब गिरफ्तार हुआ तो उसे जमानत भी मिल गई, जमानत में भी जब तक किसी बड़े पद पर बैठे हुए लोगों का संरक्षण नहीं होता, तब तक सीबीआई चुप्पी नहीं साधती। इसलिए कहीं न कहीं से संरक्षण था और संरक्षण के बाद उसे जमानत मिली। उसे पैसा निकालने का भी मौका दे दिया गया और उसे फिर पुनः इटली भागने का मौका दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ एक बात का निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है, मुंशी जी, आपकी अगर नीयत साफ

है तो सीबीआई पर से दबाव समाप्त होना चाहिए और उन्हें यह अधिकार देना चाहिए कि सीबीआई फिर से उसे गिरफ्तार करके भारत में ले आए ताकि यहां की अदालत में मामला चला कर उसे उचित दंड दिया जा सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह बेचारे हैं, वह क्या करेंगे। वह सरकार के मंत्री हैं, बेचारे नहीं हैं और हमें लगता है कि लोग दबाव बनाते होंगे, वे मंत्री हैं। अगर थोड़ी भी आत्मा जगेगी तो दबाव बनाने वालों का वे विरोध करेंगे और उसे गिरफ्तार करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मुझे उन माननीय सदस्यों को बुलाने दें जिन्होंने नोटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसके साथ संबद्ध हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, आप इससे सम्बद्ध हो सकेंगे।

[हिन्दी]

खारवेल जी, आप तो जानते हैं, इसे डेलीकेट बना दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : इस सरकार ने श्री ओटावियो क्वात्रोची को अर्जेन्टीना छोड़कर इटली जाने की अनुमति देकर देश को शर्मसार कर दिया है।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, इससे पुनः यह सिद्ध होता है कि यह सरकार उस अपराधी से मिली हुई है जिसने इस देश को करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। कुछ समय पहले, अचानक भारत सरकार ने लन्दन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर इस अपराधी के खाते को पुनः चालू करने की अनुमति दे दी थी। उसने अपने खाते में इस देश से गबन की हुई समस्त धनराशि निकाल ली। अब इस सरकार ने निचले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अर्जेन्टीना के उच्चतम न्यायालय के समक्ष जानबूझकर अपील नहीं की है। इसलिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि इस सरकार ने अपील क्यों नहीं की? सरकार ने इस व्यक्ति को अर्जेन्टीना से इटली जाने की अनुमति क्यों दी? उसे गिरफ्तार करने के लिए यह सरकार क्या कदम उठा रही है? प्रधान मंत्री जी स्वयं इस सभा में आकर वक्तव्य दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है। मैं इसे वाद–विवाद नहीं बना सकता। आप इससे सम्बद्ध हों मैं आपको अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, नोटिस तो नहीं दिया है, लेकिन एक मिनट में हम अपनी बात कहना चाहते हैं। भारत सरकार कह चुकी है कि वह भगोड़ा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए, मैं अनुमति नहीं दे सकता। आप इससे सम्बद्ध हो सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं चलता है। जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए, उन सभी को मैंने एक ही सब्जैक्ट पर बोलने का मौका दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। क्षमा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम, आप दल के उपनेता हैं। कृपया इन्हें शांत करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर कहा क्या जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, ओतावियो क्वात्रोची के मामले में जिस प्रकार से भारत सरकार ने काम किया है, उन्हें देश से बाहर जाने दिया गया *...(व्यवधान)* उसके कारण हम इस सदन से वॉक आउट करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सचिन पायलट (दौसा) : प्रोफेसर साहब, मेरी बात सुनकर जाना। *...(व्यवधान)* मल्होत्रा जी, मेरी बात सुनकर जाना। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.06 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे मेरे पास लाएं। मैं इसे स्वयं देखूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री सचिन पायलट की बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, आज से पांच दिन पूर्व भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूर्ण किए, लेकिन 60 साल के स्वतंत्र भारत में आज भी जो हालत है, उनका जिक्र मैं आपके माध्यम से सदन में करना चाहता हूं।

महोदय, आप जानते हैं, सदन जानता है और पूरा देश जानता है कि 29 मई, 2007 को गूजर समाज के लोग अपने आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। 29 तारीख से लेकर लगातार तीन दिनों तक राजस्थान सरकार ने छः बार गोलियां चलाईं, जिससे 24 लोगों की मौत हुई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया राज्य से संबंधित मामले का उल्लेख न करें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने से मना कर दीजिए। सर, मैं तथ्य आपके माध्यम से सदन के ध्यान में ला रहा हूं। मेरा निवेदन है कि इस देश में कहीं पर भी, चाहे फिर वह नन्दीग्राम की घटना हो या खम्मम की, जहां भी पुलिस फायरिंग होती है, लोगों की मौत होती है, उसकी इन्क्वायरी होती है, जुडीशियल इन्क्वायरी होती है। पूरे देश में ऐसा होता है, लेकिन *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो नोटिस दिया है उसके अनुसार सोश्यो–इकनौमिक कंडीशंस की स्टडी करने के लिए

[अनुवाद]

'केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता', कहा है, उस पर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बूंदी जिले में पहली मंजिल पर चढ़कर पुलिस ने तीन लोगों को मंदिर के अंदर गोली मारी है। यदि राजस्थान सरकार 24 लोगों की जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं करती है, तो मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उसे एक टीम भेजनी चाहिए। राजस्थान में हुई घटना की सच्चाई को वह सामने लेकर आए और जो हालात उत्पन्न हुए हैं, जिन लोगों ने यह काम किया है, उनको दण्ड दिया जाए।

महोदय, आपने दो रेलवे स्टेशन के लिए आधा घण्टा दे दिया, मैं तो जो 25 लोग मरे हैं, उनका जिक्र करना चाहता हूं।

महोदय, जूडिशियल इन्क्वायरी हर जगह होती है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना उस विषय के बारे में नहीं है; यह सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के बारे में है। आपने बड़ी युक्तिपूर्वक यह सूचना दी है – "सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के लिए केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता।" कृपया उसका उल्लेख करें।

श्री सचिन पायलट : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे विद्वान साथी श्री गुरूदास दासगुप्त ने,

[हिन्दी]

जब होण्डा फैक्ट्री पर लॉठी चली थी तो पूरे सदन ने हंगामा कर दिया था, लेकिन वहां 25 लोग मारे गए हैं, लेकिन यहां से एक आवाज नहीं उठती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा सदन मेरा साथ दे और राजस्थान में जो अत्याचार हुए हैं। इतिहास में पहली बार 25 लोगों को

गोली मारी गई है। वहां सेन्ट्रल टीम जानी चाहिए और जिन लोगों ने गलती की है, उनको सामने आना चाहिए। एक नहीं तीन दिन तक गोलियां चली हैं। यहां से सामने वाले चले गए हैं, लेकिन इस सरकार के हाथ उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं और हमें इंसाफ चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैं यहां पर किसी राज्य सम्बन्धी मामले को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आपने समुदाय की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता के बारे में सूचना दी है।

श्री सचिन पायलट : समुदाय ने इसकी मांग की है। मैं केन्द्र सरकार से इस मुद्दे की जांच करने के लिए दल भेजने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को रखना चाहता हूं। हमारा सर्वे उज रिवर हाइडल इलैक्ट्रीक प्रोजेक्ट से 280 मेगावाट और इसमें 50 हजार मेगावाट का हाइडल इलैक्ट्रीक प्रोजेक्ट को उसमें रखने की बात कही थी। इस प्रोजेक्ट के लिए बार-बार डिस्कशन हुआ है, हमने सरकार को लिखकर भी दिया। यहां से इसकी डीपीआर करवायी जानी थी। लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार के पास उतने इंतजामात नहीं है कि वह डीपीआर करवा सके। इसे भारत सरकार ही करवा सकती है। यह 80 साल पुराना मसला है। इसके कारण वहां के हालात खराब होते जा रहे हैं। यह ट्रिब्यूटरी उज-रावी रिवर की है। यह इंडस ट्रीटी में नहीं आती है, इसलिए इसके पानी का इस्तेमाल कम्प्रीहेंसिवली किया जाता है। इसके इरीगेशन से 14 हजार एकड़ जमीन को पानी मिलना है। इससे 280 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। जम्मू-कश्मीर में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, जिससे इरीगेशन किया जा सके क्योंकि वे सभी इंडस ट्रीटी के अंडर आते हैं। मेरी सबमीशन है कि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे क्योंकि इससे किसानों को फायदा होना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका उल्लेख किया है।

अपराह्न 1.08 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

अल्पसंख्यकों संबंधी न्यायमूर्ति सच्चर समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब के बारे में

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, सरकार को जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को प्रस्तुत किए हुए अब तीन माह से अधिक समय बीत गया है। इसे करीब नवम्बर, 2006 में प्रस्तुत किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने चर्चा की अनुमति दी है, परन्तु यह समय की कमी के कारण लम्बित है।

श्री रूपचंद पाल : सरकार ने अभी तक की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। फिर भी सरकार इसे दबाकर बैठी है। यद्यपि वह रिपोर्ट सभा के पास मौजूद है, तथापि की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण भी इसे दबाए बैठे हैं।

श्री रूपचंद पाल : हमने इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कराने की मांग की है और साथ ही सभा, यह मांग करती है कि सरकार की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, श्री बेल्लारमिन और श्री सलीम आप सभी उनके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता – उत्तर पूर्व) : महोदय, यह इस देश के मुसलमानों को न्याय दिए जाने का मामला है।

श्री रूपचंद पाल : जस्टिस सच्चर ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है परन्तु पिछले सत्र में इस पर चर्चा नहीं की जा सकी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, जिन सदस्यों ने इस मामले को उठाया है उन्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि जब जांच आयोग की रिपोर्ट आती है तो उस पर 'की गई कार्रवाई' प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। सच्चर कमेटी जांच आयोग नहीं थी। यह एक शैक्षणिक अध्ययन रिपोर्ट थी जिसे सं. प्र.ग. सरकार द्वारा बनाया गया था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर सम्बद्ध क्षेत्रों के मंत्रिमंडल द्वारा उचित ध्यान दिया गया है ...*(व्यवधान)* जब इस मुद्दे पर वाद-विवाद प्रारम्भ होगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दे दी है और यह लम्बित है।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

हमने अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। और हम 1857 के विद्रोह की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। महोदय, स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी स्वतंत्रता के लिए अनेक क्षेत्रीय संघर्ष भी हुए। पुन्नाप्रा व्यालार संघर्ष के उनमें से एक था। हालांकि राज्य सरकार द्वारा पुन्नाप्रा व्यालार संघर्ष जीवित बचे व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी जा रही है, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना गया है। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में न तो पेंशन मिल रही है और न ही कोई अन्य सम्मान। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दिशानिर्देश राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों से भिन्न है। हालांकि उन्हें राज्य सरकार से पेंशन और अन्य सहायता मिल रही है, परन्तु उन्हें केन्द्र सरकार ने मान्यता नहीं दी है।

इस मामले में, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन सेनानियों को राज्य सरकार से पेंशन मिल रही है, वह उन्हें सैनिक सम्मान पेंशन देने पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। इस मामले पर श्री करूणाकरन डा. मनोज के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : महोदय, यह केवल पुन्नाप्रा व्यालर संघर्ष का ही मामला नहीं है बल्कि राज्य के विभिन्न भागों में अन्य अनेक स्वतंत्रता संघर्ष हुए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होगा।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। पहले भी जब–जब कोई देश का नौजवान विदेशों की जेलों में बन्द होता था तो मैंने बहुत से मुद्दे उठाए हैं और मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि सरकार ने उस ओर ध्यान दिया है। आज बिना किसी कारण 12 पंजाब के लोग, जिनमें से ज्यादातर मेरी कांस्टीट्यूएंसी के लोग हैं, वे श्रीलंका की जेलों में बंद हैं। उनको जो माफिया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनकी रिहाई की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।

[हिन्दी]

आपने अच्छा मैटर दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना : मैं यही चाहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाये। उनके ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है, जिसके कारण उनको जेल में रखा जाये। मैं आशा करता हूं कि सरकार श्रीलंका के साथ यह मैटर लेकर उनको रिहा कराने का काम करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह सभा आपकी बात का समर्थन करती है।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, हम सभी मैड काउ, खुरपका और मुंहपका, एवियन फलू इत्यादि नामक बीमारियों से परिचित हैं। परन्तु गिलटी–रोग के बारे में हम लोग कम ही जानते हैं। तथापि, यह बहुत गंभीर रोग है। हम जो मांस खाते हैं उसे किसी निवारक उपाय द्वारा विभिन्न वायरसों से संरक्षित नहीं किया जाता है जिस कारण हमारे देश के लोगों में यह बीमारी गंभीर रूप से फैल सकती है।

गिलटी रोग का उद्भव गाय की प्रजातियों से हुआ है। यह रोग इस प्रकार फैला है कि सर्वप्रथम मवेशी संक्रमित होते हैं और इन संक्रमित मवेशियों का मांस खाने से मनुष्य भी संक्रमित हो जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में गिलटी रोग की घटनाएं प्रायः देखने में आ रही है परन्तु इस बढ़ती हुई समस्य से निपटने के लिए पशुचिकित्सक और चिकित्सा अवसंरचना नाकाफी है। बहुत से लोगों के मरने की खबरें मिली हैं। इन गरीब और असुरक्षित लोगों को संक्रमित मांस का भक्षण करने के दुष्परिणामों की कोई जानकारी नहीं है और अतएव संक्रमित मांस खाने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। इस जिले के गरीब और असुरक्षित लोगों द्वारा खाए जा रहे मांस की गुणवत्ता के बारे में खाद्य विभाग भी अनभिज्ञ है।

मैं सरकार से मांग करता हू कि वह पश्चिम बंगाल की सरकार से परामर्श करके पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में गिलटी रोग को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत ही कारगर उपाय करे।

1.15 बजे

सरकारी विधेयक पुरःस्थापित

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग–दो खंड 2 दिनांक 20.06.07 में प्रकाशित।

और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 1.15½ बजे

(दो) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) संशोधन विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद संख्या 15 पर चर्चा करेगी।

डा. अंबुमणि रामदास।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड 2 दिनांक 20.08.07 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.18 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.18 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं)*

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब सभा नियम 377 के अधीन मामले – मद सं. 16 पर चर्चा करेगी।

श्री डी. नरबुला – उपस्थित नहीं।

श्री जे. एम. आरून रशीद – उपस्थित नहीं।

(एक) तमिलनाडु के महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपाल नायकर के सम्मान में विरूपाक्षी में एक स्मारक बनाये जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेन्थन (पलानी) : ब्रिटेन की एक व्यापारी कम्पनी लन्दन से जो व्यापार करने के लिए आई, उसने राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर, वर्ष 1750 में दक्षिण भारत के स्थानीय शासकों से कर वसूली करना प्रारम्भ कर दिया। पूली थेवार प्रथम शासक थे जिन्होंने वर्ष 1755 में ब्रिटिशों को कर देने से मना कर उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ा। अनेक नेताओं, जैसे मुथुवाडुंगनाथ थेवार (1772), श्रीमती वेलु नचियार (1772), मुथुरमलिंगा सेथुपथि (1795), वीरपण्डैया कट्टाबोम्मन (1799), विरूपाक्षी गोपाल नायकर (1800), ऊमाथुरई (1801), और मरथुपण्डियार (1801) ने ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसके पश्चात् केवल 1806 में वेल्लोर विद्रोह क्रांति और वर्ष 1857 में उत्तर भारत में सिपाही विद्रोह हुआ। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विरूपाक्षी गोपाल नायकर के बारे में यहां पर कुछ कहना चाहता हूं। श्री गोपाल नायरकर ने वर्ष 1800 के दौरान विरूपाक्षी जमीन पर शासन किया।

वीरापण्डैया कोट्टाबोम्मन को 24.09.1799 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 17.10.1799 को फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु के उपरान्त, उनके भाई ऊमाथुरई 40,000 नौजवानों को एकत्र कर डिण्डीगुल घाटी जा पहुंचे और वहां उन्होंने विरुपाक्षी गोपाल नायकर की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। गोपाल नायरकर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिनांक 29.4.1800 को पलानी हिल्स में एक बैठक आयोजित की और अंग्रेजों के कोयम्बटूर फोर्ट पर 3.6.1800 को आक्रमण करने की योजना बनाई। इसे पलानी षड्यंत्र का नाम दिया गया। महाराष्ट्र जैसे दूरस्थ स्थानों से क्रांतिकारी उपर्युक्त बैठक में भाग

लेने के लिए 28.4.1800 को विरुपाक्षी जा पहुंचे। हालांकि उनके प्रयास को विफल कर दिया गया, परन्तु गोपाल नायकर और स्थानीय भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया यह पहला संग्राम था। तदुपरान्त, क्रांतिकारी पलानी के जंगलों में छिप गए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। काफी संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने 16.10.1881 को विरुपाक्षी जमीन पर कब्जा कर लिया और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। श्री गोपाल नायकर सहित मुख्य नेताओं को दिनांक 24.10.1801 को फांसी दे दी गई और शेष 73 क्रांतिकारियों को दिनांक 11.2.1982 को निर्वासित कर दिया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी, धीरन चिन्नामलाय भी श्री गोपाल नायकर के क्रांतिकारी गुट में सम्मिलित हो गए और पलानी हिल्स में रहे। श्री गोपाल नायकर का पुराना किला और अन्य स्मारकों के अवशेष अब भी डिण्डीगुल जिले के पलानी क्षेत्र में मौजूद हैं।

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपने पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विरूपाक्षी नामक स्थान पर महान योद्धा श्री गोपाल नायकर के सम्मान में स्मारक बनाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदया : श्री हरिसिंह चावड़ा – उपस्थित नहीं; श्री अवतार सिंह भडाना – उपस्थित नहीं; डा. करण सिंह यादव – उपस्थित नहीं; डा. सत्यनारायण जटिया – उपस्थित नहीं; श्री दुष्यंत सिंह – उपस्थित नहीं; श्री योगी आदित्यनाथ – उपस्थित नहीं; श्री सैयद शाहनवाज हुसैन – उपस्थित नहीं।

श्री थावरचन्द गेहलोत।

(दो) मध्य प्रदेश में ग्वालियर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को चार लेन वाला बनाए जाने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदया, मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–3 (आगरा–मुम्बई) को ग्वालियर से देवास तक चार लेन के रूप में बनाने की शीघ्र आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी है। साथ ही, इसी मार्ग पर शाजापुर शहर के लिए बाईपास रोड निर्माण तथा शाजापुर–मक्सी के मध्य लखुन्दर नदी आदि स्थानों पर बड़े पुल निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। इसकी स्वीकृति हेतु मामला सरकार के पास पिछले आठ–दस वर्षों से चल रहा है। उपरोक्त आशय के कार्य नहीं होने के कारण आये दिन गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे भारी जनहानि और धनहानि हो रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु उपरोक्त कार्यों को करने हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदया, मैं भी इसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

(तीन) तेल्लीचेरी और मैसूर के बीच रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : रेल बजट 2007–08 प्रस्तुत करते समय, रेल मंत्री द्वारा तेल्लीचेरी–मैसूर रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने की घोषणा की थी। परन्तु सर्वेक्षण कार्य कराने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मालावार केरल राज्य का महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है इसलिए तेल्लीचारी से मैसूर तक के मार्ग को रेल से जोड़ना अत्यावश्यक है। काफी संख्या में विद्यार्थी, व्यापारी और दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी इस क्षेत्र से प्रतिदिन मैसूर तक की नियमित रूप से यात्रा करते हैं। तेल्लीचेरी मत्स्य बन्दरगाह, कन्नूर विमानपत्तन और नौसेना अकादमी का कार्य–व्यापार रेल के विकास पर निर्भर है।

अतः मैं रेल मंत्री से इस रेल सम्पर्क के लिए निर्माण कार्य को आरम्भ करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करता हूं।

(चार) तमिलनाडु के गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेलारमिन (नागरकोइल) : तमिलनाडु में वर्तमान गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के रूप में की गई थी। लेकिन भारत के राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के इतिहास में इसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यह मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिससे विदेशी शासन की आवश्यकताओं के अनुसार क्लर्क और एकाउंटेंट ही तैयार किए जा सकते थे, को अलविदा कहने की ओर पहला कदम था। इसने गांधी, टैगोर और विश्व के अन्य देशों के शिक्षा और मानव विकास के क्षेत्र में इसी प्रकार के शिक्षादाताओं, विद्वानों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयोगों के माध्यम से तैयार व्यवहार आधारित, जीवनोन्मुख और गुणवत्ता–आधारित शैक्षिक ढांचे को अपनाया। सरकार के ध्यान में यह लाना उपयुक्त है कि डा. राधाकृष्णन की ग्रामीण विश्वविद्यालय संबंधी रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण देश में स्थापित चौदह विश्वविद्यालयों में से केवल यही एक विश्वविद्यालय आज भी कार्य कर रहा है।

आज, इस बदलते हुए परिदृश्य, जो कि ग्रामीण भारत के लोगों के सशक्तीकरण और प्रबोधन की गारंटी देता है, में इस ग्रामीण विश्वविद्यालय का संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया

है। जहां अन्य राज्यों में विभिन्न भागों और प्रकारों का कोई–न–कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, तमिलनाडु में कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। अतः तमिलनाडु स्थित गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए। यदि इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाता है तो यह सरकार को मॉडल और परियोजनाएं तैयार करने, पंचायती राज, गरीबी उपशमन संबंधी विश्व बैंक परियोजनाओं, राष्ट्रीय सम विकास योजना, एनआरइजीएस को सक्रिय बनाने में सहयोग करने हेतु ज्ञान के केन्द्र का निर्माण करने में सहायता करेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान में गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय के पास वर्तमान यू एन (यू एन डी पी – यूनेस्को, यूनिसेफ) विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और कार्क (सीएआरसी), फोर्ड (एफ ओ आर डी) फाउंडेशन जैसी विश्व की कुछ अन्य संस्थाओं से संबंधित परियोजना है। वास्तव में गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय को इसके स्वर्ण जयंती वर्ष में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना इसके लिए सर्दोपयुक्त उपहार होगा।

(पांच) देश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जून, 2007 में एक संस्था यूनेस्को के हवाले से कहा गया था कि भारत प्राथमिक शिक्षा मे सिर्फ युगांडा से ही बेहतर है। इसके कई कारण गिनाए गए थे जिनमें से प्रमुख है कि 25 फीसदी शिक्षक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने विद्यालय आते ही नहीं, वे घर बैठे निर्धारित पूरी तनख्वाह कागजी कार्यवाही पूरी कर ले लेते हैं।

इससे बड़ी विडम्बना कोई और नहीं हो सकती है कि एक ओर तो हम अगले दस वर्षों में महाशक्ति बनने का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर देश की बुनियाद को मजबूत बनाने वाली प्राइमरी शिक्षा की बदहाली पर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उक्त रिपोर्ट में शिक्षकों की गैर हाजिरी के लिए जो कारण गिनाए गए हैं, वे कोई नए नहीं हैं। बात चाहे कम वेतन की हो या प्रोत्साहन के अभाव की या फिर निगरानी की लचर प्रणाली की, ये सभी कारण सर्वविदित हैं और वर्षों से यूं ही बरकरार हैं। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को सबल बनाने का यह ढुलमुल रवैया भारत को किस प्रकार अगले दस वर्षों में महाशक्ति के रूप में परिलक्षित कर पाएगा, यह देशहित में कतई नहीं है।

मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि सरकार प्राइमरी शिक्षा के कार्य में व्याप्त कठिनाइयों को दूर करे और हर गरीब व्यक्ति को शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

सभापति महोदया : श्री राम कृपाल यादव – उपस्थित नहीं।

(छह) गन्ना उत्पादकों की सहायतार्थ एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरुपत्तूर) : चाहे अत्यधिक वर्षा हो अथवा बिल्कुल भी वर्षा न हो – दोनों परिस्थितियां ही हमारा जीवन प्रभावित कर सकती हैं। जो किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं, उनकी जीवन दशाएं स्थिर नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों में सरकार को किसानों की सहायता के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सकें। गन्ना एक नकदी फसल है और किसान इस जोखिमपूर्ण खेती को करने को बाध्य होते हैं ताकि वे पूर्व में हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। इस वर्ष हमने देश के कई हिस्सों में देखा है कि किसान गन्ने की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। पहले के वर्षों में किसानों को सूखा जैसी दशाओं से काफी निराशा झेलनी पड़ती थी क्योंकि इससे गन्ने की खेती काफी प्रभावित होती थी। यदि गन्ने का उत्पादन बढ़ता है तो उचित पंजीकरण, प्रापण और समय पर पेराई न होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाई होगी। अतः, एकसमान पेराई पद्धति और निर्धारित लाभकारी मूल्य न होने के कारण इस वर्ष कई स्थानों पर गन्ना उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। तिरुवन्नामलाई वेलौर और तिरुपत्तूर जिला, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में इस वर्ष गन्ना उत्पादकों के यहां काफी अच्छी पैदावार हुई है लेकिन उन्हें फिर भी समय पर अधिप्राप्ति और लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वे किंकर्तव्यविमूढ़ से हो गए हैं। चूंकि गन्ने की खेती और चीनी का उत्पादन एक राज्य विशेष तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये अक्सर अंतर–राज्यीय कृषि उत्पादन गतिविधियां हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह गन्ना उत्पादन में बढ़ोत्तरी और गन्ना उत्पादकों को एकसमान लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करे। तमिलनाडु में, लगातार कई वर्षों तक सूखे से नुकसान उठाने वाले किसानों के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलइग्नार करूणानिधि से बहुत बड़ी सहायता मिली उन्होंने उनका सहकारी ऋण माफ कर दिया। लेकिन इस वर्ष गन्ना बाजार में असंभावित दशाओं से उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए यह राहत भी समाप्त कर दी गई।

अतः मैं केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से आग्रह करता हू कि उन असहाय किसानों की सहायता करे जिन्हें गन्ने की अत्यधिक पैदावार और कुछ अन्य स्थानो पर सूखा प्रवण स्थितियों से काफी नुकसान हुआ है।

---

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(सात) उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर के अनुरक्षण और संरक्षण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान हमारे स्मारकों की जीर्ण–शीर्ण हालत की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। देशभर में कई स्मारकों की बहुत बुरी दशा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत करने से पहले उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त रखी है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना जाए।

महोदय, देश में कई ऐतिहासिक स्मारकों की संरक्षा किए जाने संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शिव मंदिर उन प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है जिनकी संरक्षा हेतु केन्द्र सरकार को तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शिव मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश की मरम्मत, रख–रखाव और संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएं।

सभापति महोदया : श्री एम. शिवन्ना – उपस्थित नहीं।

श्री रामदास आठवले – उपस्थित नहीं।

श्री हरिसिंह चावड़ा।

(आठ) उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों मे जल भराव रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : उत्तर गुजरात में हाल ही में केन्द्र सरकार ने पालनपुर दिशा, मिलडी, सिहोरी, थरा, राधनपुर, सातलपुर में जो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया था, वह वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया गया और पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिसके कारण अभी हाल में जो बारिश आई थी, उसका पानी एक ही जगह इकट्ठा हो गया और पानी लोगों के घर पर चला गया। गरीब किसानों की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई और पानी के रुक जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग भी तहस नहस हो गया।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पानी के बहाव के लिए नाले और नालियां भी बनाई जाएं, जिससे पानी एक जगह रुक नहीं सके।

अपराह्न 2.32 बजे

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब सभा मद 17 और 18 पर एक साथ विचार करेगी। श्री रामजीलाल सुमन सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि यह सभा 21 जून, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, (2007 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में आगे और संशोधन के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, विनियमन और पर्यवेक्षण के मुद्दे पर चर्चा के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति अर्थात् नरसिम्हन समिति II ने पाया कि यह पर्यवेक्षण के लागू सिद्धांतों के विनियामक (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक अंतरिम अवधि में भी) बैंक का स्वामी रहेगा, के अनुरुप नहीं है। इसके लिए भा.रि.बै. को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपनी जमा पूंजी को निकाल लेना होगा। समिति का मत था कि वस्तुतः भा.रि.बै. उन संस्थाओं का स्वामी नहीं होना चाहिए, जिनको यह विनियमित करता है। आरबीआई द्वारा "हारमोनाइजिंग दी रोल एंड आपरेशन्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्शन्स एंड बैंक्स (जनवरी 1999)" के संबंध में तैयार किए गए चर्चा–पत्र में इसने सुझाव दिया है कि भा.रि.बै. को इसके विनियामक और पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाने के लिए, भा.रि.बै. को वाणिज्यिक बैंकिंग और वित्त विकास क्षेत्रों के पुनःनिधीयन – दोनों में स्वामित्व नहीं बनाए रखना चाहिए। वित्तपोषक संस्थाओं के स्वामित्व को सैद्धांतिक रूप से सरकार को अंतरित करके भा.रि.बै. से अलग किया जा सकता है।

महोदया, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक में अपने शेयरों को केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करने के लिए इन सिफारिशों को

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

स्वीकार किया। वर्ष 2001–2002 की अपनी मौद्रिक और ऋण नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के स्वामित्व के हस्तांतरण की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। 10 अक्टूबर, 2005 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के विनिवेश के लिए अपेक्षित विधायी परिवर्तनों को प्रस्तुत किया था। 10 फरवरी, 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयरों के हस्तांतरण के प्रस्ताव के वित्तीय विकल्पाओं के बारे में सूचित किया। 1 मार्च, 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक में अपनी शेयर धारिता के हस्तांतरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रारूप विधान भेजा। फरवरी, 2007 में भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयर धारिता के स्वामित्व को केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया। इस संव्यहार्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में धारित सम्पूर्ण इक्विटी का हस्तांतरण शामिल है जो 31,43,39,200 शेयर है और कुल इक्विटी शेयर का 59.73 प्रतिशत है। वर्तमान वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट मुहैया कराया गया है।

महोदया, इससे काफी बड़ी राशि के लेन–देन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि यह संव्यवहार्य भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी की तिथि अर्थात् 30 जून, 2007 से पहले पूरा कर लिया जाए। अतः, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में अपेक्षित संशोधन अविलम्ब किया जाना आवश्यक हो गया।

चूंकि, संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे, 21 जून, 2007 को भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का 5) प्रख्यापित किया गया जो 29 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ। 30 जून, 2007 से पहले अर्थात् भा.रि.बै. के चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार को शेयरों का हस्तांतरण किए जाने से भारतीय रिजर्व बैंक अपने सभी लाभों को भी हस्तांतरित कर पाया क्योंकि यह हस्तांतरण केन्द्र सरकार को अधिशेष के वार्षिक हस्तांतरण के हिस्से के रूप में किया गया था।

उक्त अध्यादेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया जिससे कि भारतीय स्टेट बैंक में भा.रि.बै. की शेयरधारिता को केन्द्र सरकार के पास हस्तांतरित करना संभव हो पाया। यह संशोधन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम–1955 में केवल 14 स्थानों पर "रिजर्व बैंक" या "बैंक" के लिए "केन्द्र सरकार" या "सरकार" शब्द प्रतिस्थापित करने और दो स्थानों पर रिजर्व बैंक के संदर्भ का लोप करने तक सीमित है। इस विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सम्माननीय सभा से इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए –

"कि यह सभा 21 जून, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, इस आर्डिनेंस का देश के विकास और आम आदमी से क्या संबंध है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सरकार की जो अपनी उधार लेने की प्रवृत्ति है उसे सरकार इसके माध्यम से न्यायोचित बनाना चाहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 60 प्रतिशत शेयरों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए खरीदने हेतु सरकार 40 हजार करोड़ रुपया बाजार से उधार लेना चाहती है। मेरी जानकारी है कि अब तक सरकार बजट अनुमान से कहीं ज्यादा अधिक उधार बाजार से ले चुकी है। हर वर्ष सरकार पर उधार का बोझ बढ़ता जा रहा है। अभी आप 60 प्रतिशत शेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करेंगे और बाद में बैंक रिफोर्म्स के नाम पर 51 परसेंट शेयर में सरकार की भागीदारी तय है, इसका अर्थ यह है कि 9 परसेंट शेयर आखिर हस्तांतरित करेंगे और फिर धन बटोरने का काम किया जाएगा। सभापति महोदया, यह प्रवृत्ति बहुत घातक है। सरकार मात्र तकनीकी क्रियाकलापों से देश पर कर्ज के बोझ को डालने का काम और उधार लेने का काम करने की अपनी प्रवृत्ति को न्यायसंगत बनाने के अलावा इस आर्डिनेंस में कुछ नहीं कर रही है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : इस आर्डिनेंस के माध्यम से जो प्रस्ताव आज मंत्री जी लाए हैं मैं उसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण दें। हम यह भी चाहेंगे कि जो हमारे सुझाव हैं उनका भी समावेश किया जाए। यह सर्वविदित है कि चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो, जब डिपॉजिट्स की कमी आ रही थी और ऋण की मांग बढ़ती जा रही थी, इसीलिए नरसिम्हन कमेटी का गठन हुआ था। हम जानना चाहेंगे कि नरसिम्हन कमेटी की कितनी सिफारिशों और सुझाव आपने लिए हैं, कितनों का समावेश किया गया है और कितनों का समावेश नहीं किया गया है, किया है तो क्यों किया है और नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है? नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों का स्पष्टीकरण हमें मिल

[श्री लक्ष्मण सिंह]

जाए। अच्छा होता अगर स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती और उसके बाद इसे लाया जाता, परन्तु आपने उसकी मजबूरी बताई और हम भी समझते हैं कि जो बेसल कंवेंशन आपका हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के कुछ नियम बने हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक ग्लोबल बैंक बनाने की जो योजना है, वह अच्छी बात है और यही आपकी मजबूरी रही जो आपको आर्डिनेंस लाना पड़ा। पहले आपने निर्णय लिया कि 20 करोड़ रुपए की इक्विटी को 5 हजार करोड़ रुपए की इक्विटी बनाने का अधिकार पहले अमेंडमेंट में आपने दिया और अब आपने आरबीआई का शेयर 59.73 परसेंट से कम करके 51 परसेंट किया है तथा 40 हजार करोड़ रुपया एसबीआई को आप देने जा रहे हैं। एक स्पष्टीकरण हम आपसे चाहेंगे कि आपकी कैबिनेट कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि 900 करोड़ रुपया आप जेएम फाइनेंस इंडिया–वन और थ्रू मॉरिशस ऑफशोर फंड इसके माध्यम से ला रहे हैं, इसका क्या लाभ है और क्या हानि है। यह रुपया मारिशस ऑफशोर फंड से लाने का क्या औचित्य है, इसका भी स्पष्टीकरण आप दें?

अमेंडमेंट बिल की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इस आर्डिनेंस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा विषय नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : हमने इन दोनों को साथ–साथ लिया है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदया, इनका लिंक है, इसलिए उल्लेख करना जरूरी है। अमेंडमेंट बिल में कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सैक्टर में भी प्रवेश कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपैंशन मैनेजमेंट फंड में और म्युचुअल फंड में पूंजी निवेश कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ भागीदारी कर रहा है। एक विदेशी कम्पनी कार्डिक एस.ए.के साथ इंश्योरेंस सैक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भागीदारी की है और म्युचुअल फंड सैक्टर में सोसाइटे जैनेरल कोई विदेशी कम्पनी है, उसके साथ आपने भागीदारी की है। मंत्री जी हम चाहते हैं कि ये जो दो विदेशी कम्पनियां हैं, जिनके साथ आपने भागीदारी की है, इनका लेखा–जोखा भी आप सदन के सामने रखें कि ये किस तरह की कम्पनियां हैं, इनकी क्या रेपुटेशन है? अगर कभी ये कम्पनियां डिफॉल्ट करती हैं, और अगर आप पर कहीं से इन विदेशी कम्पनियों को बचाने का दबाव आए, उस दबाव में आप नहीं आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा हो, इससे अच्छा है कि आप सदन को एक लेखा–जोखा इन कम्पनियों के बारे में दें।

हम स्टेट बैंक आफ इंडिया को ग्लोबल बैंक बनाने जा रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ज्यादा शाखाएं हैं। ग्लोबल बैंक बनाने के चक्कर में हम कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के जो कार्यक्रम हैं, उन्हें नुकसान न हो, इस बारे में देख–रेख करने की आवश्यकता है। स्टेट बैंक की 9 हजार शाखाएं हैं और 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। लगभग 22 प्रतिशत आपकी आय ग्रामीण क्षेत्रों से होती है। पहले भी एक सुझाव आया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट आफिसिस के माध्यम से स्टेट बैंक ओपरेट करे। पोस्ट ऑफिस में स्टेट बैंक की शाखा खुले, इस प्रस्ताव के बारे में क्या हो रहा है, वह किस स्तर पर है? अगर ऐसा होता है, तो स्टेट बैंक गांव–गांव तक पहुंचेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ हमें मिलेगा।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटर्न आन ऐसैट्स हैं, उसके अगर आंकड़े देखें तो भी विचार करना आवश्यक है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक के संदर्भ में 2003–04 में परिसम्पत्तियों से आय 0.94 प्रतिशत थी और 2006–07 में यह कम होकर 0.84 प्रतिशत हो गई; पंजाब नेशनल बैंक के मामले में 2003–04 में यह 1.08 प्रतिशत थी और 2006–07 में यह घटकर 1.03 प्रतिशत रह गई; केनरा बैंक के मामले में 2003–04 में यह 1.34 प्रतिशत थी और 2006–07 में यह कम होकर 0.98 प्रतिशत रह गई; ओवरसीज बैंक के मामले में, 2003–04 में यह 1.07 प्रतिशत थी और यह 1.21 प्रतिशत हो गई।

[हिन्दी]

यह कुछ बढ़ा है, लेकिन बहुत मार्जिनल बढ़ा है।

[अनुवाद]

आई सी आई सी आई बैंक के मामले में 2003–04 में यह 1.41 प्रतिशत थी और 2006–07 में यह घटकर 1.1 प्रतिशत रह गई।

[हिन्दी]

क्या कारण है कि हर बैंक के रिटर्न आन ऐसैट्स घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। इन्हें बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्टेट बैंक को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भले ही हम विश्व में चौथे नम्बर पर अमीर देश हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारा 126वां नम्बर है। ग्लोबल बैंक की तरफ आप जाइए, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारा जो 126वां स्थान है, उससे हमारा और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो बैंक की कार्य प्रणाली

से संबंधित है, क्योंकि आप 40 हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इंडियन एक्सप्रेस के 7 मई के एक समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और आपकी अनुमति से उसे पढ़ना चाहूंगा। श्री आर.पी. सिंह, जो सीएमडी, पंजाब एंड सिंध बैंक, के हैं, उन्होंने बैंकिंग सैक्रेटरी श्री विनोद राय को एक पत्र लिखा और पत्र में जो कुछ लिखा, वह ध्यान देने वाली बात है।

[अनुवाद]

"विगत राजनीतिक हस्तक्षेप और अनुग्रहशील प्रबन्धन की वजह से अंधाधुंध तरीके से ऋण देने के कारण बैंक को नुकसान उठाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप देश में सर्वाधिक अनुपयोज्य आस्तियां जमा हो गईं। यदि सरकार यह चाहती है कि बैंक बंद न हो तो बैंक में ऐसे निदेशक होने चाहिए जो न केवल पेशेवर हों बल्कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति हों और जिनका राजनीति से सम्पर्क न हो।"

यह बहुत गंभीर मामला है और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे; और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : सभापति महोदया, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसका कारण है कि वैश्वीकरण के लिए सहमत होने के बाद हमें अपने बैंकों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप रखना पड़ेगा।

यदि हम आई सी आई सी आई बैंक द्वारा जुटायी गई पूंजी को देखें, तो हम पाएंगे यदि एक वर्ष में उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। मान लीजिए कि हम एक करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए रखने के पुराने मानकों और तौर–तरीकों पर ही चलते रहें और वह सभी इक्विटी के रूप में, तो हमारे बैंक बहुराष्ट्रीय बैंकों से प्रतियोगिता करने की स्थिति में नहीं होंगे जबकि बहुराष्ट्रीय बैंकों को भारत में अपनी शाखाएं चलाने की अनुमति दी गई है।

अब, मेरा अनुमान यह है कि माननीय वित्त मंत्री नरसिम्हन समिति की सिफारिशों का पालन करना चाहते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी गतिविधि को स्वामी रूप में नहीं, बल्कि विनियामक के रूप में सीमित रखे, जो उचित है।

वस्तुत: हमने कुछ समय पहले इस बात पर चर्चा की थी कि राष्ट्रीयकृत बैंक में रिजर्व बैंक के निदेशक को रखना सही फैसला नहीं होगा। वे कुछ स्वतंत्र मानदंडों का सुझाव दे सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक या अधिकारी निदेशक मंडल में नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी यह प्रश्न कर सकता है "आप स्वयं बोर्ड की बैठक में उपस्थित थे, आपका अपना प्रतिनिधि वहां पर था, उस समय आपने क्या किया?" इसलिए, इस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से, यह बेहतर है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी गतिविधियों को स्वामी की बजाए एक विनियामक के रूप में सीमित रखें।

दूसरा, भारत सरकार को सारे शेयरों का हस्तांतरण करके के द्वारा हम बैंक में 51 प्रतिशत से अधिक बनाए रख रहे हैं, जो हम बनाए रखना चाहते थे क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे कि वित्तीय संस्थाएं या स्वतंत्र संस्थाएं या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें आएं और हमारे बैंकों में 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी ले लें। इसलिए अब स्वामित्व भारतीय रिजर्व बैंक से हटकर भारत सरकार के पास आ गया है। इसका अर्थ यह है कि कोई घाटा नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त, यह राशि जो भारत सरकार की समेकित निधि से भारतीय स्टेट बैंक में अंतरित की गई है, भारतीय स्टेट बैंक को अपना पूंजी आधार बढ़ाने में सक्षम बनाएगा, जिसके लिए हमने भी सहमति दी है। बेसल मानदंड I और II के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12 प्रतिशत से कम होना चाहिए। बेसल I और बेसल II दोनों को एक साथ रखने से यह सीमा और भी अधिक हो सकती है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित शेयरों के बाजार मूल्य की राशि भी बढ़ जाएगी, जो निश्चित रूप से गर्व की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी शेयर पूंजी को स्फीत दर पर हस्तांतरित नहीं कर रहा है। यह बाजार मूल्य की स्थिति पर आधारित है।

आज यदि यह बाजार में बेची जाती है तो यह और भी ऊंचे मूल्य पर पहुंच सकती है। इसलिए हम किसी प्रकार के नुकसान में नहीं हैं; और हम बैंक को 40,000 करोड़ रुपये की इक्विटी दे रहे हैं। मान लीजिए कल, किसी समय सरकार या संसद अपना विचार बदल देती है कि 'हमें बैंक में 51 प्रतिशत सरकारी राशि की आवश्यकता नहीं है और हम इसे 33 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं; फिर हम इस बैंक के लाभ के आधार पर इन शेयरों को अनुमानित राशि के दुगुने पर बेच भी सकते हैं। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में भारत की समेकित निधि में से भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाले शेयरों को खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 40,000 करोड़ रुपए का संव्यहार्य गलत नहीं है।

इस समय, यह एक बड़ी चीज है। इस संदर्भ में, यद्यपि यह जरा हटकर है, मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में एक बात एक बार पुन: लाना चाहता हूं, हो सकता है कि वे उसके पक्ष में नहीं हों। बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज के घटक को कम किया जाना है। मेरे विचार में, यदि धनराशि का उपयोग केवल धनराशि अर्जित करने में करना है, मानवीय प्रयासों का महत्व कम हो जाएगा।

[श्री के.एस. राव]

मान लीजिए किसी कंपनी में, एक व्यक्ति है जिससे हम यह कहते हैं कि वह स्वामी है। हम जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले यह पाया गया कि एस्कॉर्ट के नंदा जो एस्कार्ट के प्रबंध निदेशक, मालिक, अध्यक्ष और सब कुछ माने जाते हैं उनके पास एक समय में केवल तीन प्रतिशत इक्विटी थी। जब यह बात सामने आई, लोगों ने नोटिस किया कि और लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और तीन प्रतिशत से अधिक शेयर खरीद रहे हैं, तत्काल वे सक्रिय हुए और इसे रोकने की कोशिश की और इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। अतः मेरा कहना है कि एक व्यक्ति जो 97 प्रतिशत सार्वजनिक धन वाली कम्पनी में 3 प्रतिशत तक निवेश करता है, वह स्वयं को कम्पनी का स्वामी होने का दावा करता है और सभी लाभांश व लाभ स्वयं लेता है। इसका अर्थ है कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और सार्वजनिक स्रोतों, जिसमें हमारा और आपका धन भी सम्मिलित है, द्वारा कम्पनियों में किया गया निवेश, जो उसे प्राप्त हुआ, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वह केवल अपना पैसा बना रहा है।

अतः मेरा उससे विनम्र निवेदन है कि यदि हम बैंक दर पर ब्याज दरें कम करते हैं तो मानव मूल्य मानवी निवेश अधिक होगा। तभी मनुष्य की महत्ता सिद्ध होगी और उनके पारिश्रमिक में वृद्धि होगी। अन्यथा, मनुष्य पैसा नहीं कमाता बल्कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। इसीलिए केवल धनी व्यक्ति ही और अधिक धन कमा पाता है जबकि गरीब व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता।

अब आपने देखा कि इस तरह के कितने लोग हैं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने कृषक समुदाय के लिए ब्याज की दरों में कटौती करके उसे 10 की जगह 7 प्रतिशत किया। वास्तव में, हमने ही उनसे यह कटौती करने के लिए अनुरोध किया था। एक किसान के लिए तो इतनी दर अदा करना भी कठिन है। इसे कम करना ही होगा। एक व्यापारी 20–30 प्रतिशत ब्याज दे सकता है, क्योंकि वह तो समस्त भार उपभोक्ताओं पर डाल लेता है। किंतु जहां तक किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं। उसे खुले बाजार से उससे ज्यादा मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि उन्हें बैंकों को ब्याज भी अदा करना होता है।

आप देखें, बहुत से खाड़ी देशों में ब्याज दर या तो शून्य है या अधिक से अधिक 3–4 प्रतिशत तक है। वहां इसके लिए कोई शब्द हैं। यह शायद ब्याज तो नहीं ही होगा। वहां निवेशक को कम मिलता है। वहां एक संपन्न व्यक्ति यदि अपने धन को बैंक में रखता है, तो उस केवल 2–3 प्रतिशत ब्याज दर प्राप्त होता है, किंतु एक व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और पसीना बहाता है, वह अधिक धन पाता है। एक व्यक्ति जिसके पास अनुभवातीत बोध हो, एक व्यक्ति जो चौबीस घण्टे कार्य करने को तैयार हो, एक व्यक्ति जो परियोजना को लेता है, परियोजना की योजना बनाता है, उसके लिए मेहनत करता है, नवीन विचारों और नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, वही अधिक धन कमायेगा। वह स्वाभाविक है। उसके लिए धन कमाना स्वाभाविक है, किन्तु उस व्यक्ति के लिए नहीं, जिसे धन कहीं से प्राप्त होता है।

अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय मंत्री जी देखें कि क्या वे उस स्तर तक ब्याज दरें को कम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्याज दरों को शून्य के स्तर पर ले जाया जाए। यह मेरा पहला मुद्दा है।

दूसरा, इस परिप्रेक्ष्य में, मैं इस मुद्दे का पुनः उल्लेख करना चाहता हूं। मैं पहले ही माननीय मंत्री जी की जानकारी में ला चुका हूं। यह महिलाओं के सशक्तीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं, निर्धन वर्गों की क्रय क्षमता में वृद्धि करने तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने से संबंधित है। महोदया, इस संबंध में मैं यह जरूर कहूंगा कि आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा गठित अनेक स्व–सहायता समूह अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमें उनके चेहरे, चेहरे की आभा, देखनी चाहिए। जब वे, बैंक से 10,000 रुपए का ऋण लेती हैं और जब वे 500 रुपए प्रति माह कमाती हैं; आप उनका चेहरा, उनके चेहरे की ओर आभा और झलकता स्वाभिमान जरूर देखें। न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उन्हें एक तरह से रोजगार भी प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें यह अवसर भी दिया है कि वे किसानों से मक्का प्राप्त करें, और तत्पश्चात् मुर्गी खाने तथा अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति करें। इस प्रक्रिया में उत्पादक अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त करता है तथा उपभोक्ता को कम मूल्य पर दिया जाता है तथा इसमें से कुछ लाभ उन्हें भी प्राप्त होता है और इस प्रकार वे अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं।

अतः माननीय वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस महिला स्वसहायता समूह समितियों को और अधिक धन आबंटित करे, जहां कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ही पिछले वर्ष केवल इन स्व–सहायता समूहों को ऋण दिए जाने के लिए राशि बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपए कर दी है।

मैं चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य में इसे 25000 करोड़ रुपए कर दिया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक वे ऋण की अदायगी कर रहे हैं और देने में क्या नुकसान है? यह देखा गया है कि स्व सहायता समूह 97 प्रतिशत तक ऋण की अदायगी कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और सरकार केवल धनी वर्ग को ही नहीं वरन् गरीब वर्गों को भी ऋण देना चाहती थी, तब कुछ अधिकारियों का कहना था कि गरीब लोगों द्वारा ऋण नहीं चुकाया जा रहा। किंतु यह गलत था। यदि ऐसा होता, तो आज ये महिलाएं कैसे 97 प्रतिशत तक ऋण की अदायगी कर रही हैं।

मुद्दा यह है कि यदि आप उनके मन में बैठा दें कि संसद सदस्यों या जनता के प्रतिनिधियों के प्रयासों के बगैर आप अपनी साख बढ़ायें, तो ये संस्थाएं स्वयं ही उन्हें और अधिक उधार देने के लिए तैयार हो जाएंगी यदि वे केवल धन कमाते हैं और अपना ऋण चुकाते हैं। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बैंकों से स्व सहायता समूहों को और अधिक धन आबंटित करने को कहें।

महोदया, आरम्भ से ही मेरा यह मत रहा है कि देश के विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज धन की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि इस बात की कि ऋण कैसे दिया जाए तथा उस धन को कितनी बार पुनः उपयोग किया जाता है। यदि एक बैंक द्वारा 10,000 करोड़ रुपए किसी सही लेनदार को दिए जाते हैं और वह इसका सही उपयोग करता है और उससे धन–सम्पत्ति सृजित करता है, स्वयं लाभान्वित होता है और तत्पश्चात वह ऋण की अदायगी करता है और यदि बैंक द्वारा इस धन का दो, तीन या चार बार उपयोग किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि माननीय मंत्री जी बजट में 5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपये आबंटित करते हैं। यह केवल एक मुश्त आबंटन है और इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः बैंकिंग क्षेत्र की कुशलता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाना आवश्यक है जिससे देश में चमत्कारी ढंग से प्रगति हो सकती है।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बैंकिंग क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाएं। वास्तव में उन्हें बहुत पहले ऐसा कर देना चाहिए था किंतु हो सकता है किसी कारणवश वे ऐसा न कर पाये हों। उन्हें ब्याज दरों में कटौती करनी ही चाहिए और साथ ही धन का कई बार पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता, उत्तर–पश्चिम) : धन्यवाद महोदया। भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बिंदुओं की ओर इंगित करना चाहूंगा। स्थायी समिति के सुझावों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक संस्था होने के नाते स्टेट बैंक का स्वामी नहीं बन सकता। इसलिए स्वामित्व केन्द्र सरकार को अंतरित कर दिया जाना चाहिए। यह निर्णय पूरी तरह से सही है।

किंतु मेरा कहना है कि जब हम भारतीय स्टेट बैंक के विगत दो वर्षों के कार्यकरण पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि इसके कार्यकरण में कुछ गिरावट आई है जबकि इसी अवधि के दौरान विदेशी बैंकों के कारोबार में वृद्धि हुई है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा पिछली वार्षिक साधारण बैठक के दौरान जारी किए गए वक्तव्य से मुझे जो जानकारी मिली, उसके अनुसार अध्यक्ष चाहते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक कारोबार को बढ़ाने के लिये शेयर बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को बढ़ायेगा।

मेरा मुद्दा यही है। यदि भारतीय स्टेट बैंक शेयर बाजार मे निवेश करने जा रहा है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह मात्र बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक ही सीमित होगा अथवा इसे देश के अन्य स्टॉक एक्सचेंजों में भी निवेश किया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोलकाता में हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से वहां अत्यधिक हानि हो रही है और यह बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। अतः वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि यदि भारतीय स्टेट बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने का निर्णय ले लिया है, तो केवल बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर केन्द्रित रहने के बजाय अन्य स्टॉक एक्सचेंजों में निवेश करने के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। यह भी विदित हुआ है कि स्टेट बैंक डाकघरों की अवसंरचनात्मक सुविधा का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का विचार कर रहा है। यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। पहले भी डाकघरों का उपयोग आयकर अदाकर्त्ताओं की सुविधा के लिए किया जाता रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

इस मामले में भी हम इसका निश्चित रूप से स्वागत करेंगे क्योंकि 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। हर बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री कृषि व्यवसाय को बढ़ाने पर जोर देते हैं परन्तु अंतिम परिणाम क्या निकलता है? जब हम यह दावा कर रहे हैं कि हमारी सकल घरेलु उत्पाद वृद्धि 10 प्रतिशत होने जा रही है, न तो कृषि क्षेत्र में यह विकास दर केवल 1.8 प्रतिशत होगी। यदि आप वास्तव में कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए इच्छुक हैं तो गरीब किसानों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करनी होगी। विभिन्न समाचार पत्रों से यह पता चलता है कि ये सभी बैंक गरीब किसानों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए संवितरित ऋण को भी कृषि विकास हेतु ऋण के रूप में दिखा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए।

जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैश्विक (ग्लोबल) शाखाओं की बात करते हैं तो इसके कार्यकरण का तरीका क्या है? यदि हम कृषि क्षेत्र में विकास और सकल घरेलु उत्पाद वृद्धि को वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं तथा गरीब किसानों की वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो हमें उनके उत्पाद को बढ़ाने में मदद करनी होगी। इसी के साथ हमें, आक्रामक विपणन प्रणाली जिसमें वैश्विक विपणन भी शामिल है, अपनाना होगा। इस संबंध में हमारा अनुभव क्या है? जहां तक शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का संबंध है कोई भी बैंक फलों, सब्जियों तथा

[श्री सुधांशु सील]

अन्य शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यातकों को कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। भारतीय स्टेट बैंक को इन शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को वैश्विक बाजार में निर्यात करने वालों पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें मालूम है कि वैश्विक बाजार बहुत बड़ा है। हमें इन सभी को संगठित करना होगा और हमें आक्रामक विपणन के लिए पहल जारी करनी होगी।

हमें अनेक नए उद्यमियों को उनके कार्य में बढ़ावा देना होगा। हमारी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण नामक एक विभाग है जिसके माननीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय सरसक प्रयास तथा गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं; परन्तु जब हम उनके विभाग जाते हैं तो हमें उनसे पता चलता है कि उनके विभाग के पास निधि उपलब्ध नहीं है। यदि हम खाद्य प्रसंस्करण विभाग को प्रोत्साहित करेंगे तो इससे हमें भी लाभ मिलेगा। यदि हमनें ऐसे किसी विभाग को आरंभ किया है जिसके लिए एक मंत्री भी है तो उनके पास चल (मूविंग) निधि भी होनी चाहिए। यदि उन्हें निधि मिलेगी तो वह सम्पूर्ण देश में अनेक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को बढ़ावा देंगे। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि हमें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

गरीब किसानों अथवा छोटे व्यपारियों को अधिक ऋण सुविधाएं देते हुए हमें स्व–सहायता समूहों को भी मदद करनी चाहिए। हमारे राज्य में हमारा यह अनुभव रहा है कि जब स्वसहायता समूह किसी ऋण सुविधा लेने जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की सहायता करने के बजाए उनसे इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं, कि वे पहले ही गरीब हैं और उनके अपने व्यवसाय में नए हैं और उन्हें बैंकिंग प्रणाली का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बैंक उनके लिए ऐसी समस्याएं उत्पन्न करती हैं और वे महसूस करते हैं कि इससे तो अच्छा है कि वे बैंक ही न जाते। अतः बैंक के प्रबंधन को इस पहलु के प्रति सचेत रहना होगा और अपने शाखाओं के संबंधित अधिकारियों को नए उद्यमियों की सहायता करने उनको प्रोत्साहित करने और उनसे कैसा बर्ताव किया जाए इसके संबंध में निदेश दिए जाने चाहिए। मैं अपने अनुभव से यह बता सकता हूं कि व्यापारी तथा नए उद्यमी ऋण अदायगी में बहुत अच्छे हैं। यदि आप ऋण अदायगी के रिकार्ड पर नजर डालेंगे तो आप यह पाएंगे कि छोटे उद्यमी ऋण अदायगी के संबंध में काफी बेहतर है जबकि बड़े उद्योगपति कभी भी ऋण वापस नहीं करते हैं। यह एक सत्य है जिसे माननीय मंत्री जी भी स्वीकार करेंगे।

अब जब हम यह विधेयक स्वीकार कर रहे हैं और जब हम भारतीय स्टेट बैंक को अर्थक्षम बनाने की सोच रहे हैं तो इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री जी इन पहलुओं पर निश्चित गौर करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (संशोधन) बिल सदन में लाया गया है, उसका मैं विरोध तो नहीं करता, लेकिन मैं अपने कुछ सुझाव अवश्य देना चाहूंगा।

इस सदन में पक्ष और विपक्ष की तरफ से सम्मानित सदस्यों के बहुत अच्छे सुझाव और विचार आये हैं। यह बात सही है कि देश के विकास में बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे सम्मानित सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिन्ता यहां व्यक्त की है कि हमारे किसान और छोटे व्यापारी कैसे आगे बढ़ें, कैसे आत्मनिर्भर हों। इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। सरकार ने मंत्रिमंडल के फैसले के बाद सेबी के मार्ग निर्देशन में शेयरों के मूल्यों का नकद भुगतान, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के शेयरों के स्वामित्वमारिता के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है, जो अच्छी बात है। अभी तक रिजर्व बैंक इसका कंट्रोल करती थी जिसकी ऑटोमैटिक पॉलिसी थी। अब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। जहां एक तरफ 40 हजार करोड़ रुपए की राशि के शेयर स्टेट बैंक को दिए जा रहे हैं, उससे कैपिटल मार्किट में इस बैंक की साख अच्छी होगी, वहीं दूसरी तरफ इसे अन्य विदेशी बैंकों या प्राइवेट बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा से अच्छी ताकत मिलेगी। वैसे स्टेट बैंक की अपनी अच्छी साख है लेकिन विदेशी और प्राइवेट बैंकों की विश्व में अपनी साख है।

सभापति महोदया, अभी सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि बैंक की शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जायें ताकि छोटे किसान और खुदरा व्यापारी, या छोटा उद्योग–धंधा चलाने वाले लोगों को डायरेक्ट फायदा मिले। अभी राव साहब ने कहा कि सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सीधे बैंकों से प्रभावित हैं। उन्होंने सैल्फ हैल्प ग्रुप का जिक्र किया। हमने भी अपने यहां निगरानी समिति की बैठक रखी हैं। उनमें सभी बैंकों के मैनेजर्स आये थे। देखा गया कि जिन बैंकों को जो लक्ष्य दिया गया था, उसमें खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सैल्फ हैल्प ग्रुप को मदद देने की बात है, वह लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है। कहीं पर यह लक्ष्य 10–15 प्रतिशत रहा है। मेरा सुझाव है कि बैंकों के तमाम मैनेजर्स या अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया जाये कि सरकार की जो योजनायें हैं, उनसे बैंक प्रभावित होते हैं – चाहे किसानों को ऋण देने की बात हो या सैल्फ हैल्प ग्रुप की बात हो, उन्हें फायदा पहुंचाये ताकि उनका जीवन–स्तर ऊपर हो और बैंक अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। बैंक शाखा तभी अच्छी हो सकती है, जहां कस्टमर केअर सर्विस अच्छी होगी। आज विदेशी बैंक प्रतिस्पर्द्धा में आ रहे हैं। इसलिए स्टेट बैंक की शाखा को विशेष स्थान देना होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो बैंकों की कार्यप्रणाली है, उसमें और अधिक सुधार लाने की जरूरत है।

सभापति महोदया, यहां कहा गया है कि किसानों को ब्याज पर ऋण और सब्सिडी दें क्योंकि अगर किसानों का विकास होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (संशोधन) बिल सदन में आया है, उसके लिए माननीय सदस्यों के जो सुझाव और विचार आये हैं, उन पर विचार करते हुए बैंक शाखाओं को शक्तिशाली बनाकर विदेशी बैंकों से अग्रणी बनायें ताकि विश्व में इनका नाम हो।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदया, आज सदन में भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007 पर चर्चा हो रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदया, किसी भी राष्ट्र और समाज को विकसित बनाने के लिए बैंकों के प्रबंधन का अति महत्वपूर्ण स्थान है। महोदया, यह विधेयक लाने का इनका निश्चित तौर पर बड़ा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन एक बात मेरी समझ से परे है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है, पूरे हिन्दुस्तान में इससे बड़ा कोई दूसरा बैंक नहीं है, लेकिन इसका प्रबंधन ऐसा है कि यह बैंक मुनाफा बढ़ाने में अग्रसर नहीं है, बल्कि दिन पर दिन इनका मुनाफा घटता ही जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके क्या कारण हैं? केन्द्र सरकार ने जो शेयरों की खरीद की रिजर्व बैंक से, उससे निश्चित रूप से इनको स्वामित्व मिलेगा, लेकिन इसके प्रबंधन में भी आपको और सुधार करना पड़ेगा, और अच्छा प्रबंधन तैयार करना पड़ेगा।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें गांवों में पैसा लगाना है। भारत गरीब लोगों का देश है, गांवों में बसने वाला देश है और अधिक से अधिक पूंजी जब तक गांवों में नहीं लगेगी, तब तक भारत कैसे विकसित बन सकेगा? प्रश्न यह उठता है कि किनको पैसे की जरूरत है – इन सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, राजमार्ग बनाने के लिए, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए, विद्यालयों में और इनफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए – इन सारी चीजों की आवश्यकता है। आज भूमंडलीकरण के युग में बैंकों की अधिक से अधिक पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि इनका प्रबंधन ठीक हो। इन्होंने इस विधेयक के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रबंधन दुरुस्त करें, जिससे हमारे जो गरीब और छोटे तबके के लोग हैं, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनको भी बड़े सरल तरीके से ऋण मुहैया कराया जा सके। साथ ही जो बैंक में रुपया डिपॉजिट करने वाले लोग हैं, उनको भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। जब इन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से इसके उद्देश्य की पूर्ति होगी, वरना संशोधन, पर संशोधन कानून पर कानून बनते जाएंगे और फिर व्यवस्था के प्रबंधन में कोई इंतजाम नहीं हो सकेगा। इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं आज यहां भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें बताया गया है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल की 1 फरवरी, 2007 को हुई बैठक में भारतीय स्टेट बैंक की शेयरधारिता जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास थी के स्वामित्व को केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। वित्त मंत्री ने 2 फरवरी की प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि "इस कदम का उद्देश्य आरबीआई के विनियामक कृत्यों से स्वामित्व को पृथक करना है।" उसके पश्चात् उन्होंने खुलासा किया कि : "यह एक खाता प्रविष्टी (बुक एन्ट्री) द्वारा किया गया लेन–देन होगा क्योंकि जो भी आरबीआई को अदा किया गया था वह हमें वापस मिल जाएगा।" प्रस्ताव यह था कि भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण इक्विटी जो कि भारतीय स्टेट बैंक के साधारण शेयर के रूप में है तथा अर्थात् 31,43,39,200 जो कुल साधारण शेयर का 59.73 प्रतिशत है। उन्हें अधिप्राप्त करना है।

हमें यह भी बताया गया है कि इस उद्देश्य के लिए चालू वर्ष के बजट में 40,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। फिर भी संसद के बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए कोई भी पहल नहीं की गई। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। सरकार ने बजट सत्र के समाप्त होने का इंतजार क्यों किया? मंत्री जी ने क्यों यह कहते हुए 21 जून को इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने में जल्दबाजी दिखाई कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने से पहले ही किया जाना है? जैसा कि यह अध्यादेश अब पुरःस्थापित किया गया है। वैसे ही मंत्री महोदय एक विधेयक भी ला सकते थे। उन्होंने इसे अनुचित तरीके से क्यों लाया? उनकी आशंकाएं क्या थीं? विधि में प्रावधान करना अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करना और उसके बाद संसद के समक्ष अनुमोदनार्थ आना संसदीय प्रणाली के प्रति उनके सम्मान की कमी को दर्शाता है। अतः दिए गए स्पष्टीकरण संबंधी वक्तव्य में कोई दम नहीं है।

इस अध्यादेश के माध्यम से दो सांविधिक बदलाव किए गए और यह विधेयक में परिलक्षित हुआ है। इससे भारतीय स्टेट बैंक के भविष्य पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। पहला परिवर्तन विनियामक, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक से स्वामित्व को उसके असली स्वामी अर्थात् भारत सरकार को हस्तांतरित करना है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया इसका विशेष पहलु यह है कि यह खिलाड़ी की तरह सुदृढ़ है परन्तु इसका रेफरी (निर्णायक) कोई और होना चाहिए। परन्तु इस मामले में जो वास्तविकता है वह बहुत जटिल है। भारतीय स्टेट बैंक वह पहला बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ऐसा करने का निर्णय तात्कालिक आर्थिक आवश्यकता के कारण लिया गया क्योंकि निचले स्तर पर विकासात्मक ऋण के लिए वितरण प्रणाली का अभाव था यह निर्णय किसी राजनैतिक दावपेंच के कारण नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1969 और उसके बाद भी बड़ी संख्या में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।

समय के साथ प्रसंगानुकूल भारतीय स्टेट बैंक के संबंध में कुछ अच्छी परंपराएं आरंभ की गई थी जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और सरकार को वस्तुतः अलग रखने का कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप राजनैतिक हस्तक्षेप की सम्भावना कम हो गई थी। सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए सरकार एसबीआई का कामकाज देखती थी। अतः अब यह होगा कि पहले जो सरकार का नियंत्रण वास्तव में

[श्री भर्तृहरि महताब]

था अब वह नियंत्रण विधि सम्मत हो जाएगा। मेरे लिए चिन्ता का विषय यह है कि स्वायत्ता की परम्परा, जो एक प्रकार से भिन्न और बेहतर थी, वह समाप्त हो जायेगी और यह अब ऐसे समय हो रहा है जब एसबीआई को एक राष्ट्रीय फर्म के रूप में बेहतर निष्पादन के लिए अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता होगी।

क्या हम सब नहीं जानते कि संपूर्ण सरकारी नियंत्रण क्या कर सकता है। पूंजीगत लेखा की पूर्णरूपेण परिवर्तननीयता संबंधी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय तारापोर समिति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय स्टेट बैंक के स्वामित्व को भारतीय रिजर्व बैंक से हटा कर सरकार को न दिया जाए, किन्तु यह विधेयक इस सुझाव से विपरीत है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद अपने कार्यसंचालन में एसबीआई जिस स्वायत्तता को अपना रही है क्या उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पडेगा? क्या यह सच है कि वर्तमान में एसबीआई को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है?

दूसरा सांविधिक परिवर्तन जिस पर विचार किया गया है वह है अपने सहयोगी बैंकों में हरेक को 51 प्रतिशत तक कम करने की अनुमति देना। इस संबंध में वामपंथी विचारधारा सर्वविदित है। वे इस संक्षिप्त विधेयक जो कि आज रखा जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं परन्तु भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा कि बताया गया है के दूसरे भाग का क्या होगा।

आज यह सर्वज्ञात है कि एसबीआई की आस्तियों पर लाभ, जो कि उसके कार्यनिष्पादन का मानदंड है पिछले दो वर्षों में लगातार कम हुआ है। कभी-कभी कोई संगठन मार्जिन की कीमत पर मार्केट शेयर के लिए प्रयास करता है परन्तु जब मार्केट शेयर और मार्जिन दोनों ही नकारात्मक रुझान दर्शाते हैं तो समझ लीजिए कि स्थिति गंभीर है।

आज भारतीय स्टेट बैंक न केवल निजी बैंकों बल्कि कुछ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में घाटा उठा रहा है। न केवल ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, कार्पोरेशन बैंक बल्कि पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक भी इससे बेहतर लाभ कमा रहे हैं। आप इस घाटे को कैसे रोक सकते हैं? भारतीय स्टेट बैंक की सेवा का स्तर कम हो रहा है और इसके लिए तत्काल कुछ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन लाने से सहायता नहीं मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक का काफी विस्तार हो गया है। इसके बड़े आकार को देखते हुए इसे व्यापक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसे अपने कर्मियों की गुणवत्ता और प्रति कर्मचारी कार्य के स्तर में भी सुधार करना चाहिए। प्रस्तावित कानूनी परिवर्तनों से इनमें से कोई भी परिवर्तन स्वतः ही नहीं लागू हो जाएगा। नरसिंहमन समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही बैंकिंग क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने आगे आकर अधिकांश सुझावों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात्, सरकार ने दूसरे चरण पर सुधारों को लागू करने के लिए 1998 में नरसिहमन समिति-II का गठन किया। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी नरसिहमन समिति ने पाया कि इस सिद्धांत के अनुरूप सामंजस्य रखने के लिए विनियामक बैंक पर्यवेक्षक के साथ-साथ जोकि इसका स्वामी भी है अतः उसने सुझाव दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अपनी धारिता को समाप्त कर देना चाहिए। तद्नुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने राशियों के अंतरण हेतु प्रस्ताव भेजे। लेकिन महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि : तारापोर समिति के सुझावों की अनदेखी क्यों की गई? अमरीका और इंग्लैंड तथा आस्ट्रेलिया जैसे अधिकांश विकसित देशों में स्थिति क्या है? क्या उनके विनियामक मुख्य बैंक से जुड़े हुए नहीं हैं? यदि ऐसा है तो, हमें इतनी जल्दी क्यों है?

अंत में, मैं यह कहूंगा कि बैंकिंग सुधारों से जहां अप्रैल, 2009 तक विदेशी बैंकों के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं, मुझे आशंका है कि भारतीय स्टेट बैंक को कोई लाभ होगा क्योंकि सरकार इसकी एकमात्र स्वामी होगी। अतः, मैं यह कहूंगा कि केवल इसलिए कि अध्यादेश जारी कर दिया गया था जबकि स्वामी समिति के समक्ष एक विधेयक लम्बित है तो इस विधेयक को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि संसद का सत्र एक महीने से चल रहा था, और यदि सरकार को लगा रहा था कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है तो उसने यह मामला क्यों नहीं उठाया। यदि सरकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में व्यापक संशोधन करना चाहती थी तो इतना संक्षिप्त विधेयक क्यों पारित करना चाहते हैं? मुझे यह समझ नहीं आ रहा। मुझे इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिखाई पड़ता। मुझे कोई कारण भी नहीं दिखाई देता। यदि कोई कारण है भी तो इतनी जल्दी किसलिए है? भारतीय स्टेट बैंक का सृजन किसी विशेष उद्देश्य हेतु किया गया था और पचास के दशक की रूरल क्रेडिट सर्वे समिति की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी।

क्या हम यह मान लें कि भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को स्वामित्व के अंतरण के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि इसके पश्चात् वे अपनी धारिता के एक भाग को ऊंचे बाजार मूल्य पर जनता को बेच सकें? हमें इसका उत्तर चाहिए।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। इसका प्रयोजन केवल भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता के स्वामित्व को भारत सरकार को अंतरित करना है। यह ऐसा बिन्दु नहीं है जिसका विरोध किया जाए और हममें से कोई भी इसके विरुद्ध नहीं है।

माननीय मंत्री द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए बताया गया कारण स्पष्ट नहीं है; यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह बताया गया कि नरसिंहमन समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बारे में यह पाया कि विनियामक बैंकों के स्वामी नहीं होना चाहिए।

वहां पर बाध्यता थी। सरकार ने महसूस किया कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की शेयरधारिता का स्वामित्व केन्द्र सरकार को 30 जून तक अंतरित करना अनिवार्य था। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सरकार ने फरवरी महीने में ही इक्विटी को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार की ओर अंतरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। सरकार के पास इस सम्माननीय सभा में विनियमन हेतु विधेयक लाने के लिए काफी समय था।

नरसिंहमन समिति ने नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक इत्यादि जैसे अन्य बैंकों के संबंध में भी यही पाया था। तो फिर, यह अध्यादेश केवल भारतीय स्टेट बैंक के संबंध में ही क्यों है? मुझे यह स्पष्ट नहीं है। सरकार को अब इतनी जल्दी क्यों है और उसने इस विधेयक को संसद के बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत क्यों नहीं किया है? मैं समझता हूं कि इस सरकार को 'अध्यादेश राज' कहना चाहिए।

जब यूपीए और विशेषकर कांग्रेस विपक्ष में थी वे प्रत्येक अध्यादेश का विरोध करते थे। पहले ही, यह बताया गया था कि अध्यादेश–माध्यम को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह संसदीय लोकतंत्र की अवहेलना करने और पिछले दरवाजे से आने जैसा है। इस पर चर्चा की जा सकती है। अतः, मेरा पहला बिन्दु यह है कि – इसे बजट सत्र के दौरान सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए। नरसिंहमन समिति ने यह भी पाया कि यह अन्य बैंकों पर भी लागू होता है और उन्हें भी इसमें लाया जाना चाहिए।

दूसरा बिन्दु यह है कि यह विधेयक पहले से ही भारतीय स्टेट बैंक तक सीमित है। माननीय सदस्यों द्वारा आशंका जताई गई है कि जब इतनी बड़ी राशि – 59.73 प्रतिशत शेयर – भारत सरकार के पास आ रहे है, तो क्या इससे भारत सरकार की स्वायत्तता में बाधा नहीं आएगी। यह स्पष्ट किया जाए। जब सरकार भारतीय स्टेट बैंक का स्वामी बनने जा रही है तब सरकार को कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को हल करने, ऋण नीति का पुनर्निर्धारण, कृषि संबंधी ऋण नीति इत्यादि के लिए पहल करनी चाहिए और इनका समाधान किया जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य, श्री राव से सहमत हूं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में ऋण देने के संबंध में उल्लेख किया है। भारतीय स्टेट बैंक की क्या भूमिका है? वे ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिए कृषि ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए? वे अभी तक लक्ष्यों की प्राप्ति क्यों नहीं कर सके?

जहां तक ऋण नीति का संबंध है मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं जो वे हर वर्ष कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे थे बल्कि वह भी ऐसा कहते थे कि कृषि में ब्याज दर 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन यह केवल दीर्घावधि ऋणों तक ही सीमित है। यदि कोई खेतिहर अथवा गरीब किसान या अन्य कोई किसान एक ट्रैक्टर अथवा पावर टिलर या कृषि प्रयोजन हेतु कोई अन्य उपकरण खरीदना चाहता है तो उस मामले में सात प्रतिशत ब्याज नहीं है। मेरी मांग है कि कृषि क्षेत्र में ऋण पर ब्याज दर चार प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि डा. एस.एस. स्वामीनाथन समिति द्वारा पहले ही सिफारिश की गई है। मेरा मानना है कि सरकार भारतीय स्टेट बैंक की स्वामी बनने जा रही है। अतः मैं आशा करता हूं कि वह स्वामीनाथन समिति अन्य की सिफारिशों को भी लागू करेगी।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य बैंकों की ऋण नीति का पुनःनिर्धारण और अन्य मुद्दों का ध्यान में रखना चाहिए और सरकार को इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। अध्यादेश जारी करने के संबंध में मेरी टिप्पणी यथावत् है। मेरा मानना है कि सरकार इसे स्पष्ट करेगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एमेंडमेंट बिल, 2007 का मैं विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन इसका समर्थन करूं, इसके पहले मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी कुछ बिन्दुओं पर जिन पर शंका है, उन पर अपना स्पष्टीकरण दें। इस एमेंडमेंट के माध्यम से, इस आर्डिनेंस के माध्यम से सरकार ने जो स्टेट बैंक के 59.73 परसेंट शेयर्स को सीधे अपने अधिकार में लेने का फैसला किया है और जहां–जहां जिन–जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक शब्द का इस्तेमाल था, उसको केन्द्रीय सरकार से सब्सटीट्यूट करने का इन्होंने निर्णय किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने निर्णय लिया है, वह नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट पर लिया है, ऐसा इन्होंने बताया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आर्डिनेंस लाने के बजाय, जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, आप अगर बजट सैशन के समय इसका बिल लाये होते और उस पर व्यापक चर्चा होती या फिर टोटल स्टेट बैंक के इस बुक ट्रांसफर और शेयर ट्रांसफर के बजाय टोटल बैंकों के जो रिफार्म्स हैं, उनके संबंध में आप एक विस्तृत बिल लाते तो वह इस देश को ज्यादा फायदा दे सकता था।

आपकी यह जो नीति है कि आप बैंकों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपकी आर्थिक नीति है कि आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप कई संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं, उनके शेयर्स बचे रहे हैं और दूसरी तरफ स्टेट बैंक के 59.73 परसेंट शेयर्स आप ले रहे हैं। यह आपकी जो घोषित आर्थिक नीति हैं, उसके विपरीत है। आज आपने आर्डिनेंस की बात की, अगर आपको बुक ट्रांसफर ही करना था तो बुक ट्रांसफर तो आप बाद में भी कर सकते थे। बुक्स ट्रांसफर के लिए अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं थी। अध्यादेश पर सरकार चलाना तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। इसे आर्डिनेंस राज्य कहा जाता है।

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। यह हमारे मन में शंका है। 40 हजार करोड़ रुपए की बात आपने कही कि 40 हजार करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। अगर 40 हजार करोड़ रुपए आपने मार्केट से बारोइंग किया, तो इस 40 हजार करोड़ रुपए से देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे डेफिसिट बढ़ेगा। वित्त मंत्री जी, हम इस बिन्दु पर आपका स्पष्टीकरण चाहते हैं।

इसके अलावा आपकी नीति है कि हम बैंकों में 51 प्रतिशत से ज्यादा शेयर नहीं रखेंगे। इसके विपरीत जाकर स्टेट बैंक के 59.73 प्रतिशत शेयर खरीदकर आपने अपनी उसी नीति का उल्लंघन करने का काम किया है।

महोदया, आज स्थिति यह है कि बैंकों में स्टेट बैंक की क्रेडिबिलिटी घट रही है। बाजार में लाग आज स्टेट बैंक में डिपाजिट नहीं लेकर जा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक कारण यह हैकि उसकी सर्विस सरकारी दफ्तर की तरह हो गयी है। बैंक के कर्मचारी यह मानते ही नहीं हैं कि वे एक कामर्शियल आर्गनाइजेशन के कर्मचारी हैं और इस शेयर ट्रांसफर के बाद उनमें इस तरह की प्रवृति और बढ़ेगी एवं इसके साथ ही आपकी जो क्रेडिबिलिटी घटी है, उस पर और प्रतिकूल असर पड़ेगा।

महोदया, कई माननीय सदस्यों ने डिपॉजिट्स के संबंध में चर्चा की है। आप जितना डिपॉजिट ले रहे हैं, उसका कितना प्रतिशत आप किसानों को लोन के माध्यम से दे रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं। मैं जिस राळय से आता हूं, उस राज्य में जितना आप डिपाजिट ले रहे हैं, उसका २० प्रतिशत भी लोन नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां डिस्ट्रिक्टस में जो भारत सरकार की स्पांसर्ड स्कीम्स है, उनकी मानिटरिंग के लिए बनी कमेटी बनी हुयी है। हम लोग जब उसकी मीटिंग करते हैं, जबकि आपका नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के बारे में हमने अपनी कांस्टीच्युएंसी के कई जिलों में रिव्यू किया, जिससे २० प्रतिशत आपका एचीवमेंट है। बैंकों में जो ओवदन पड़े हुए हैं, उनकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। एक तरफ आपकी क्रेडिबिलिटी घट रही है, आपकी सर्विस घट रही है और आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बैंक का 59.73 प्रतिशत शेयर अपने पास रखकर उसे केंद्रीय सरकार के माध्यम से रिजर्व बैंक को सब्स्टीटयूट कर रहे हैं। इसकी और भी कोई व्यवस्था हो सकती थी। इसे केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेती, इसके अलावा भी कोई व्यवस्था हो सकती थी। अगर इन बिंदुओं पर माननीय मंत्री जी आम संतुष्ट कर पाएंगे, तो मैं इस बिल का समर्थन करूंगा, अन्यथा मैं इस बिल के विरोध में हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदया, मैं भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं। अध्यादेश को जारी करने के पश्चात् सभा को विश्वास में लेने के लिए माननीया वित्त मंत्री ने जो निष्ठा दर्शायी है उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं तथा उन्हें बधाई देता हूं।

मैं विधेयक में काफी ठोस तर्क पाता हूं। प्रश्न किए गए हैं कि इस विधेयक को बजट सत्र में क्यों नहीं लाया गया। बजट सत्र के दौरान सरकार ने ही 40,000 करोड़ की धनराशि देने की योजना बनाई थी और इतनी धनराशि को जुटाने के लिए काफी समय की जरूरत थी और फरवरी, अथवा मार्च अथवा अप्रैल के माह में ही कोई भी धनराशि नहीं दे सकता है और धन न होने की स्थिति में विधेयक को नहीं लाया जा सकता था। इसलिए, सरकार को कुछ समय लेना पड़ा। यह पाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अर्थात् 30 जून, 2007 से पूर्व सरकार उतनी धनराशि जुटा सकती थी और इसलिए सरकार को मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय का लिहाज करते हुए यह काम करना पड़ा। परन्तु उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था और इसलिए माननीय वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अध्यादेश को जारी करना बेहतर विकल्प था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अलोकतांत्रिक कहा जाए। ऐसी बात नहीं है कि सभा को विश्वास में नहीं लिया गया है। इसलिए, मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने बिल्कुल ठीक मौके पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में यथावश्यक संशोधन किया है। इसलिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। विधेयक के उद्देश्य और अन्य बातों के बारे में माननीय सदस्यगण पहले ही बोल चुके हैं।

मैं दो महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे पाता हूं जो इस अधिनियम से पूरे होंगे। एक उद्देश्य है, इससे भारतीय रिजर्व बैंक के जो मतभेद विद्यमान हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि खिलाड़ी खुद ही रेफरी नहीं हो सकता क्योंकि रेफरी यदि स्वयं खिलाड़ी है तो वह खिलाड़ियों की देख–रेख प्रभावकारी ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए विनियामक कोई और होना चाहिए तथा मालिक कोई और। इस प्रकार, इस विधेयक में इस तरह के मतभेदों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है जो काफी लम्बे समय से मौजूद था। निःसन्देह, नरसिंहमन समिति द्वारा भी यह सिफारिश की गई है और इसलिए सरकार ने इस सिफारिश को कार्यान्वित किया है।

दूसरी बात, जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है इसके राजस्व निहितार्थ कोई खास नहीं है क्योंकि जिसे एक हाथ से लिया गया है। उसे दूसरे हाथ से दिया गया है। महोदया, भारत सरकार जो धनराशि दे रही है वह 40,000 करोड़ रुपए नहीं है। वास्तविक धनराशि 35,531.33 करोड़ रुपए है जो 59.73 प्रतिशत शेयर धारिताओं को

खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई है जबकि इस शेयरधारिता को खरीदने के लिए वस्तुतः 43,39,200 रुपए की धनराशि आवश्यक है और यह धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरेक से भारत सरकार को प्राप्त हुई। इसलिए, जहां तक सरकार का संबंध है उसके लिए इसके वित्तीय निहितार्थ कोई खास नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार को यह धनराशि उधार लेनी होगी और इससे राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में ये निहितार्थ इस विधेयक से सम्बद्ध हैं।

यह बहुत साधारण विधेयक है जिसके माध्यम से स्वामित्व का अन्तरण एक हाथ से दूसरे हाथ को किया जा रहा है। बस। यह, बैंक के किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा। परन्तु इसमें चिन्ता की थोड़ी सी बात यह है कि, भारत सरकार जो कुछ भारतीय रिजर्व बैंक को देगी वह पूंजी व्यय के रूप में होगा लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जो कुछ सरकार को देगा वह राजस्व लेखे के रूप में होगा। इसलिए, यदि राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का मिलान करना हो, तो यह राजस्व निरपेक्ष (न्यूट्रल) होगा। इससे शुरू पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके बाद, इस विधेयक का अन्य लाभ यह है कि अब भारत सरकार भारतीय स्टेट बैंक की मालिक होगी, सरकार जिसके समक्ष कई सामाजिक नीतियां हैं, का कार्यान्वयन कर सकेगी। संप्रग सरकार ने बहुत से सामाजिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं और यह वह सरकार है जो आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों पर जोर देती है। इसलिए, इसने बहुत ही प्रशंसनीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया है जिसके लिए वित्त प्रबन्ध की आवश्यकता है। अब जब सरकार मालिक बन जाएगी, तो वह बैंक को उन कार्यक्षेत्रों में कार्य करने का निदेश दे सकेगी जिन क्षेत्रों में भारत सरकार कुछ सामाजिक नीतियों का कार्यान्वयन करना चाहती है। इसलिए, वित्त बाधा नहीं होगी क्योंकि सरकार स्वयं मालिक बन जाएगी और नीति सामंजस्य बना रहेगा। नीति कार्यान्वयन भी बेहतर हो जाएगा। इसलिए, मैं समझता हूं कि सरकार की इस कार्रवाई से ये तीन सुस्पष्ट लाभ होंगे।

इसके बाद, मैं माननीय वित्त मंत्री के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक की बाजार भागीदारी घट रही है और बाजार भागीदारी में यह कमी ऐसे समय पर हो रही है जब बैंक के लाभांश (मार्जिन) में भी कमी आ रही है। ऐसे समय में जब बैंक बाजार पर पकड़ बनाने के लिए जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है तो यह बिल्कुल संभव है कि लाभांश में कमी हो सकती है। परन्तु यहां तो यह हो रहा है कि लाभांश के साथ-साथ बाजार भागीदारी में कमी आ रही है और इससे खतरे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और जैसा कि लोगों ने कहा कि प्रतिलाभ की दर में भी कमी आ रही है। इसलिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थिति के संबंध में ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना है और हमें इसे सही स्थिति में लाना है।

भारतीय स्टेट बैंक को आज स्वदेश में न केवल निजी क्षेत्र के बैंकों से अपितु आसन्न बैंकिंग सुधारों से भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय स्टेट बैंक को विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। और यदि भारतीय स्टेट बैंक को इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना है तो इक्विटी बाजार और पूंजी बाजार में पकड़ बनाने के लिए उसे और अधिक संसाधनों से लैस होना होगा।

अब, इस बात का विधि सम्मत भय है कि क्या सरकार अपनी सभी राजकोषीय बाधाओं के बावजूद भारतीय स्टेट बैंक को इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपेक्षित पूंजी प्रदान कर सकेगी? यह दूसरा बिन्दु है जिसे भारत सरकार को ध्यान में रखना होगा।

तीसरी बात यह है कि भारतीय स्टेट बैंक को आज और अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है। इस बात का अर्थ है कि जब भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार के नियंत्रण अधीन हो जायेगा तो क्या वह अपनी उस स्वायत्तता का पूरा उपयोग कर सकेगा? इसलिए, भारत सरकार को अपनी नीति इस तरीके से बनानी चाहिए जिससे भारतीय स्टेट बैंक को अपनी संक्रियाओं और नीतियों को तैयार करने में और अधिक स्वतंत्रता, और अधिक लचीलापन मिल सके।

भारतीय स्टेट बैंक आज सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक है जिसकी 9000 शाखाएं हैं और 100 करोड़ ग्राहक हैं। चिन्ता की बात यह है कि यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 22 प्रतिशत व्यापार कर सकने में सक्षम हैं। उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारिक ऋण देकर वहां अपने व्यापार में बढ़ोत्तरी करनी है।

नरसिंहमन समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को तीन बैंकों की, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, और राष्ट्रीय आवास बैंक की शेयर धारिता ले लेनी चाहिए। ऐसा अब हम केवल भारतीय स्टेट बैंक के संबंध में ही कर पाए हैं; हम यह जानना चाहते हैं कि नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक की शेयर धारिता भारतीय रिजर्व बैंक से कब ले ली जाएंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत दम है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदया, मैं भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बिल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा इसकी शाखाएं हैं और सबसे

[प्रो. रासा सिंह रावत]

ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी भी इसी बैंक में हैं। लेकिन मैं एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा शाखाओं और सबसे ज्यादा मुलाजिमों वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगातार मुनाफा घटने का क्या कारण रहा है? आपके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1999–2000 में इस बैंक को 99.6 परसेंट लाभ रहा था जबकि वर्ष 2006–07 में यह लाभ घटकर कम हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस लाभ के कम होने का क्या कारण है? आप कहेंगे कि इसका लाभ तो बहुत है। यह बैंक लाभ में चल रहा है, लेकिन यह लाभ पहले 99.6 परसेंट था, जो क्रमशः घटते–घटते किसी साल 35 परसेंट घट गया, तो किसी साल 27 परसेंट घट गया और किसी साल 21 परसेंट घट गया। यह लाभ निरंतर घटता चला जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या इस घटते हुए मुनाफे का कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 474 नई शाखाएं खोल दी लेकिन कर्मचारी उस अनुपात में घटते चले जा रहे हैं। क्या कम्प्यूटराइजेशन के नाम पर यांत्रिककरण के कारण ऐसा हो रहा है? इसका क्या कारण है? मैं समझता हूं कि घटते हुए मुनाफे का एकमात्र कारण शायद यह भी है, क्योंकि लिपिक लोगों की संख्या कम होती जा रही है। फलस्वरूप उनकी कार्यकुशलता में थोड़ी कमी आ रही है इसलिए मुनाफा घट रहा है।

महोदया, मैं एक बात की ओर संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अन्य बैंक्स, जो राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, उनकी तुलना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपाजिट खाते कम हैं। वे अन्य बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तुलना में आगे चल रहे हैं। इसका इतना बड़ा साइज होते हुए भी दूसरे बैंक डिपाजिट खाते में आगे चल रहे हैं। इसका क्या कारण है, यह भी आप बतायें? जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि बजट सत्र में हमें इतना लम्बा समय मिला। यदि उस समय आप यह बिल लाते, तो भली प्रकार से उस पर चर्चा हो सकती थी। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि आपकी जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता है, जो तानाशाही की अध्यादेशिक प्रवृत्ति है, वह कहीं न कहीं उजागर हो जाती है। परिणामस्वरूप बजट सत्र में आपको इस बिल को लाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आप 21 जून, 2007 को आप आर्डिनैंस ले आये और आर्डिनैंस के माध्यम से आपने जो कुछ करना था, वह आपने कर दिया। अब आप पार्लियामेंट के सामने आये हैं और इस बिल में संशोधन करके उसे पास कराना चाहते हैं। अब यह बिल तो पास हो जायेगा क्योंकि हम समर्थन कर रहे हैं। समर्थन तो कर ही रहे हैं, कुछ शर्तों के साथ और कुछ बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं तो लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाया भी जाना चाहिए। इस बारे में माननीय वित्तमंत्री जी को चिंतन करना चाहिए। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के बारे में बासेल समझौता हुआ था जिसे वर्ष 1992 में भारत द्वारा भी स्वीकार किया गया। तदनुरूप भारतीय स्टेट बैंक और उसके आनुषंगिक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मानदण्डों को पूरा करने के लिए पूंजी का आधार बढ़ाए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, शेयरों का निर्गमन करने के लिए, निजी स्थापना या अधिमानी आबंटन का प्रावधान करने के लिए, बैंकिंग प्रणाली में मूल वित्तीय सुधार लाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता में भी सुधार लाने के लिए आपने अन्य बैंकों के समान भारतीय स्टेट बैंक को भी करना स्वीकार किया था। अब तक एक प्रकार से रिजर्व बैंक इसका स्वामी था और अब केन्द्रीय सरकार इसकी स्वामी हो जायेगी। स्टेट बैंक और इसकी आनुषंगिक बैंकों में पूंजी आधार बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाया गया है और जैसा कि उद्देश्यों में कहा गया है कि पर्यावरण संबंधी बसेल समिति ने जून, 2004 में नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा जारी किया है जिसमें सार्वजनिक बैंकों से अपना पूंजी आधार बढ़ाने को कहा गया है और उसी आधार पर आप यह संशोधन विधेयक लाए हैं। इसके माध्यम से तीन बैंकों – एसबीआई, नाबार्ड और एनएचबी – में केन्द्र सरकार हिस्सेदारी खरीद रही है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक पूरी तरह से बैंकों के नियमन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगी। इसलिए मंत्रिमंडल ने तय किया है कि एसबीआई, नाबार्ड और एनएचबी में रिजर्व बैंक की पूंजी को केन्द्र सरकार को हस्तांतरित किया जाए और उसी आधार पर उन बैंकों के शेयर केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करने का यह प्रयास है। शायद वित्तमंत्री जी यह मानते रहे हैं कि बैंकों के नियामक को इन बैंकों का मालिक नहीं होना चाहिए, इसलिए अब केन्द्र सरकार अन्य बैंकों की तरह ही, इस बैंक की भी मालिक हो जाएगी

इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गांवों में कुछ राष्ट्रीकृत बैंकों की सेटेलाइट बैंक हैं। वहां कई किसानों और छोटे–छोटे व्यापारियों के खाते हैं। एक तरफ तो आप शहरों में नई शाखाएं खोल रहे हैं और दूसरी तरफ गांवों में जो सेटेलाइट बैंकों की शाखाएं हैं, उनको बंद करते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों है? मान्यवर जो बैंकों का सामाजिक दायित्व था और उसके अंतर्गत छोटे किसानों और ग्रामीण जनों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए थे कि सरकारी बैंकों से उनको सहज रूप से ऋण उपलब्ध हो सके। एक तरफ तो आपने ऋण उपलब्ध कराने की बात कही कि कृषि सेक्टर को इतना ऋण मिले और, उद्योगों को इतना ऋण मिले और उसके लिए आपने कुछ व्यवस्था की, लेकिन दूसरी तरफ आपने एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि जो बैंक लाभ में रहेगा वह तो चलेगा और जो बैंक घाटे में रहेगा उसे धीरे–धीरे बंद कर दिया जायेगा। यह तो सांप–छछूंदर वाली बात हो गई, यह 'आधा तीतर,

आधा बटेर' वाली बात है। ऋण के लिए गांव वालों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी उनको ऋण नहीं मिल पाता है। उद्योग अधिकारी ही यह तय कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से किस व्यक्ति को कितनी राशि दी जाए। वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का या कमजोर वर्गों का व्यक्ति है, वह चक्कर लगाता रहता है। वह कमेटी तय कर लेती है किसे कितना ऋण दिया जाए। जिस बैंक को फार्म भेजता है, उसके चक्कर काटते–काटते वह थक जाता है, लेकिन बैंकों की तरफ से उसे ऋण नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप बैंकों के शेयर खरीदें, उनमें संशोधन करें, लेकिन पहले बैंकों के जिस सामाजिक दायित्व का वायदा किया गया था, उसका पालन होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखें। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सन् 2009 के बाद हमारे देश में विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुसार विदेशी बैंकों पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जायेगा। वे भी हिन्दुस्तान में खुले में आ जाएंगे। अभी तक हमारे देश में सिर्फ एचएसबीसी ही ऐसा बैंक है। उस बैंक के पास जितनी सम्पत्ति है, वह हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों की सम्पत्ति भी मिला दी जाए, तो उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए हमारे बैंक विदेशी बैंकों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। जब एक बैंक की हालत यह है तो वैश्विकरण के युग में हमारे बैंक विश्व स्तर में किस प्रकार बने रह सकेंगे, इस पर भी विचार होना चाहिए।

हमारे देश में एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। उसके पास करीब 5 लाख करोड़ रुपए की सम्पत्ति है। अभी तक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में ही प्रतिस्पर्धा है। अगर विश्व स्तर के प्राइवेट बैंक यहां आएंगे और हिन्दुस्तान में कारोबार चलाएंगे, तो फिर इन तीनों में प्रतिस्पर्धा होगी। हमारे बैंक उसमें कहां टिक पाएंगे, क्योंकि विदेशी बैंक नई–नई योजनाएं निकालकर ग्राहकों को आकर्षित करेंगे, इस पर सरकार को अभी से विचार करना चाहिए।

इस बिल के माध्यम से एक्ट में संशोधन हम करने जा रहे हैं, उसमें बैंक प्रबंधन को लचीला बनाने का प्रयास करने का भी प्रावधान है। आज सरकारी बैंकों में हड़ताल होती रहती है। क्या बैंकों के कर्मियों के सामने आउटसोर्सिंग का खतरा है, जिससे उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व संकट में आ सकता है। इसलिए वे हड़ताल करते हैं। सरकार के बार–बार आश्वासन देने और प्रधानमंत्री जी के साथ बैंक अधिकारियों की बातचीत होने के बाद भी उन्हें बार–बार हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ता है। इस बारे में भी वित्त मंत्री जी अपने जवाब में स्थिति स्पष्ट करें। अगर देश में बैंकों की एक दिन की भी हड़ताल होती है तो करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी कौन सी नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसके कारण उन्हें बार–बार हड़ताल पर जाना पड़ता है, उन्हें दूर करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए।

ऋण देने के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन ऋण देने के बारे में त्वरित निर्णय होना चाहिए। आज सरकारी बैंकों के कर्मी सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी ट्रांसफर दूसरी शाखा में हो जाएगी। यह सोच ठीक नहीं है। आज प्रतिस्पर्धा का समय है, इसलिए ऋण देने के त्वरित निर्ण के बारे में सरकारी बैंक के कर्मियों की मानसिकता को बदलना होगा। इस पर शासन की ओर से भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस संशोधन विधेयक के द्वारा जो आप परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी चर्चा की है। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन आवश्यक है और निम्न श्रेणी के तबके को राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा ऋण देने में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने अध्यादेश के प्रख्यापन की आवश्यकता, तुक और कारण के बारे में स्वयं बता ही चुके हैं। हमारे संविधान में अध्यादेश को कार्योत्तर उपाय माना जाता है। जब अध्यादेश को विधेयक के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तब अनुमोदन संकल्प निष्फल हो जाता है।

[हिन्दी]

मैं रासा सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि एन डी ए सरकार के समक्ष कितने अध्यादेश लाए गए, अगर वे इस पर विचार करें तो उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रजातंत्र में आर्डिनेंस लाने का सरकार को अवसर प्राप्त है।

[अनुवाद]

महोदया, आज हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र को हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार माना जाता है। वैश्विक वातावरण अपनाने और अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्रतिपादित विवेकपूर्ण मानकों को बनाए रखने के लिए, हम स्वाभाविक रूप से वित्तीय क्षेत्र में अनवरत सुधार लाने के प्रक्रियाधीन है।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदया : अब चार बजे हैं। हमें देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा करनी है। लेकिन, मेरा मानना है कि केवल तीन या चार सदस्य ही ऐसे हैं जो इस विधेयक पर होने वाली

चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अतः, यदि सभा सहमत हो तो पहले हम इस विधेयक को पारित करेंगे और बाद में बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : सभापति महोदया, केवल चार सदस्य ऐसे हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। हम इस चर्चा को अपराह्न 4.30 बजे तक समाप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात् हम बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदया : मैं समझती हूं कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हम सहमत हैं।

सभापति महोदया : धन्यवाद, मैं सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक पर बोलते समय वे अपनी बात को संक्षेप में रखें।

श्री अधीर चौधरी : महोदया, हमारा वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकीय प्रचालनात्मक और जन सम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय क्षेत्र में विश्वास भरने के लिए, हमारा वित्तीय क्षेत्र वर्षों से सुधार के कार्य में लगा हुआ है और इसी प्रयोजनार्थ वर्ष 1991 में नरसिंहम समिति का गठन किया गया था और पुनः वर्ष 1998 में सरकार ने दूसरी नरसिंहम समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा उन सिफारिशों का कार्यान्वयन भी किया जा चुका है और ऐसी ही एक सिफारिश इस विधेयक के उद्देश्यों से सम्बन्धित है। इसे स्वीकार कर लिया गया है और उसी के प्रयोजनार्थ सरकार ने यह विधान प्रस्तुत किया है।

अपराह्न 4.02 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय विनियम और पर्यवेक्षण का संचालन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हमारी बैंकिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के विनियामक ढांचे से उत्तरोत्तर सम्बद्ध हुई है। हमने बैसेल II मानकों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं जिन्हें पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक को वर्षों से वाणिज्यिक बैंकों, शहरी विकास बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय संस्थाओं के विनियामक और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य का प्राधिकार सौंपा गया है। परन्तु दूसरी नरसिंहम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार इसे बहुत सही मानती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोनों कार्यों का किया जाना उचित नहीं है। नरसिंहम समिति की सिफारिशों के अनुसार रिक्रूटमैंट बोर्ड पद्धति को पहले ही समाप्त कर दिया गया है, बी आर एस को कार्यान्वित कर दिया गया है। प्रबन्धकीय स्वायत्तता देने की घोषणा भी कर दी गई है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नरसिंहम समिति की दोनों रिपोर्टों में मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर दिया गया है। परन्तु इस संबंध में मैं यह नहीं जानता कि सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं।

जहां तक हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन का संबंध है, तो हमें अपनी बैंकिंग प्रणाली के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करते समय प्रत्येक कर्मचारी के कार्य, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा लाभ कमाकर देने, इत्यादि अत्यधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं जिनके बारे में विचार किए जाने की आवश्यकता है। बैसेल मानकों का अनुपालन करने के उद्देश्य से हमारे बैंकों ने स्वयं यथेतर पूंजी लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। समग्र वैश्विक परिदृश्य जहां गलाकाट प्रतिस्पर्धा आज की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते हुए भारत में बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, इस स्थिति का सामना करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी, प्रचालन और सेवाओं संबंधी सभी पहलुओं पर स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है।

जहां तक एस बी आई का संबंध है, तो मैं कहना चाहता हूं कि एस बी आई अपनी परम्परागत कार्यप्रणाली को, जो वर्षों से चली आ रही है, ठीक नहीं कर सकी है। इसलिए, लोगों को, वे सेवाएं नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इसलिए, एसबीआई के विरुद्ध शिकायतों का अम्बार लग गया है। मेरा मानना है कि इस वैश्वीकृत प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में सेवाओं को प्रदान करना सदैव ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का संवर्द्धन अनिवार्य है और जहां तक वित्तीय क्षेत्र का संबंध है, वह प्रभावी भूमिका निभाता है। इसलिए विश्व स्तर पर होने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा वित्तीय क्षेत्र के वैश्वीकृत परिदृश्य में स्वयं को सही स्थिति में रखने के लिए बैंककारी सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, सामान्यतौर पर बोलने का मैं अवसर नहीं लेता। इस पर मुझे इस विधेयक इस संशोधन विधेयक का वास्ता एक पहलू से है और वह है कि मूल अधिनियम में जहां कहीं पर भी "रिजर्व बैंक" शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हटाकर उसके स्थान पर "केन्द्र सरकार" शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यही एक मात्र प्रावधान है। इसी प्रयोजनार्थ, यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

परन्तु मेरी असहमति दूसरे पहलू से है और बहुत साधारण है। हमारे संविधान में, बिधायी कार्य इस सभा का परमाधिकार है और किसी भी एजेन्सी को यह सौंपा नहीं गया है। परन्तु अनुच्छेद 123 और 213

राज्यपाल और राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्रदान करते हैं, वे अधिकार ये हैं कि जब कभी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति आएगी तो सरकार अध्यादेश प्रक्रिया का सहारा ले सकती है। जैसे ही सभा पुनः समवेत होगी, उसके छह सप्ताह के भीतर ही यह अध्यादेश समाप्त हो जायेगा। अतः, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यह आपात व्यवस्था है।

अब इस मामले पर आते हैं। बैंकिंग सुधारों संबंधी नरसिंहम समिति की रिपोर्ट बहुत समय पूर्व से विद्यमान है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय स्टेट बैंक के विनियामक और स्वामी के रूप में कार्य कर रहा है और यह बहुत लम्बे से होता चला आ रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। रिजर्व बैंक का स्टेट बैंक में काफी बड़ा शेयर है और वह भी बहुत लम्बे समय से। बैंकिंग सुधारों संबंधी नरसिंहम समिति की रिपोर्ट भी बहुत समय पहले से सरकार के पास मौजूद है। सरकार इस स्थिति से पूर्णतया अभिज्ञ थी कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के सम्बन्ध में एक विधान तथा उसका संशोधन होना चाहिए और सरकार के प्रथम अनुमानों के अनुसार, इसमें 40,000 करोड़ रुपए की राशि लगेगी। इस प्रयोजनार्थ इस वर्ष के बजट में भी प्रावधान किया गया था। अतः, सरकार ने इस बात का पूर्वानुमान कर लिया था और इसे आपात स्थिति अथवा अभूतपूर्व अथवा अप्रत्याशित स्थिति नहीं कहा जा सकता है। सरकार को इस बात का पूरा–पूरा पता था कि भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों का अधि प्राप्त करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यह स्थिति है। वे इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि इस प्रयोजन हेतु वर्तमान वर्ष के बजट में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ये सभी चीजें काफी समय से चलती आ रही हैं। इसमें कोई तात्कालिकता नहीं थी। एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को छोड़कर कोई भी अपनी कल्पनाशक्ति से यह सोच सकता है कि वहां पर तात्कालिकता है। नरसिंहमन समिति की रिपोर्ट हमारे सामने है। वर्तमान वर्ष के बजट में प्रावधानों को शामिल करके सरकार भी यह स्वीकार करती है। संसदीय पद्धति में यह उचित नहीं है कि अध्यादेश के माध्यम से भारत की संचित निधि से धन का प्रत्याहरण किया जाए। ऐसा विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस सभा को इससे अलग रखा गया है। सरकार पहले ही 35,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकाल चुकी है। महोदय, 29 जून, 2007 को भारत की संचित निधि से पहले ही लगभग 35,531 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। अध्यादेश जारी किया गया। उसी माह के उसी दिन भारत की संचित निधि से धनराशि का प्रत्याहरण किया गया? सरकार को इसकी जानकारी है। कानून में प्रावधान भी इसीलिए किया गया है। सरकार इस स्थिति से भी अवगत है कि नरसिंहमन समिति की रिपोर्ट सेंट्रल बैंक को स्वीकार है; इसका निर्णय काफी पहले ले लिया गया है। जब हम इन सभी परिस्थितियों पर विचार करते हैं; तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 123 का दुरुपयोग हो रहा है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं इस बात का उत्तर दूंगा। . ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल आधा घंटा शेष है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : अनुच्छेद 123 का उपयोग आपाती स्थिति के लिए न कर सरकार की सुविधा के लिए किया जा रहा है और सभा की स्थिति को अस्थिर बनाया जा रहा है। यह एक प्रतिबद्ध विधान है। हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। धनराशि निकाली जा चुकी है। हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं; हमें इस अध्यादेश का भी समर्थन करना होगा। हम कोई विचार–विमर्श नहीं कर सकते क्योंकि अध्यादेश पहले ही लागू कर दिया गया है। हमने कोई विचार विमर्श नहीं किया है। हम देश की विद्यमान स्थिति में कोई परिवर्धन और परिवर्तन नहीं कर सकते। माननीय वित्त मंत्री जी, क्या यह उचित है?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : आप बहुत विद्वान हैं। आपने भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए अध्यादेश प्रक्रिया का सहारा क्यों लिया?

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन आप अपनी बात कह चुके हैं। माननीय मंत्री आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : ऐसे तो हर सरकार अध्यादेश जारी करके किसी भी प्रयोजन के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकाल लेगी। यह संसदीय प्रक्रिया ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सभा को रबर स्टाम्प बना दिया गया है। भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए आपने सभा को कार्यपालिका की रबर स्टाम्प बना दिया है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कृपया मुझे माफ करें; मुझे यह सब कहना पड़ रहा है; कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए; और ऐसा खराब उदाहरण पेश न करें। यह यूपीए सरकार के लिए उचित नहीं है। मुझे लगता है, इसके बाद यूपीए सरकार दोगुना सावधान रहेगी। जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें, इस सभा की संस्वीकृति लें न कि अध्यादेश के माध्यम से यह सब करें।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मुझे मेरे स्थान से ही बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, मैं इस विधेयक के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन यह बहुत ही विचित्र स्थिति है क्योंकि दो या तीन दिन के बाद विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति में अनुमोदित किया जाना है। तारीख निर्धारित हो गई है। लेकिन अब विधेयक का एक अंश अध्यादेश के माध्यम से पारित किया जा रहा है। मैं बहुत ही अजीब स्थिति से गुजर रहा हूं।

खैर, मैं वित्त मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक को उस संस्था का स्वामी नहीं होना चाहिए जिसे यह विनियमित करती है। मैं इससे सहमत हूं। अतः, मैं भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को स्वामित्व के अंतरण का समर्थन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। यदि भारतीय स्टेट बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक के इक्विटी शेयर 31,43,39,200 अर्थात् 59.73 प्रतिशत है तो इन शेयरों की कुल कीमत कितनी है? भारतीय स्टेट बैंक के एक शेयर की लागत किस आधार पर निर्धारित की जाती है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों का बाजार मूल्य निर्धारित कर लिया गया है अथवा जब भी सरकार शेयरों में भुगतान करती है तब समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। यह उन स्पष्टीकरणों में से है जो मैं माननीय मंत्री से चाहता हूं।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी नरसिंहमन समिति की दूसरी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि न केवल भारतीय स्टेट बैंक बल्कि राष्ट्रीय आवास बैंक और नाबार्ड के शेयरों को भी भा.रि.बै. से भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आवास बैंक और नाबार्ड की शेयरधारिता को भा.रि.बै. से भारत सरकार को कब हस्तांतरित किया जा रहा है।

यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक भारत के बड़े बैंकों में से है, फिर भी विश्व में पहले सौ बैंकों में इसका स्थान नहीं है। निःसंदेह इसके सहायक बैंकों का इसमें विलय होने जा रहा है। क्या भारतीय स्टेट बैंक और अधिक अधिग्रहण करेगा? इतने अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्या आवश्यकता है? इन छोटे और कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों के साथ क्यों मिला दिया जाता? मैं माननीय वित्त मंत्री से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

क्या अध्ययन-ऋण के वितरण के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान मार्गनिर्देश हैं? मैं, संसद सदस्य के रूप में जिला परामर्श समिति की प्रत्येक बैठक में हमेशा उपस्थित रहता हूं। मुझे यह जानकर वास्तव में आश्चर्य हुआ है कि अध्ययन ऋण की संस्वीकृति के संबंध में बैंकों में एक समान नीति नहीं है। कुछ बैंक कहते हैं कि विद्यार्थियों का कैरियर अच्छा होना चाहिए। 'अच्छे कैरियर' से क्या तात्पर्य है? मेरे जिले में, मैंने भारतीय स्टेट बैंक से कुछ विद्यार्थियों को ऋण संस्वीकृत करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इन विद्यार्थियों का कैरियर अच्छा नहीं है लेकिन कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हें ऋण देने के लिए स्वतः ही आगे आ गए। अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए मानक मार्गनिर्देश हो और इनमें इस संबंध में पूर्ण पारदर्शिता हो कि अध्ययन ऋण किस आधार पर संस्वीकृत किया जा रहा है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस संबंध में कार्रवाई करे और कम से कम भारतीय स्टेट बैंक जो कि सबसे बड़ा बैंक है, को अध्ययन ऋण संस्वीकृत करने में अधिक उदार होना चाहिए।

महोदय, अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री से एक और स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह उल्लेख किया था कि भा.रि.बै. से भारत सरकार को शेयर का हस्तांतरण करने से कोई राजस्व प्राप्ति नहीं होगी। वित्त संबंधी स्थायी समिति की चर्चा के दौरान हमने इस संबंध में विभिन्न अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन वे नहीं दे पाए।

मैं इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि राजस्व प्राप्ति का क्या अर्थ है? इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : मैं भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में अपनी राय कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अध्यादेश के प्रख्यापन के विषय में नहीं बोलूंगा क्योंकि हरेक सदस्य पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं। यदि उस समय प्रख्यापन लाए जाने की आवश्यकता थी तो मेरे विचार में माननीय मंत्री इस बारे में उत्तर देंगे। परंतु मैं अन्य मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में इसके बारे में सिफारिशें की गई हैं। परन्तु मेरा मानना है कि सरकार को स्वयं ही भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण को समाप्त करने की पहल करनी चाहिए थी। मेरे विचार में नरसिम्हन समिति ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा किए जाने की आवश्यकता थी।

महोदय, यहां पर मैं केवल चार या पांच बिन्दुओं पर बात करूंगा।

यह सच है, जैसा कि मेरे मित्र श्री खारवेल स्वाईं ने भी उल्लेख किया कि भारतीय स्टेट बैंक के 31,43,39,200 शेयर रिजर्व बैंक के पास हैं। इन शेयरों का कुल मूल्य कितना है? वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के एक शेयर का शेयर बाजार में मूल्य 1500 रुपए है। यह 1800 रुपए तक भी पहुंच गया था। अतः वित्त मंत्री का यह स्पष्ट विचार है कि इन शेयरों को भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर केन्द्र सरकार को दे दिया जाए। सब का वे विनिवेश कर इससे कुछ राशि एकत्र करना चाहते हैं। क्या यही उद्देश्य है? यदि यही उद्देश्य है तो कृपया हमें भी बताएं। मेरे विचार में यह बहुत ही चालाकीपूर्ण कदम है।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लेख है कि सभी निदेश केन्द्र सरकार द्वारा दिए जायेंगे। अब यदि ऐसा होगा तो भारतीय स्टेट बैंक की स्वायत्तता समाप्त हो जायेगी और यदि भारतीय स्टेट बैंक की स्वायत्तता समाप्त होगी तो इसके अनुषंगी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य बैंक अत्यधिक प्रतियोगिता के कारण बाजार में टिकने में सक्षम नहीं हो पायेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से भारतीय स्टेट बैंक को ई–बैंकिंग और कई अन्य सुविधाओं के लिए पहले करनी होगी।

महोदय, मैं इन मुद्दों को उठा रहा हूं जो पहले नहीं उठाए गए हैं। अतः स्वायत्तता एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। चीन के बैंक भी बाजार में आ रहे हैं। सभी भारत की तरफ देख रहे हैं। यदि ऐसा है तो क्या भारतीय स्टेट बैंक इस व्यवसाय में उनके एकाधिकारों को रोकने में वाकई सफल हो पाएगा और उनसे बेहतर कर पाएगा? मैं समझता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक को स्वायत्तता दिए जाने से, नई पहलें की जायेंगे और वे वास्तव में बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर पाएंगी जो बहुत अच्छी बात है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में पहले जैसी बैंकिंग पद्धति संस्कृति नहीं रही। अब माहौल बदल रहा है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से प्रतिभा पलायन हो रहा है, अच्छे अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर जा रहे हैं और विदेशी बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। स्वायत्तता प्रदान करने से यह सब रुक जायेगा क्योंकि तब वे अपने आप के लिए वास्तव में अधिक पहल करने में सक्षम हो जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक का निहित स्वार्थ हो सकता है; यदि शेयर धारिता भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही रहे। वे स्वयं ही स्वामित्व रखना चाहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए उनके लेखों की परीक्षा कराना और अन्य विनियमों का पालन करना सांविधिक आवश्यकता है।

इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। वहां पर हमेशा विरोधाभास रहा है। यहा तक कि वहां पर आंतरिक विरोधाभास रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्यों लेखा परीक्षा इस प्रकार का होना चाहिए; क्यों अन्य बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा भारतीय स्टेट बैंक से भिन्न होगी?

यह सब समाप्त हो जाएगा और मैं सोचता हूं कि जो किया जा रहा है भारतीय स्टेट बैंक के और देश के हित में है।

साथ ही, अंत में मुझे यह उल्लेख करने हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आकार वास्तव में काफी बढ़ता जा रहा है और भारतीय स्टेट बैंक की ग्रामीण भारत में सबसे अधिक शाखाएं हैं और ऐसे बैंक बेहतर ऋण, अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जो बैंकों की किसी भी स्थान पर बैंकिंग सेवा के नाम से जाना जाता है।

सभापति महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी। आप अंतिम वक्ता होंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय सभापति महोदय, हम यहां भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 पर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि यह एक साधारण विधान प्रतीत होता है फिर भी इसका हमारे देश की ग्रामीण तथा कृषि अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम पड़ने वाला है।

महोदय, सरकार ने इस विधेयक के लिए अध्यादेश का मार्ग चुना है, जो अच्छी संसदीय परम्परा नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सदन के अनुमोन के बिना अध्यादेश के माध्यम से किसी वित्तीय संव्यवहार के लिए आकस्मिक निधि से पैसे निकालना कोई अच्छी और स्वस्थ्य अंतर्राष्ट्रीय परम्परा नहीं है। अध्यादेश का माध्यम अपनाने की कोई अत्यावश्यकता नहीं थी। यदि इतनी ही अत्यावश्यकता थी तो इस विधेयक के माध्यम से, जिसे उन्होंने पुरःस्थापित किया था, यदि वे सदन का अनुमोदन इस सत्र में अथवा बजट सत्र में ले लेते हैं तो कोई आसमान नहीं टूट जाता। परन्तु संशोधन विधेयक, 2006 स्थायी समिति के समक्ष लंबित पड़ा है। समिति ने इस विधेयक पर न तो निर्णय लिया है न ही इस पर विचार किया है, यह विधेयक समिति के समक्ष विचारा–धीन है। इस विधेयक को विभाजित करके वे अध्यादेश के माध्यम से एक दूसरा संशोधन विधेयक, 2007 इस सभा के अनुमोदनार्थ ला रहे हैं। मैं इस अध्यादेश के माध्यम से विधेयक को लाने का विरोध करता हूं।

महोदय, इन बैंकिंग सुधारों के द्वारा सामाजिक सरोकार की कमी, कमजोर बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक स्वायत्तता और स्वामित्व के मुद्दों पर चिंता जतायी गयी है। इन बैंकिंग सुधारों के ये सब परिणाम होंगे। इससे हमारी निजीकरण की ओर बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है और इसका आरंभ हो चुका है। 12 मई, 2007 को एक प्रेस कांफ्रेंस में एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा था कि एसबीआई की 15,000 करोड़ रु. जुटाने की योजना है। यह सब ऋण तथा इक्विटी के माध्यम से जुटाया जाएगा।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

6,000 करोड़ रु. के शेयर जारी किए जाने का अनुमान लगाया गया है। यह कार्य पहले आरंभ हो चुका है। इस संबंध में सदन ने अनुमोदन नहीं दिया है परन्तु स्टेट बैंक की इक्विटी जुटाने और इसके निजीकरण की अपनी योजना है, जो आरंभ हो चुकी है।

महोदय, धारा 3, 5, 10, 11, 18, 19, 24 तथा 36 का संशोधन करके तथा 'रिजर्व बैंक' के स्थान पर 'केन्द्र सरकार' को प्रतिस्थापित करके सरकार का आशय एसबीआई को रिजर्व बैंक के नियंत्रण, प्राधिकारण तथा निदेशन से निकालना है। सरकार का यह कदम और कुछ नहीं बल्कि कोरपोरेट, बड़े औद्योगिक घरानों तथा सटोरियों द्वारा अधिक बैंक ऋण प्राप्त करने के दबाव के आगे झुकने के समान है। सरकार इन कारपोरेट घरानों के दबाव के कारण एसबीआई में सुधार लाने तथा उससे अधिक ऋण लेने के लिए यह अध्यादेश विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

इसके विपरीत परिणाम यह होंगे कि एसबीआई अल्पतर सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलओ) से इसे परे (अनकवर) रखने के लिए प्रेरित होगी और ऋण के रूप में अधिक राशि देगी जिससे एसबीआई का जोखिम बढ़ जायेगी। यदि बैंक एसएलआर पर ध्यान दिए बिना ऋण के रूप में अधिक राशि देगी तो स्वाभाविक रूप से यह जोखिम भरा होगा और फिर ये सरकारी बैंक है।

खतरा यह होगा कि जनता की धनराशि को ये कारपोरेट घराने हथिया लेंगे। क्या बैंकिंग सुधार का अर्थ यह है कि सरकार से नियंत्रण और प्राधिकार लेकर निजी हाथों में दे दिए जाए जिसका अर्थ यह होगा कि सरकार सामाजिक क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? क्या बैंकिंग सुधार का सारा उद्देश्य यही है? सभा को इन सभी बातों के लिए चिंतित होना चाहिए कि इन सबके पीछे असली मकसद क्या है?

हाल ही में माननीय सदस्य श्री स्वाईं ने यह उल्लेख किया था कि छात्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक से ऋण नहीं मिल पा रहा है। किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। छोटे व्यापारिक घरानों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। परन्तु बड़े कारपोरेट घरानों को ऋण मिलेगा और इस सरकार द्वारा वह ऋण माफ भी कर दिया जायेगा। उनका पूरा ऋण माफ हो जायेगा। इस प्रकार बैंकिंग सुधार के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे लेकिन उत्तर तक, बिल पास होने तक इस बिल का समय बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री लक्ष्मण सिंह तथा अन्य सभी जिन्होंने अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु लाए गए इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया, उनको धन्यवाद देकर अपने भाषण का आरंभ करता हूं? आपकी अनुमति से सर्वप्रथम मैं कुछ गलत धारणाओं को दूर करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, आरबीआई की शेयरधारिता को हस्तगत करने का इरादा बजट सत्र में ही घोषित कर दिया गया था। बजट सत्र में इसकी स्पष्ट घोषणा कर दी गई थी। इस सदन ने जब बजट पारित कर दिया तो आपने इस निर्णय को मंजूरी दी थी। बाद में हमने बजट में 40,000 करोड़ रु. का भी प्रावधान किया था जिसे इस सभा ने विनियोग विधेयक को मंजूर करते समय इसे भी स्वीकृत किया। श्री राधाकृष्णन ने जो कहा उसके विपरीत इस राशि को इस विधेयक के अंतर्गत विनियोजित नहीं किया जा रहा है। इस राशि को विनियोग विधेयक के अंतर्गत विनियोजित किया गया है, जो इस सदन द्वारा स्वीकृत किया गया था। शायद उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की हो। इसलिए हमने अपने उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा की थी। हमारे पास बजटीय प्रावधान था और इस सदन द्वारा विनियोग विधेयक पारित करते समय इसे भी स्वीकृत किया गया। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही मेरे पास संव्यवहार संबंधी प्राधिकार तथा ऐसा करने के लिए विश्वास होगा।

मान लीजिए इस सभा ने सिद्धान्ततः विनियोग विधेयक के उस भाग को अस्वीकार कर दिया होता तो मैं यह विधेयक नहीं ला सकता था। अतः मैं यह विधेयक बजट सत्र के दौरान नहीं ला सकता था। मैं यह विधेयक विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही ला सकता था। अतः विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद – जिसका कारण मैंने बता दिया था कि हमें लगभग 40,000 करोड़ रु. इकट्ठा करने की आवश्यकता है, जिसे नियमित उधार लेने वाले कार्यक्रम में हस्तक्षेप किए बिना, और जहां से हम उधार लेते हैं उस बाजार को अस्थिर किए बिना पूरा करना था। अतः हमने अनुमान लगाया कि कर राजस्व, गैर–कर राजस्व तथा बाजार से उधार लेकर 40,000 करोड़ रुपए की इस पूंजी को इकट्ठा करने में हमें तीन महीने लग जायेंगे। हमें 40,000 करोड़ रु. इकट्ठा करने में अप्रैल से जून तीन महीने लग गए।

जून मध्य में जब हम आश्वस्त हो गए कि 40,000 करोड़ रु. की राशि इकट्ठी हो गई है तो हमने 21 जून को यह अध्यादेश प्रख्यापित किया और यह कहा कि हम 29 जून, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्षांत से पूर्व का उपान्तिम दिन है, तक सब लेन देन पूरा कर लेंगे। अतः मैं आरबीआई को अंतिम दिन राशि देता हूं और जुलाई के प्रथम सप्ताह में वह राशि वापस ले लेता हूं जिससे मैंने ब्याज बचा

लिया। मैं ब्याज पर अधिक राशि व्यय नहीं करता हूं। अतः यह सब कार्य किये गये हैं। मैं संपूर्ण आदर के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी शंकाएं व्यक्त की गईं वह निर्मूल है। जो भी किया गया वह इतने कम समय में इस लेन–देन को करने का सर्वाधिक प्रभावी एवं कुशल तरीका था। संसद ने इसे पहले ही विनियोग विधेयक पारित के साथ स्वीकृत कर दिया है।

महोदय, हमने वास्तव में केवल 35,531 करोड़ रु. ही व्यय किए हैं। प्रत्येक शेयर का मूल्य सेबी के दिशानिर्देशों के आधार पर ही निर्धारित किया गया। मूल्य किसी भी मनमाने तरीके से निर्धारित नहीं किए जा सकते। इस संबंध में सेबी के दिशानिर्देश हैं कि शेयर का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। इन दिशानिर्देशों के आधार पर ही शेयर का मूल्य तय किया गया है। हमने 35,531 करोड़ रु. अदा किए और आरबीआई ने जुलाई के प्रथम सप्ताह अथवा जुलाई के मध्य हमें यह राशि अपने अधिशेष के रूप में लौटा दी। अतः यह एक राजस्व तटस्थ (न्यूट्रल) लेन–देन है।

जहां तक एसबीआई के कार्यकरण के अन्य पहलुओं का संबंध है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में व्यापक संशोधन हेतु एक विधेयक स्थायी समिति के समक्ष लंबित है। इस विधेयक में उन सभी प्रावधानों की कोई चर्चा नहीं की गई। इस विधेयक में सिर्फ 'भारतीय रिजर्व बैंक' शब्द को 'भारत सरकार' से प्रतिस्थापित किया गया है। जब नियमित एसबीआई व्यापक संशोधन विधेयक आएगा तो मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में प्रसन्नता होगी क्योंकि उस समय हम एसबीआई के कार्यकरण पर पूरी चर्चा कर सकते हैं।

महोदय, जैसा भी हो उठाए गए चंद प्रश्नों का उत्तर मुझे देने दिया जाए। एक प्रश्न एसबीआई म्यूच्यूअल फंड से संबंधित था। जी हां, एसबीआई म्यूच्यूअल फंड पर दो कंपनियों का स्वामित्व है, एक है एसबीआई, जिसके पास 63 प्रतिशत शेयर है तथा अन्य सोसिट जेनरेल है, जिसके पास 37 प्रतिशत शेयर हैं। क्या एसबीआई ऋण देने के संबंध में डाकघरों के साथ कोई करार करने का प्रयास कर रहा है। जी हां, एसबीआई इस दिशा में कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि एसबीआई भारत के दूरस्थ गांवों में ऋण प्रदान करने के लिए डाकघरों के साथ कोई करार करने में सफल हो जाएगी।

महोदय, जहां तक नाबार्ड और एन एच बी का संबंध है, दोनों ही गैर–सूचीबद्ध कंपनियां हैं। वहां पर हमें उन दो शेयरधारिताओं का टेक ओवर करने के लिए कुछ निश्चित राशि की आवश्यकता होगी। हम इसे वर्तमान वर्ष में करना चाहते हैं और उन दोनों सौदों को जून, 2008 तक पूरा कर लेना चाहते हैं परंतु चूंकि ये गैर–सूचीबद्ध कंपनियां हैं अतः ऐसा तुरंत किए जाने की कोई अविलम्बनीयता नहीं है। परंतु हम इसे जून, 2008 तक कर लेंगे।

महोदय, भारतीय स्टेट बैंक ने वास्तव में अच्छा किया है। वस्तुतः जबसे संप्रग सरकार सत्ता में आई है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। मैं 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार आंकड़े दे रहा हूं और पिछले वर्ष, 31 मार्च, 2006 के तदनुरूप आंकड़े भी दे रहा हूं। भारतीय स्टेट बैंक की जमा राशि 3,80,000 करोड़ से बढ़कर 4,35,000 करोड़ रुपए हो गई। भारतीय स्टेट बैंक के अग्रिम 2,67,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,42,000 करोड़ रुपए हो गए; एस एस ई को दिए गए ऋण की राशि 42,263 करोड़ रुपए से बढ़कर 51,840 करोड़ रुपये हो गई; कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण की राशि 30,447 करोड़ रुपये से बढ़कर 41,510 करोड़ रुपये हो गई। भारतीय स्टेट बैंक की सकल अनुपयोज्य अस्तियां (एन.पी.ए.) 3.88 प्रतिशत से घटकर 2.92 प्रतिशत हो गई। इसकी निबल अनुपोज्य आस्तियां 1.87 प्रतिशत से घटकर 1.56 प्रतिशत हो गई। सभी पैरामीटरों के अधीन भारतीय स्टेट बैंक अब तीन वर्ष पहले की तुलना में अधिक सुदृढ़ बैंक है। यह पिछले एक वर्ष की तुलना में भी आज अधिक सुदृढ़ बैंक है।

महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रति कर्मचारी व्यवसाय और प्रति शाखा व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। प्रति कर्मचारी व्यवसाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 240 लाख रुपए प्रति कर्मचारी से लेकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स में 570 लाख रुपए प्रति कर्मचारी हैं। जहां तक प्रति कर्मचारी लाभ का संबंध है, यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रति कर्मचारी 68,000 रुपए से लेकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 5.37 लाख रुपए तक है। एक तरीके से यह दर्शाता है कि बैंकों का कार्यनिष्पादन अत्यधिक ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव (एलूरू) : यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है?

श्री पी. चिदम्बरम : यह सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए है और ये सभी अत्यधिक विविधकृत है।

कुछ ऐसे बैंक हैं जो सर्वश्रेष्ठ बैंक के समान अच्छा कार्य निष्पादन नहीं कर रहे हैं। एक व्यापक श्रेणी है परंतु सभी बैंकों को अधिक लाभप्रद और अधिक दक्ष बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, मैंने आपको भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़े दिए हैं। दरअसल, यदि आप 2003–04 से भारतीय स्टेट बैंक का कार्य निष्पादन देखें तो यह सुधार और भी तीव्र है परंतु समय की कमी के कारण मैंने मार्च, 2006 से मार्च, 2007 तक के आंकड़े दिए हैं। मेरे पास मार्च, 2004 से मार्च, 2007 तक के भी आंकड़े हैं। यह और अधिक तीव्र होगा। उदाहरण के लिए मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। मार्च, 2004 में सकल अनुपयोज्य आस्तियां 7.75 प्रतिशत थीं। अब यह कम

[श्री पी. चिदम्बरम]

होकर, जैसा कि मैंने बताया, 3.88 प्रतिशत हो गई और फिर 2.92 प्रतिशत हो गई था। इसी प्रकार निबल अनुपायोज्य आस्तियां 3.48 प्रतिशत थी। यह घटकर 1.87 प्रतिशत हो गई है। पिछले वर्ष यह घटकर 1.56 प्रतिशत हो गई हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि संप्रग सरकार के कार्य काल में भारतीय स्टेट बैंक आज एक अधिक सुदृढ़ बैंक है और हम इस बैंक को और अधिक सुदृढ़ बैंक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

महोदय, जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का संबंध है, मैंने कई बार अनेक स्थानों पर ये आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैंने बजट प्रस्ताव तथा वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय भी ये आंकड़े संसद में प्रस्तुत किये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक साढ़े तीन वर्ष पहले की स्थिति की तुलना में अधिक सुदृढ़ हैं और इसके लिए मैं प्रबंधन, कार्मिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं।

मैं कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। मैं मार्च 2004 और मार्च, 2007 के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा 12,29,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 19,38,000 करोड़ रुपये हो गई। अग्रिम 6,33,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,54,000 करोड़ रुपये हो गई है। सभी बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां जो 7.8 प्रतिशत थी अब घटकर 2.65 प्रतिशत हो गई; निबल अनुपयोज्य आस्तियां 3 प्रतिशत से घटकर 1.04 प्रतिशत हो गई है जो विश्व भर में किसी भी देश से कम है। सुधार की गुंजाइश है और हम इसे इस वर्ष एक प्रतिशत से नीचे ले आएंगे।

परिसम्पत्तियों पर आय अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही है। यह 23 बैंकों के लिए एक प्रतिशत है, एक बैंक के लिए यह एक प्रतिशत से भी कम है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मानक आर ओ ए जो लगभग एक प्रतिशत है के अनुरूप ही है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैंने बट्टे खाते में डाले गए ऋण की मात्रा के बारे में प्रश्न किया था।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसका उत्तर भी दूंगा। प्राथमिकता क्षेत्र में कुल अग्रिम 2,44,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,21,000 करोड़ रुपये हो गया है; कृषि ऋण 84,435 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,05,080 करोड़ रुपये हो गया है। यह दुगुने से भी अधिक है, तथा हमने जो वादा किया था यह उससे भी अधिक है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : प्रतिशत के रूप में आंकड़े क्या हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : प्रतिशत के रूप में भी इस अनुपात में वृद्धि हुई है।

जब हमने सत्ता संभाली थी 10,79,091 ऋण देने वाले स्वयं सहायता समूह (एस एच सी) थे जो मार्च, 2007 की समाप्ति तक बढ़कर 26,08,338 हो गये और जून, 2007 की समाप्ति तक यह और बढ़कर 29,25,698 हो गये।

श्री के.एस. राव : यह वृद्धि क्या है?

श्री पी. चिदम्बरम : यह स्वयं सहायता समूहों की संख्या है। जब हमने सत्ता संभाली थी 3,19,337 विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण दिए गए थे जबकि मार्च, 2007 की समाप्ति तक 9,37,793 विद्यार्थियों को ऋण दिए गए। जब हमारी सरकार बनी थी उस समय 4,550 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण दिया गया था और मार्च 2007 की समाप्ति तक यह 14,214 करोड़ रुपये हो गया। इसलिए संसद के रूप में हमें निश्चित रूप से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की सराहना करनी चाहिए। वे संसद द्वारा अधिशिष्ट कार्य कर रहे हैं। वे कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण दे रहे हैं। वे एस एम ई को अधिक ऋण दे रहे हैं और वे शिक्षा के लिए अधिक ऋण दे रहे हैं। निःसन्देह वे और बेहतर कर सकते हैं; पर उसी के लिए तो हम यहां पर हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि वे बेहतर करें। कौन कहता है कि गलतियां नहीं हुई हैं। गलतियां हुई हैं और कुछ शाखाओं में कुछ प्रबंधक ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर कार्य निष्पादन नहीं किया है। हम उनकी खिंचाई करेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। परंतु सभी क्षेत्रों के आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि समग्र रूप से यह प्रणाली बेहतर कार्य-निष्पादन कर रही है तथा बैंक और सुदृढ़ हुए हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, बैंक परिसम्पत्तियों के रूप में आपका राजस्व कम हुआ है, जैसा कि मैंने अपने भाषण में पहले भी उल्लेख किया था।

श्री पी. चिदम्बरम : हां, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। मेरे विद्वान मित्र परिसम्पत्तियों पर आय का संदर्भ दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के लिए यह 0.94 से कम होकर 0.84 और पंजाब नेशनल बैंक के लिए 1.68 से घटकर 1.03 हो गया है। परंतु कृपया स्मरण करें कि आई सी आई सी आई के लिए भी यह 1.41 से घटकर 1.1 हो गया है ऐसा क्यों है? कारण यह है कि हम अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी बाजार में हम तीन प्रतिशत से अधिक निबल ब्याज अंतर (मार्जिन) की आशा नहीं कर सकते। वस्तुतः, मेरे विचार में अंतर्राष्ट्रीय बैंक, लगभग 2.5 प्रतिशत के निबल ब्याज अंतर (एन आई एम) पर कार्य करते हैं। हम अत्यधिक विस्तार वाले एन आई एम के साथ कार्य कर रहे हैं जो वास्तव में अदक्षता को छुपा देता है। तीन प्रतिशत का एन आई एम और

एक प्रतिशत का आर ओ ए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसलिए एक प्रतिशत का आर ओ ए बुरा नहीं है; अपितु अच्छा है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को अधिक प्रतियोगात्मक ब्याज दरों पर ऋण मिल रहा है। यह एक अच्छा संकेत है।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं और अनुरोध करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका क्या हुआ?

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री पी. चिदम्बरम : आपका प्रश्न क्या था?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मैंने आपसे पूछा था कि एक ही झटके में केन्द्र सरकार एक बड़ी परिसम्पत्ति पाने में सफल रही है। मैं नहीं जानता कि सेबी ने किस प्रकार इसका मूल्यांकन किया है। यदि इन शेयरों का मूल्य 1800 रुपए प्रति शेयर है तो इन शेयरों पर वास्तव में आपको क्या मूल्य मिल रहा है जबकि ये शेयर आपको 40,000 करोड़ रुपये में मिल रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने अभी–अभी आपको बताया है कि सेबी के दिशा–निर्देशों के अनुसार अंतरण की तिथि को शेयर का मूल्य 1,130.35 रुपए था। शेयरों के मूल्यांकन में सेबी के दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया गया है।

श्री प्रबोध पाण्डा : स्वायत्तता के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या उनकी स्वायत्तता पर रोक लगने वाली है।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि सरकार ने बैंकों की स्वायत्तता के साथ छेड़छाड़ की होती तो क्या पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान बैंक इतने मजबूत बन सकते? क्या वे उत्कृष्ट निष्पादन कर पाते? असल बात तो यह है कि हमने उन्हें अधिक स्वायत्तता दी है; निष्पादन आधारित प्रोत्साहन दिए हैं और उनसे कहा है कि वे प्रबंधकों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करें। इसीलिए बैंकों का निष्पादन अच्छा हुआ है और वे मजबूत बने हैं। जब मैंने आंकड़ों को पढ़कर सुनाया तो मेरे विद्वान मित्रों ने मेरी प्रशंसा की। आपको भी इस बात के लिए मेरी प्रशंसा करनी चाहिए कि मैंने बैंकों को सीमित स्वायत्तता की बजाय अधिक स्वायत्तता प्रदान की है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं केवल श्री पांडा द्वारा उठाए गए बिन्दु पर ही अपनी बात करना चाहता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक से शेयर धारिता लेकर, सरकार बैंक पर नियंत्रण कर रही है। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप उन्हें अधिक स्वायत्तता दे रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : स्वामित्व प्रबंधन से भिन्न है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकांश शेयर सरकार के पास हैं। केवल भारतीय स्टेट बैंक के मामले में शेयर भारतीय रिजर्व बैंक के पास थे। अब, भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता को सरकार अपने अधिकार में ले रही है। सरकार के पास 19 बैंकों की तरह, इस बैंक के भी अधिकांश शेयर होंगे। इसका प्रबंधन जो कि निदेशक मंडल और मुख्य महाप्रबंधक के अधीन है, से कोई संबंध नहीं है। हमने उन्हें और अधिक स्वायत्तता दी है।

श्री खारवेल स्वाईं : मैंने उच्च शिक्षा के लिए ऋण के बारे में बात की थी। क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में आपकी एक समान नीति है?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको शैक्षिक ऋण के संबंध में आई.बी.ए. द्वारा परिचालित किए गए मार्गनिर्देश भेज दूंगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि संपूर्ण देश में करीब एक सौ शाखा प्रबंधक मार्गनिर्देशों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं लेकिन स्थितियों में कमोबेश सुधार हो रहा है। आंकड़े इसका प्रमाण हैं। लेकिन मैं शैक्षिक ऋण के संबंध में परिचालित किए गए मार्गनिर्देशों की एक प्रति आपको भेज दूंगा।

सभापति महोदय : चूंकि सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य उपस्थित नहीं हैं, मैं संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 21 जून, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 की संख्या 5) को निरनुमोदित करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.49 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा मद संख्या 21 अर्थात बाद पर आगे और चर्चा करेगी। श्री सीता राम सिंह बोल रहे थे। श्री सीता राम सिंह,

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति महोदय, देश में बाढ़ और बरसात से उत्पन्न भयानक स्थिति पर सदन में चर्चा हो रही है। सदन में चर्चा के लिए विषय तय हुआ था, उसके पहले एक बाढ़ समाप्त हो चुकी है। अभी चर्चा समाप्त भी नहीं हुई कि दूसरी बाढ़ देश के कई हिस्सों में आ चुकी है। मैं बिहार राज्य से आता हूं और सम्पूर्ण बिहार राज्य में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20 जिलों में बाढ़ आने की बात कही गई है।

महोदय, संपूर्ण बिहार में 20 जिले बाढ़ और बाकी जिले वर्षा से पूर्णरूप से तबाह हो चुके हैं। उसके बगल से लगा हुआ, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भी बाढ़ और वर्षा से पूरी तरह परेशान है। देश में आई बाढ़ से हुए नुकसान और प्रभावित जिलों के बारे में एक किताब छपी है, जिसमें सभी आंकड़े दिए गए हैं। वे आंकड़े आपने भी देखे होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अकेले बिहार में अभी तक 300 से ज्यादा लोग बाढ़ और भारी वर्षा के कारण मारे गए हैं। यह त्रासदी अभी जारी है और लोग अभी भी मर रहे हैं। अभी परसों ही मेरी कांस्टीट्यूंसी के चिरिया ब्लॉक में एक नाव उलटने से कई आदमी मर गए। आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 25 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित होना बताई गई है। मैं बताना चाहता हूं कि अकेले बिहार में ही 2 करोड़ से अधिक आबादी को बाढ़ और वर्षा से क्षति पहुंची है। आज बाढ़ और भारी वर्षा के कारण बिहार में यह स्थिति है कि गरीब, भूमिहीन और छोटे–छोटे किसानों के लगभग 5 लाख मकान गिर गए और अभी भी लगातार मकानों का ढहना जारी है।

महोदय, प्रति वर्ष बरसात होती है और बाढ़ आती है। बिहार ही नहीं अन्य राज्य भी इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन हम बिहार के लोग बाढ़ के स्थायी भुक्तभोगी हैं। हमारे यहां पूर्वी और उत्तरी बिहार में शिवहर, सीतामढ़ी, मोतीहारी, बेतिया, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय आदि तमाम इलाकों में प्रति वर्ष भारी वर्षा होती है और बाढ़ आती है। इस वर्ष तो पटना शहर और नालंदा जैसे जिले भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

महोदय, हर वर्ष बाढ़ आती है और इस सदन में चर्चा होती है। बाढ़ आ गई, उसका आना भी तय है और चूंकि यह सीजनल होती है, इसलिए चर्चा तक ही बात सीमित हो जाती है। चर्चा होने के बाद स्थायी समाधान हेतु कोई प्रयास नहीं किया जाता। केवल बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में भी बाढ़ आती है, लेकिन इससे कैसे निजात मिले, कैसे इसे रोकने का स्थायी उपाय हो, इस पर हम ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं। हमें बाढ़ रोकने हेतु जो स्थायी उपाय और व्यवस्था करनी चाहिए, शायद उस पर हम अधिक सोच ही नहीं पाते। एक बार सदन में बहस होने के बाद हम चुपचाप होकर बैठ जाते हैं।

महोदय, बाढ़ आने का कारण सर्वविदित है। जैसे ही वर्षा शुरू हुई और बाढ़ आ जाती है। बिहार से नेपाल सटा हुआ है। वहां वर्षा शुरू होते ही बिहार में चूंकि वह नीचे है, इसलिए बाढ़ आ जाती है। बिहार से लगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से हैं, वहां भी बाढ़ आ जाती है। इसके साथ–साथ बाढ़ का प्रकोप बंगाल और असम तक चला जाता है, मगर इसके स्थायी निदान के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इस वर्ष लगातार 20–22 दिन तक वर्षा हुई और बाढ़ आ गई।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर बाढ़ आने से पहले हर वर्ष मीटिंग होती थी, चर्चा होती और इंतजाम किए जाने के बारे में कुछ व्यवस्था बनाई जाती थी, मगर सबसे दुखद स्थिति यह है कि इस वर्ष बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए कोई मीटिंग नहीं की और बाढ़ से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इस बार बिहार सरकार से यह सबसे बड़ी भूल हुई है। मैं इस बात को विपक्ष का सदस्य होने के नाते अथवा विरोध जताने की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जो हकीकत है, वह बयान कर रहा हूं कि इस वर्ष बाढ़ से बचाव के लिए बिहार में जो पूर्व तैयारी होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी। इसका नतीजा यह हुआ कि लगातार बरसात से बाढ़ आने के समय कहीं नाव उपलब्ध नहीं थी। ऐसे समय में नाव की आवश्यकता थी। पहले लोग नाव रखते थे,

लेकिन एक साल कम बाढ़ आने से लोग नाव बेच देते हैं। बाढ़ की तैयारी हर साल करनी होती है और नाव बाढ़ के समय सबसे जरूरी आइटम होती है। लेकिन सभी जगहों पर नाव के लिए त्राहिमाम मचा रहा, जिसके कारण जानमाल की काफी हानि हुई। सरकार को बाढ़ आने वाले हर इलाके में नाव की व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाढ़ आने के बाद भी उसकी समीक्षा देर से हुई। एक भारी गलती यह हुई कि बाढ़ आने के समय हमारे राज्य बिहार के मुखिया बाहर थे। उस समय बड़ी असमंजस की स्थिति थी। राज्य सरकार के नुमाइंदे उस समय गुणा–भाग पेपरों पर ही करते रहे और राहत ठीक से नहीं पहुंची।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में 2005 में बांध टूटा था, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई जिससे नेपाल में थोड़ी बारिश होने से हमारे 6 जिलों और मोतीहारी प्रभावित होते हैं। अभी पचनीर, और रमनी में बांध टूट गया। चंपारण और बेतिया में बांधों की मरम्मत के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए था। भारत सरकार ने अपने आंकड़ों में बिहार सरकार को बांध की मरम्मत के लिए पैसा दिया है। यदि मैं इन आंकड़ों में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। बिहार सरकार ने बांधों की मरम्मत पर कितना खर्च किया है, यह हमें मालूम नहीं है। भारत सरकार यह कहती है कि बिहार सरकार ने अपने खर्च की रिपोर्ट का प्रतिवेदन नहीं दिया है। दूसरी तरफ बिहार में एक भी नहर की मरम्मत नहीं हुई है, न तो गण्डक नहर की मरम्मत हुई है और न ही बांगमती के बांध की मरम्मत हुई है। जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि 15 लाख की आबादी की बर्बादी हमारे इलाके में हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का प्रबंधन ठीक नहीं है। मैं यह बात केवल इस बहस तक नहीं रखना चाहता हूं बल्कि इसे आगे बढ़ाना चाहता हूं कि भारत सरकार जो रुपया देती है, उस देने से पहले राज्य सरकारों के साथ बैठक करके, प्लानिंग करके एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर इस काम को करने की एक समय सीमा निर्धारित करे तभी लोगों को इसका कुछ लाभ मिल सकता है।

महोदय, जहां तक राहत देने का सवाल है, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों राहत देती हैं। हम लोगों ने पिछले सालों में भारत सरकार से राहत देने के लिए अनुरोध किया था और आपने दी भी थी। अभी भी मांग रहे हैं तो आप देंगे। लेकिन आज यह स्थिति है कि हजारों की संख्या में लोग खुले आकाश के नीचे पड़े हैं और डेढ़ महीने होने जा रहा है, लेकिन आज भी लोगों को प्लास्टिक उपलब्ध नहीं है। बिहार सरकार ने जो भी आंकड़ा दिया हो, लेकिन हम लोग अपनी आंख से देख रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए प्लास्टिक की पूर्ति सरकार नहीं कर सकी है।

अपराह्न 5.00 बजे

इन्होंने हैलीकॉप्टर दौड़ाया है, कुछ जगहों पर इन्होंने सामान गिराया है, ड्राप किया है, वह कहीं पानी में गिर जाता है, कहीं और गिर जाता है, इसलिए बड़ी मुश्किल है। होना तो यह चाहिए था कि मोटरबोट से गिराते, लेकिन मोटरबोट की संख्या कम है। जो नाव सामान्य रूप से हर पंचायत में होनी चाहिए, बिल्कुल नगण्य है और आज भी लोग खुले आकाश में वर्षा में भीग रहे हैं, पता नहीं इस देश में प्लास्टिक की फैक्टरी खत्म हो गई हमारी राज्य सरकार बिहार में कहती है कि हम गुजरात से मंगवा रहे हैं, दूसरे राज्यों से मंगवा रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक सरकार नहीं दे पाई। कोई 10–5 नहीं, हजारों लोग बांध पर खुले आकाश के नीचे सोये हुए हैं, उनके पास कोई प्लास्टिक नहीं है। अनाज देने का प्रयास सरकार ने अब शुरू किया है, लेकिन वह नाकाफी है। मैं मानता हूं कि आप जो अनाज दे रहे हैं, वह अनाज अभी कम है, उसको फिर दोहराना पड़ेगा, 25 किलो को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे खराब बात यह है कि बाढ़ आई है, आंख के सामने दिखाई पड़ रही है, लोग डूबे हुए हैं, लेकिन अभी राज्य सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं और रास्ते से निर्णय ले रहे हैं और कह रहे हैं कि यह आंशिक है। यह पूर्णतः है, यह बड़ी खामी है। हम लोगों ने राज्य सरकार को भी कहा, भारत सरकार को भी कहा। भारत सरकार कहती है कि अभी प्रतिवेदन नहीं आया, माननीय सदस्य सदन में आंकड़े दे रहे थे और बता रहे थे कि ये आंकड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय ने बखूबी कहा है कि आप इसको पन्ने पर उतारकर मत भेजिए, बेहतर रिपोर्ट भेजिये। मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार बिहार सरकार से विशेष आंकड़े ले। आपने काफी कोशिश की और आप हमारे राज्य में गये, आपने अपनी नजर से बाढ़ को देखा। इस बात से हमारे बिहारवासियों को बल मिला। हम यह चाहते हैं कि आप वहां से रिपोर्ट लेकर भरपूर मदद बाढ़ के मामले में बिहार की करें।

एक पाइंट और जरूरी है, मैं दो मिनट और लूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बाढ़ और राहत पर तो बोल रहे हैं, पर इस समस्या के समाधान पर भी तो कुछ बोलिये।

श्री सीताराम सिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन मैं अब यह कहना चाहता हूं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत सरकार ने 2004 में बहुत गंभीरता से नोटिस लिया था और कहा था कि हम हाई डैम बनाएंगे, कहा था कि हम कार्यालय खोलेंगे, उन्होंने खोला भी और उसके लिए कई बार बहस भी हुई, सरकार चिन्ता कर रहे है। इस पर हजारों करोड़ रुपये का बजट लगेगा, लेकिन मेरा इसमें साफ कहना है कि इसमें थोड़ी और गंभीरता से इस काम को करने की दिशा में बढ़ना चाहिए और जितने हजार करोड़ रुपये आप राहत पर

[श्री सीताराम सिंह]

खर्च कर रहे हैं, इससे कभी समाधान होने वाला नहीं है। हमारा कहना यह है कि इसकी दिशा मोड़िये और स्थाई निदान के लिए आगे बढ़िये, पक्का निदान निकालिये।

मगर आज जो बाढ़ से क्षति हुई है, उस पर हम अपनी बात सदन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि यह काम जल्दी हो। पहली बात यह है कि जिन किसानों ने फसल लगाई, उसकी फसल बर्बाद हो गई। बिहार सरकार ने ऐलान किया कि लघु और सीमान्त किसानों को हम प्रति एकड़ दो हजार रुपये और फिर चार हजार या पांच हजार रुपये तक मदद पहुंचाएंगे, मगर मेरा एक सवाल है कि लघु और सीमान्त किसान की जो सीमाएं हैं, उससे 10 कट्ठा और एक एकड़ अभी जोतने वाले किसानों ने कौन सा पाप आर गलती की है? उसकी सभी फसल बर्बाद हो गई, आप उसको राहत नहीं देंगे, आप उसको बीमे का मुआवजा नहीं देंगे, आप उसका मुआवजा नहीं देंगे? मैं इस सदन के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि बिहार और इस देश के सवाल पर देश के ऐसे तमाम किसान, चाहे वे लघु हों, सीमान्त हों या सीमान्त से भी ऊपर 8–10 एकड़ खेत जोतने वाले हों, ऐसे तमाम किसानों को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से क्षतिग्रस्त लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, मेरा पहला सवाल यह है।

महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने पहले भी बिहार के लिए सहायता दी थी। इंदिरा आवास के नाम पर क्षतिग्रस्त मकानों को, बाढ़ग्रस्त इलाके में बाढ़पीड़ितों को, आपने मकान देने के लिए कहा था। मैं आपदा प्रबंधन के बारे में कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ में बीपीएल और एपीएल का भेद न हो। बाढ़ के कारण जिन भी गरीब किसानों के मकान गिरे हैं, चाहे वे बीपीएल में हों या एपीएल में हों, ऐसे तमाम लोगों के लिए आपदा प्रबंधन के तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत और स्पेशल पैकेज के तहत, गृह निर्माण होना चाहिए।

महोदय, मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि जिन किसानों की फसल खत्म हो गयी, आप उनके ऋण माफ करिए और उनकी मालगुजारी भी माफ करिए। जब खेतीबाड़ी ही नहीं है या फसल ही नहीं है, तो किस बात के लिए मालगुजारी ली जाए? अतः आप उनकी मालगुजारी माफ कर दीजिए।

महोदय, हम बाढ़ से बचाव करें, इसके लिए दो–तीन बातें जरूरी हैं। बिहार सरकार से बात करके, हर गांव में नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जब तक कि आप इस समस्या का स्थायी निदान नहीं करते हैं। इसके अलावा जो गरीब आदमी अभी विस्थापित हैं, जिनके पास अभी प्लास्टिक नहीं है, अगर मैं उनकी हालत पर चर्चा करूंगा, तो घंटों इसी पर चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत दुःखद सवाल है, इस परिस्थिति में वह चाहे देश के जिस दिशा में भी हो, उनके लिए तिरपाल या प्लास्टिक की व्यवस्था की जाए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। बिहार प्रदेश को भारत सरकार पूरी मदद करे। बिहारवासियों को राहत प्रदान करने के लिए और स्थायी निदान के लिए आप कार्यवाई करें। बिना नेपाल सरकार के स्थायी निदान तो होना ही नहीं है, इसलिए आप नेपाल सरकार से भी बात करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सभापति महोदय, बाढ़ की स्थिति बहुत भयंकर हो गयी है। आज सुबह दिल्ली आते समय, मैं राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था, मेरे क्षेत्र पश्चिम बंगाल के आरामबाग लोकसभा के अंदर, पश्चिम मिदनीपुर जिले में घाटाल असेंबली सेगमेंट है, तब वहां से बहुत आतंकजनक फोन कॉल आयी कि वहां 15 फुट पानी हो गया। वहां ऐसी बाढ़ की स्थिति है। जो लोग ठीक हैं, वे घर के छत पर चले गए और उन्होंने मुझे वहां से टेलीफोन किया कि जल्दी कुछ करना चाहिए। वहां आर्मी को बुलाना चाहिए और हेलीकॉप्टर से रिलीफ मैटेरियल्स की एयर ड्रापिंग होनी चाहिए। मैंने तुरंत चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन से इस बारे में बताया। वहां इस प्रकार की भयंकर स्थिति है। मेरे क्षेत्र में तीन–चार नदियां हैं। मैंने जिस घाटाल असेंबली की बात कही, वहां दारकेश्वर, सिलावती और रूपनारायण नदिया हैं। पिछले दो–तीन–चार दिनों में बहुत भारी बारिश हुयी। इसे फ्लैश–फ्लड कहते हैं। ये सब रेन फीड नदियां हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण, इनमें अचानक पानी आ जाता है और दो–तीन दिनों के अंदर सारा पानी खत्म हो जाता है। मेरे दूसरे क्षेत्र आरामबाग की स्थिति भी अच्छी नहीं है क्योंकि वह दामोदर वैली कार्पोरेशन का नीचे का अंश है। हमने 1998 में डीवीसी सिस्टम बनाया था। छोटा नागपुर इलाके में बहुत वर्षा होती है। बंगाल का नीचे का जो इलाका है, वहां की भयंकर बाढ़ का कारण उस वर्षा का पानी है। जब नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, तब पहली पंचवर्षीय योजना में उन्होंने सिद्धान्त लिया था कि दामोदर वैली कार्पोरेशन एक केन्द्रीय संस्था होगी। सारा सर्वे करने के बाद, बातचीत करने के बाद, एक्सपर्ट्स का ओपीनियन लेने के बाद सरकार ने सिद्धान्त लिया कि आठ रिजर्वायर बनाने होंगे। छोटा नागपुर में जितनी वर्षा होती है, उस पानी का संरक्षण करने के लिए आठ रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, लेकिन चार रिजर्वायर ही बने। सन् 1998 में जब उसका उद्घाटन हुआ, पंचेत, तिलैया, मैथन जो बैरेज हुआ, तब भारत सरकार ने घोषणा की कि अब दामोदर नदी की भयंकर स्थिति में सुधार हो जाएगा। डीवीसी मल्टी–परपज परिकल्पना है। इसमें बिजली बनेगी, सिंचाई का पानी मिलेगा और बाढ़ से राहत मिलेगी। लेकिन आज सन् 2007 में हम देखते हैं कि डीवीसी की परिकल्पना असफल हो गई, क्योंकि चार रिजर्वायर बने, चार नहीं बने। भारी वर्षा के कारण पचास

प्रतिशत अनकंट्रोल्ड वाटर को संरक्षण करने की क्षमता चार रिजर्वायर की नहीं है। इसलिए छोटा नागपुर इलाके में जब भारी वर्षा होती है, तब सारे डीवीसी रिजर्वर से एक लाख, दो लाख और कभी–कभी तीन लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ देते हैं। जो सिस्टम बाढ़ से राहत देने के लिए बना था, वह अब बाढ़ होने का कारण बन गया। डीवीसी इस सबको छोड़कर अब बिजली बनाने जा रहा है अभी डीवीसी ज्यादा से ज्यादा थर्मल पावर बनाने के काम में लगा हुआ है।

केन्द्र सरकार के पास दो संस्थाएं हैं – सैंट्रल वाटर कमीशन और गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। मैं लगभग 25 साल से इस संसद में हूं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि इन दो संस्थाओं का क्या काम है, क्योंकि गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन का काम गंगा का फ्लड कंट्रोल नहीं है। पश्चिम बंगाल में काफी इरोजन होता है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। हमारी सारी नदियां गंगा में जाती हैं और गंगा से समुद्र में जाती हैं जो कुछ भी बनाया जाएगा, सबको गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन की क्लीयरेंस मिलनी चाहिए। यदि आप जीएफसीसी में कोई स्कीम भेजेंगे, तो दस–पन्द्रह साल हो जाने पर भी उसे सैंक्शन नहीं मिलेगी। जीएफसीसी का क्या काम है? जीएफसीसी बनाने का एक उद्देश्य था, लक्ष्य था। सीडब्ल्यूसी क्या कर रहा है? जिनका सुधारने का काम है, जो सरकार का अंग है, वह अंग काम नहीं करता। इसीलिए दुर्दशा बढ़ रही है। यहां श्री सैफुद्दीन सोज़ जी बैठे हुए हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं। डीवीसी का दफ्तर इनके अंडर है। श्री सैफुद्दीन सोज़ से पहले जो जल संसाधन मंत्री थे, मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि सन् 1998 में आपने जो चार रिजर्वायर बनाये, पिछले 4 साल से उनमें इतना सिल्टिंग हो गया, जिससे उनकी जो कैपेसिटी 40 प्रतिशत रह गयी है। उनकी जो पानी संरक्षण करने की क्षमता थी, वह 60 प्रतिशत से कम हो कर 40 प्रतिशत रह गयी है। इसलिए डी–सिल्टिंग करने के लिए आप काम करें। उस पत्र का हमें उत्तर आया कि डी–सिल्टिंग करना संभव नहीं है। यह क्या बात है? ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगुसराय) : ऐसा ही उत्तर आयेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अखिल वसु : उत्तर आने से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देश की जनता का क्या होगा? ...*(व्यवधान)* जिस आदमी का घर उजड़ जाता है, खेती उजड़ जाती है, जान–माल आदि का सारा नुकसान होता है, उनका क्या होगा? ...*(व्यवधान)* आपकी सरकार जब सत्ता में थी, तब यह उत्तर आया था। इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया कि वह कौन सी सरकार थी। लेकिन ऐसा उत्तर आया कि डी–सिल्टिंग संभव नहीं है। चार रिजरवायर तैयार हुए और चार रिजरवायर तैयार नहीं हुए। जो चार रिजरवायर तैयार हुए, उसमें पानी संरक्षण की क्षमता सिल्टिंग के कारण 60 प्रतिशत से घट कर 40 प्रतिशत हो गयी इस तरह कैसे लोग बचेंगे? इसकी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना का अंतर क्या है? इसके साथ–साथ जिस संस्था को भारत सरकार ने बनाया, वह दामोदर वैली कार्पोरेशन सब कुछ छोड़कर बिजली बनाने जा रही है। बहुत बड़े–बड़े थर्मल पावर भारत सरकार बना रही है। आप खूब थर्मल पावर बनाओ, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिस मुख्य उद्देश्य से सरकार ने इस संस्था को बनाया, उस उद्देश्य का क्या होगा? सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, बाढ़ से प्रोटेक्शन नहीं मिलता, बिजली भी नहीं है। हाइड्रो पावर जनरेशन करने की बात थी, लेकिन तब भी बिजली भी नहीं मिलती। वह थर्मल पावर में चला गया। जो मल्टी परपज स्कीम बनाई गई थी, उस स्कीम का क्या परिणाम हुआ? इन सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

दूसरा सवाल यह है कि साल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण – यानी सारे भारत में बाढ़ की स्थिति भयंकर है, लेकिन पूर्वी भारत और उत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति बहुत भयंकर है। जैसा अभी हमारे बिहार के मित्र बता रहे थे कि वहां बाढ़ से लगभग 500 आदमियों की मौत हो गयी। हर साल लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के लिए खर्च होता है। इसी तरह किसी की जान–माल की क्षति होती है, कैटल पापुलेशन की क्षति होती है, वह लगभग हर साल 15 हजार से 20 हजार करोड़ रुपये की होती है। इन सारी क्षतियों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। हर साल हम सदन में इस पर चर्चा करते हैं। सारे एमपीज चाहे वे कांग्रेस के हों, बीजेपी को हों या सीपीएम के हों, सब यही बात बोलते हैं। हर साल हम लोग इस पर चर्चा करते हैं लेकिन इसे सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। हमारा रिलीफ मैन्युअल अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। जिनका घर एकदम खत्म हो गया यानी डिस्ट्रॉय हो गया, उसके लिए रिलीफ मैन्युअल में लिखा है कि उनको चार हजार रुपये मिलेंगे। जिनका डैमेज हुआ, उनको दो हजार रुपये मिलेंगे। अब आप बताइये कि चार हजार रुपये में क्या काम हो सकता है? आप अगर लकड़ी खरीदेंगे तो 4000 रुपए में कितनी लकड़ी मिलेगी। रिलीफ मैनुअल में जो कुछ लिखा है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। इसलिए मैं गृहमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी राज्यों के रिलीफ मिनिस्टर्स को बुलाइए और रिलीफ मैनुअल को सुधारना चाहिए, उसे बदलना चाहिए। आज के दिन जो स्थिति है उसमें लोगों को क्या रिलीफ देना चाहिए, उसके हिसाब से रिलीफ मैनुअल को ठीक करना चाहिए। जो नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारन्टी स्कीम चल रही है, उसके बारे में आप रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के साथ चर्चा कीजिए। हर पंचायत में इस स्कीम के तहत एलोकेशन मिलती है। जब नेशनल केलामिटी होती है, बड़ी क्षति होती है तो एनआरजीईएस से कम से कम 10 प्रतिशत फण्ड हर पंचायत में मिलना चाहिए जिससे अगर

[श्री अनिल बसु]

कहीं बहुत नुकसान हो गया है तो वहां लोगों के घर बनाने के लिए मदद दी जा सके। उनको भी इसके अन्दर लाना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।

मेरा दूसरा सुझाव प्रो. सोज़ साहब के लिए है कि आप सी डब्ल्यू सी और जी एफ सी को यह सिखाइए कि उनको क्या काम करना चाहिए। आप उनको यह समझ दीजिए। हमारे यहां गंगा नदी की बाढ़ से इतना ज्यादा इरोज़न होता है कि गांव के गांव चले जाते हैं। हमारे यहां मुर्शिदाबाद में पूरे गांव के गांव हुगली की बाढ़ में चले जाते हैं। बालाघाट थाना और मंगरा थाने में गांव के गांव नदी के अन्दर चले जाते हैं। यह बहुत भयानक स्थिति होती है। इस इरोज़न को रोकने के लिए हमें प्रोटेक्शन वर्क करना चाहिए। उसके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो जनता कैसे बचेगी, देश को आप कैसे बचाएंगे? हर साल हम लोग इसके बारे चर्चा करते हैं, हर साल डेढ़ से दो हजार करोड़ रुपए बाढ़ राहत पर खर्च होते हैं, 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की खेती और पशुधन की हानि होती है।

नेपाल से जो नदियां निकलकर हमारे यहां आती हैं, वे बिहार, उत्तर प्रदेश और हमारे कूच बिहार क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण हैं। नेपाल से आने वाली नदियों को संभालने के लिए कुछ कदम हमें उठाना चाहिए। इसके लिए नेपाल सरकार के साथ बातचीत करने के बारे में हर साल चर्चा होती है, लेकिन नेपाल के साथ चर्चा करने के बाद अब तक आपने क्या कदम उठाए हैं? जो इण्डो–नेपाल ट्रीटी है, उसके अन्तर्गत आप एक अथॉरिटी बनाइए, जो विशेष रूप से इन नदियों को संभालने के लिए काम करे। नेपाल से निकली हुई नदियों का पानी जो हर साल बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ का मुख्य कारण बनता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके पानी को कैसे संरक्षित किया जाए और पानी एकत्र करके कैसे हम उसे सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग कर सकें, इसके लिए एक नेशनल वर्कप्लान हमें बनाना चाहिए। हमारे यहां नेशनल कैलामिटी रिलीफ फण्ड है, लेकिन बाढ़ की स्थिति को संभालने के लिए, जल संरक्षण के लिए, उस पानी को देश में उत्पादन के काम में प्रयोग करने के लिए, हमारे देश में पेयजल की जो कमी है, उसके लिए प्रयोग करने के लिए कोई नेशनल वर्कप्लान नहीं है। इसके लिए एक नेशनल वर्कप्लान होना चाहिए, एक नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए। मैं गृहमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। सभी राज्यों के मंत्रियों को बुलाकर उनसे इस विषय पर बातचीत कीजिए। इसके लिए एक नेशनल वर्कप्लान बनाइए।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : सभापति महोदय, इस चर्चा की मुश्किल यह है कि हर सदस्य बोलकर यहां से चला जाता है। हम जो जवाब देते हैं, वह उनके ध्यान में नहीं आता है। इसके अलावा हम जो लिखित रूप से भी उन्हें देते हैं, वे भी उसे नहीं पढ़ते हैं इसलिए मुश्किल होती है। अभी किसी ने कहा कि किसी का घर डैमेज हो जाए तो 4,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है। सरकार की तरफ से 25,000 रुपए दिए जाते हैं। हमने इस पुस्तिका में लिखित रूप से सब कुछ बताया है।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा कि नेशनल प्लान बनाएं, स्टेट लेवल पर भी प्लान बनने चाहिए और जिला तथा गांव स्तर पर भी प्लान बनने चाहिए। इसके लिए हमने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है। उसके नीचे डिसास्टर मैनेजेमेंट अथॉरिटी भी बनाई है, जो मैनेजमेंट प्लान बनाती है। स्टेट के अंदर भी डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए कहा है। कई राज्य सरकारों ने इसे बनाया है और कुछ ने नहीं बनाया है। इसी तरह से, जिला स्तर पर भी प्लान बनाने के लिए कहा गया है। इसलिए सारी चीजें पहले से दी हुई हैं। ये सब कुछ आपने यहां बैठकर मंजूर की हैं और कानून बनाया है। इसके ऊपर ध्यान नही देते हुए अगर हम चर्चा करेंगे तो बात वहीं आ जाती है कि चर्चा से कुछ परिणाम नहीं होता और सारी चर्चा कागज पर ही रह जाती है। हमारा जवाब सुनने के लिए आप बैठते नहीं हैं, इसलिए मुझे बीच में आपको रोककर यह कहना पड़ रहा है।

श्री अनिल बसु : हम ध्यान से आपकी बात सुनते हैं। हमारे जिले में भी मैनेंजमेंट प्लान समिति है। उसमें चर्चा तो होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बाढ़ पर चर्चा के लिए मुझे मौका दिया। मैं गुजरात प्रदेश से आता हूं। वहां हर दूसरे या तीसरे साल, कभी बाढ़ आती है, कभी साइक्लोन आता है या किसी न किसी हिस्से में सूखा पड़ता है। पिछले दो सालों से लगातार गुजरात में बाढ़ आ रही है। 2006 की बाढ़ तो काफी भयानक थी। उस समय हमारे सूरत शहर में कई दिनों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकी थी। इतना ही नहीं, आर्मी भी वहां कई दिनों के बाद पहुंच सकी। इस साल की बाढ़ के कारण गुजरात में करीब 290 लोग मारे गए हैं। मैं इंडिविजुअल केस में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके जो कारण सामने आए और इतनी ग्रेविटी बढ़ी है, उस पर कुछ कहना चाहूंगा। राज्य का प्रशासन है और कितनी विकास की गतिविधियां बढ़ी हैं, उस बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

अपराह्न 5.29 बजे

मुझे यह कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि विकास के कारण भी बाढ़ की विभीषका पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यहां जल संसाधन मंत्री जी नहीं हैं, वह आ रहे हैं। जितना भी डैम्स में पानी भरता है और क्लाउड बर्स्ट होता है या अरेबियन सी में लो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उससे भी काफी असर पड़ता है। इससे स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, जहां 24 घंटे में 25 से 30 इंच बारिश होती है और उसकी वजह से डैम्स में पानी भर जाता है। डैम अथॉरिटी तय नहीं कर सकती कि कितना पानी ग्रेजुअली रिलीज करना चाहिए, डेम के अंदर पानी का फ्लो कितना है? डेम के अंदर कितना पानी उस समय आ रहा है उसको देखने के लिए पहले से ही सिस्टम बना हुआ है लेकिन

[अनुवाद]

फिर भी हर बार में गलती कर देते हैं

[हिन्दी]

और एक स्टेज ऐसी आती है जब पानी का लेवल रिजर्वायर के अंदर एक दम बढ़ने लगता है। इसकी वजह से पानी रिलीज करना पड़ता है, एक दम नदी के अंदर और चारों और पानी ही पानी फैल जाता है और वह पानी शहरों के अंदर घुस जाता है। यह होता है, ऐसा एक बार नहीं हुआ है। हमारे अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ोदरा में और भरूच के अंदर यह हुआ है। इनके तट पर नर्मदा का बांध है, ताप्ती का बांध है, नीचे साउथ में जाएंगे तो मधुबन डैम है साबरमती के ऊपर ढ रोई पर बांध है,

[अनुवाद]

गुजरात में सरकार द्वारा सृजित केन्द्रीकृत व्यवस्था ऐसी है कि यदि आपको केन्द्र द्वारा आदेश नहीं मिलते तो आप पानी नहीं छोड़ सकते।

[हिन्दी]

कितनी बार देखा गया है कि जो उसे देखने वाली अथॉरिटी है कि पानी किस समय और कितना रिलीज करना चाहिए, वह समय पर काम नहीं करती है। उसका असर उस नदी के आजू–बाजू वाले गांवों पर और शहरों पर पड़ता है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। इसको किस तरह से सुलझाया जाए, यह मैं नहीं जानता पैसा या मदद चाहिए, चाहे आर्मी पर्सनल की हो या दूसरे फोर्सेज की हो, वह समय पर पहुंची है। लेकिन स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हर बार हमें फेल दिखाई दिया है। गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट क्रीएट किया गया। उन्होंने वर्ष 2005–06 में कहा था कि हमारे सब प्लान तैयार हो रहे हैं और ये हुए। उन्होंने कहा कि हम कैनेडियन एजेंसी को हायर करेंगे। वे प्लान बनें लेकिन एग्जीक्यूशन की बात जब आई तो वह नहीं हुआ। जीएसडीएमए को बोट खरीदने के लिए पैसा भी दिया गया लेकिन बोट समय से खरीदे नहीं गये और इस साल भी नहीं खरीदे गये हैं। रिजर्वर के अंदर पानी का भरना, उसको समय से रिलीज नहीं करना, एक साथ रिलीज करना और इसकी वजह से हर साल बाढ़ की परिस्थिति कितने शहरों और गांवों में आती है, इसे रोकने का सवाल आज हमारे सामने है। कानून तो हमने बना दिया है लेकिन

[अनुवाद]

हम इसे कैसे लागू करें? हम यह कैसे देख सकते हैं राज्य स्तर पर लोग कार्य करते हैं और अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं। यह अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न है।

[हिन्दी]

यह चीज बार–बार ऊभरकर सामने आती रही है। इसको किस तरह से सुलझाया जाए, यह हमारे लिए भी एक पहेली है और इसको मैं मानता हूं।

दूसरा जो चेहरा हमारे सामने आया है वह यह है कि ईस्ट–वैस्ट के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल हाई–वे बने, वे दो–ढाई फीट ऊपर बने। पानी रिलीज होने के जो प्राकृतिक रास्ते थे, उनको या तो बंद कर दिया गया या उनको नापा नहीं गया, जिसकी वजह से बारिश का पानी अगर 20 इंच गिरता है तो जो प्राकृतिक रूप से पानी का निकास होना चाहिए था वह फ्लो नहीं निकलने की वजह से गांव के अंदर पानी भर गया या जहां कभी भी पानी नहीं भरता था वहां भी पानी भर गया। जहां–जहां हाई–वे बने, चाहे हमारा साबरकांठा, भरूच या खेरा डिस्ट्रिक्ट हो, सभी जगह पानी भरता गया और फ्लड की सिचुएशन पैदा हुई। इस वजह से बाढ़ की स्थिति और भी खराब होती गई।

तीसरा कारण जो मुझे समझ आता है कि नर्मदा नदी का पानी जो ओवर फ्लो होता है, उसे डायवर्ट करने के लिए एक बड़ी कनाल खोदी गई है। उस कैनाल के अंदर सैंट्रल गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं था, राज्य सरकार ने उस कैनाल को बनाने का काम किया। वह कैनाल चार साल से भी पूरी नहीं बन पाई है। वह कनाल साढ़े चार सौ से पांच

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

में पानी भरने लगा। इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। राज्य सरकार इन कार्यों को करती है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार को राज्यों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से कार्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिए केन्द्र के लिए जो चुनौती है, वह यह है कि आप पैसा दे सकते हो, मैन पॉवर दे सकते हो, आप प्लान बनाने के लिए कह सकते हो, लेकिन वह प्लान प्रभावी ढंग से क्रियान्वित होगा, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं इसी साल का उदाहरण दे रहा हूं। मेरे दोस्त कृपया हल्ला न करें। इस साल गुजरात के अंदर बहुत बारिश हुई है। हमारे यहां पूरा प्रशासन सैंट्रेलाइज हो गया था, चीफ मिनिस्टर के हाथ में ज्यादा–से–ज्यादा शक्तियां थीं। जब बहुत बारिश हुई थी, तब चीफ मिनिस्टर स्विटजरलैंड में थे। उनके या सीएम हाउस के मार्गदर्शन के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां तक कि प्रभावित इलाकों में रिलीफ मैटीरियल भी नहीं दिया गया। हर रोज लोग मरते गए। ऐसी स्थिति में चीफ मिनिस्टर पांच घंटे पहले अपनी यात्रा समाप्त करके गुजरात पहुंचे। बिंदु यह है कि पूरा सैंट्रेलाइज सिस्टम होने की वजह से राहत कार्य में देरी हुई। जैसे वर्ष 2006 के अंदर हमारे पास 1100 करोड़ रुपया था, जो पहले का था और 500 करोड़ रुपया सरकार ने तुरंत दिया था, जब हमारी यूपीए की चेयरपरसन सूरत के दौरे पर आई थीं। बाद में 200 करोड़ रुपया और दिया, कुल 700 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उन रुपयों का पूरा यूटीलाइजेशन नहीं हुआ। केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि जो लोग मारे गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जायेगा। बहुत बेहूदे रीजंस सामने आए, हमें इस वजह से बहुत हैरानी हुई, जिसकी फाइल डिजास्टर मैनेजमेंट अथौरिटी की तरफ से केंद्र सरकार को भेजी गई। वह पैसा दिया गया। लेकिन वह फाइल भेजनी है या नहीं भेजनी है, इसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी का डायरेक्टर तय करता है। मैं बताना चाहता हूं कि एक बार आदिवासी इलाके में बारिश की वजह से पानी भर गया। एक आदिवासी वहां से क्रास करने गया, प्रशासन की तरह से कहा गया कि आप क्रास मत कीजिए। उसे घर जाना था, इस कारण वह क्रास करने लगा और पानी में बह कर मर गया। उसके परिवार वालों ने मुआवजे के लिए जब आवेदन किया, तब गुजरात सरकार ने लिखित उत्तर दिया कि इस आदमी को कहा गया था कि पानी मे मत जाओ, फिर भी वह पानी में गया, इसलिए वह मुआवजे का हकदार नहीं है।

इसमें अतिशयोक्ति का सवाल नहीं है। एक जगह पर तालाब में पानी भरने की वजह से दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। उन्हें भी मुआवजा नहीं देने के लिए यही रीजन दिया गया। अब मैं पॉलिटिक्स पर आता हूं। आपने पॉलिटिक्स किस तरह यूज किया, उसके बारे में बताना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को राहत कार्यों के लिए पैसा दिया। राहत पहुंचाने की सामग्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टैम्प लगा कर और कमल का साइन करके सब लोगों को बांटा। यह गुजरात सरकार ने पैसे नहीं दिए थे। हर जगह कमल खिलता नहीं है, वह मुरझा भी जाता है। ...*(व्यवधान)* आप उधर बैठे हैं इसलिए आपको बचाव करना पड़ रहा है लेकिन हकीकत यह है कि जो डयू क्रैडिट केन्द्र सरकार को देना चाहिए उसके बजाय वहां की राज्य सरकार केन्द्र सरकार की कमियां दिखा कर अपना फेलियर छुपा रही है। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की तरफ से कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि अगर केन्द्र सरकार कोई राशि सरकार को देती है, उसमें ठीक तरह से यूज हुआ या नहीं, इसका पता लगाया जा सके। उसके किस को कितना पैसा मिलेगा, वह राज्य सरकार तय करती है – जैसे सस्टेनन्स एलाउंस है, उसके पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, सर्वे करने के बाद 10 दिन के बाद देते हैं, 12 दिन के बाद देते हैं या 15 दिन के बाद देते हैं। मैंने डिजास्टर का काफी काम किया है, इस वजह से ये सब बातें कह रहा हूं। बारिश की वजह से लोगों के घर अक्सर टूट जाते हैं। मैंने देखा है कि तारपोलिन शीट दो–तीन महीने के लिए ऐसा इनस्ट्रूमैंट बन जाती है कि जिससे टैम्परारी शैल्टर खड़ा किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा कुछ काम नहीं करती कि जल्दी से जल्दी उनको अच्छी तारपोलिन शीट दे सके। अगर आप इस बारे में कुछ राहत पहुंचा सकें तो अच्छा होगा।

सीआरएफ के पैसे राज्य सरकारों को दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)* इस किताब के अंदर सब कुछ दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। गढ़वी साहब, अगर आपने यह किताब पढ़ी नहीं है तो पढ़ लें। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि गुजरात में आपकी सरकार गलत बात कह रही है कि उसने कान्टीजैंसी फंड से पैसा लेने के लिए एप्लाई किया है लेकिन यह डॉक्यूमैंट कह रहा है कि गुजरात सरकार ने आठ दिन तक एप्लाई नहीं किया और आपने आठ दिन तक केन्द्र सरकार से इस बारे में पैसे नहीं मांगे। वहां इलैक्शन होने जा रहे हैं इसलिए आप लोगों को गलत बात कह रहे हैं कि गुजरात सरकार केन्द्र सरकार से पैसा मांग रही है और केन्द्र सरकार दे नहीं रही है। सीआरएफ में एक हफ्ता एडवांस पैसा देने का भी प्रावधान है। गुजरात सरकार को जितना पैसा खर्च करना चाहिए था, उतना उसने खर्च नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने गरीबों और मालदारों के बीच भेदभाव किया। सबसे ज्यादा पैसे इंडस्ट्री वालों को दिए गए और सबसे कम पैसे उन गरीब लोगों को जिन

का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, दिए गए। ऐसा इसलिए किया कि गुजरात सरकार 5–7 उद्योगपतियों को, जिन को नुकसान हुआ, खुश करना चाहती है और उससे आगे जाना नहीं चाहती है। ...(व्यवधान)

मेरा कहना है कि सीआरएफ की कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सूरत में जो पैसा दिया गया, वह उसका ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर से करवा रही है, उसका गवर्नमेंट ऑडिट नहीं हो रहा है। वहां के एमएलएज ने असेम्बली में कहा है कि इसे प्राइवेटली कैसे ऑडिट करवाया जा रहा है, इसका पूरा हिसाब किया जाए और पूरे खर्चे का हिसाब असेम्बली में दिया जाए। सीआरएफ के पैसे का हिसाब अभी तक नहीं दिया गया है। केन्द्र सरकार की ओर से पिछले वर्ष जो 1,700 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका भी हिसाब आज तक नहीं किया गया है। मेरा कहना है कि यह पैसा अच्छी तरह यूज नहीं किया गया है। इसलिए गुजरात सरकार ने इस वर्ष एनसीसीएफ में से कोई पैसा नहीं मांगा है। यह गुजरात सरकार की असफलता है। मैं बार–बार एक ही मुद्दे पर आ रहा हूं कि आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एथॉरिटी से इंश्योर करवाइए कि जिन को मदद के लिए पैसा दिया जाता है, उसका बराबर यूज होता है या नहीं होता है, इसे देखा जाए। अगर सही यूज नहीं होता है तो इस पर एक्शन लीजिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम उसको कम से कम एक्सपोज़ तो कर सकते हैं। इसमें कोई इलाका बाकी नहीं है। जहां ट्राइबल या निचला हिस्सा है, वहां पानी भरा है, फ्लड की सिचुएशन आई है, वहां पर परिस्थिति चार या छः महीने से सामान्य नहीं होती है। वहां एग्रीकल्चर क्रॉप खराब हो जाता है, उनको उसके जितने पैसे मिलने चाहिए, वे आज तक नहीं मिले हैं। रिलीफ मैटिरियल के संबंध में स्थिति यह है कि जैसा मेरा घर चला गया लेकिन किचन घर के बाहर है तो मुझे घर के पैसे मिलेंगे, किचन बाहर है तो किचन के पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि जो घर की व्याख्या है उसमें अगर किचन बाहर है तो वह व्याख्या में नहीं आता है, राज्य सरकारों ने ऐसे कितने नॉर्म्स तैयार किए हैं।

[अनुवाद]

इन मानकों की केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

मेरा निवेदन है कि इस संबंध में एक्शन लिया जाए। मैं आपको और आपके डिपार्टमेंट को फिर से धन्यवाद देता हूं कि गुजरात सरकार ने कितने पैसे यूज किए, यह मुझे पता नहीं लेकिन बाढ़ में केन्द्र सरकार ने लोगों की मदद की है और आपने कोई भेदभाव नहीं किया।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक वर्ष इस सभा में देश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होती है। लेकिन मिस्त्री जी ने पिछले 25 मिनट में जो भी कहा उसमें हम केवल आपात स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं और केवल राहत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमें प्रत्येक वर्ष अपनी राष्ट्रीय संपत्ति, मानव जीवन पशुधन और कितनी ही चीजों का नुकसान हो रहा है। हम इस समस्या को हल करने के लिए उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं ताकि हमें हर वर्ष इसके दुष्परिणामों का सामना न करना पड़े माननीय गृह मंत्री ने सही कहा है कि हमने इस सभा में एक कानून अर्थात आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया है। देश में मानसून आने से पहले देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और दक्षिण भागों में बाढ़ के परिणामों से बचने के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर कितनी सक्रिय थी? आपदा प्रबंधन के लिए हमने कानून पारित कर दिया कि इस तरह की बाढ़ के परिणामों से बचने के लिए हमारे अर्द्धसैनिक बल पूरी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए। हमारे पास उन स्थानों पर चिकित्सा दल, दवाइयां और अनिवार्य वस्तुएं होनी चाहिएं जहां बाढ़ और अन्य आपदाएं आती हैं। रोजाना हम मानव जीवन की क्षति के बारे में सुन रहे हैं। यहां तक कि बचाव दल और सैन्य अधिकारी और अर्द्धसैनिक अधिकारी भी ऐसी कार्यवाहियों में शामिल होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित करने, आपदा–दल गठित करने के बाद, हमें इसे अभी केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सक्रिय बनाना है। इसे सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है।

मैं संबंधित मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बिहार और उत्तर–पूर्व क्षेत्र के अन्य राज्यों में मानसून से पहले और बाढ़ आने से पहले इस चुनौती का सामना करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों और सैन्य बलों के कितने दल तैयार किए गए थे? इस स्थिति से निपटने के लिए कितने हेलिकॉप्टर, मोटरबोट, डॉक्टर, दवाइयां और कितना राशन जमा किया गया था? हमें देश में इन आपदा प्रबंधन दलों का मूल्यांकन करने और इन पर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि उपचार से बचाव बेहतर है।

यह राष्ट्रीय क्षति है। हम प्रत्येक वर्ष इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। बाढ़ का जल बिहार और उ.प्र. में आ गया। यह हिमालय पर्वत और नेपाल से आता है। असम में पानी कहां से आता है? यह ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की प्रमुख सहायक नदियों से आता है। अतः, इसके समाधान क्या हैं, यदि भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ संधि की है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें विलम्ब क्यों

[श्री तापिर गाव]

किया जा रहा है और बिहार तथा उ.प्र. में बाढ़ की स्थिति का समाधान करने के लिए इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। उ. प्र. और बिहार में आढ़ की समस्या हल करने के लिए बांधों और जलाशयों के निर्माण संबंधी भारत–नेपाल संधि में क्या प्रगति हुई है?

मैं एक बहुत रोचक पहलू की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूं कि मेरे राज्य, अरुणाचल प्रदेश की एक प्रकार से उपेक्षा की जा रही है। जब प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम के दौरान बाढ़ आती है, तब माननीय मंत्रीगण – जल संसाधन मंत्री हों या प्रधान मंत्री या फिर संप्रग की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी जी – केवल असम का दौरा ही करते हैं। निःसन्देह, असम को बाढ़ के दुष्परिणामों और इनसे होने वाली क्षति का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है लेकिन भारत सरकार इस बात को जानने का प्रयास नहीं करती कि आखिर यह जल आता कहां से है। ब्रहमपुत्र की सभी प्रमुख सहायक नदियां अरुणाचल प्रदेश से बहकर आती हैं। हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसून मौसम से पहले काफी कार्य करने की आवश्यकता है; अरुणाचल प्रदेश में जलाशयों का निर्माण करने की आवश्यकता है, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख सहायक नदियों पर प्रमुख बांधों का निर्माण किए जाने और अरुणाचल प्रदेश के भीतर जल संरक्षणों, बाढ़ संरक्षणों तथा तटबंधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के बाद ही हम असम में बाढ़ की समस्या का काफी हद तक समाधान कर सकते हैं।

अब, मैं भारत सरकार के सामने एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। बाढ़ के दौरान तलछट जमा हो जाता है जो बहकर असम तक पहुंच जाता है। भारत सरकार शीतकालीन मौसम में नदी मार्ग का तलमार्जन क्यों नहीं करती ताकि बाढ़ का अतिरिक्त जल बहकर असम के मैदानों में न पहुंचे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। अंग्रेजों के शासन काल के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में नदी मार्ग का तलमार्जन किया जाता था और बिहार, उ.प्र. और नेपाल की सीमाओं पर भी इसे प्रयुक्त किया जा सकता है।

माननीय गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उस भाग को राहत देने के लिए ठीक ही कहा है कि जिस किसी व्यक्ति का घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार को कितना धन दिया गया है। इस मानसून के दौरान, अरुणाचल प्रदेश के छः जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। समस्या यही है कि अरुणाचल में बाढ़ ने सारा नक्शा ही बदल दिया है। कुछ घंटों की वर्षा से सभी सड़कें, पुल और अवसंरचना ढह गई लेकिन वहां पर केन्द्रीय दल पहुंचा ही नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जिला है, दिबांग वैली। इस जिले के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए जिस पुल को पार करके जाना होता है वह कुछ घंटों की वर्षा से पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब, ऊपरी दिबांग जिला महीनों तक सारे देश से कटा रहेगा। उस जिले में आवश्यक वस्तुएं और डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि मेघ तथा वर्षा के कारण हिमालय के क्षेत्र में वायुसेना के हेलिकॉप्टरों को नहीं उड़ाया जा सकता है।

इसलिए, इस प्रकार की राहत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हिमालय से लगे अन्य राज्यों को दी जानी चाहिए। हाल ही में, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बाढ़ आ गई जिसमें अनेक घर और सड़कें बह गईं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय राज्यों में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं प्रति वर्ष आती ही रहती हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि छोटे–छोटे राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय और हिमालय से लगे राज्यों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय राज्यों की उपेक्षा न करे। असम में हुई क्षति की पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए। यह असम की जनता की सही मांग है।

जल स्त्रोत का भी पूरा–पूरा आकलन किया जाना चाहिए और सुधारात्मक उपायों के लिए आदानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस राज्य में बाढ़ के कारण सर्वाधिक पानी आया है वह असम है। मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इन राहत कार्यों की समुचित निगरानी की जानी चाहिए। कुछ घंटों पहले मुझे माननीय जल संसाधन मंत्री के साथ लोकसभा टी वी चैनल पर बैठने का अवसर मिला था। असम से एक माननीय सदस्य यह बता रहे थे कि बाढ़ आ गई है। पशु डूब गए हैं, लोग मर रहे हैं लेकिन भारत सरकार राज्य को पूर्व में दी गई निधियों के उपयोग प्रमाणपत्रों की मांग कर रही है।

मेरा कहना यह है कि जब बिहार, गुजरात, उ.प्र. में लोग मर रहे हैं और अन्य राज्यों में आपात स्थितिया हैं, आप उन राज्यों को पूर्व में दी गई निधियों की जानकारी चाहते हैं। एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सकती है जिससे कि मानसून समाप्त होने पर इस व्यय का लेखा–जोखा लिया जा सके, परन्तु जब सेना की तैनाती, डॉक्टरों की तैनाती, राहत उपाय करना, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना और अन्य व्यय जैसे राहत कार्य किए जा रहे हैं, तब संबंधित राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

बाढ़ के बाद अब प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने का डर है। इस समय, बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। बाढ़ के बाद फैलने वाली महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा

कितने डाक्टर तैयार किए जा रहे हैं? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों, राजमार्गों और पुलों की मरम्मत और निर्माण के लिए कितनी राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है? इन सभी बातों पर प्रकाश डालने और राष्ट्र को यह बताने की आवश्यकता है कि ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, सायं के छह बज रहे हैं। मुझे अब सभा की राय लेनी है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए लगभग 50 सदस्य और हैं। यदि आप सभी की सहमति हो, तो आज चर्चा को एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : जी हां, चर्चा के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : ठीक है, सभा का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सदस्य अपनी इच्छानुसार बोलते चले जाएं। उन्हें अपने भाषणों को सीमित रखना होगा। यह सही है कि समय बढ़ाया गया है। परन्तु एक घण्टा समय और बढ़ाकर भी हम इस चर्चा को आज समाप्त नहीं कर सकते। अतएव, कृपया समय की कमी का ध्यान रखें।

मैं अब श्री शैलेन्द्र कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अपने संगत विचार संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करें।

सायं 6.00 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और श्री हन्नान मोल्लाह ने नियम 193 के अंतर्गत बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए विषय उठाया है, मैं उनका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री का इससे सीधा संबंध है। यह सत्य है कि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने अपनी बात विस्तार से रखी है। अगर इस बाढ़ की स्थिति के साथ–साथ सूखे की स्थिति पर भी विचार–विमिमय होता तो मेरे ख्याल से बहुत ही उत्तम होता। उत्तर प्रदेश में पश्चिम के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में दिनोंदिन वृद्धि होना है। आज शहरों में बिलडर्स निर्माण कार्य कराते जा रहे हैं लेकिन पानी की निकासी के साधन की व्यवस्था नहीं करते हैं। इसके साथ–साथ कस्बों और देहातों में तालाबों की न तो खुदाई होती है और न नालों की सफाई ही हो पाती है। इस कार्य के नाम पर लाखों–करोड़ों रुपया चला जाता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के कारण आज बाढ़ की हालत हमारे सामने है।

सभापति महोदय, जब नदियां उफान पर होती हैं, उसके बाद बालू भर जाने से उनका खनन कार्य किया जाना चाहिए। अगर यह कार्य जोरदार तरीके से किया जाये तो हम बाढ़ की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसलिए नदियों को जोड़ने की बात कही जाती रही है। जहां पानी नहीं होता है, वहां नदियों को डायवर्ट करके पानी पहुंचाया जा सकता है। इससे बाढ़ की स्थिति रुक सकती है। इस कार्य की शुरूआत उत्तर प्रदेश से की गई है। अगर देखा जाये तो मालूम होगा कि असम, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुम्बई में आंशिक रूप से बाढ़ की स्थिति है। जहां तक उत्तर प्रदेश की स्थिति है, मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि बाढ़ से 20 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। वहां सैंकड़ों जानें जा चुकी हैं। सरकारी आंकड़े 205 की संख्या बता रहे हैं और 1404 गांव बुरी तरह से डूबे हुए हैं। 72 हजार से ज्यादा मकान धराशायी हो गये हैं और 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की हानि हुई है। आज समाचार पत्र में आया है कि पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 17 मौतें और हुई हैं। उत्तर प्रदेश में नदियां बाढ़ के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि जब नेपाल और उत्तराखण्ड में बारिश होती है, उसका पूरा पानी गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां – शारदा, बूढ़ी गंडक, बेतवा राप्ती, घाघरा में आता है। इससे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति भीषण हो जाती है।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, मऊ वगैरा 8–10 मंडलों के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। केन्द्र सरकार ने 300 करोड़ रुपया बाढ़ राहत कार्यों के लिए दिया है। राज्य सरकारों के लिए बुकलैट दी गई है, जहां उन्हें आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए बताया गया है। बाढ़ की भीषण स्थिति के कारण जहां बदइंतजामी है। वहां आपदा प्रबंधन ने उसकी पोल खोल दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 20 जिलों में कम से कम 4 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में है जहां खड़ी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो रही हैं। गंगा–यमुना के बीच का क्षेत्र जिसे दोआबा

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

कहते हैं, उसमे मेरा संसदीय क्षेत्र चायल पड़ता है, जहां की हजारों बीघे जमीन की फसलें नष्ट हो रही हैं। गंगा नदी की तराई में लेहदरी, सांतो, हब्बूनगर, शहजादपुर, तरसौरा, संदीपन, पल्हाना, फतेहपुर घाट जैसे इलाकों में किसान मूंगफली, बाजरा, शकरकंद और तिल्ली की खेती करते हैं, जो बाढ़ से प्रभावित होने के कारण नष्ट हो गई हैं।

जहां आज हम बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं हमें सूखे की स्थिति पर भी ध्यान देना पड़ेगा और उससे भी निपटने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। राज्यों से आपके पास रिपोर्ट आएंगी। कौशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद और खासकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ की 60 प्रतिशत फसलें बर्बाद हुई हैं। 50 प्रतिशत गेहूं बोया भी नहीं गया है और 30 से 50 प्रतिशत किसान रोजगार के लिए दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं जहां मजदूरी करके वे अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। आज भी उस एरिया में कृषि योग्य भूमि पर केवल 42 प्रतिशत में सिंचाई की व्यवस्था है। मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 2006–07 में डीपीएपी कार्यक्रम में 360 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया है। 31.01.2007 तक 15.38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने की योजना है। मैं बताना चाहूंगा कि 3076 नई परियोजनाओं को भी उसमे शामिल किया गया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्र की एक टीम भेजें जो सही मायनों में देखा जाए तो पहले से ही चिह्नित है। हम हर साल सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, सुनामी और भूकंप जैसी आपदाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं चाहूंगा कि आपके पास जो टीम है, आप उसे वहां अवश्य भेजें ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से पहुंचाया जा सके। आप मॉनीटरिंग भी करें। राज्यों को आप जो पैसा देते हैं, उसमें भी मॉनीटरिंग करनी चाहिए कि वहां पर राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं या नहीं। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आपने पैसे दिये हैं लेकिन राज्य सरकारें खर्च नहीं कर रही हैं, राहत कार्य नहीं पहुंचा पा रही हैं। इसकी मॉनीटरिंग होनी चाहिए। ज्यादातर ग्रामीण इलाके इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों का कृषि बीमा और लगान माफ किया जाना चाहिए, पशुओं के चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए, मकानों की मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत से मकान धराशायी हो गए हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों का भी इंतजाम करना चाहिए क्योंकि बाढ़ के बाद बीमारियां फैलती हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं, जैसे डायरिया है जो प्रदूषित पानी से फैलता है और उससे गांव के गांव प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां एक प्रकार से महामारी का रूप ले लेती हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हो रही है और जल संसाधन मंत्री जी, गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, तो वे इन सब व्यवस्थाओं को देखें और खासकर जो प्रभावित परिवार हैं, जिनके घर गिर गए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था अवश्य करे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की व्यवस्था आपने पूरे देश में की है। कुछ जिलों में लागू की है, कुछ जिलों में लागू नहीं की है। इस योजना को आप वहां अस्थायी तौर पर लागू करके प्रभावित लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करें ताकि वह अपने परिवार को पाल सकें और अपना जीवन स्तर उठा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : माननीय सभापति महोदय, बाढ़ की स्थिति पर सदन में चर्चा हो रही है। देश के लगभग दस राज्यों में – बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, असम, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इस साल बाढ़ आई है। जब भी बाढ़ आती है तो हम लोक सभा में इस पर चर्चा करते हैं। बाढ़ आने के पहले राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए जो उपाय करने चाहिए, वे नहीं किये जाते हैं। अभी हम बिहार के दो जिलों का दौरा करके आए। हमारे साथ लोक सभा के माननीय सदस्य अप्पा दुरई जी भी थे। हम बेगूसराय और खगड़िया जिलों में गए। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक का बांध टूट गया था जिसके चलते लगभग 65 पंचायतें जलमग्न हो गईं। ऐसा लगता था जैसे वह समुद्र हो गया है। इसी तरह से खगड़िया में भी बाढ़ की वही लीला है। वहां का करीब तीन–चौथाई हिस्सा जलमग्न हो गया। बिहार में करीब 20 जिलों में बाढ़ आई जिसमें दस जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरे जिस राज्य की हमने चर्चा की है, सब जगह बाढ़ आई है। वहां जो राहत का सामान समय पर पहुंचना चाहिए। मैंने अभी कहा कि जब बाढ़ आती है तो हम चर्चा करने लगते हैं, तब राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार भी जाग जाती है। केन्द्र से भी लोग दौरा करने लगते हैं कि कैसे बाढ़ का सामना किया जाये, कैसे इससे निपटा जाए, इसकी चर्चा करते हैं। बाढ़ से पहले केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को जो योजना बनानी चाहिए, वह योजना नहीं बनती है, मालूम नहीं पड़ता है और एकाएक बाढ़ आ जाती है। जब हर साल बाढ़ आती है तो इसके लिए लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए। अब बिहार में श्रीमती सोनिया गांधी जी गईं और हमारे गृह मंत्री जी भी गए, सब लोग बिहार में गए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिहार में इस साल बाढ़ आई, दूसरे साल नहीं आएगी। यह अलग बात है कि कुछ क्षेत्रों में पहले आती है, लेकिन इसे फेस करने के लिए कैसे बाढ़ से निपटा जाए, इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, जो नहीं हो पाती है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो पैसा देते हैं, मैंने खुद जाकर देखा कि 25 जुलाई को वहां बाढ़ आई, लेकिन पांच अगस्त तक वहां

कोई भी राहत का काम नहीं किया गया। वहां कितने दिन से लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए नाव, तिरपाल आदि चीजों का कोई इंतजाम नहीं। वहां लोग भूख एवं प्यास से मर रहे हैं, उनकी किसी को कोई चिन्ता नहीं है। बिहार में साढ़े तीन सौ से ज्यादा लोगों की बाढ़ के कारण मृत्यु हुई है, इसी तरह से अन्य राज्यों में भी हुई है। अगर इसी तरह से होता रहा तो बाढ़ आती रहेगी और लोग मरते रहेंगे। आप रिलीफ का काम चालू करते रहेंगे, थोड़ा बहुत पहुंचाते रहेंगे, इससे बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, जब तक इसका स्थाई समाधान नहीं ढूंढा जाएगा।

महोदय, मैं 1991 में भी पार्लियामेंट में था। उस समय भी बिहार के बारे में बाढ़ की चर्चा होती थी। नेपाल से जो नदियां आती हैं, उसी के चलते बिहार में बाढ़ आती है और बिहार के साथ–साथ यूपी में भी बाढ़ का पानी चला जाता है। उस समय भी चर्चा होती थी कि नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए। नेपाल सरकार से बात करके जो बहुउद्देशीय योजना है, उसे लागू करना चाहिए। 15–16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस समय मंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नेपाल सरकार से जितनी जल्दी हो सके, उनसे बात कीजिए और जो बहुउद्देशीय योजना है, जिसकी चर्चा हर बार पार्लियामेंट में होती रहती है, उसे लागू कीजिए, नेपाल में पानी को रोकिए, थर्मल पावर स्टेशन बनाइए और सिंचाई की व्यवस्था कीजिए। उसी पानी को बिहार में लाइए ताकि बाढ़ की समस्या का स्थाई समाधान हो सके, नहीं तो बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं इस बार बाढ़ की लीला बिहार में देख कर आया हूं, वहां जो बांध टूटा है उसमें उस गांव के डेढ़ सौ घर एक साथ बह गए। वहां साढ़े तीन सौ लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की लीला हुई है। इसलिए इसका कहीं न कहीं स्थाई समाधान ढूंढना होगा। हम केन्द्र सरकार के गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जहां बाढ़ आती हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को बैठाइए, सभी मुख्यमंत्रियों को बैठा कर इसके स्थाई समाधान की बात सोचिए ताकि हर बार ऐसा न हो। मैंने बेगुसराय के जिला कलेक्टर से पूछा कि आप बाढ़ पीड़ितों की सहायता क्यों नहीं कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि मेरे पास साधन नहीं हैं और ऐसे में यह भी होता है कि इसको देना है, इसको नहीं देना है, जिसकी चर्चा अभी एक माननीय सदस्य ने की थी, जब कि बाढ़ से सब लोग प्रभावित होते हैं। किसी की पांच एकड़ जमीन है, किसी की तीन एकड़ जमीन है और किसी के पास नहीं है, अगर यह देखा जाएगा तो हम समझते हैं कि बाकी जो पांच एकड़ वाला है, उसका क्या कसूर है। उसका तो खेत, मकान, सब कुछ चला गया, तब तो वह भीख मांगेगा। इसलिए आपका जो यह नियम है, उसे आप बदलिए और बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं, उन सभी लोगों को आप सहायता पहुंचाएं।

जहां तक नदियों की बात है, अभी एक माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे। पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों के मंत्रियों को बैठा कर एक नीति बनाइए और बाढ़ से निपटने के लिए एक स्थाई समाधान ढूंढिए, नहीं तो हर बार बाढ़ आएगी और नुकसान होगा, रिलीफ के काम से समाधान होने वाला नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई स्थाई समाधान कीजिए। यही केन्द्र सरकार से और मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री ब्रह्मानन्द पंडा** (जगतसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जो कि देश में बाढ़ की स्थिति जैसी अत्यंत संवेदनशील मामले पर हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था बार–बार आने वाली इन बाढ़ों के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जब तक कि कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा जाता, स्थिति और गंभीर होने की संभावना है और एक मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र बनने का हमारा सपना कभी साकार नहीं होगा।

सभापति महोदय : श्री ब्रह्मानन्द पंडा कृपया अंग्रेजी में बोलिए।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : माननीय सभापति महोदय, मैं इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का मौका देने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष भारतवासियों को अत्यधिक बाढ़ का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप जान–माल की बड़े पैमाने पर हानि होती है।

मैं उड़ीसा राज्य से आता हूं जो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। वर्तमान संप्रग सरकार देश के सर्वांगीण विकास पर जोर दे रही है। यह सुनिश्चित करना केन्द्र का कर्त्तव्य है कि उड़ीसा राज्य के साथ कोई भेदभाव न हो। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार बाढ़, भीषण चक्रवात और सूखे का सामना कर रहे हैं जिससे राज्य का वित्तीय आधार चरमरा गया है। हमें गर्व है कि हमारा राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। हमारे पास लौह अयस्क का विशाल भंडार है परन्तु हमारे राज्य के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि ही उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। परन्तु परेशानियों और बाढ़ के खतरे के कारण इस राज्य के लोगों का सामान्य जीवन ठप्प हो गया है।

पिछले वर्ष, उड़ीसा में अत्यधिक बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर जीवन जान और माल की हानि हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 47.13 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उड़ीसा राज्य में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की है। मेरे नेता श्री

* मूलतः चर्चा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

बीजू पटनायक, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय नायक ने इंडोनेशिया सुप्रीमो को डच सैनिकों के चंगुल से बचाया। उन्हीं के नाम पर मेरी पार्टी का नामकरण किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब भारत उन्नति करेगा तो उड़ीसा की अनदेखी न हो।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष बाढ़ पीड़ितों को राहत और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यद्यपि 3,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, यह चौका देने वाली बात है कि केन्द्र सरकार ने केवल 25 करोड़ रुपये ही वित्तीय पैकेज के रूप में दिए हैं। इससे राज्य के लोगां की भावनाएं आहत हुई हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि भारत को उन्नति करनी चाहिए और सभी राज्यों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। जब हमारे राष्ट्रीय नेता आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करते हैं तो उनकी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि उड़ीसा भी आए जहां आदमी और देश का सबसे गरीब व्यक्ति अत्यधिक परेशानी झेल रहा है। इसलिए मेरा इस सम्माननीय सभा से विनम्र निवेदन है कि राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कुछ स्थायी समाधान किए जाने चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करके हम लोग केवल उनकी सहायता ही करेंगे। यह दुखद है कि लाभ बिचौलियों को मिल रहे हैं जबकि यह गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलने चाहिए।

हाल ही में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गया था और मैंने पाया कि वहां इतनी भयावक बाढ़ आई हुई है, कि लोग अपने घरों से बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय मदद नहीं दी गई। अभी तक केवल स्थानीय लोगों को ही वित्तीय मदद देने की कोशिश की गई। इसी प्रकार, हाल ही में अचानक आई बाढ़ से उत्तर और दक्षिण उड़ीसा के लोग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उनका सामान्य जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। इन क्षेत्रों के पांच जिले और अन्य क्षेत्रों के नौ जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, मैं यह अपील करना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि प्रभावित क्षेत्रों में गरीब लोगों और जिनकी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, उनको पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर इसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। आप पायेंगे कि आजकल उन नदियों में भी बाढ़ आ रही है जहां पहले बाढ़ नहीं आती थी। यह एक गंभीर समस्या बन गई है। इन नदियों में बाढ़ आ रही है क्योंकि इनमें रेत जमा हो गई है और इनका तलमार्जन करने के कोई स्थायी उपाय नहीं किए गए हैं। इसलिएं एक प्रस्ताव यह है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। नदियों का तलमार्जन करना अत्यंत आवश्यक भाग बन गया है जिसको नहीं करने से लोगों को ऐसे ही समस्याओं का सामना करते रहना होगा।

कम दबाव के मौसम के दौरान – उड़ीसा को पिछले वर्ष 14 बार कम दबाव का सामना करना पड़ा और इस वर्ष भी हमें कई बार कम दबाव का सामना करना पड़ा जिससे अत्यधिक बाढ़ आती है और लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त–व्यस्त हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मैं केन्द्र सरकार को यही कहना चाहूंगा कि इस मामले पर यहां चर्चा करके अथवा अच्छी–अच्छी घोषणाएं करके हम इस देश के आम लोगों की तकलीफ दूर नहीं कर सकते हैं। यही समय है जब इस सम्माननीय सभा को स्थायी उपाय करने चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों को अनगिनत परेशानियों का सामना न करना पड़े।

विभिन्न राज्यों में जो आपदा प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं उसकी निगरानी केन्द्र द्वारा की जानी चाहिए। केन्द्र को विभिन्न राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उड़ीसा सरकार ने आपदा राहत निधि के रूप में 3000 रु. की मांग की थी, परन्तु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केन्द्र सरकार द्वारा केवल 25 करोड़ रु. ही दिए गये। हालांकि प्रधानमंत्री ने उड़ीसा राज्य के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे साथ इसलिए भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि न तो कांग्रेस और न ही इसके घटक दल उड़ीसा में सत्तारूढ़ हैं श्री नवीन पटनायक जो श्री बीजू पटनायक के काबिल पुत्र हैं, उड़ीसा राज्य में सत्तारूढ़ हैं और इसलिए शायद उड़ीसा के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उड़ीसा की उपेक्षा की जा रही है और भारत सरकार द्वारा जानबूझ कर कोई वित्तीय पैकेज नहीं दिया गया है।

इसलिए मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हम राष्ट्रीय अखंडता पर गर्व महसूस करते हैं; राष्ट्रीय अखंडता का एकमात्र स्रोत भगवान जगन्नाथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रसिद्ध कवि गोपबंधु दास जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता थे ने कहा था :–

"उत्कल की पवित्र भूमि को किसी नेता की आवश्यकता नहीं,

क्योंकि भगवान स्वयं उत्कल का मार्गदर्शन करते हैं।"

यही कारण है कि, मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि यदि आप हमारे राज्य के साथ इस तरीके से भेदभाव करेंगे तो भगवान जगन्नाथ हमारा बचाव करेंगे।

प्रेम और अनुराग के नैतिक और आध्यात्मिक भावना के साथ मैं भारत सरकार से विशेषकर केन्द्रीय गृह मंत्री और जल संसाधन मंत्री से अपील करता हूं कि एक विशेष पैकेज की घोषणा करें। मैं जल संसाधन मंत्री को जानता हूं। वह उदार हृदय वाले हैं। वे मेरे राज्य के साथ भेद–भाव नहीं करेंगे। उन्हें उड़ीसा राज्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : सभापति महोदय, बाढ़ पर चर्चा के दौरान आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सायं 6.26 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

यह हमारे देश की त्रासदी है कि हम हर साल या तो बाढ़ पर चर्चा करते हैं या सुखाड पर चर्चा करते हैं। आज तक आजादी के बाद से कोई ऐसा साल नहीं है, जब हम बाढ़ या सुखाड़ पर चर्चा नहीं करते। लेकिन हम चर्चा तक ही उसको सीमित रखते हैं। जब सुखाड़ आया, हमने चर्चा की और अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी। भारत सरकार भी रिलीफ के लिए जो भी सम्भव हुआ, राज्यो को मदद पहुंचाई। पहुंचाई गई रिलीफ बांटी गई, लेकिन उसके बाद हम उस पर कंसेंट्रेट ही नहीं करते हैं कि हमको आखिर इस त्रासदी से निजात कैसे पाना होगा, क्योंकि हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या वाटर मैनेजमेंट है। एक तरफ हमारे यहां अति पानी के कारण, जल के कारण बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ हम पानी की कमी के कारण सुखाड़ से जूझ रहे हैं, इसलिए वाटर मैनेजमेंट को उसके स्थाई समाधान की जो आवश्यकता है, उस पर हमें ध्यान कंसेंट्रेट करना चाहिए, तभी हम इस काम को कर सकते हैं।

इस बार जो बाढ़ आई, कई माननीय सदस्यों ने उसकी चर्चा की और बताया कि यह अभूतपूर्व बाढ़ थी। अभूतपूर्व बाढ़ इसलिए थी कि मध्य जुलाई के बाद अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कई राज्यों में इतनी भारी बारिश हुई, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी बाढ़ से प्रभावित हुए, कि नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, नेपाल की तराई में भी बारिश हुई, इससे नेपाल से निकलने वाली नदियां खतरे के निशान से दो से तीन मीटर तक ऊपर पहुंच गई। बारिश के कारण लगातार जो मौसम विभाग की सूचना है, जो केन्द्रीय जल आयोग का कहना है कि नोर्मल रेंज से 300 से 350 प्रतिशत तक बारिश हुई। इस स्थिति में हम इसको अभूतपूर्व बाढ़ मानें और सारे देश ने इसको स्वीकार किया, लेकिन उसके साथ–साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह अनएक्सपेक्टिड बाढ़ थी, अप्रत्याशित बाढ़ थी। अप्रत्याशित हम इसलिए कह रहे हैं कि वह बाढ़ का समय नहीं था। बाढ़ मुख्य तौर पर सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में आती है, इसलिए हम अनावश्यक बाढ़ की चपेट में फंस गये, वहां के कई सदस्यों ने सही कहा कि 19 जिले उससे तबाह हो गये। केवल 19 जिले ही नहीं, करीब 200 प्रखण्ड और दो करोड़ आबादी उससे प्रभावित हुई। अभी बाढ़ खत्म नहीं हुई है, जब पानी निकलेगा तो मिट्टी के और कच्चे मकान गिरेंगे। हम लोग यह महसूस कर रहे हैं लगभग पांच लाख से ज्यादा कच्चे मकान बिहार में गिरेंगे, ध्वस्त होंगे। सात लाख हैक्टेयर भूमि पर जो फसल लगी हुई है, वह फसल बर्बाद हो गई, पानी से नष्ट हो गई। अब आप समझिये कि जब सात लाख हैक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हो जायेगी तो एक तरफ तो हम फूडग्रेन के क्राइसिस में चले जायेंगे, क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और दूसरी तरफ जो बड़े किसान या जो भी किसान हैं, जब उनकी फसल बर्बाद हो जायेगी तो वे किसी लायक नहीं बचेंगे।

राहत कार्यों की चर्चा हुई है। राहत कार्य चल रहा है। केन्द्र सरकार ने भी मदद की है और राज्य सरकार के बूते भी जितनी संभावना और क्षमता है, उसके बल पर राहत कार्य चलाये जा रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की, लेकिन राहत कार्य राहत होती है। किसी भी विपत्ति में, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कोई आदमी नोर्मल लाइफ नहीं जी सकता है।

महोदय, राहत, राहत है। राहत में कहीं न कहीं समस्या रह जाती है, जब इतने बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलता है। राहत कार्य चल रहा है और केन्द्रीय सरकार ने भी वहां मदद की है। माननीय गृह मंत्री जी और यूपीए की चेयरपर्सन वहां गई थी। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने विपत्ति के समय बिहार के लोगों के साथ अपनी संवेदना जोड़ी और केंद्र सरकार से जो भी संभव है, उन्होंने किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है कि बाढ़ का स्थायी समाधान कैसे किया जाए? बाढ़ के स्थायी समाधान और बाढ़ के कारणों की ओर हम जायेंगे, तो हम पायेंगे और जिसे हम मान रहे हैं कि आज प्रदूषण सबसे बड़ा कारण बाढ़ के लिए है, कई ऐसे राज्य हैं, जैसे – महाराष्ट्र में फ्लड एक कहानी की तरह थी। लोग कहानी के रूप में जानते थे कि वहां आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो ऐसे कई देश हैं, चीन है, इंग्लैंड है, इनके लिए कहानी थी कि बाढ़ भी कोई कहानी होती है। ये सुनते होगे कि बाढ़ में लोग कैसे जीते हैं? लेकिन आज ये प्रदेश और देश भी बाढ़ देख रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करेंगे, तो प्रकृति का प्रकोप हमारे देश और विश्व पर बढ़ता जाएगा। हम लोग इस चीज को मानें।

महोदय, इसके साथ ही नेपाल के संबंध में चर्चा हुई। नेपाल में हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। जब नेपाल में आप हाई डैम बनाएंगे, तो आप उससे पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। पनबिजली की योजना चलाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और सिंचाई की भी व्यवस्था कर सकते हैं। नदियों को जोड़ने की योजना राष्ट्रीय जनतांत्रिक

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

गठबंधन सरकार के समय शुरू हुई थी। हमारे बिहार राज्य में अभी की सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। शायर भारत सरकार के जल संसाधन विभाग में जरूर वह पहुंचा होगा या पहुंचने वाला होगा, यह मुझे नहीं मालूम है। नदियों को जोड़ने से जहां सुखाड़ की स्थिति होती है, वहां हम पानी ले जा सकते हैं और जहां जल की अति होती है, हम उसे रोक सकते हैं।

महोदय, बिहार आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है। भारत सरकार के गृह मंत्री वहां गए। उन्होंने रिलीफ के मद में काफी मदद की, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अभी आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री ने आकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में उन्होंने 30 लाख क्विंटल अतिरिक्त अनाज मांगा है। कई माननीय सदस्य इस बारे में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 25 किलो अनाज पर्याप्त नहीं है, उसे बढ़ाकर 50 किलो करना होगा। यही बात बिहार के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन में दिया है, उसमें कहा है कि 50 किलो अनाज हम प्रत्येक परिवार को दें, इसके लिए हमें 30 लाख क्विंटल अतिरिक्त अनाज आबंटित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने किरोसिन तेल के बारे में कहा है, क्योंकि लोग जब बांध पर रह रहे हैं, तो किरोसिन तेल की खपत ज्यादा होगी, इसलिए 180 लाख लीटर अतिरिक्त किरोसिन तेल की मांग उन्होंने केन्द्र सरकार से की है। इस सब के बाद फसल का मुआवजा, जिसको माननीय सदस्य 2 हजार रुपए प्रति एकड़ कह रहे थे, उसमें गलती से उन्होंने मकान की बात कह दी, जिसे माननीय गृहमंत्री जी ने तत्काल काटने का काम किया। सीआरएफ से जो फसल बर्बाद होती है, उसके लिए 2 हजार रुपए प्रति एकड़ केन्द्र सरकार सीआरएफ से देती है और दो हजार रुपए राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि हम अपनी तरफ से देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने ज्ञापन में कहा है कि 5 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमें किसानों को फसल का मुआवजा देने के लिए साढ़े 3 सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि लांग टर्म मेजर्स कैसे लिया जाए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक सेल गठित किया जाए। उस सेल में हाई डैम बनाने के लिए लांग टर्म फ्लड स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाया जाए, जिसमें प्लानिंग कमीशन के लोग रहे, जिसमें विदेश मंत्रालय के लोग रहें, जल संसाधन विभाग के लोग रहें और राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि रहे और समेकित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में एक लांग टर्म स्ट्रेटेजिक ग्रुप काम करे ताकि इसका स्थायी समाधान कैसे हो, इस बारे में निर्णय करें। इस दिशा में कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

हमने कई बातों की चर्चा की। हम सभी कंस्ट्रक्टिव बातें कह रहे हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहां राजनैतिक बात भी हुई है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय यदि कोई राजनीति करता है, तो उससे ज्यादा जनता के हितों के विपरीत काम करने वाला कोई नहीं है। हमने 14 अगस्त की प्रोसीडिंग देखी है। भारत सरकार के एक राज्य मंत्री ऐसे भाषण दे रहे थे जैसे वे भारत सरकार के मंत्री की हैसियत से नहीं, एक राजनीतिक पार्टी के सांसद के रूप में भाषण दे रहे हों। उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने तटबंध की चर्चा की। सभापति महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार से कुल 3,432 किलोमीटर तटबंध हैं। यह करीब 22 नदियों पर है। जिन मंत्री जी ने यहां राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भाषण दिया, उन्होंने बिहार में 15 वर्षों तक शासन किया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 1997 तक उन्होंने मात्र 227 किलोमीटर बांध की मरम्मत करवाई। नौवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 176 किलोमीटर तटबंध का निर्माण करवाया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2006 तक वे शासन में थे। उन्होंने मात्र 148 किलोमीटर तटबंध का निर्माण करवाया। सन् 2004 में बाढ़ आई। वहां जो सिंचाई मंत्री हैं, हम उनके द्वारा दिए गए भाषण की अखबार का कटिंग लाए हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि जब उनके समय में वहां तटबंध टूटा, तो सिंचाई मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की गलती के कारण टूट गया। वे रिस्पौंसीबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे और यहां उन्होंने बांध और तटबंध पर भाषण दिया। उन्होंने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया कि हमने इतना पैसा स्वीकृत कर दिया। बिहार सरकार ने तटबंध के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रिकमैंड करके भेजा है। 2,882 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अभी गंगा फ्लड कंट्रोल ने रिकमैंड किया है। इनकी प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि गंगा फ्लड कंट्रोल से प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन से वहां और वहां से जल संसाधन, फिर यहां से बीस तरह की क्वैरी और पता चलेगा कि अगले साल फिर बाढ़ आ गई और वह सारा तटबंध वैसे ही पड़ा रह गया। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक लांग टर्म स्ट्रेटजी ग्रुप बनाइए जिसके माध्यम से बाढ़ के राहत की कार्यवाही की जा सके। ...*(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

बिहार के एक केन्द्रीय मंत्री आज भी बाढ़ के साथ राजनीति कर रहे हैं। गृह मंत्री जी गए। मैडम सोनिया जी, यूपीए की चेयरपर्सन बिहार गईं। यह लोग हैलीकॉप्टर पर बाढ़ का दौरा करके बैठ गए, अखबारों में यह समाचार छपा। हैलीकॉप्टर का इंजन चालू हो गया। गृह मंत्री जी और सोनिया जी पसीने से परेशान है और एक केन्द्रीय मंत्री बाहर टीवी से बयान दे रहे हैं। बिहार में सन् 2004 में बाढ़ आई थी, 2005 और 2006 में बिहार में कोई बाढ़ नहीं आई। मेरे पास सन् 2004 के अखबार

की कठिंग है। उनका बयान है कि पानी आई तब न खाईब मछरी। उन्होंने बिहार में बाढ़ को आपदा नहीं माना। मेरे पास उनके सन् 2004 के इंटरव्यू का कॉपी है जिसमें कहा गया है कि बाढ़ आपदा नहीं होती, बाढ़ में गरीब लोगों को मछली मिल जाती है और वे बढ़िया क्वालिटी की मछली खाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जिसकी यह समझदारी हो, उसे बोलने का क्या अधिकार है।

आज की इस परिस्थिति में पिटे हुए मोहरे को बिहार में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि इस त्रासदी में राजनीति करने की बजाय सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर बिहार में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाये, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भविष्य में वहां ऐसी परिस्थिति पैदा न हो, इसके लिए लांग टर्म प्लान बनाना चाहिए, जो सुझाव वहां के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को दिया है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : सभापति महोदय, मेरी बाबत बात आयी है इसलिए मेरा बोलना बहुत जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। नियम इसकी अनुमति नहीं देता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : सभापति महोदय, हमने जो कुछ सदन में कहा था, उस पर टिप्पणी की गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके खिलाफ, कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, अगर ये बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : सभापति महोदय, हमने जो कुछ सदन में कहा, उस पर टिप्पणी की गई है। आप हमें उस पर सफाई देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एम. शिवन्ना अपनी बात कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह केवल चर्चा है। श्री शिवन्ना आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : हमें सफाई देने का अधिकार है या नहीं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आपको कुछ कहना है तो आप इसे लिखकर दे सकते हैं। हम इस पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : उन्होंने जो कुछ कहा है, केन्द्र सरकार ने जो राशि दी है। ...*(व्यवधान)* हमने सदन में जो कुछ कहा, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। ...*(व्यवधान)* जब मिनिस्टर कोई चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। हमारी बात सुन ली जाये। ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने जो राशि दी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विद्वान मित्र, आपको जो कहना है, वह मुझे बता सकते हैं। आपके वक्तव्य के आधार पर हम निर्णय लेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री शिवन्ना के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : किसी को उनकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा केवल श्री शिवन्ना का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री शिवन्ना के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री शिवन्ना, आप बोल सकते हैं। केवल आपका भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे उन्हें भी अनुमति देनी पड़ेगी। यह इस प्रकार नहीं चल सकता। इस तरह से तो यह कभी खत्म नहीं होगा।

...(व्यवधान)

****श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : महोदय, देश में बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न समस्याओं पर नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बाढ़ प्रभावित लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह बहुत चिंता का विषय है कि हमारा देश बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, इस वर्ष बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात पश्चिम बंगाल जैसे राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है।

महोदय, वर्ष–दर–वर्ष एक नियमित घटना होने के बावजूद सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने के लिए कोई स्थायी उपाय नहीं किया है। इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। यह सही तरीके नहीं है कि जब समस्या उत्पन्न हो जाए तब समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाए बल्कि हमें इसके उत्पन्न होने से पहले ही समस्या के निपटान के लिए सभी उपस्करों और रणनीतियों के साथ तैयार रहना चाहिए।

जहां तक कर्नाटक का संबंध है, राज्य का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित है। बाढ़ के उफान में पिछले तीन महीने में 242 जाने चली गई हैं। 4000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। 9 लाख लोग बेघर हो गए हैं। एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी। लगभग 56,000 हेक्टेयर में ज्वार, धान, सूरजमुखी, गन्ने की फसल नष्ट हो गई है। 5000 करोड़ रुपए की निजी तथा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है।

महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। विडम्बना यह है कि चामराजनगर हमेशा सूखे और बाढ़ से प्रभावित रहा है। यहां तक कि अब जब पूरा देश बाढ़ से प्रभावित है, चामराजनगर के लोग बाढ़ और सूखा दोनों ही स्थितियों से पीड़ित हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 8 तालुका हैं। इनमें से 5 तालुक बाढ़ से प्रभावित हैं और 3 तालुकों में गंभीर सूखे की स्थिति है। सांतेमरहल्ली हडर, चामराजनगर जैस तालुक और कोलीगत, नौसनुगड़ और गुंडलूपेट के कुछ भाग सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं और इन तालुकों में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है जबकि टी. नरसीपुर, मालानदुर, कौलीगल के कुछ हिस्सों तथा नानजुगुड तालुक बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। चामराजनगर जिले में रहने वाले लोगों की हालत बहुत दयनीय है।

महोदय, मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी और उपमुख्यमंत्री श्री वी.एस. यूदियूरप्पा के सक्षम नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने राहत के कई उपाय किए हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष जानकारी लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया है। तत्काल राहत कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दलिया केन्द्र बनाए गए हैं, बाढ़ पीड़ितों को भोजन और कपड़े की आपूर्ति की जा रही है। परंतु यह पर्याप्त नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पहले ही, तत्काल राहत कार्य किए जाने के लिए, 500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की है। मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि कर्नाटक में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर विचार करें और तत्काल राहत कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए जारी करें तथा तत्काल राहत कार्यों को किए जाने के लिए 500 करोड़ रुपए जारी करे और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी के हाथ मजबूत करें। अंत में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार भारत की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए आगे आए ताकि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि से निपटा जा सके।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

** मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर

इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री प्रो. सैफुद्दीन सोज, अब आप बोल सकते हैं।

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर देश में बाढ़ की गंभीर समस्या के प्रति चिंता जताने के लिए आगे आए हैं। सभी के भाषणों में भिन्नता है। ऐसा हमेशा ही होता है। कई बार, कुछ बातें दोहराई जाती हैं। सदस्य कुछ बातें कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : सर, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह बीच में बोल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कोई भी मंत्री चर्चा में हस्तक्षेप कर सकता है, वह केवल बीच में बोल रहे हैं। यह अंतिम उन्तर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जैसा कि मैंने आपको बताया, यह अंतिम उत्तर नहीं है। कोई भी मंत्री बीच में बोल सकता है और चर्चा में भाग ले सकता है। मंत्री भी सभा का सदस्य है। वह चर्चा में भाग ले सकता है। अंतिम उत्तर संबंधित मंत्री देंगे। मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। मंत्री भी सभा का सदस्य है। कोई भी मंत्री बीच में बोल सकता है। यदि उनका नाम सूची में है तो मैं उन्हें बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यदि आप चाहते हैं तो मैं कल बोल लूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अंतिम उत्तर सबसे आखिर में दिया जायेगा। वे बीच में बोलने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यदि चर्चा कल समाप्त होती है, तो मैं कल बोल सकता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। मंत्री महोदय, आप बोलना जारी रखें।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यदि यह कल हो सकता है, और चर्चा कल समाप्त होती है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे यह सब बातें पता हैं। मैं केवल नियमों के अनुसार कार्य करूंगा। मंत्री महोदय, आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : वह कितनी बार बीच में बोलेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप बोल सकते हैं। आपको उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय अध्यक्ष–पीठ को संबोधित करें। समय केवल सायं सात बजे तक बढ़ाया गया है। यदि आपका भाषण समाप्त नहीं होता है तो आप अगले दिन जारी रख सकते हैं। किसी भी दशा में समय नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि 7 बजे सभा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु स्थगित कर दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई शून्य काल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आपको कुछ और समय देना होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसके बाद कोई शून्य काल नहीं है। यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। माननीय सदस्यों ने मुझे बताया है कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना चाहते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए 20 मिनट का समय चाहिए।

सभापति महोदय : आप जारी रख सकते हैं। आप उन्हें क्यों संबोधित कर रहे हैं? आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहा हूं। अध्यक्षपीठ के माध्यम से अपने सहयोगियों से माफी मांगते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि माननीय गृहमंत्री और मेरा नाम चिह्नित किया

[प्रो. सैफुद्दीन सोज]

गया है और राहत और पुनर्वास गंभीर मुद्दा है, इसलिए चर्चा माननीय गृह मंत्री द्वारा समाप्त की जाएगी ...*(व्यवधान)* राहत और पुनर्वास एक गंभीर मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : सर, यह अपालॉजी का सवाल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

हमें भी बोलने का समय दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चर्चा कल भी जारी रहेगी। यह घोषणा की जा चुकी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : सर, हम लोग कब बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : कृपया उन्हें आज बोलने की अनुमति न दें। उन्हें कल बोलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह उन पर निर्भर है। इसका निर्णय मुझे नहीं करना है। इसका निर्णय उन्हें करना है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यदि सभा को कोई आपत्ति है तो मैं कल बोल लूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह उन पर छोड़ दिया गया है और इसका निर्णय मुझे नहीं करना है। उन्हें इसका निर्णय करना है। मुझे इस बात का निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि उन्हें कब बोलना चाहिए। उनका नाम सूची में है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आप चर्चा को खींच नहीं सकते। महोदय, यदि सभा को आपत्ति है तो मैं कल अपनी बात रखूंगा।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, पहले जल संसाधन राज्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया था और अब जल संसाधन मंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं। मंत्री लोग कितनी बार हस्तक्षेप करेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उनकी बात को स्वीकार कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं अध्यक्ष पीठ के निर्णय का पालन करूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ ऐसे नियम हैं जिनका सभा में अनुपालन करना ही होता है; दो सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते। जब मंत्री जी आपको बोलने की स्वीकृति दे दें तभी आप बोल सकते हैं। अन्यथा इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शरबेल स्वाई : सभापति महोदय, आपने बैठक का समय आज सायं 7.00 बजे से आगे नहीं बढ़ाया जायेगा और चूंकि सभा को स्थगित होने में अब केवल 5 मिनट का समय ही शेष है इसलिए मंत्री जी कल बोलें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसका निर्णय मंत्री जी को लेना है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, हम आज सायं 7.00 बजे के बाद नहीं बैठेंगे ...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह गंभीर विषय है। कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, आप या तो आज सभा का समय बढ़ाइए या फिर मैं कल बोलूंगा।

सभापति महोदय : आप अब बोल सकते हैं। मैंने आपको बोलने की अनुमति दे दी है।

...*(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : सभापति महोदय, मंत्री जी आज सभा के स्थगित होने तक बोल सकते हैं और अपने भाषण को कल भी जारी रख सकते हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और जहां तक देश में बार-बार बाढ़ की विकट समस्या, उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संबंध है, मैं उनके साथ हूं। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और इस बारे में मैं इस मुद्दे पर उनके साथ हूं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, श्री अनन्त कुमार से लेकर श्री शिवन्ना तक जिन–जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया मैंने उनके द्वारा कही गई बातों के संबंध में बहुत सी टिप्पणियां तैयार की हैं और हां, मैं उन सब बातों का उत्तर भी दे सकता हूं, परन्तु इसमें सभा का बहुत समय लगेगा। अतः मैं इसे छोड़ता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : आप उनके द्वारा उठाई गई बातों का सामान्य तौर पर उत्तर दे सकते हैं। आपको प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाई गई बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा हो कि मंत्रालय कौन–कौन से कार्य करने जा रहा है। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा तथा प्रत्येक बात का उत्तर नहीं दूंगा। परन्तु अनेक सदस्यों ने एक साथ कई सुझाव दिए हैं। अतः मैंने चार क्षेत्रों को चुना है और प्रारम्भ में मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। उदाहरणार्थ, अनेक सदस्यों ने नदियों को परस्पर जोड़ने के बारे में अपनी बात कही है और यहां यह ऐसी धारणा बनायी गयी है कि संभवतया इसी सरकार ने ही इस प्रस्ताव को फिलहाल छोड़ दिया है। यह बहुत गलत धारणा है। यह सरकार नदियों को परस्पर जोड़ने के प्रस्ताव पर पूरे जोर–शोर से कार्य कर रही है परन्तु इस सभा में नदियों को परस्पर जोड़ने के प्रस्ताव पर अलग से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए समय की आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगा कि इस विषय पर एक कार्यदल का गठन किया गया था जिसने दिसम्बर, 2004 में अपनी सिफारिशें की थीं। कार्यदल अपने गठन के छह माह के अन्दर अपना कार्य पूरा करके, विचारार्थ विषयों, विवरण, व्यय के बारे में बताया और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने तथा हिमालय की नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव भी दिया है और यह सरकार इन पर पूरे जोर–शोर से कार्य कर रही है ...*(व्यवधान)* यदि आप मंत्री होते ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : महोदय, साढ़े तीन साल में एक कदम भी नहीं बढ़ाया।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : शाहनवाज जी, आप तो मिनिस्टर रहे हैं। आप पूरी डिटेल नहीं सुनेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : बिहार में लोग डूब रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : बिहार के लिए हमने जो किया है, उसे पहले आज सुनिए। ...*(व्यवधान)*

सायं 7.00 बजे

[अनुवाद]

महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि हम नदियों को आपस में जोड़ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

महोदय, ये तथ्यों को समझना नहीं चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब, सभा मंगलवार, 21 अगस्त, 2007 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 अगस्त, 2007/30 श्रावण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री थावरचन्द गेहलोत	101
	श्री किन्जरपु येरननायडु	
2.	श्री काशीराम राणा	102
	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	
3.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	103
	श्री हंसराज गं. अहीर	
4.	श्री एल. राजगोपाल	104
	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	
5.	श्री अधीर चौधरी	105
6.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	106
	श्री रनेन बर्मन	
7.	श्री विजय कृष्ण	107
8.	श्री राम कृपाल यादव	108
9.	श्री गिरिधारी यादव	109
	श्री हरिकेवल प्रसाद	
10.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	110
11.	श्री संतोष गंगवार	111
	श्री रघुवीर सिंह कौशल	
12.	श्री पुन्नूलाल मोहले	112
13.	श्री ए. कृष्णास्वामी	113
14.	योगी आदित्यनाथ	114
15.	श्री रशीद मसूद	115
16.	श्री सूरज सिंह	116
	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	
17.	श्री बी. विनोदकुमार	117
18.	श्री सनत कुमार मंडल	118
19.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	119
	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	
20.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1016
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1051, 1054, 1070, 1078
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	985, 997, 1015, 1081
4.	अप्पादुरई, श्री एम.	952
5.	आठवले, श्री रामदास	992
6.	'बघदा', श्री बची सिंह रावत	1020
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	980
8.	बर्मन, श्री हितेन	963, 972
9.	बखला, श्री जोवाकिम	963, 1072
10.	भगोरा, श्री महावीर	1024, 1079, 1090
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	1063
12.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	964
13.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	956
14.	बोस, श्री सुब्रत	967, 1043
15.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1106
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	959
17.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1001, 1011
18.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	955, 965, 1093, 1102, 1107
19.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1090
20.	चौधरी, श्री पंकज	1059, 1093
21.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1001, 1054
22.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1010, 1073
23.	धोत्रे, श्री संजय	989, 1037, 1086
24.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	957, 1006, 1038, 1095

1	2	3
25.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1029, 1054
26.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	974, 1046, 1059
27.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	1012
28.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1098
29.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	1035
30.	गंगवार, श्री संतोष	1054, 1055
31.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	989, 1037, 1086, 1100
32.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1052, 1097
33.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1014
34.	हसन, श्री मुनव्वर	979
35.	हुसैन, श्री अनवर	968, 1050
36.	जगन्नाथ, डा. एम.	987, 1062
37.	जैन, श्री पुष्प	1029
38.	जटिया, डा. सत्यनारायण	1009
39.	झा, श्री रघुनाथ	1007
40.	जिन्दल, श्री नवीन	970, 994, 1038
41.	जोशी, श्री प्रहलाद	971
42.	कलमाडी, श्री सुरेश	1036
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	999
44.	खां, श्री सुनील	1022
45.	खारवेनथन, श्री एस.के.	953, 1041, 1088
46.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	966, 1053, 1089, 1090
47.	कृष्ण, श्री विजय	1083, 1097
48.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	998
49.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	991, 1059
50.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	1054
51.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1063
52.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	977, 1070
53.	महरिया, श्री सुभाष	978
54.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1054
55.	मंडल, श्री सन्नत कुमार	1048, 1089
56.	माने, श्रीमती निवेदिता	1035
57.	मनोज, डा. के.एस.	990, 1030
58.	मसूद, श्री रशीद	1054, 1056
59.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	994, 1061
60.	मिश्रा, डा. राजेश	1019, 1076
61.	मो. ताहिर, श्री	1033, 1056, 1076
62.	मंडल, श्री अबु अयीश	1026
63.	मोरे, श्री वसंतराव	983
64.	नन्दी, श्री अमिताभ	1006
65.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1046, 1059
66.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	1013, 1028, 1107
67.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	951, 1040, 1052, 1087
68.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1017, 1075
69.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	958
70.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	975
71.	पटेल, श्री जीवभाई ए.	996, 1069
72.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	984, 1020, 1077, 1084, 1098
73.	पटेरिया, श्रीमती नीता	994
74.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	976, 1047
75.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	954, 1015
76.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	980
77.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	958, 1069
78.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1065, 1093, 1102, 1107
79.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	986

1	2	3
80.	राजगोपाल, श्री एल.	1053
81.	रामदास, प्रो. एम.	1008, 1071
82.	राव, श्री के.एस.	969, 1044
83.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	982, 1067, 1094, 1103
84.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1009, 1032
85.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	993, 1003, 1060, 1090, 1101
86.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	997
87.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	997, 1021, 1079
88.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	962, 1049
89.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1054
90.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1065, 1092, 1093
91.	रिजीजू, श्री कीरेन	1069
92.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1025, 1080
93.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	981
94.	सरोज, श्री तूफानी	1013, 1074
95.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1071
96.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1003, 1054, 1064, 1091
97.	सेन, श्रीमती मिनाती	994
98.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1002
99.	शर्मा, श्री मदन लाल	1008
100.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1051, 1054, 1070, 1078
101.	शिवन्ना, श्री एम.	1034, 1085
102.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	954
103.	सिददीश्वर, श्री जी.एम.	1005, 1069

1	2	3
104.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1000
105.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	961, 1042, 1092
106.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1018
107.	सिंह, श्री सुग्रीव	984, 1020, 1077, 1084, 1099
108.	सिंह, श्री सूरज	1057
109.	सिंह, श्री उदय	1004, 1066
110.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	960
111.	सुगावनम, श्री ई.जी.	973, 1045
112.	सुमन, श्री रामजीलाल	1063
113.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1031
114.	तुम्मर, श्री वी.के.	1069
115.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	958
116.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1027, 1096, 1104, 1105
117.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1060
118.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	996
119.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1023
120.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	988, 1003, 1082
121.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1051, 1054, 1070, 1078
122.	विनोद कुमार, श्री बी.	1058
123.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	955
124.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1033, 1076
125.	यादव, श्री मित्रसेन	995
126.	यादव, श्री राम कृपाल	1039
127.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1068, 1080

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि		102, 104, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 119, 120
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		106, 109
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		101, 111, 114, 116
रक्षा		103, 118
श्रम और रोजगार		105
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		
जल संसाधन	:	113

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि	952, 961, 964, 966, 969, 979, 981, 984, 985, 987, 988, 997, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1023, 1024, 1027, 1028, 1031, 1034, 1037, 1044, 1047, 1051, 1058, 1062, 1064, 1071, 1074, 1076, 1080, 1083, 1084, 1089, 1097, 1100, 1103, 1104
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	955, 959, 963, 965, 967, 971, 972, 982, 992, 995, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1016, 1017, 1020, 1025, 1032, 1042, 1043, 1045[P] 1046, 1050, 1053, 1061, 1063, 1066, 1067, 1072, 1073, 1081, 1086, 1087, 1098, 1099
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	962, 970, 978, 989, 996, 998, 1006, 1007, 1035, 1039, 1049, 1052, 1057, 1059, 3065, 1068, 1077, 1079, 1088, 1092, 1096, 1105, 1106
रक्षा	951, 953, 954, 957, 958, 960, 975, 976, 980, 1011, 1016, 1019, 1021, 1026, 1029, 1033, 1036, 1040, 1048, 1054, 1055, 1056, 1060, 1070, 1075, 1091, 1095, 1102
श्रम और रोजगार	977, 983, 994, 1038, 1090, 1107
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	956, 973, 986, 990, 993, 1022, 1030, 1041, 1069, 1082, 1094, 1101
जल संसाधन	968, 974, 991, 1003, 1015, 1078, 1085, 1093

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और मै. धनराज एसोसिएट्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली – द्वारा मुद्रित।